(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अङ्क 5] सप्तम् विधान सभा के पंचम सत्र का तृतीय दिवस [संख्या 3

बुधवार

दिनांक 8 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य।

कोटा मसूरिया साड़ी उद्योग

70. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में मांगरोल तथा केथून में कोटा मसूरिया साड़ी का उत्पादन देश में प्रसिद्ध है लेकिन कच्चा माल, बिक्री केन्द्र तथा ऋण की समुचित व्यवस्था नहीं होने तथा नकली माल के बाहर से आने की वजह से उक्त उद्योग प्रायः समाप्त होता जा रहा है ?

(2) सरकार हैण्डलूम से बनने वाली कोटा मसूरिया साड़ी के उत्पादन एवं प्रचार-प्रसार तथा हजारों बुनकरों की सुविधा हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) यह सही है कि कोटा जिले में मांगरोल तथा केथून में कोटा मसूरिया साड़ी का उत्पादन देश में प्रसिद्ध है। किन्तु यह सही नहीं है कि कच्चा माल एवं बिक्री केन्द्र की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। यह अवश्य है कि नकली माल बाहर से आने से यह उद्योग प्रभावित हुआ है।

(2) राजस्थान लघु उद्योग निगम एवं राजस्थान राज्य बुनकर संघ के आगारों पर उत्पादन तथा क्रय की व्यवस्था की जाती है तथा अपने विभिन्न बिक्री केन्द्रों तथा नुमाइशों एवं मेलों में भाग लेकर मसूरिया साड़ी के उत्पादन का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, और साथ ही बिक्री की व्यवस्था भी।

श्री हीरालाल आर्य : आपने फरमाया कि जो मसूरिया साड़ी है, उसके उत्पादन व बिक्री की समुचित व्यवस्था की जा रही है। मेरा निवेदन है कि वहां पर आपका केन्द्र है, वह बुनकरों को कच्चे माल की सप्लाई को समुचित व्यवस्था नहीं कर रहा है। यदि इनके पास माल पड़ा हुआ है तो क्या यह

Page No 2

(2)

(श्री हीरालाल आर्य)

सही है कि बहुत महंगा है इसलिये मजबूरन उनको सेठों के पास जाना पड़ता है ? दूसरे जो बुनकर साड़ियां बनाते हैं उनके माल की खरीद की व्यवस्था आप नहीं करवा रहे हैं इसलिये मजबूरन उनको सेठों को माल बेचना पड़ता है और सेठ लोग बुनकरों का शोषण करते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सही है कि कुल उत्पादन जो है वह केन्द्रों पर नहीं खरीदा जाता है, वे लोग बाजार में दूसरे माध्यम से भी अपने माल को बेचते हैं। यह संभव भी नहीं है कि जितना उत्पादन हो उसको ये दोनों संस्थायें खरीद सकें क्योंकि उनके माल की बिक्री की भी समस्या है, कितने हो करोड़ों का उत्पादन है। अगर उस पूरे माल के खरीदने के लिए उनसे कहा जाय तो उसकी बिक्री का सवाल पैदा होता है। उनके पास स्टाक्स इक्ट्ठे होते जायेंगे। जो अच्छा माल है उसको विभिन्न केन्द्रों पर खपत के अनुसार खरीदने की व्यवस्था है।

जहां तक कच्चे माल के उत्पादन की बात है आज से तीन साल पहले यार्न सप्लाई की सबसे बड़ी समस्या थी, मार्केट में यार्न नहीं था, उस पर ब्लैक था, जरूरत से ज्यादा कीमत में बेचा जा रहा था। उससे पहले यार्न इन केन्द्रों से ज्यादा कीमत पर दिया जाता था लेकिन पिछले तीन साल से यार्न की कीमत में गिरावट आई है, कोई नहीं खरीद रहा है और अपन ही मार्केट में यार्न खरीदते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : मंत्री महोदय ने रॉ मैटीरियल देने की बात कही। उनका बना हुआ जो माल है उसको खरीदने की व्यवस्था सरकार करती है। वे गरीब लोग हैं, जुलाहे हैं। पूरे देश व विदेश में इस माल का एक्सपोर्ट होता है। अच्छी क्वालिटी के लिए इसकी रेपूटेशन देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। इन बुनकरों का शोषण रोकने की सरकार कोशिश नहीं कर सकती है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बुनकरों की समस्या राजस्थान में ही नहीं है सारे देश में है, बनारस में भी है, बंगाल में भी है, हर जगह मार्केटिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। जो विभिन्न हैंडलूम निगम हैं और उनकी संस्थायें हैं वे पूरे माल को नहीं ले पा रही हैं। मैंने जैसा शुरू में निवेदन किया, राजस्थान में भी हम इस स्थिति में नहीं कि जितना उत्पादन होता है, सरकार अपनी एजेन्सी के द्वारा उस पूरे माल को खरीद सके।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): कोटा साड़ी के नाम पर नकली साड़ियां बाजार में इतनी अधिक आ रही हैं कि इस धन्धे में लगे हुये मजदूरों को नुकसान हो रहा है। कोटा साड़ी सारे देश में विख्यात है उसके नाम पर नकली माल बिक रहा है इसलिये इस धन्धे में लगे हुये लोग मुश्किल में पड़ रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात सही है कि देश में बनारस और चंदेरी में कोटा डोरिया के नाम से नकली माल बनता है और देश में बिक रहा है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : यह भी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसको आप कैसे रोक सकते हैं, आप ही बता दीजिये। बाजार में कोटा डोरिया के नाम से माल आता है, लोग खरीद रहे हैं, मैं इन्कार नहीं कर रहा हूं, बनारस और चंदेरी में यह माल बन रहा है और जयपुर व कोटा में बिकता है। सरकार के पास कोई इलाज नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या यह सही है कि कोटा साड़ी के नाम से कोटा नगर में आज से 2।। वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड सोसाइटीज थीं ? क्या यह सही है कि उन लोगों ने बार-बार राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र अनुदान, कर्ज आदि के लिए दिये हैं और राज्य सरकार ने उनकी कोई सहायता नहीं की ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सहकारी समितियों ने अनुदान की मांग की है, यह जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है। अगर नियमों में प्रावधान है और जो सुविधा उनको मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री हीरालाल आर्य : मंत्री महोदय ने कहा, बनारस से नकली माल आता है और यहां कोटा साड़ी के नाम से बिक रहा है। वह इतना अधिक आ गया है कि यहां के बुनकरों का काम ठप्प हो गया है। इसलिये कोटा साड़ी पर ऐसा ट्रेड मार्क हो जाय जिससे लेने वाला तय कर सके कि यह वाकई कोटा का माल है। उस पर ट्रेड मार्क होना जरूरी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, नकली माल बनाया जा रहा है इसके लिये मैं यही कह सकता हूं, अगर कोई नकली माल कहीं पकड़ा जावे तो मैं इसकी जांच करवाने को तैयार हूं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो बुनकर लोग इस काम को कर रहे हैं वह लोन के लिये पिछले अगस्त से प्रयत्न कर रहे हैं पर उन गरीब लोगों को आज तक लोन नहीं मिला है, न तो उनको शेयर कैपिटल पर और न बैंकिंग कैपिटल पर लोन मिला है। अगर राज्य सरकार उनको लोन देने की व्यवस्था कर दे तो वह गरीब लोग काम करके कम से कम अपना जीवन तो पाल सकेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको लोन देने की व्यवस्था मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा की जाती है। लोन की वही व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन कच्चा माल, बिक्री केन्द्र तथा ऋण की समुचित व्यवस्था नहीं होने से तथा नकली माल के बाहर से आने के वजह से उक्त उद्योग प्रायः समाप्त होता जा रहा है। इसका आपने जवाब नहीं दिया स्पष्ट रूप से।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई स्पेसिफिक नाम से तो कहा नहीं कि नकली माल कौन बना रहा है और····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनको नहीं मिल रहा है।

Page No 4

(4)

श्री अध्यक्ष : आप उनको लोन दिलाने के बारे में विचार करें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। इस पर अगर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया तो यह उद्योग समाप्त हो जावेगा।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, उन गरीब लोगों को उनके उद्योगों को सुचारु रूप से चलाने के लिये कच्चा माल दिलाने के लिये राज्य सरकार क्या करने जा रही है ? बुनकरों, विशेष तौर से मांगरोल के बुनकरों को लोन देने के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन लोगों को लोन देने की व्यवस्था कराने की कृपा करें। अगर नियम नहीं हो तो उस पर कार्यवाही करने के लिये व्यवस्था करावें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान कीजिये। अगला प्रश्न। श्री राम किशोर मीणा।

अनुसूचितजाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए न्याय व्यवस्था

71 **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई का अधिकार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष न्यायालयों को दिये जानें के कारण शीघ्र ही निपटारा नहीं होता ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने विशेष न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों को भी इन मामलों की सुनवाई का अधिकार दिये जाने की घोषणा की है ? यदि हां, तो उसका कब तक पालन हो जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने विशेष न्यायालयों की संख्या में वृद्धि कर दो और विशेष न्यायालय कोटा में एवं एक विशेष न्यायालय अलवर में स्थापित कर दिये हैं ताकि ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। अन्य स्थानों के लिये उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि साधारण न्यायालयों को निर्देश दे कि ऐसे प्रकरणों के लिये कार्य को देखते हुए सप्ताह में एक या दो दिन मुकर्रर करने की कृपा करें।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को इस प्रश्न के भाग (2) के उत्तर को दुबारा पढ़ने के लिये कहें।

श्री अध्यक्ष : भाग (2) दुबारा पढ़ें।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जी हां। राज्य सरकार ने विशेष न्यायालयों की संख्या में वृद्धि कर दो और विशेष न्यायालय कोटा में एवं एक विशेष न्यायालय अलवर में स्थापित कर दिये हैं ताकि ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। अन्य स्थानों के लिये उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि साधारण न्यायालय को निर्देश दे कि ऐसे प्रकरणों के लिए कार्य को देखते हुए सप्ताह में एक या दो दिन मुकर्रर करने की कृपा करें।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह दो विशेष न्यायालय कोटा मे और अलवर में एक स्थापित किया गया है, यह कब किया गया है ? हाई कोर्ट को अन्य स्थानों के लिये न्यायालय खोलने के लिये कौनसी तारीख को अनुरोध किया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, मैंने गत सत्र में सदन में आश्वासन दिया था कि यह वहां के लोगों के लिये काफी समस्या है। मैं खुद इससे परिचित हूं इसलिये हमने लिखा और भारत सरकार के निर्देश पर हाई कोर्ट ने कोटा में दो विशेष न्यायालय और अलवर में एक विशेष न्यायालय खोलने के लिये अनुमति दी।

श्री अध्यक्ष : पर यह कब से किया, यह प्रश्न है। यह प्रश्न आने के बाद में आपने किय या उसके पहले किया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका डिसीजन तो हो चुका था कि कोटा में दो विशेष न्यायालय होने चाहिये और अलवर में एक विशेष न्यायालय होना चाहिये।

श्री रामकिशोर मीणा : पर कौनसी तारीख को हुआ ?

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आपने इसका पता करवाया क्या कि कब से हुआ ? कौनसी तारीख थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तारीख तो मुझे स्पष्ट अभी पता नहीं है लेकिन उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो मोबाइल न्यायालय के लिये भारत सरकार ने कहा, इसकी व्यवस्था बारां और छबड़ा में भी होगी और जो केसेज है उनको ट्रान्सफर किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : क्या यह सही है कि जो तीन न्यायालय हैं उन्होंने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है ? वह कहां काम करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोटा में तीन जगह का होगा कोटा, बारां और छबड़ा।

(व्यवधान)

और सांगोद, दीगोद और पीपल्दा का कोटा में होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। आर्डर।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : अलवर में किस जगह पर है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो हाई कोर्ट के ऊपर है।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने पिछले दो सत्र में जवाब दिया उसके बाद अभी तक वहां पर कोर्ट्स में केसेज गये नहीं हैं। लोग बार-बार चक्कर काट कर जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, केसेज कोर्ट्स में ट्रान्सफर नहीं

(श्री राम किशोर मीणा)

होने की वजह से बेचारे गरीब लोगों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। मेरा निवेदन यह है कि उन कोर्ट्स का कब से सुचारू रूप से काम चलना शुरू हो जायेगा ताकि गरीब लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, केसेज को छांटा जा रहा है और रेस्पेक्टिव अदालतों में भेजने का काम करने की व्यवस्था की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री समर्थलाल : क्या यह सही है, अध्यक्ष महोदय, जो अलवर में और कोटा में विशेष न्यायालय खोलने की बात थी वह एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर थी और उस एक्सपेरीमेंट में राज्य सरकार फेल हो गयी है। तीनों न्यायालय में करीब छः या साढ़े छः लाख केसेज पेंडिंग पड़े हुये हैं और लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मैं पहले मानता हूं। भारत सरकार को राय दी थी कि प्रत्येक न्यायालय के लिये एक दो दिन मुकर्रर किये जावें वह उन्होंने एग्री नहीं किया। इसके अलावा एक बात और यह थी उसके लिये पचास प्रतिशत खर्चा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट खर्च करें। अध्यक्ष महोदय, अभी तारीख तो मुझे याद नहीं, मैं अभी बता नहीं सकता हूं कि यह कौनसी तारीख को निर्णय हुआ पर कोटा, बारां और छबड़ा में विशेष न्यायालय होंगे और मोबाइल कोर्ट अलग अलग जगह के लिये होंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि मोबाइल कोर्ट एक सप्ताह में दो चलाने की बात की गयी थी उसको बाद में भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मोबाइल न्यायालय नहीं खोले जायेंगे। इसलिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सस्ता न्याय दिलाने की बात थी उसमें सरकार फेल हो गई और पूरी तरह से नाकामयाब रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो खुद पहले मान चुका हूं कि न्यायालय का काम उसके बिना नहीं चल सकता पर भारत सरकार ने एग्री नहीं किया। उसके बाद में दो विशेष न्यायालय कोटा में और एक अलवर में स्थापित करने की व्यवस्था की है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जब मंत्रीजी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि यह व्यवस्था सफल नहीं हुई और केसेज का डिस्पोजल नहीं हो रहा है तो क्या भारत सरकार का निर्देश आपके लिए मानना लाजिमी है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : भारत सरकार की यह कोशिश थी कि इसके लिए हमको अनुदान ज्यादा से ज्यादा दिया जाये। भारत सरकार ने अनुदान केवल 3 अदालतों के लिए मन्जूर किया। उसके बाद में यह कार्यवाही चालू की गयी कि विशेष अदालतों को छोड़कर दूसरी अदालतों को भी यह अधिकार दे दिये जायें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं दे चुका हूं....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी के पास जो जवाब था वह दे दिया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी की मजबूरी को मानता हूं। वह स्वीकार करते है कि इस व्यवस्था से केसेज का डिस्पोजल नहीं हो रहा है लेकिन अनुदान लेकर सरकार फंस गयी कि भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा ग्रान्ट मिलेगी। अब सरकार को विचार करना है कि ग्रान्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है या हरिजनों के केसेज का डिस्पोजल ज्यादा महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ग्रान्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है मामूली ग्रान्ट है आप इसको छोड़ दें और पहले जिस प्रकार की व्यवस्था थी कि जिस न्यायालय में रिपोर्ट दायर की जाये। वही न्यायालय उसका काग्नीजेन्स लेकर डिस्पोजल कर दें उसको कायम रखें। आप ग्रान्ट मिलने की तो चिन्ता छोड़ दें और सीधे ही आदेश दे दें कि हरिजनों के मुकदमों का फैसला हो जाये। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि जमीनों के मामले इतने उलझे पड़े हुए हैं कि जिनका फैसला नहीं हो रहा है। ऐसे केसेज को पांच पांच और छः छः वर्ष हो गए इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप हिम्मत करके मन्जूर कर लें और हम स्पेशल कोर्ट्स को ऐसे अधिकार दे दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि चूंकि अदालतों को कायम करने की स्वीकृति आ चुकी थी उसको तो हम चालू रखेंगे। उसके अलावा मैंने हाईकोर्ट को जैसा निवेदन किया, जो जूरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट का जहां जहां है उस जुरिस्डिक्शन में ही इन मुकदमों को डिस्पोजल के लिए जितने दिन की जरूरत हो, मुकर्रर करके, स्वीकृति दे दी जाये।

श्री सम्पत राम (खैरथल) : मैं एक बात मानता हूं कि नीति संबंधी प्रश्न तो यह था कि समाज के कमजोर वर्ग को सस्ता और जल्दी न्याय मिले लेकिन मैं समझता हूं कि अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि इस व्यवस्था से दो बात होती हैं। एक तो यह कि हमारी अदालतों में हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए कि चाहे गरीब तबका हो या हरिजन उनको ठीक तरह से न्याय मिलेगा। आपने अलग अदालतें खोली उनसे थोड़ा डिफरेन्शियट हुआ है। यह जरूरी है कि इनमें डेडिकेटेड आदमी हों जो कि ईमानदार हों और सही मायने में गरीबों की मदद करना चाहते हों आप जानते हैं कि आज इस प्रकार के लोग नहीं हैं। आप अपने आंकड़े मंगाकर देख लीजिए। यदि उसी अदालत में केस होते तो मेरे ख्याल से ज्यादा डिस्पोजल हो गया होता। आज उनका एक्सपेन्डीचर बढ़ गया। वकीलों के माध्यम से मदद दिलाने

(श्री सम्पत राम)

वाली बात थी उसमें नाकामयाब हो गए। तो इस सारी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। या फिर मोबाइल कोर्ट्स होने चाहिए। लेकिन जितने केसेज है उनके लिए अलग से समरी प्रोसिजर तय नहीं हो सकता। आपका क्रिमनल लॉ है और सिविल लॉ है उसके आधार पर केसेज तय होंगे। इसलिए यह जरूरी है कि भारत सरकार कानून में चेन्ज करके ऐसी व्यवस्था करे कि उनके केसेज का डिस्पोजल हो जाय। ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती तो इसको बदलिये। गरीबों को सस्ता न्याय मिले इस दृष्टि से वापस अदालतो को दे दें। अपनी अदालतों के ऊपर हमें यकीन रखना पड़ेगा। क्या राजस्थान सरकार इस दृष्टि से भारत सरकार को लिखेगी? हम ही जल्दी से जल्दी इस मामले में अगुवा बनें कि देश में नीति संबंधी जो फैसला किया उसमें दोष है कोई तो उसको दूर करना चाहिए और सस्ता न्याय देने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं आपकी राय से बिलकुल सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले के लिए यह हम हाईकोर्ट पर छोड़ दें कि किस स्थान पर न्यायालय कायम करे। बाकी राजस्थान के और भी जिले हैं उनमें हाईकोर्ट उपादेयता को देखते हुए न्यायालय कायम करे। मैं यह जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किस किस जिले मे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने मामले विचाराधीन हैं इनकी जिलेवार सूची दें। कुल राजस्थान मे कितने हैं, यही बता दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री सुखलाल संणचा

ग्राम पीपलिया कलां, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का निर्माण

72. **श्री सुखलाल सेणचा** (रायपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पीपलिया कलां, जिला पाली में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का भवन निर्माणधीन है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य चलते हुए एक वर्ष हो गया है? यदि हां, तो भवन कब तक पूर्ण हो जायेगा एवं अब तक पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं? विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री छोगा लाल कंवरिया) : (1) जी हां। दिनांक 14-8-81 से।

(2) जी हां, भवन जून, 83 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। भवन निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था एक स्वयं सेवी संस्था रूरल डवलपमेंट सोसाइटी जयपुर द्वारा की गयी है। उनके द्वारा धन देने

(श्री छोगालाल कंवरिया)

की प्रक्रिया में समय लगता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री सुखलाल सैंणचा : अध्यक्ष महोदय, क्या वहां पर काम चालू हो गया है? अन्तिम तौर पर कब तक पूरा करवा देंगे?

श्री छोगालाल कंवरिया : मैंने निवेदन कर दिया कि जून, 83 तक इस कार्य के पूरा होने की सम्भावना है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : 5-6 करोड़ की योजना है।

श्री छोगालाल कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, इस भवन के निर्माण के लिए रूरल डवलपमेंट सोसाइटी गंगानगर शुगर मिल के द्वारा धन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने मार्च, 83 के लिए यह तय किया है कि जिले में कुछ ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या रूरल डिस्पेन्सरीज में कुछ मातृ शिशु कल्याण केन्द्र बनाये जायें तो उसी आधार पर तय किया गया मार्च, 83। पीपलिया कलां में आपके इस गांव के लिए हमारे चिकित्सा विभाग द्वारा प्लान दे दिया गया 19-12-80 को, 2-11-81 को 15,000 रुपये की पहली किश्त दे दी गयी, 14-1-80 से काम शुरू किया गया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो प्राप्त हुआ वह अप्रेल, 82 में प्राप्त हुआ और 20-5-82 को सैकण्ड किश्त दे दी गयी है। अब इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जितना जल्दी आयेगा उतनी ही जल्दी तीसरी किश्त मिल जायेगी और उतनी ही जल्दी कार्य पूरा हो जायेगा। मैंने सम्भावना व्यक्त कर दी है कि जून, 83 तक ये कार्य पूरा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

ब्यावर में फल एवं सब्जी मण्डी का निर्माण

73. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर नगर में फल एवं सब्जी मण्डी हेतु भूमि को अवाप्त किया जाकर, उसका क्रय मूल्य चुकाया जाकर चार दीवारी एवं गेट का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है?

(2) यदि हां, तो इस मण्डी हेतु अब तक कितना खर्च हो चुका है?

(3) क्या यह भी सही है कि यह निर्माण नगर नियोजक द्वारा चयनित किये गये स्थल पर ही हुआ है?

(4) क्या अब राज्य सरकार इस स्थल में परिवर्तन कर नये स्थान का चयन कर फल सब्जी मण्डी का निर्माण करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा मण्डी निर्माण के स्थल के चयन में पूर्व में और अब क्या मापदण्ड अपनाये गये हैं?

(5) क्या यह भी सही है कि ऊन के व्यापारियों को व्यवस्थापित किये जाने हेतु भी खण्ड (1) में वर्णित स्थल पर पर्याप्त स्थान है?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां।

(श्रीमती कमला)

(2) ब्यावर कृषि फल व सब्जी मण्डी हेतु अभी तक निर्माण कार्य पर कुल 4।। लाख व्यय हुआ है।

(3) जी हां।

(4) जी हां, इस स्थल (मेवाड़ी गेट) के बाहर) के बारे में स्थानीय फल व सब्जी उत्पादक, व्यापारी तथा जन साधारण द्वारा असन्तोष प्रकट कर दूसरे स्थल पर फल व सब्जी मण्डी स्थापित करने की मांग की गयी है। उसके बारे में जिलाधीश, अजमेर ने एवं उप जिलाधीश ब्यावर, जो मण्डी समिति के प्रशासक भी हैं, से टिप्पणी मांगी गयी तो उन्होंने भी स्थल को निम्न कारणों से अनुपयुक्त बताया :

(क) स्थल की भूमि नीची होने से वहां जल भरने की आंशका रहती है।

(ख) पास में पत्थर तोड़ने की मशीनें लगी होने से उसकी धूल उड़कर वहां आती है।

(ग) फल सब्जी की आवक अधिकतर दूसरी दिशा से आती है तथा निर्माणाधीन स्थल दूर रहता है। वहां तक आने के लिए नगर में से जाना पड़ता है।

(घ) फल सब्जी उत्पादकों ने दूसरे स्थल के लिए आग्रह किया था।

(च) पूर्व के स्थल का क्षेत्रफल केवल 12.83 बीघा है जब कि दूसरे प्रस्तावित स्थल पर 25 बीघा भूमि उपलब्ध हो सकती है जहां विस्तार की भी सम्भावना है।

(5) फल सब्जी मण्डी में ऊन के व्यापारियों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय कृषि मंत्री महोदया यह बतायेंगी कि पहले जब स्थान का चयन किया और जिसके ऊपर 4।। लाख रुपया अभी तक खर्च हो चुका है उस स्थान के चयन में कौन कौन से मापदण्ड अपनाये गये थे? नगर नियोजक द्वारा चयनित स्थल पर कृषि उपज मण्डी का निर्माण कार्य हाथ में लिया, उसकी दिक्कत नहीं है। जो आपने कृषि उत्पादन के लिए कहा है आपको लगातार एक के बाद एक पांच बार वहां के फल सब्जी विक्रेताओं ने अपना मेमोरेन्डम दिया है। 25 जुलाई को आपने अपने चेम्बर में मीटिंग बुलाई उसमें जो कुछ डिस्कस हुआ उसके बारे में कृषि उत्पादक, सब्जी उत्पादकों ने दो सौ, तीन सौ दस्तखत करके आपको लिखित में सारा दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपको मालूम है कृषि उपज मण्डी से यह मण्डी कितनी दूर है? क्या आपको मालूम है रेलवे स्टेशन वर्तमान सब्जी मण्डी के नजदीक है, बस स्टेण्ड इसके नजदीक है? आपको मालूम है, आबादी इस स्थान के ज्यादा नजदीक है? आखिरी सवाल यह है, आपको यह भी जानकारी है कि इस तरह की मण्डी स्थापित करने से आसपास की भूमि की कीमत बढ़ती है? सूरजपोल के आसपास जो जागीरदार हैं उन्होंने इस कार्य के लिये 2।। लाख रुपये का चन्दा इकट्ठा किया है?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 4।। लाख का खर्चा बताया है वह सिर्फ निर्माण कार्य का नहीं है, भूमि की खरीद की रकम भी शामिल है। जो निर्माण कार्य है वह तो 1.38 लाख के लगभग का है। दूसरी बात आपने कही कि जब पहले भूमि का चयन किया, उस वक्त भी नगर नियोजक की सलाह पर किया आज भी उनकी सलाह पर ही दूसरा फैसला कर रहे हैं। जिस वक्त यह निर्णय हुआ था, उस समय भी दो राय चल रही थीं। आम तौर पर यह राय चल रही थी कि जमीन के साथ पत्थर का पाउडर बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है उसका पाउडर वगैरह लगभग आधी जमीन पर फैलेगा। लगभग कुल 12 बीघा जमीन है जो फिक्स की गई। एक हिस्सा जो है वह एक बांध की पाल से लगा हुआ है। उस बांध में थोड़ा बहुत पानी आ जाता है तो पानी सारा का सारा उस भूमि के अन्दर आता है। बार-बार काफी शिकायतें आ रही थीं, जो स्थान ले लिया है गलत लिया है इसको तबदील करिये। इसलिये जिलाधीश, जी वहां के प्रशासक, कृषि उपज मण्डी के सचिव अन्य लोगों की रिपोर्ट के आधार पर इस बात की जांच की गई। दरअसल यह स्थिति पाई गई इसके उपयुक्त जगह नहीं है। जो लोग पक्ष में हैं वे कहते हैं यहां जो फैक्ट्री लगी हुई है इसको हटा दिया जायेगा लेकिन आप जानते हैं यह फैक्ट्रियां उठाने का कोई आसान काम नहीं है, उठेगी, नहीं उठेगी। यह ख्याल था, इसको उठा लिया जायेगा। आधी जमीन में जहां बांध का पानी आयेगा, जहां तक पाल का पानी आने का सवाल है, उसकी मेड़ बन्धी से ऊंचा कर दिया जायेगा तो पानी फिर नहीं आयेगा। यह सारे इफस एण्ड बट्स लगे हुए हैं। इस कारण से उपयुक्त नहीं माना। दूसरी बात 12 बीघा जमीन है और जो जमीन मिल रही है वह लगभग 25 बीघा जमीन मिल रही है जो प्लान बना रहे हैं, फल और सब्जी मण्डी बना रहे हैं उसके साथ कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान आवश्यक है। एक दिन में सब्जी नष्ट हो जाती है तो फल सब्जी उत्पादकों को उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिये। जहां तक दूरी का मामला बताया, मैं स्वयं मौके पर गई थी। जो वर्तमान जमीन है और जो प्रस्तावित जमीन है उसमें कोई डिस्टेन्स का ज्यादा फर्क नहीं है, मुश्किल से एक या आधे किलोमीटर का फर्क है। आबादी भी लगी हुई है। सब्जी उत्पादकों को भी इधर से सुविधा है वे भी कहते हैं इधर बननी चाहिये। जो पहले वाली जमीन है उसको नीलाम कर देते हैं या दे देते हैं तो जहां 4।। लाख रुपया खर्च हुआ है, उस जमीन का हमको 12 लाख रुपया मिलने की गुंजाइश है इसलिये मण्डी को कोई नुकसान नहीं है। आम तौर पर सुविधा होने वाली है। एक बात कही गई, जो होलसेल व्यापारी हैं या फुटकर व्यापारी हैं उनको तकलीफ होगी। जहां होलसेल व्यापारी है उस एरिया में फुटकर व्यापारी बैठकर काम कर सकता है। इसलिये सभी सुविधाओं और स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदया इसको इस कारण से हटा रही हैं कि नगर परिषद्

(श्री कैलाश मेघवाल)

की ओर से नोटिस दिया जा चुका है। स्वायत्त शासन मंत्री उनके पास बैठे हैं। जहां पानी भरने की बात कही है वहां आज तक पानी भरने की स्थिति किसी ने नहीं देखी। यह कल्पना ही है कि पानी भर जायेगा। ऊन के व्यापारियों की भी बात है। वहां 12 या 13 दुकानें हैं पर्याप्त स्थान है····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : जहां तक दूरी का सवाल है कृषि उपज मण्डी कम दूरी पर है। आपने जो बात मौके की कही, मेरी सूचना है जो प्रस्तावित स्थान है वह बहुत दूर है, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह निर्णय राजनैतिक दबाव में आकर किया गया है····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : आपको पूरी जानकारी है, आप दिलचस्पी ले रहीं हैं। आपको हर बात की जानकारी है।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य फल सब्जी मण्डी के साथ ऊन मण्डी को जोड़ रहे हैं। उनको गलत फहमी है। जो प्रश्न पूछा है वह गलत पूछा है। आपका प्रश्न है, क्या यह भी सही है कि ऊन के व्यापारियों को व्यवस्थापित किये जाने हेतु भी खण्ड (1) में वर्णित स्थल पर पर्याप्त स्थान है? खण्ड (1) में तो फल एवं सब्जी मण्डी का स्थान है। फल सब्जी मण्डी में व्यापारियों का स्थान नहीं है। अनाज मण्डी ब्यावर का है। ऊन व्यापारियों का अलग से ब्लाक है। जब तक ब्लाक का पूर्ण निर्माण नहीं होता वहां पर शिफ्ट नहीं होना चाहते। 25 तारीख को मीटिंग हुई है, सारा डिस्कस किया है। आइडेन्टीफाई किया है ऊन के कितने व्यापारी हैं, कब से काम कर रहे हैं ऊन की क्षमता कितनी है। अनाज मण्डी में जो ऊन का ब्लाक है जितना उचित है उसके हिसाब से दशहरा से पहले पहले उसका निर्माण करा दिया जाये, दशहरा से पहले ऊन मण्डी को वहां शिफ्ट कर दिया जाये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

राजस्थान नहर निर्माण में कथित अनियमिततायें

74. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या राजस्थान नहर राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राजस्थान नहर के निर्माण में आरोपित अनियमितताओं की जांच के लिये श्री राम सिंह, भूतपूर्व आई. ए. एस. अधिकारी को नियुक्त किया था?

(2) क्या यह सही है कि श्री राम सिंह ने राज्य सरकार को इस संबंध में कई प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं जिनमें भारी अनियमितताओं के आरोप हैं? यदि हां, तो इन प्रतिवेदनों के आधार पर अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कृपया इन प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) जी हां।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

(2) जी हां। राज्य सरकार को श्री रामसिंह आयोग द्वारा गंभीर अनियमितताओं के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। इन प्रतिवेदनों में दिये गये सुझावों के अनुसार ए. सी. डी. को तफतीश के लिये तथा राजस्थान नहर मण्डल को आगे ऐसी अनियमितताओं को रोकने के निर्देश जारी करने के लिये आदेश दिये गये हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की कार्यवाही भी की जा रही है। प्रतिवेदनों की प्रतियां काफी लम्बी होने के कारण सदन की मेज पर तत्काल प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि उस समिति की घोषणा राज्य सरकार ने विधान सभा के प्रांगण में की थी ? क्या यह भी सच है कि मन्त्री महोदय ने इस रिपोर्ट के आधार पर कोई स्टेटमेंट तैयार किया था जिससे मालूम हो सके कि उक्त काम में अनियमिततायें किस कारण और किस किस काम में की गई हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि सन् 1978 में विपक्ष के नेता जब मुख्य मंत्री थे राजस्थान के तो 8 अगस्त, सन् 1978 को एक आर्डर के जरिये रामसिंह कमीशन को फैक्ट्स फाइन्डिग आथोरिटी नियुक्त किया था—विधान सभा में। यह भी सच है, अध्यक्ष महोदय, उसमें थोड़ी बहुत डिले भी हुई है ब्यूरोक्रेटिक लैप्सेज के कारण।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करने वाला था, अगर टर्म्स आफ रेफरेन्स देखे तो स्वीपिंग रेफरेन्सेज हैं और टाइम शिड्यूल कम दिया गया था, 6 महीने का टाइम दिया गया था उस आथोरिटी को। उस आथोरिटी की 6 महीने की जगह मार्च, 1980 तक 18वीं रिपोर्ट मिली। 19वीं रिपोर्ट के लिये रामसिंहजी ने एक लैटर के जरिये रीजन्स बताते हुए लिखा। इतने कम टाइम में रिपोर्ट पेश करने के लिये उन्होंने 21 फरवरी को आर० सी० पी० के चेयरमैन को चिट्ठी के जरिये एक्सप्लेन किया। आप फरमा रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है. जैसा बाद में बताया राम सिंह जी इतने कम समय में रिपोर्ट पेश नहीं कर सकते थे तो क्या राज्य सरकार ने यह विचार किया है कि जो जांच अधूरी हुई है वह पूरी होनी चाहिये ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मार्च-अप्रेल, 1980 में जब राजस्थान में जनता पार्टी का राज खतम हो गया था उस समय भी एक रेफरेन्स दिया था कि जो अधूरी जांच रह गई है उसको डिपार्टमेंटली थ्रू राजस्थान कैनाल बोर्ड पूरी कर ली जाय। साथ ही साथ तीन भागों में जो कुछ रिपोर्ट आई है—आखिर, अध्यक्ष महोदय, 200-250 आफिसर्स, इंजीनियर्स, जे० ईएन०, एक्स० ईएन० तक इन्वाल्व थे, कुछ एस० ई० भी थे। रेफरेन्सेज इन डिपार्टमेन्ट्स के अलग अलग दिये गये हैं, अध्यक्ष महोदय,....

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

(व्यवधान)

मैंने वह तो आन्सर कर दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पूछा जिसका स्पष्टीकरण दें। राजस्थान कैनाल बोर्ड को लिखा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाय, यह कब लिखा है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : राजस्थान कैनाल बोर्ड को, अध्यक्ष महोदय, रिमाइन्डर····

श्री भैरोंसिह शेखावत : रिमाइन्डर नहीं, ओरिजिनल रिपोर्ट कब भेजी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सन् 1980 में कैनाल बोर्ड को।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो अभी जवाब दिया कि हमने अमुक अमुक कार्य के लिये लिखा है कैनाल बोर्ड को और अमुक अमुक के लिये एस० ई० को लिखा है, यह कब लिखा है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सन् 1980 में फैक्ट्स फाइन्डिंग आथोरिटी को, अध्यक्ष महोदय, 10-4-80 को सैक्रेटरी मि० आचार्य स्पेशल सैक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट के मार्फत इन्फार्म किया कि जो बाकी रह गई है जांच राम सिंह फैक्ट्स फाइन्डिंग कमीशन में····

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं। जो रिपोर्ट में अधूरा रह गया उसके लिये नहीं पूछा। जो रिपोर्ट आपको मिल चुकी है, आपने कहा उस पर दो एक्शन हो रहे हैं एक तो आर० सी० पी० को लिखा है और दूसरा ए० सी० डी० को लिखा है। तो इन दोनों को आपने कब लिखा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सन् 1980 में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप जरा चैक कर लें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं चैक करके ही बता रहा हूं, सन् 1980 में स्पेशल सैक्रेटरी, इरिगेशन, एस० ई० आफिस, थ्रू इरिगेशन डिपार्टमेंट को चीफ सैक्रेटरी ने डाइरेक्ट किया है, सैक्रेटरी, सैल आर० सी० पी० मार्फत ए० सी० डी० को सूचित किया गया था सन् 1980 में और 1982 में रिमाइन्डर गया है जिसमें ए० सी० डी० कार्यवाही कर रही है। मेरे ख्याल से पिछले दो महीने में स्पेशल सैक्रेटरी, आर० सी० पी० के मार्फत कार्यवाही हो रही है। ए० सी०डी० वालों ने 20-25 इन्क्वायरी के बारे में विचार-विमर्श किया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसकी सीरियसनेस के बारे में विचार नहीं किया गया। 200-250 के करीब इंजीनियर्स इन्वाल्व हैं। मैंने जो रिपोर्ट देखी है उसके आधार पर करीब 200 करोड़ का घोटाला है, उस रिपोर्ट के आधार पर सारा मेजरमेंट करें तो करीब दो करोड़ का घोटाला है और 200–250 आफिसर्स का इन्वाल्वमेंट है। अब गवर्नमेंट उस सब के लिये क्या एक्शन ले रही है ? आर० सी० पी० के कोई इंजीनियर आज तक सस्पेन्ड नहीं हुये बल्कि आप आश्चर्य करेंगे जो सीमेन्ट गढड़ों में दबाई गई थी वह कैसे डिस्पोज आफ कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
दी गई। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा जो इन सारे घोटालों में जो कलप्रिट थे, उनको प्रमोशन दे दिया। आप कह रहे हैं यह रिपोर्ट कान्फिडेन्सियल है। किस बात की कान्फिडेन्सियल है? इस विधान सभा के विरोधी दल के माननीय सदस्य थे, उन्होंने चार्ज लगाया था कि 400 करोड़ का घोटाला है। हमने कहा, इसके लिये एक कमेटी नियुक्त करते हैं। कमेटी ने फैक्ट्स निकाले है। आप कहते हैं कान्फिडेन्सियल है। हाउस के मेम्बर देखेंगे, राजस्थान की जनता देखेगी, उस रिपोर्ट को तो रखिये। मुझे लगता है माननीय मंत्री महोदय ने उस रिपोर्ट की शक्ल भी नहीं देखी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इस बात के लिये तो मैं विपक्ष के माननीय नेता महोदय को चैलेन्ज कर दूं, अगर आपने देखी है तो उस रिपोर्ट के कवर का कलर बता दें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस रिपोर्ट के फाइल का कवर आपके चेहरे जैसा है····

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : जमी नही बात।

श्री अध्यक्ष : काफी विस्तृत जानकारी मिल गई है। इस प्रश्न को आधा घन्टे की चर्चा या अन्य किसी तरह से उठा लें। मेरा एक क्वेश्चन है, इस सदन की एक परम्परा रही है, व्यवस्था रही है कि इस सदन में किसी कमेटी या किसी कमीशन की घोषणा होती है तो इसकी रिपोर्ट सदन से कान्फिडेन्सियल नहीं होती है। माननीय सदस्यों ने मांग की और तत्कालीन सरकार ने घोषणा की कि हम कमेटी नियुक्त कर रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट आ गई है।

(व्यवधान)

आपने जो मुद्दा उठाया है मैं विचार कर लूंगा और विचार करके आपको बाद में बता दूंगा। अगला प्रश्न।

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : विपक्ष के नेता महोदय ने कहा है, राजस्थान कैनाल एक नेशनल प्रोजेक्ट हैं इसलिये इस मामले को जल्दी ले लें। राजस्थान कैनाल में जो लूट चल रही है उसको बचाकर जल्दी से जल्दी निपटायें।

श्री जानर्दन सिंह गहलोत (करौली) : मैं विरोधी दल के नेता महोदय से पूछना चाहता हूं राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट कितने करोड़ का है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करौली की खान से कम है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, इस पर पहले ही काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है लेकिन मैं बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। जब यह रिपोर्ट आयी और भागों में आयी तो ए० सी० डी० या डिपार्टमेन्ट को इन्क्वायरी के लिये देने के लिए जैसा कि एक प्रोमिजर है, उस रिपोर्ट को हाई आफिसर्स द्वारा स्क्रूटिनाइज किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद आफेन्स किसके खिलाफ

(श्री सम्पत राम)

बने और इन्क्वायरी में किसके खिलाफ चार्ज साबित हुए ? क्या यह सही है कि इस रिपोर्ट के बाद आपने अपने हाई आफिसर उस रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज करने के लिए नियुक्त किए थे ? यदि किये थे तो उन्होंने कितने मुद्दे ए० सी० डी० को दिए और कितने मुद्दों पर सरकार को सुझाव दिए ? उनके मुताबिक दोषी था तो उसका केस ए० सी० डी० या आर० सी० पी० को दिया गया होगा तो वह गवर्नमेंट के जरिये दिया होगा । चीफ इन्जीनियर इसमें सक्षम नहीं हैं तो चीफ सैक्रेटरी या दूसरे सैक्रेटरी के माध्यम से वह जाता है । आप यह तथ्य बताएंगे क्या ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सदस्य ने जो ए० सी० डी० के रेफरेन्स के बारे में सवाल पूछा, मैं आपको अर्ज करना चाहता था, वन आफ दी काज इस डिले का यह था कि 1980 में गवर्नमेंट लेवल पर डिसाइड किया गया, बाद में लॉ डिपार्टमेंट····

श्री सम्पत राम : यह तो ठीक है । मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, कोई डिले नहीं हुई ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अगर आप एक सैकण्ड दे तो कहूं । एफ० आई० आर० के बाद जांच ए० सी० डी० कर सकता है या नहीं, उसमें गवर्नमेंट के आदेश के लिये लिखा । उस आदेश के रेफरेन्स से ही रिपोर्ट नम्बर 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, आ गयी जिसमें से 18 केस ए० सी० डी० को सी० एस० के मार्फत 11-1-1980 को रेफर किए और रिपोर्ट 2, 5, 6, 8 व 15 । कुल पांच डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिए रेफर हुए, 17, 13, 5, 14 और 18 के कुछ भाग राजस्थान कैनाल बोर्ड को रेफर हुए । फार फ्यूचर प्रिवेंटिव एक्शन्स फैक्ट फाइंडिंग आथोरिटी ने अपनी रिपोर्ट में पेश किये थे । यह डिस्ट्रीब्यूशन किया और यही रिपोर्ट हुई है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए । अगला प्रश्न । श्री अमीन खां ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जब बोल रहे थे तो तालियां बजा रहे थे, इनका एक ही ग्रुप है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । कृपया शान्त रहें ।

बाड़मेर में थर्मल प्लान्ट लगाना

75. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर के ग्राम कपूरड़ी में लिग्नाइट कितनी मात्रा में निकला है और कितने क्षेत्र में ?

(2) क्या सरकार इस रेगिस्तानी जिले में थर्मल प्लान्ट लगाने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री खनिज, **श्री प्रद्युमन सिंह** : (1) बाड़मेर जिले में अभी तक लगभग 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 150 लाख टन लिग्नाइट के भंडार छिद्रण द्वारा अनुमानित किये गये हैं ।

(श्री ग्रमीन खां)

(2) भण्डारों की मात्रा एवं श्रेणी की पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर ही इस बारे में कार्यवाही करना सम्भव होगा।

श्री ग्रमीन खां : इन भण्डारों की पूर्ण जानकारी कब तक सरकार कर लेगी? दूसरे यह दूर देहाती जिला है जहां पीने के पानी के लिए भी बिजली का ग्रभाव है ग्रौर रोजगार नहीं है। इसका बहुत ग्रधिक हिस्सा हर साल समस्याग्रस्त रहता है। इसके लिए क्या सरकार युद्ध स्तर पर या विशेष प्रयास कर रही है? इस तरह के कीमती भण्डार निकले हैं तो थर्मल प्लान्ट लगाने के लिए मामला विचाराधीन है?

श्री प्रद्युमन सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के माइन्स सैक्रेटरी की ग्रध्यक्षता में कार्पोरेशन का गठन कर दिया गया है। उन्होने राजस्थान सरकार के माइन्स विभाग को निर्देश दिये थे कि इस जमीन का सर्वे कम्पलीट कर लिया गया है। प्लानिंग कमीशन के लेवल पर माइनिंग सैक्रेटरी की ग्रध्यक्षता में कार्पोरेशन का गठन कर दिया गया है। यह मामला ऊर्जा मन्त्री ग्रौर प्रधान मंत्री के समक्ष राजस्थान सरकार की तरफ से लाया गया है। इसमें सरकार काफी सीरियस है। लिग्नाइट की क्वालिटी की जानकारी करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए काफी खर्च किया गया है। ग्रभी गे एन्टीसिपेट करना तो मुश्किल होगा लेकिन परिणाम ग्रभी तक ग्राशाजनक हैं। उसी पर काम चल रहा है। माइन्स सैक्रेटरी ने राजस्थान सरकार को जो काम सौंपा था वह हमने पूरा कर लिया है ग्रौर ग्रागे की कार्यवाही की जा रही है।

श्री देवव्रत तिवाड़ी (बाड़मेर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ग्राज भी तत्परता से कार्य कर रही है? 1980 में जितनी मशीनें लगायी गयी थीं 1982 में उतनी नहीं हैं। यहां की रिपोर्ट ग्रच्छी ही नहीं बहुत ग्रच्छी है। क्या सरकार पूरा प्रयास करके पूरी तत्परता से इस काम को पूरा करेगी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि उनकी जानकारी सही नहीं है, पहले एक मशीन थी उसके बाद 2 हो गयीं ग्रौर ग्रब तीन मशीन हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : छिद्रण कम किये हैं, मशीनें ज्यादा हो सकती हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, पहले मैंने निवेदन किया कि पहले विस्तृत क्षेत्र में किया था लेकिन ग्रब गवर्नमेन्ट ग्राफ इण्डिया के माइन्स डिपार्टमेन्ट ने एरिया कम कर दिया है। उन्होंने ग्रब 2.8 × 1 3 किलोमीटर कर दिया ग्रौर कहा कि इसमें सर्वेक्षण कीजिए से इससे हो सकता है....

श्री ग्रध्यक्ष : यह नयी नीति है इसलिए ग्रापकी समझ में नहीं ग्रायी।

ग्रगला प्रश्न। श्री चुन्नी लाल शर्मा, श्री कैलाश मेघवाल।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के गोदामों पर छापा

66. **श्री चुन्नी लाल** (खण्डार)

Page No 18

(18)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के माल गोदामों पर माल की कमी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर छापा मारा गया था ?

(2) यदि हां, तो कब और कितना कितना माल किस किस गोदाम में कम पाया गया ? उसके लिए कौन दोषी पाया गया तथा अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण मय फरदात जब्ती माल एवं अन्य पंचनामों को सदन के पटल पर रखें ।

राज्य मंत्री सहकारिता (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर):(1) जी हां ।

(2) दिनांक 4.3.82 से 23.3.82 तक जब्तशुदा विभिन्न प्रकार के विदेशी माल से संबधित वस्तुओं व टैक्सटाइल के गोदामों का भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसकी विस्तृत सूचना परिशिष्ठ (क) में अंकित है । इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा जांच जारी है । जांच पूर्ण होने पर ही पूर्ण वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सकेगा ।

(सूचना के लिये परिशिष्ट 1 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो परिशिष्ट दिया गया है, उसमें है, एक गोदाम से 8551 रुपये का सामान कम है, दूसरे गोदाम में 31726 रुपये का सामान कम है, तीसरे गोदाम में 9195 रुपये का सामान कम है और चौथे गोदाम मे 32172 रुपये का सामान कम है । मैं पूछना चाहता हूं कि गोदामों में माल कम है, यह या तो गोदाम इन्चार्ज ने चोरी करवाया है या चोरी किया गया है । 4.3.82 से 23 3 82 तक का सत्यापन हो चुका है लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को गोदामों से हटाया गया या निलम्बित किया गया या और कोई कार्यवाही की गई ? यह सामान कहां गया, इस सामान की रिकवरी के लिए कोई प्रयास किये ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इस सम्बन्ध में जांच कर रहा है । जब जांच करके विभाग को अपनी रिपोर्ट देगा तो इसके आधार पर ही तो कार्यवाही करना सम्भव होगा। मैं माननीय सदस्य को इतनी जानकारी और देना चाहूंगा कि गोदाम कीपर अभी फरार है । उसके खिलाफ अखबार में साया कराया हुआ है ।

श्री कैलाश मेघवाल : कितने गोदाम कीपर फरार हैं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक ही आदमी था । वह कोई श्याम लाल शर्मा था ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सामान चोरी गया है वह विदेशी माल था और उपहार के काउण्टर पर नाम, पूरा पता, व्यवसाय आदि लिख कर, रसीद काट कर

(श्री कैलाश मेघवाल)

विदेशी माल विक्रय करने की प्रक्रिया है, क्या उसकी पालना की जाती है ? क्या माल को बरामद करने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह माल सीधे गोदाम से ही गायब होना पाया गया है, काउण्टर से नहीं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : क्या यह सही है कि यह माल आफिसर्स के घर पर गया है, चोरी नहीं गया है ? जितना भी अन-अकाउण्टेड माल है वह आफिसर्स के घर पर है और वही उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह जांच की जा रही है कि माल कहां गया है। मैं इस स्थिति में अभी नहीं हूं कि यह बता सकू कि आफिसर्स के घर पर गया है या मेरे घर गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह सही है कि माल आफिसर्स के घर से बरामद होकर वापस भी आ गया है ? क्या इसकी जानकारी आपको है ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपने जिन तीन स्टोर कीपर्स के बारे में कहा है, क्या यह सही है कि माल आफिसर्स के घरों से वापस आकर गोदाम में एण्टर किया जा रहा है ?

(व्यवधान)

क्या यह सही है कि आफिसर्स के घरों से माल वापस आकर गोदाम में एण्टर होकर वहीं से उसका हिसाब-किताब करने की कार्यवाही करने का प्रयत्न किया जा रहा है और उनको बचाने का षडयंत्र चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : स्टोर का बाबू तो डिस्चार्ज होगा लेकिन इसमें आई. ए. एस. आफिसर इन्वोल्व्ड हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या विभाग को यह जानकारी है कि कुछ माल आफिसर्स से रिकवर हुआ है और वापस गोदाम में आ गया है ? इसमें किस की साजिश है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : कोई भी माल बरामद होकर वापस नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टायरो की नीलामी

72. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने बड़े पैमाने पर राजस्थान राज्य पथ

(श्री राजबहादुर)

परिवहन निगम के 5000 टायर, जिनका मूल्य लगभग 35.00 लाख रुपये आंका गया है, को एक पार्टी को मात्र एक लाख रुपये में नीलाम करने का रहस्योद्घाटन किया है ?

(2) जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का हाथ इन टायरों की नीलामी में पाया गया है, के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नीलाम किये गये टायर एक पार्टी को नहीं बल्कि विभिन्न पार्टियों को नीलाम किये गये थे। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दिनांक 4-12-81 को सूचना मिलने पर नीलाम किये गये टायरों में से 21.999 टायर जब्त किये गये। इस प्रकरण में अभी तक अन्वेषण चल रहा है।

(2) अभी तक तफतीश जारी है।

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें

73. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ के पास वर्ष 1981-82 एवं माह जुलाई, 1982 तक कितने पुलिस कर्मियों के विरूद्ध अकारण मारपीट करने तथा रिपोर्ट दर्ज न करने की शिकायतें पेश हुई हैं ? थानेवार ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वर्ष 1981 से जुलाई, 82 तक पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अकारण मारपीट तथा रिपोर्ट दर्ज न करने की कुल 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। थानेवार ब्यौरा संलग्न है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

भीलवाड़ा जिले में उद्योगों की स्थापना

74. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 जुलाई, 1981 से अब तक भीलवाड़ा जिले में कुल कितने उद्योगों का पंजीकरण किया गया ?

(2) भीलवाड़ा जिले में कितने सीमेंट कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ?

(3) क्या अमरीकी सहयोग से भीलवाड़ा में विद्युत उपकरण बनाने का कारखाना लगाने के लिए विचार चल रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि भीलवाड़ा जिले के सायल गांव में 7.15 करोड़ रुपये की लागत से संयुक्त क्षेत्र में 'मॉडर्न थ्रेड इण्डिया लिमिटेड" कोई उद्योग लगा रही है तथा इसमें रीको की साझेदारी कितने प्रतिशत है ?

(5) क्या यह भी सही है कि भीलवाड़ा जिले में गुलाबपुरा कस्बे के पास खाटी का लाम्बा में 39 करोड़ की लागत से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सिंथेटिक मिल का कारखाना भी लग रहा है ?

(6) क्या भीलवाड़ा में अभ्रक व खनिज पदार्थों पर आधारित बड़े उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजी है ?

उत्तर

(1) 1-7-1981 से 31-8-1982 तक भीलवाड़ा जिले में 1819 लघु उद्योगों का अस्थाई पंजीयन एवं 1410 लघु उद्योगों का स्थाई पंजीयन किया गया है।

(2) मैसर्स राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि० को मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा में 10.42 लाख टन वार्षिक क्षमता का वहा सीमेंन्ट प्लान्ट स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 26-7-82 को आशय पत्र स्वीकार किया गया है।

(3) अमरीकी सहयोग से विद्युत उपकरण बनाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) भीलवाड़ा जिले के ग्राम रायला में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि० श्री एस. एस. रामा के साथ संयुक्त क्षेत्र में सूती धागा बनाने की एक परियोजना मार्डन थ्रेड (इण्डिया) लि० के नाम से लगी है। इस परियोजना की लागत 713 लाख रुपये है तथा इस इकाई में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम की हिस्सेदारी पूंजी 31 प्रतिशत (75.3 लाख रुपये) है।

(5) भीलवाड़ा जिले में गुलाबपुरा कस्बे के पास खादी का लाम्बा में 39 करोड़ रुपये की लागत से सिंथेटिक मिल लगाने के संबंधी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(6) सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

सोडियम सल्फेट उद्योग

75. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या सार्वजनिक उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1 डीडवाना में सोडियम सल्फेट बनाने का उद्योग कब स्थापित हुआ, इसकी स्थापना में कितनी पूंजी लगी, इसमें उत्पादन कब प्रारम्भ हुआ और 1981-82 तक प्रति वर्ष इससे कितनी आय और मुनाफा हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि यह कारखाना अब बन्द हो गया है ? यदि हां, तो कब और किन कारणों से ?

उत्तर

(1) डीडवाना में सोडियम सल्फेट का पायलेट प्लांट 16.5 टन प्रतिदिन क्षमता का वर्ष 63–64 में स्थापित किया गया था एवं 40 लाख टन प्रतिदिन क्षमता का दूसरा यूनिट वर्ष 71–72 में स्थापित

Page No 22

(22)

(श्री राजबहादुर)

किया गया था। इसकी स्थापना में जो पूंजी लगी उसका विवरण निम्नानुसार है:-

(1)	पुराना प्लांट	45 लाख
(2)	वर्तमान नया प्लांट	53 लाख
		98 लाख

पायलेट प्लांट में उत्पादन जनवरी, 64 में एवं बढ़ाई हुई क्षमता वाले संयंत्र में उत्पादन वर्ष 71 में प्रारम्भ हुआ।

उक्त उद्योग में प्रति वर्ष 1981-82 तक हुई आय एवं लाभ-हानि का विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रु.)

वर्ष	खर्च	आय
65–66	5.05	8.00
66–67	6.32	12.25
67–68	7 23	13.00
68–69	7.58	3.83
69–70	9.31	6.97

वर्ष 1970–71 में इस इकाई को वाणिज्य इकाई घोषित कर दिया गया था। अतः उक्त आधार पर लाभ-हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	लाभ-हानि (लाख रु.)
1970-71	(–) 5.60
1971–72	(–) 13.27
1972–73	(–) 6.70
1973–74	(+) 13.69
1974–75	(+) 4.78
1975–76	(–) 26.24
1976–77	(–) 32.21
1977–78	(–) 23.25
1978–79	(–) 8.13
1979–80	(–) 16.00
1980–81	(–) 9 69

(2) जी नहीं। फर्नेश आयल के भावों में निरन्तर वृद्धि एवं रेयन मिलों द्वारा बाय-प्रोडक्ट के रुप में इस रसायन के उत्पादन करने के फलस्वरूप इसकी मांग कम होने से एवं भावों में गिरावट आने से हानि में दिनों-दिन वृद्धि हुई। अतः इस संयंत्र को 10 वर्ष के लिए रुपये 33,91,000 प्रति वर्ष की दर से दिनांक 9-7-81 को मैसर्स डीडवाना केमिकल्स प्रा० लि० को पट्टे की शर्तों के अनुसार पट्टे पर दे दिया गया है। संयंत्र चलाने की कार्यवाही पट्टेधारक के द्वारा की जा रही है।

अजमेर स्थित बीड़ी उद्योगों का निरीक्षण

76. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पश्चिम) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर नगर में बीड़ी एण्ड सिगार वर्क्स (कन्डिशन्स ऑफ एम्पलायमेंट)

(श्री कैलाश मेघवाल)

एक्ट एवं राजस्थान बीड़ी सिगार वर्क्स (कण्डिशन्स ऑफ एम्पलायमेंट) रूल्स के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत एक्ट एवं रूल्स के प्रावधानों के लागू तथा पालन करने के लिए निरीक्षण एवं जांच हेतु दिनांक 1-4-80 से दिनांक 31-7-82 तक कोई कार्यवाही की गई है ?

(2) यदि हां, तो कब कब किस किस बीड़ी निर्माता उद्योगपति के यहां निरीक्षण किया गया, छापा मारा गया और उसके क्या परिणाम रहे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां, 14 संस्थानों के निरीक्षण किये गये हैं। एक संस्थान का दो बार निरीक्षण किया गया।

(2) निम्नलिखित दिनांकों को बीड़ी निर्माताओं के निरीक्षण किये गये हैं :—

बीड़ी निर्माता	निरीक्षण दिनांक
1. ठाकूमल रेवाचन्द	19-1-81
2. प्रेमचन्द इन्द्रसिंह	29-1-81
3. त्रिलोकचन्द हंसराज	27-2-81
4. जनता बीड़ी फैक्टरी	27-2-81
5. दिनेश पटेल	12-3-81
6. मोतीलाल सम्पतलाल	12-3-81
7. झवरीलाल प्रकाशचन्द	13-3-81
8. माधोलाल रामनाथ	14-3-81
9. रामसिंह शंकरसिंह	15-3-81
10. खण्डेलवाल ब्रदर्स	16-3-81
11. गोपाल बीड़ी वर्क्स	17-3-81
12. सेवक बीड़ी वर्क्स	17-3-81
13. दिनेश पटेल	27-11-81
14. प्रेमचन्द इन्द्रसिंह	29-4-82
15. ठाकूमल रेवाचन्द	20-5-82

उपरोक्त निरीक्षणों में उल्लंघन पाये जाने पर निम्न 4 निर्माताओं के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किये गये:—

1. ठाकूमल रेवाचन्द
2. प्रेमचन्द इन्द्रसिंह
3. त्रिलोकचन्द हंसराज
4. जनता बीड़ी फैक्टरी

बेरोजगारी समस्या के हल हेतु योजना

77. श्री मानसिंह (सलूंबर) : क्या कृषि (विशिष्ट योजना संगठन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में युवा वर्ग की बेरोजगारी समस्या हल करने व प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ट्राइसम योजना बनाई है ?

(2) यदि हां, तो उदयपुर जिले में वर्ष 1982-83 में कितने युवा वर्ग को इसका लाभ मिला ? कृपया जिले की 18 पंचायत समितियों के आंकड़े पंचायत समितिवार सदन के पटल पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) जिले में कितने लोगों को सिलाई मशीन कर्घो, अम्बर चर्खे दिये गये ? कृपया नामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

Page No 24

(24)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उदयपुर जिले में 1204 युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचायत समितिवार आंकड़े संलग्न हैं।

(3) ऐसा नहीं है। कुल खर्च के लिए 1800 का लक्ष्य है। बाकी के 996 युवकों को आदेश के 6 मास में प्रशिक्षण दिलवाया जावेगा।

(4) उदयपुर जिले में वर्ष 1982-83 में कर्घे एवं अम्बर चर्खे अभिकरण स्तर पर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। 15 सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गई। सूची संलग्न है।

(आंकड़ों के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जैसलमेर जिले में अवस्थित पशु चिकित्सालय व पशु स्वास्थ्य केन्द्र

78. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला जैसलमेर में कितने पशु चिकित्सालय, पशु स्वास्थ्य केन्द्र व पशु औषधालय किन किन कस्बों व ग्रामों में अवस्थित हैं ? और कब से ?

(2) उक्त औषधालयों में से कितने बन्द हैं ? कृपया ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में 5 पशु चिकित्सालय, 4 पशु औषधालय, 14 पशु स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं।

(2) कब से और कहां पर स्थित है, सूची संलग्न है। कोई भी औषधालय बन्द नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जिला चिकित्सालयों में रोगी शैय्यायें

79. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के जिला चिकित्सालयों में कितनी-कितनी रोगी शैय्यायें उपलब्ध हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जिला चिकित्सालय जैसलमेर व उप खण्ड मुख्यालय पोकरण कस्बों में कुल कितनी रोगी शैय्यायें हैं ? क्या यह सही है कि रोगी शैय्यायें बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक शैय्याओं की वृद्धि कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जिला चिकित्सालयों की स्वीकृत शैय्याओं की सूची संलग्न है।

(2) जिला चिकित्सालय, जैसलमेर तथा उप खण्ड मुख्यालय, पोकरण में क्रमश 100 व 30 रोगी शैय्याएं हेतु दवा, खुराक एवं लिनन का प्रावधान किया हुआ है। केवल जिला चिकित्सालय, जैसलमेर में 100 रोगी शैय्या के अनुरूप स्टाफ लगाने का

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

प्रस्ताव विचाराधीन है। आवश्यक भवन व्यवस्था तथा योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ के पद सृजित किये जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।

चिकित्सक के रिक्त स्थान

80. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

चित्तौड़गढ़ जिले में किन किन चिकित्सा संस्थाओं में लम्बे समय से चिकित्सक के स्थान रिक्त पड़े है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

डाक्टर्स को अध्ययन-अवकाश की सुविधा

81. **श्री नरपतराम बरवड़** (सूरसागर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ. 6 (14) एम. ई 74 ग्रेड दिनांक 16.8.75 के अनुसार सी. ए. एस. डॉक्टर्स का विभिन्न विषयों में स्पेशिलाइजेशन हेतु चयन कर रजिस्ट्रेशन किया था तथा उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत चयनित डॉक्टर्स को अध्ययन-अवकाश पर पढ़ने हेतु आदेश दिये थे और सभी अध्ययन-अवकाश पर ही पढ़ने गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार के आदेश क्रमांक एफ. (6) 10 (एमई) 79 ग्रेड 1 दिनांक 1.7.82 के अनुसार सन् 1975 में चयनित डॉक्टर्स में से कुछ को पूर्ण वेतन उठाने की सुविधा दे दी तथा रेडियोलोजी, गानोइकोलाजी, एनेस्थेसिया व डिप्लोमा कोर्सेज में डेपूटेशन की सुविधा दे दी गई जब कि कुछ डॉक्टर्स को इन सुविधाओं से वंचित रखा है ? भिन्न सुविधा देने के क्या क्या मुख्य कारण हैं।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 1976, 1977, 1978 में भी सभी विषयों में (मय पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिशन एण्ड सर्जरी) अध्ययन हेतु पूर्ण वेतन की सुविधा दी थी ?

(4) क्या यह सही है कि अब सरकार ने अपने आदेश दिनांक 31.3.82 के जरिये सभी डॉक्टर्स को सभी विषयों में पढ़ने के लिये पूर्ण वेतन की सुविधा प्रदान की है ?

(5) 1975 में चयनित कुल कितने डॉक्टर्स थे ? उनमें से कितने डॉक्टर्स को पूर्ण वेतन उठाने की सुविधा दी गई है तथा शेष कितने हैं ? क्या सरकार शेष डॉक्टर्स को पूर्ण वेतन उठाने की सुविधा देगी ? अगर हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(श्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। राज्यादेश 6 (10) एम.ई. 79 दिनांक 1.7.82 के द्वारा 1975 में पोस्ट ग्रेजुएट हेतु चयनित डॉक्टरों में एनेस्थेसिया, डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी में चयनित डॉक्टरों को पूर्ण वेतन की सुविधा दी गई। इन विषयों के अतिरिक्त एम०डी० एवं एम०एस० करने वाले डॉक्टरों को यह सुविधा इसलिये नहीं दी गई कि एनेस्थेसिया एवं डिप्लोमा इन-क्लिनिकल पैथोलोजी में प्रशिक्षित डॉक्टरों का अभाव था व इन विषयों में पी० जी० करने वाले डॉक्टर उत्सुक नहीं थे। इसके अलावा इन विशिष्टताओं में पी०जी० करने वाले डॉक्टरों को 1976 से पूर्व तथा बाद में सदैव पूर्ण वेतन पर पी०जी० करने की सुविधा दी गई है। सिर्फ 1975 में नहीं दी गयी थी। जब कि मैडिसिन, सर्जरी, ई.एन.टी० आर्थोपेडिक्स आदि विशिष्टताओं में प्रशिक्षित डॉक्टरों का अभाव नहीं था।

(3) वर्ष 1976 में चयनित डॉक्टरों को अध्ययन हेतु पूर्ण वेतन की सुविधा नहीं दी गई और सितम्बर 77 में पी०जी के इच्छुक डॉक्टरों को उन्हीं विभागों में पद-स्थापित कर दिया जिसमें वे कार्य कर रहे थे इस प्रकार उन्हें पूर्व वेतन की सुविधा सितम्बर, 1977 से प्राप्त हुई व इनमें 1976 में पी० जी० जोइन करने वाले डॉक्टर भी थे। 1.7.1982 के आदेश द्वारा एनेस्थेसिया, डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलोजी रेडियोलोजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को 1976 से अगस्त, 1977 का पूर्ण वेतन मिल गया।

(4) 31.3.82 के आदेश के द्वारा राज्य सरकार ने 1979 में पी०जी० हेतु प्रवेश लेने वाले 29 डॉक्टर्स को दो वर्ष की अवधि के लिये पूर्ण वेतन की सुविधा दी है। यह आदेश उक्त वर्ग के डॉक्टरों के लिये लागू है।

(5) 1975 में चयनित डॉक्टरों की संख्या 8 थी। चार डॉक्टरों को पूर्ण वेतन देने का सरकार का कोई विचार नहीं है क्योंकि इन लोगों ने उन विशिष्टिताओं में पी०जी० किया जिनमें डॉक्टरों का अभाव नहीं है।

ग्राम पचायत मुख्यालय काचरी में चिकित्सालय खोलना

(82) **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति, अन्ता के ग्राम पंचायत मुख्यालय काचरी में किसी भी प्रकार का कोई चिकित्सा सस्थान नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जनता लम्बे समय से काचरी में चिकित्सालय प्रारम्भ करने की मांग कर रही है ? यदि हां तो सरकार कब तक चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) जिला विकास समिति कोटा ने पंचायत समिति अन्ता के ग्राम काचरी में एक उपकेन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया है। चालू वित्तीय वर्ष में उपकेन्द्रों का चयन करते समय काचरी के प्रस्ताव पर भी विचार किया जावेगा।

गेंता पीपल्दा क्षेत्र में डिस्पेन्सरी खोलना

83. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गेंता पीपल्दा क्षेत्र का बडा कस्बा है जहां पर एलोपैथिक डिस्पेन्सरी नहीं है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित को मद्देनजर रखते हुए उक्त स्थान पर एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) वर्तमान में संभव नहीं है ।

झालावाड़ जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र

84. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) :

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में कहां कहां उप स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं ? उनमें वर्तमान में कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की हुई है ? कृपया नामजद सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मिश्रोली ग्राम में भी उप स्वास्थ्य केन्द्र था ? क्या उसको वहां से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो किस कारण ?

(3) क्या सरकार जनहित में वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ करने का पुनः विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) जी हां, ग्राम मिश्रोली में एड पोस्ट भी होने के कारण उप केन्द्र का ग्राम बडोदिया में स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

(3) जी नहीं ।

एक ही स्थान पर दोहरी संस्था का कोई औचित्य नहीं है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर में एब्जार्व गर्मचारी

85. **नाथू सिंह** (बांदीकुई)

श्री हरीश शर्मा (रामगजमंडी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर की स्थापना किस तिथि को हुई ?

(2) इस संस्थान ने राजस्थान सरकार द्वारा संचालित आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर के कर्मचारीयों को एब्जार्व करने के लिए क्या क्या शर्तें तय की थीं ? कृपया शर्तें सदन की मेज पर रखें ।

(3) स्क्रीनिंग कमेटी ने किस किस श्रेणी के किन किन कर्मचारियों को एब्जार्व करने की राय दी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री नाथूसिंह)

(4) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चुने गये किस किस श्रेणी के किन किन कर्मचारियों को एब्जार्व कर लिया गया और किस किस कर्मचारी को अब तक एब्जार्व नहीं किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चुने हुए कर्मचारियों को अब तक एब्जार्व न करने के क्या कारण हैं और अब इन्हें कब तक एब्जार्व कर लिया जावेगा ?

(6) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें न तो संस्थान और न ही राज्य सरकार सितम्बर, 1979 से वेतन चुका रही है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर की स्थापना 7 फरवरी, 1976 को हुई ।

(2) भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं संस्थान के मध्य हुए एग्रीमेन्ट के तहत निम्न शर्तें तय की गई थी :—

1. संस्थान एक स्वायत्त निकाय है और वर्तमान में भी सभी पद अस्थायी हैं, तथापि ये पद अनिश्चित काल तक जारी रहेंगे ।
2. संस्थान में पेन्शन देय नहीं है । किन्तु अंशदायी प्रोविडेन्ट फण्ड (सी.पी. एफ.) का लाभ नियमानुसार उपलब्ध रहेगा।
3. राजस्थान सरकार/केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा एवं होमियोपैथिक परिषद के अधीन की गई पिछली सेवाओं का लाभ उनसे ही प्राप्त करना होगा। संस्थान का इस सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं होगा।
4. संस्थान में कर्मचारियों को सेवाएं संस्थान की शासी/निकाय व भारत सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय समय पर संशोधित सेवा नियमों से शासित होगी ।
5. कर्मचारी का वेतन स्थिरिकरण उपयुक्त वेतन शृंखला में वित्तीय उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर होगा ।
6. नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी को किसी भी समय एक माह की सूचना पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त करने का अधिकार रहेगा । इसी प्रकार नियोजित व्यक्ति को भी एक माह की अग्रिम सूचना देने पर कार्यमुक्त होने का अधिकार होगा ।

(3) सभी श्रेणियों के पदधारियों मे से स्क्रीनिंग कमेटी/रिव्यू कमेटी द्वारा उनके नाम के आगे अंकित पदों पर संस्थान में एब्जार्व करने के लिए सिफारिश की। सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है ।

(4) सभी श्रेणियों के पदधारियों में से स्क्रीनिंग कमेटी/रिव्यु कमेटी द्वारा उनके नाम के आगे अंकित पदों पर संस्थान में अब्जार्व करने के लिए सिफारिश की । सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है ।

(5) संस्थान में कर्मचारियों को एजार्व न करने के कारण संस्थान में स्थायी पदों की अनुपलब्धि एवं सेवा नियमों का अभाव रहा है । गत 1-1-82 से संस्थान में कुछ पदों पर स्थायी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तथा अगस्त, 1982 से संस्थान के सेवा नियमों को भी नोटीफाइड कर दिया गया है । अतः कुछ कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है तथा अवशिष्ट पदों

Page No 29

(29)

(आयुर्वेद मंत्री)

के स्थायी होने पर शेष कर्मचारियों को भी स्थायी कर दिया जावेगा।

(6) राष्ट्रीय संस्थान एवं राज्य सरकार के बीच केवल एक कर्मचारी श्री राधेश्याम पारीक वरिष्ट लिपिक है जिसे 24-8-79 से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इन्हें संस्थान द्वारा 23-8-79 को कार्यमुक्त कर दिया था। उन्होंने 24-8-79 को उप निदेशक कार्यालय जयपुर में रिपोर्ट दी, जिसे स्वीकार न करते हुए निर्देशित किया गया कि वे पूर्ण चार्ज देकर कार्यमुक्त होकर कार्यभार सम्भालने आवे। 3-11-79 को राज्य सरकार ने भी संस्थान को लिखा कि पूर्ण चार्ज दिलाकर कार्यमुक्त करें। इसके पश्चात श्री पारीक पुनः विभाग में उपस्थित नहीं हुए, और न संस्थान में कार्यरत रहे। उन्हें पुनः राज्य सेवा में 19-8-82 को पदस्थापित करने के आदेश जारी किये। 23-8-79 से पुनः राज्य सेवा में पदस्थापन होने के दिनांक तक का प्रकरण विचाराधीन है। वैसे भी श्री पारीक ने 17-3-82 को श्रम समझौता अधिकारी, जयपुर के यहां 23-8-79 से 31-3-82 तक की अवधि के वेतन भत्तों के बाबत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया हुआ है। अतः इस अवधि के वेतन के मुगतान का प्रश्न समझौता अधिकारी के निर्णय के प्राप्त होने तक विचाराधीन है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सलूम्बर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलना

86. **श्री थानसिंह** (सलूम्बर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 व 1982-83 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर में भी आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोला गया है? यदि हां, तो किस कारण?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील सलूम्बर में गांव बस्सी, खरका, डगार, डाल बनेडा आदि में सरकारी औषधालयों के भवन 2 वर्ष पूर्व से बनाये हुये हैं? यदि हां, तो फिर इन गांवों में औषधालय खोलने में क्या कठिनाई है? अब कब तक इन ग्रामों में औषधालय खोल दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर में वर्ष 1980-81 में कोई नवीन औषधालय नहीं खोला गया, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र एवं पंचायत समिति में वर्तमान में 12 औषधालय पूर्व से ही संचालित है, जब कि विभाग की नीति है कि छठी पंचवर्षीय योजना-काल में प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम 10 औषधालय कर दिये जावें।

वर्ष 1982-83 में अभी तक राज्य में कहीं भी कोई नवीन औषधालय नहीं खोला गया है क्योंकि इस हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) ग्राम खरका के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर औषधालय भवन बने होने की जानकारी विभाग को नहीं है। वित्तीय प्रावधान न होने के कारण राज्य में कहीं भी इस वर्ष अभी तक कोई नवीन औषधालय नहीं खोला जा सका है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, थूर द्वारा आदिवासी सदस्यों को ऋण

87. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम सहकारी समिति थूर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के कितने आदिवासी सदस्यों में ऋण राशि बकाया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) कितने ऋणी आदिवासियों ने शिकायत की है कि उन्होंने ऋण नहीं लिया और उनके नाम गलत ऋण लिख दिया गया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. थूर तहसील-गिर्वा, (पं. स. बड़गांव) जिला उदयपुर के 98 आदिवासी सदस्यों में 48631/ मूल एवं 32572/– ब्याज के रूप में बकाया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बैंक को इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सहायक रजि. सहकारी समितियां उदयपुर के द्वारा जांच कराई गई थी जिसके अनुसार 11 आदिवासियों के नाम पर ऋण लेना दिखाया गया है जबकि उन्होंने ऋण लेना नहीं बताया। सूची परिशिष्ट "ब" पर सलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जयपुर कोटा के बीच मिड-वे बनाने की योजना

88. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार के पास टोंक अथवा निवाई में जयपुर कोटा के बीच मिड-वे बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय की जावेगी तथा इसका कार्य कब से प्रारम्भ हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, टोंक में मिडवे बनाने का प्रस्ताव है।

(2) इस सबंध में भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही जिलाधीश, टोंक से चल रही है। भूमि प्राप्त होते ही इसके निर्माण का कार्य हाथ में ले लेने की सम्भावना है। पहले चरण में इस पर करीब 3.5 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

भरतपुर का ऐतिहासिक किला

89. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर): क्या पुरातत्व कला एवं संस्कृति विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

Page No 31

(श्री राजबहादुर)

(1) क्या भरतपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले, उसकी खाई, घाट और दीवारों की जीर्ण-शीर्ण हालत उत्तरोत्तर होती जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 के माह मार्च-अप्रेल में उनकी मरम्मत और खाई (सुजान गंगा नहर) की सफाई के लिए नहर का पानी लगभग खाली किया गया था किन्तु किले की दीवार की मरम्मत नाम मात्र हुई और जिस पैमाने पर किले की दीवारों व घाटों की मरम्मत होनी चाहिये थी वह आज तक नहीं हुई ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उक्त नहर की सफाई व कीचड़ आदि निकालने के लिए कोई निर्णय लिया है पिछले 1-1/2 वर्ष में इस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, राजस्थान सिंचाई विभाग ने मार्च-अप्रेल, 1981 में नहर का पानी लगभग खाली किया। जिस पर 5 लाख रुपये व्यय हुए। परन्तु तकनीकी कारणोंवश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उसकी मरम्मत अभी तक नहीं कराई जा सकी है।

(3) भारत सरकार द्वारा समुचित राशि उपलब्ध कराने पर मानसून पश्चात् नहर की सफाई एवं मरम्मत का कार्य किया जाना सभव होगा।

खण्ड विकास अधिकारियों की पदोन्नति

90. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समितियों में खण्ड विकास अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए कौन-कौन पदाधिकारी पात्र हैं और किस क्रम से ? कृपया प्रदत्त नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) कार्यवाहक रूप से उक्त पद पर पदस्थापन के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था विद्यमान है ? कृपया आदेश निदेश/विनियमों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या सही है कि पंचायत समिति सांचौर में प्रथम श्रेणी एस. डी. आई जो वरिष्ठ हैं उनके दावे को नजर अन्दाज करते हुए अपेक्षाकृत जूनियर कृषि प्रसार अधिकारी, जो पदोन्नत हैं, को कार्य वाहक खण्ड विकास अधिकारी बनाया गया है ? क्या यह नियमानुकूल है ? यदि नहीं, तो अब सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के पदों पर नियुक्तियां राजस्थान पंचायत समिति (विकास अधिकारियों के चयन) नियम, 1968 के अनुसार की जाती हैं। इन नियमों की एवं इन नियमों में दिनांक 24-1-78 को किये गये संशोधन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। इन नियमों में राजस्थान पशुपालन सेवा के सदस्यों, राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा के सदस्यों, नोन.आर.ए.एस. विकास अधिकारियों, सहकारिता प्रसार अधिकारियों, शिक्षा प्रसार अधिकारियों एवं

(श्री कनकराज मेहता)

महिला पोषाहार प्रसार अधिकारियों सहित अन्य प्रसार अधिकारियों में से विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन किये जाने का प्रावधान है। नियमों में कोई क्रम निर्धारित नहीं है।

(2) कार्यवाहक रूप में उक्त पद पर पदस्थापन के संबंध में व्यवस्था राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-3 ( ) सी।डी प्रशा। 74/112 दिनांक 4-1-74 में की गई हैं जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) पंचायत समिति, सांचौर में उस समय कार्यरत विकास अधिकारी श्री पी. डी. भार्गव को राज्य सरकार के आदेश, क्र. 754 दिनांक 30-11-81 के द्वारा निलंबित किये जाने पर कार्यालय जिलाधीश जालौर के आदेश दि. 10-12-81 के जरिये श्री पुखराज बोकडिया, शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सांचौर को अपने कार्य के अतिरिक्त विकास अधिकारी का कार्य करने हेतु आदेश दिये गये थे। किन्तु पचायत आम चुनाव 1981 में श्री बोकडियां चुनाव कार्य में पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिये जाने के कारण पंचायत समिति मुख्यालय से लम्बे समय के लिए बाहर चुनाव कार्य में गये हुए थे। उक्त अवधि में 20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े को पहले एवं गरीबों को छप्पर कार्यक्रम के कैम्प आयोजित किये जाने के कारण एवं श्री बोकडिया के मुख्यालय से बाहर होने के कारण श्री गुलाब सिंह, कृषि प्रसार अधिकारी को अपने पद के कार्य के साथ साथ विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांचौर के पद का कार्य दिनांक 10-12-81 को संभलाया गया। श्री गुलाब सिंह, कृषि प्रसार अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद वर्तमान में श्री पुखराज बोकडिया, शिक्षा प्रसार अधिकारी ही विकास अधिकारी, सांचौर के पद का कार्य अपने पद के कार्य के अतिरिक्त कर रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13-8-82 के द्वारा श्री मीठा लाल सांखला के विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांचौर के पद पर पदस्थापन के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(आदेशों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पंचायत समितियों के प्रधानों को जीप की सुविधा

91 श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारवी) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समितियों के निर्वाचित प्रधान पंचायत समिति की जीप का उपयोग कर सकते हैं ?

(2) यदि हां, तो किस किस अवसर पर एवं एक दिन में कितने किलोमीटर तक उपयोग कर सकते हैं ?

(3) उक्त वाहन का वे एक माह में कितनी बार उपयोग कर सकते हैं ?

(4) क्या विधायक भी आवश्यकता पड़ने पर पंचायत समिति की जीप का उपयोग कर सकते हैं ? यदि हां, तो किस

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

अवसर पर व कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पंचायत समिति के कार्यों एवं विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु जीप का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग किये जाने की कि.मी. सीमा निर्धारित नहीं है। (प्रतिमाह 600) रु. तथा इससे अधिक व्यय निजी आय से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से)।

(3) वर्तमान में कोई सीमा निर्धारित की हुई नहीं है।

(4) जी नहीं। पंचायत समिति जीप का उपयोग केवल पंचायत समिति के कार्यों के लिए प्रधान, विकास अधिकारी प्रसार अधिकारी तथा स्थायी समितियों के अध्यक्षों द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन प्रधानों एवं विकास अधिकारियों के साथ विधायकों द्वारा समन्वित कार्यक्रम में उपयोग किया जा सकता हैं।

पंचायत समितियों के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल

92. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के द्वारा प्राइमरी स्कूल चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो जिला सवाई माधोपुर में कुल कितने स्कूल हैं तथा उनमें छात्र संख्या क्या है तथा पढ़ाने वाले अध्यापक कितने हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कई स्कूलों में एक अध्यापक द्वारा कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है ? यदि हां, तो उन स्कूलों में कितने कितने छात्र पढ़ते हैं ? क्या अध्यापकों की संख्या छात्र की संख्या को देखते हुए नियमानुसार पर्याप्त है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला सवाई माधोपुर की 11 पंचायत समितियों में से 9 से प्राप्त सूचना के आधार पर 873 प्राथमिक शालायें हैं जिनमें छात्र-छात्राओं की संख्या 77323 है तथा 1453 अध्यापक कार्यरत हैं। इसका ब्यौरा सूची में है जो सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जिले की 11 पंचायत समितियों में से 8 पंचायत समितियों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन शालाओं में न्यूनतम 15 एवं अधिकतम 156 छात्र पढ़ते हैं तथा इनका औसत 56 छात्र प्रति शाला है। सदन के पटल पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है। अध्यापकों की संख्या निर्धारित 1:49 के अनुपात से पर्याप्त नहीं है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सरपंच पंचायत समिति केशवरायपाटन के विरुद्ध गबन की जांच

93. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या पचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, पंचायत आजन्दा पंचायत समिति केशवराय-पाटन, जिला बूंदी के विरुद्ध पंचायत राशि एवं अन्य गबन के प्रकरण को लेकर जांच की गई है ?

(2) यदि हां, तो जांच कब पूरी की तथा जांच के बाद अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच, ग्राम पंचायत आजन्दा के विरुद्ध पंचायत राशि के गबन एवं अन्य अनियमितताओं के बारे में राज्य सरकार को शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच जिलाधीश बूंदी से करवाई गई।

(2) जिलाधीश बूंदी द्वारा जांच पूर्ण की जाकर जांच प्रतिवेदन दिनांक 1-9-82 को प्रस्तुत किया गया जिस पर आगामी कार्यवाही नियमानुसार विचाराधीन है।

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार के अन्तर्गत धनराशि

94 **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या राज्य मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रारम्भ होने के समय से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किन–किन जिलों में कितनी–कितनी धनराशि रोजगार के साधन जुटाने के लिए स्वीकृत हुई ?

(2) उक्त धनराशि आवंटन के लिये और जिलों के चयन का आधार अथवा सिद्धान्त क्या है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के प्रारम्भ से अब तक संलग्न मानचित्र के अनुसार जिलों को धनराशि एवं खाद्यान्न का आवंटन रोजगार के साधन जुटाने हेतु किया गया है।

(2) इस योजना में धनराशि/खाद्यान्न का आवंटन का आधार जिले की मांग, अकाल की स्थिति एवं ग्रामीण जनसंख्या रखा गया है।

(मानचित्र के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम धनवां जिला कोटा में गत 21 जून को कुछ व्यक्तियों द्वारा चन्द्रमोहन पुत्र श्री रामदयाल शर्मा को लाठियों से मारने तथा गांव में बन्दूकें चलाने के विषय में,

(2) श्री हीरालाल आर्य व श्री छीतर लाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पार्वती नदी में आई बाढ़ से पीपल्दा तथा छबड़ा व चींपाबड़ा आदि क्षेत्रों में खातोली

(श्री अध्यक्ष)

गांव में मकानों के गिरने व फसलों के नष्ट हो जाने के विषय में,

(3) सर्व श्री अनंगकुमार जैन, बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 31 अगस्त को झालावाड़ शहर में पुलिस के व्यक्तियों द्वारा शराब के नशे में लाठी चार्ज करने के विषय में,

(4) सर्वश्री चाव खां, लच्छूराम, भरोसीराम, मालाराम, यदुनाथसिंह, वीरेन्द्र प्रतापसिंह, कमलेन्द्रसिंह व उम्मेदसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनू जिले में 3 पुलिस अधिकारियों द्वारा गत 1 जुलाई की रात्रि को भूतपूर्व विधायक, श्री नवरंगसिंह को डराने धमकाने व उनका अपहरण करने के प्रयास के विषय में,

(5) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल द्वारा किसानों के 20 लाख रुपये से अधिक का भुगतान न करने के विषय में,

(6) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा तहसील और जिले में पानी के अभाव से फसलों के नष्ट हो जाने के विषय में,

(7) श्री रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां जिला कोटा में राज्य परिवहन निगम के सब डिपो में अव्यवस्था होने के विषय में,

(8) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री रामनिवास अग्रवाल, मिल मालिक बहरोड़ जिला अलवर पर दिनांक 7–8–82 को हुए घातक हमले के पश्चात् दिनांक 15–8–82 को जयपुर स्थित एस. एम. एस. अस्पताल में मृत्यु हो जाने के विषय में,

(9) श्री चन्द्रवीरसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर जिले की सीमा पर से श्री भंवरसिंह पुत्र अखेसिंह, निवासी रामगढ़ का अपहरण और कई गांवों से मवेशियों की पाकिस्तान को तस्करी की घटना के विषय में,

(10) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अकालग्रस्त क्षेत्र में वर्षा होने पर किसानों को खरीफ की फसल के समय खाद व बीज वितरित न करने के विषय में,

(11) सर्वश्री जीतमल जैन, बालचन्द्र आर्यवीर, अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला झालावाड़ में भारी वर्षा से कई गांवों में तिलहन, मक्का आदि की सब फसलें नष्ट हो जाने के विषय में,

(12) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर की मुख्य नहर पर से अनेक स्थानों पर पानी का रिसाव होने से पानी इकट्ठा हो जाने के विषय में,

(13) सुश्री पुष्पा जैन, श्री सोहनलाल बंसीवाल व श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 27 मई की रात्रि को दौसा निवासी डा. कृपालसिंह व उनकी पत्नी श्रीमती जसवन्त कौर गिल की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या व उनकी बच्चियों को जख्मी कर देने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(14) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर में पानी व बिजली के बिल जमा करने का काम अरबन को-आपरेटिव बैंक द्वारा गत 31 अगस्त से बन्द कर देने के विषय में,

(15) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर उपखण्ड में श्री सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा आस पास के गांवों की चरागाह भूमि पर कब्जे करने के सम्बन्ध मे।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और वहां से जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर शहर तथा आसपास की बस्तियों में खास तौर से जाटव जाति के लोगों में असुरक्षा, आतंक व भय व्याप्त होने के विषय में। इस प्रश्न पर राज्य सरकार से दिनांक 9 सितम्बर, 1982 को सदन में एक वक्तव्य देने को कहा जा रहा है तथा माननीय सदस्य उस समय चर्चा में भाग ले सकते हैं।

(2) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पिछले वर्ष चाकसू तहसील में ढूंढ नदी में बाढ़ आने से किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसका समुचित मूल्यांकन न होने तथा किसानों द्वारा ऋण प्राप्त न कर सकने के विषय में। इस प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में परिवर्तित कर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना मंगवाई जा रही है।

(3) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा में हुए साम्प्रदायिक दंगे के विषय में। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है और उस पर आज निर्णय लिया जावेगा।

(4) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासी भेड़ पालकों के लिए भेड़ व ऊन विभाग द्वारा चलाये जा रहे प्रसार केन्द्रों को गत अप्रेल से बन्द कर देने के विषय में। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी में राजस्व अभियान के अन्तर्गत 3 सितम्बर को हुए भूमि आवंटन के कार्य में अनियमितताएं होने के विषय में। मैं इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास आवश्यक जानकारी हेतु भेज रहा हूं और इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जैसी कि पूर्व में परम्परा रही है जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार कर दिया है वे कृपया दो दो मिनट में अपनी बात कहेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके बारे में आपने जो व्यवस्था दी है उसके विरुद्ध तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु राजस्थान मुख्य नहर जिसके····

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण विषय है इसीलिए जानकारी ले रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जानकारी तो आ जाएगी परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी पूरी केबिनेट दौरा करके आई है, वहां पर आंखों से देख कर आई है कि राजस्थान कैनाल एरिया के अन्दर जगह जगह सीपेज हो गये हैं····

श्री अध्यक्ष : : हम तो आपने जो देख लिया उसको सही मान करके कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मसला है, आज ही सरकार की की ओर से वक्तव्य दिलाया जाय। पूरी केबिनेट और सारे अधिकारी उस क्षेत्र का दौरा करके आये हैं।

श्री अध्यक्ष : केबिनेट को अपने अधिकारियों के माध्यम से देखना होता है। जल्दी करवायेंगे, महत्वपूर्ण विषय है।

श्री महाराज चौधरी (नागौर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, खरीफ फसल के टाइम पर बरसात होने के कारण तीन चार साल में खेती करने का मौका मिला था लेकिन किसानों को समय पर बीज व खाद नहीं दिया। बीज व खाद देने में अव्यवस्था हुई। आपने स्थगन प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी चाही है, सरकार क्या जानकारी देगी।

श्री अध्यक्ष : आपको मैं बोलने का अवसर दूंगा। पहले श्री नन्दलाल मीणा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासी भेड़पालकों के विषय में।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव व्यवस्था की दृष्टि से निरस्त कर दिया है। मैं अहम् बात निवेदन करने जा रहा हूं। हमारे भारतीय संविधान में इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है, देश में जो शोषित वर्ग है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, उन वर्गों को सरकार संविधान में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊपर उठाये। राजस्थान में भी जनता पार्टी शासन के दौरान जनजाति उपयोजना क्षेत्र उदयपुर जिले की सात तहसीलें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें, माननीय सदस्यगण।

श्री नन्दलाल मीणा : यह जो जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, वहां पर आज से 15 वर्ष पहले भेड़ व ऊन विभाग द्वारा अपने कार्यालय और प्रसार केन्द्र स्थापित किये गये। संकर प्रजनन प्रक्रिया केन्द्र स्थापित किये गये। क्षेत्र में आदिवासी भेड़ पालकों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में····

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : भेड़पालक भेड़ों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें इसके लिये जनता पार्टी शासन के दौरान इस इलाके में लगभग 10 प्रसार केन्द्र स्थापित किये गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, 10 प्रसार केन्द्रों से फरवरी 82 तक इस इलाके

Page No 38

(श्री नन्दलाल मीणा)

में 3295 परिवारों को 20–20 भेड़ की इकाइयां ऋण स्वरूप, अनुदान स्वरूप दी गई जिनसे उनकी माली हालत सुधरने लगी। इनमें से चार केन्द्र ऐसे थे जो जन-जाति क्षेत्र विकास विभाग की विशेष सहायता के जरिये वहां पर खोले गये थे। 2 जून, 1982 को राजस्थान की कमेटी, जिसको बजट निर्णायक समिति कहा गया है, की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो केन्द्रीय सहायता से, केन्द्रीय बजट से चार प्रसार केन्द्र चल रहे हैं उनको बन्द कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, वह कहां बन्द किये ? यह योजना जनजाति विकास विभाग के माध्यम से होती थी। जनजाति विकास विभाग के उप मन्त्री हैं श्री गोविन्द आमलिया। डूंगरपुर जिले में, अध्यक्ष महोदय, तीन केन्द्र थे। एक डूंगरपुर शहर में, एक सिमलवाड़ा में और एक सागवाड़ा में चल रहा था। इन्होंने डूंगरपुर वाला बन्द नहीं किया गया, इनके निर्वाचन क्षेत्र सिमलवाड़ा का बन्द नहीं किया गया, परन्तु सागवाड़ा का केन्द्र चल रहा था उसको बन्द कर दिया। दूसरा बांसवाडा जिले में केन्द्र चल रहा था उसको बन्द नहीं किया, चूंकि प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं इसलिये वहां के केन्द्र को बन्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो सरकार से जानकारी प्राप्त कर लेंगे इसमें।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक बात और है, आप सिरोही जिले से पूर्व परिचित हैं, चिर-परिचित हैं। वहां के गिरासिया, जो आबू रोड में निवास करते हैं, की लिट्रेसी दर 0.1 प्रतिशत है। बेचारे वह मजदूर, जो गुजरात की ओर पलायन कर रहे थे, वहां पर भेड़ों के माध्यम से जी रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं उनकी हत्या होती जा रही थी। उन इलाकों के अन्दर हमने जनता पार्टी शासन के दौरान प्रसार केन्द्र खोले थे सरकार ने उनको बन्द कर दिया, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : आप यदि चाहते हैं तो मैं सरकार से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करूं।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह भेड़पालकों का सवाल है, सरकार से जानकारी प्राप्त करके जवाब दिलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : भूमि आवंटन ?

श्री अध्यक्ष : हां साहब, भूमि आवंटन।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी जब विधान सभा चल रही थी तो बूंदी जिले में और अन्य जिलों में जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने भूमि आवंटन कार्यक्रम जारी किया था तब हम सभी विधायकों ने आपसे अनुरोध किया था कि जब विधान सभा सत्र चले तो भूमि आवंटन कार्यक्रम नहीं किया जाना चाहिये। आपके निर्देश से सरकार ने उसको स्थगित किया था। अभी तीन सितम्बर से जिला बूंदी में भूमि आवंटन का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसकी सूचना मैंने····

श्री अध्यक्ष : तीन तारीख को ही हुआ या उसके पश्चात् भी वह कार्यक्रम चालू है ?

श्री गोपाल पचेरवाल : चालू है। मैंने रात को ही टेलीफोन पर कनफर्म किया है। अभी जारी है। मैंने इस सन्दर्भ में राजस्व मन्त्री को चिट्ठी लिखी है अलाटमेंट प्रोग्राम का लैटर मिलते ही मैंने वहां के ज़िलाधीश को चिट्ठी लिखी। लेकिन, श्रीमान्, वह आवंटन कार्यक्रम जारी हैं। इस आवंटन में कई अनियमितताएं बरती जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मन्त्री जी को पत्र लिखा, मैंने जिलाधीश बूंदी को लिखा, कहा कि आप हमको अनभिज्ञ रखना चाहते हैं, क्षेत्रीय विधायकों की अनुपस्थिति में आप गलत तरीके से अलाटमेंट करते हैं। हरिजनों को, पिछड़े वर्गों को वंचित रखना चाहते हैं। श्रीमान्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मई और जून में बूंदी जिले में अलाटमेंट हुआ उसकी हम लोगों को इत्तला नहीं दी गई। मैंने राजस्व मन्त्री जी को, मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा और कलेक्टर को पत्र लिखा। मुख्य मन्त्रीजी के चेम्बर में, मुख्य मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं, 29 जून को राजस्व मन्त्री जी से मैंने कहा कि इस तरह से अलाटमेंट चल रहा है और मुझे इत्तला नहीं दी गई है। उसका नतीजा यह हुआ कि जिला अधिकारियों को भूमि अलाटमेंट हुआ और कांग्रेस के नेताओं को भूमि अलाटमेंट हुआ। पंडित जी हमारे खास आदमी हैं, हमारे जिले के प्रभारी मन्त्री हैं, इनके आदमियों को भूमि अलाटमेंट हुआ है और हरिजनों को वंचित रखा गया है। हरिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया किन्तु आज तक उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। इसलिये मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो अलाटमेंट कार्यक्रम अभी चल रहा है उसको निरस्त किया जाये और जो अभी अलाटमेंट हो रहा है उसको रोका जाय।

श्री देवीसिंह भाटी : बार-बार पूर्व में निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय के यहां से निर्देश जारी हो चुके हैं जब सत्र चल रहा हो उस वक्त जन प्रतिनिधि जिस कार्यक्रम में शामिल हो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाये। उसके उपरान्त भी जिला आयोजना समिति, विजिलेंस कमेटी, जिला अलाटमेंट कमेटी के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश का क्या हुआ ? उसकी जिन्होंने पालना नहीं की उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : इस संबध में दुबारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

(व्यवधान)

इस तरह के मामले कृपया आप मेरे ध्यान में ले आइये। मेरे चेंबर में आकर मिलें।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : उनके अनुसार कार्यवाही नहीं हो रही है, उस सम्बन्ध में एक्शन क्या हुआ।

श्री गोपाल पचेरवाल : तीन सितम्बर से अब तक जो अलाटमेंट हुआ, सत्र की वजह से विधायक नहीं पहुंच सके, उनको आप सरकार से निरस्त करवायेंगे ना ?

श्री अध्यक्ष : आप मुझे चेम्बर में मिल लेना। इस संबंध में क्या किया जा सकता है, आवश्यक कार्यवाही जो कुछ भी होगी वह करने की कोशिश करेंगे।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : इस प्रकार की एक घटना कोटा नगर की है। अनिल बोदिया, विकास आयुक्त, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में 8.9.82 को प्रात: 9 बजे, टैगोर हाल

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

श्री बाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा हूं, इतनी महत्वपूर्ण विकास की मीटिंग कोटा में हो रही है। अनिल बोदिया कोटा गये हुए हैं, वहां करीब दस करोड़ की योजनाओं पर विचार। किया जायगा। मेरा निवेदन है कि हम जो विकास योजना पर विचार करने वाले व्यक्ति हैं वह तो यहां बैठे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह सरकार विधायकों को अनभिज्ञ रखना चाहती है।

श्री देवीसिंह भाटी : आपके यहां से निर्देश जाते हैं उन निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो क्यों नहीं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है? क्यों नहीं सरकार उनके खिलाफ कदम उठाती?

(व्यवधान)

ग्रामीण हलकों के लोग बाग भोले लोग हैं। उनको कोई भी सहायता दिलाने के लिये या उनकी मदद के लिये, कुछ सुविधा दिलाने के लिये जन प्रतिनिधि नहीं पहुंच सकते हैं। सरकार उनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही करती है? मैं तो यह कहूं जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनको तुरन्त निलम्बित किया जाये।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्रीजी को पता ही नहीं क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सदन के नेता कुछ कहना चाहते हैं। मुख्य मन्त्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : मीटिंग का सवाल मेरे ख्याल से चल रहा है। मीटिंग का सवाल है।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह मीटिंग का नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : असेम्बली के दौरान मीटिंग के बारे में है। मैं आज ही यह आदेश दूंगा, कोई मीटिंग इस सम्बन्ध में नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए बार-बार आदेश हो चुके हैं लेकिन पालना होती नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : कई अलाटमेंट हो गये। इनके आदेशों की पालना नहीं होती, इनके आदेश मानते ही नहीं अधिकारी।

श्री अध्यक्ष : मैं अलग से बात कर लूंगा।

(व्यवधान)

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का नाम पुकारा है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था कमेटियों के बारे में नहीं बल्कि जो इलेक्शन होते हैं महत्वपूर्ण पंचायत समितियों और जिला परिषदों के, वह भी इसी दरम्यान रखे गये हैं. उनको भी रोका जाये।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से. अब तक जो अलाटमेंट हुए हैं उनको निरस्त करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, यह विषय मेरे ध्यान में अलग से ले आइये। मैं इस सम्बन्ध में अलग से बात करूंगा। अलाटमेंट हो गये हैं या नहीं, यह अलग प्रश्न है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं उनको फायदा मिलना चाहिये····

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी समस्या को समझ लिया है। मैं इस सम्बन्ध में····

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जाइये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी को सुझाव देना चाहूंगी कल 9 तारीख को मीटिंग है उनके लिए वायरलैस मैसेज भेजें क्योंकि चिठ्ठी पत्री तो लेट हो जायेगी, वायरलैस मैसेज कन्वे कर दीजिये ताकि वहीं के वहीं रुक जायं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, अनिल बोर्दिया आज कोटा पधार गये हैं, जहां आठ करोड़ का फण्ड अलाट होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरे से मिल लें। अलग अलग माननीय सदस्यों की अलग अलग समस्याएं हैं, आप मेरे चैम्बर में बता दें, जो कुछ भी हो सकेगा,····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही लाइन में सुझाव दे दूं कि मुख्य मन्त्रीजी सारे जिला मुख्यालयों पर वायरलैस मैसेज दे दें जिनमें जन प्रतिनिधि शामिल हों ऐसी कोई मीटिंग न की जाय।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : मैं मुख्य मन्त्री जी से अलग से बात करूंगा। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री नरेन्द्रसिंह भाटी

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मन्त्री, उपनिवेशन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 29 के अन्तर्गत उप निवेशन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं—

(1) अधिसूचना सं० एफ 4 (14) राज।उप।82, दिनांक 20 जुलाई, 1982 जिसके द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (सतर्कता) उपनिवेशन विभाग, बीकानेर को राजस्थान नहर क्षेत्र में उपनिवेशन आयुक्त की शक्तियों तथा कृत्यों का पालन करने हेतु नियुक्त किया गया है।

(2) अधिसूचना सं० प. 1(12)राज उप।73 पार्ट–III, दिनांक 8 जुलाई,

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

1982 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (पोंग बांध के निष्कासितियों को राजस्थान नहर उपनिवेशन में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1972 में संशोधित किया गया है।

वधायी कार्य : विधेयक पर विचार
राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक। राजस्थान नगरपालिका (संशोधन), विधेयक 1982 को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन) : विचारार्थ पहले लिया जा चुका है।

परिनियत संकल्प

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आये हैं। श्री नाथू सिंह का नाम मैं पुकारता हूं।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश मेघवाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

मैंने प्रस्ताव दिया है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार नगरपालिकाओं के कुछ अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है ताकि वह किसी भी एरिया को नोटिफाइड एरिया घोषित कर सके। आबू और आमेर नोटिफाइड एरिया हैं, मेरा अनुभव है कि वहां जन प्रतिनिधि नहीं होने के कारण ठीक तरह से काम नहीं हो पाये हैं। अब सरकार यदि अपने हाथ में ये काम ले लेगी तो अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह काम ठप्प हो जायेंगे, विकास के कार्य नहीं हो सकेंगे। मेरा सुझाव है कि नोटिफाइड एरिया कौन सा एरिया घोषित करना चाहते हैं इसका कहीं उल्लेख नहीं है। केवल अधिकार लेने की बात है, यह गलत है। इसको विस्तार से लाना चाहिये था कि किस क्षेत्र को नोटिफाइड करना चाहते हैं। वह इसमें नहीं है। आबू के बारे में मेरा निवेदन है कि जन प्रतिनिधि वहां है नहीं, आये साल वहां के लोग दुखी होकर प्रस्ताव भेजते रहे हैं कि नगरपालिका घोषित की जाय, यहां चुनाव कराये जायं। मेरा आग्रह है मंत्री महोदय से कि सभी नोटिफाइड एरिया हटा कर वहां चुनाव करायें। यह अधिकार मिल जाने पर भी इनका कम से कम प्रयोग करें, यही मेरा सुझाव है। अपने यहां जनतांत्रिक पद्धति में चुनावों का यही उद्देश्य है कि अच्छे जन प्रतिनिधि आयें, उनके जो सुझाव हों उसी तरीके से विकास के कार्य हों। यह हमारे संविधान की मंशा है। प्रशासकों के माध्यम से यदि वहां के चुनाव हुए तो निश्चित बात है कि वे उनकी मन-मर्जी के काम होंगे। जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व ऐसी संस्थाओं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में जरूरी है जो संस्थाएं जनता के बिलकुल नजदीक हो। मेरा कहना यह है कि इस अधिकार का कम से कम प्रयोग करें। आबू के बारे में मेरा सुझाव है कि उसको म्यूनिसिपल क्षेत्र घोषित किया जाय और वहां चुनाव कराये जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने क्षेत्र घोषित करने के अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है उसकी इस समय इतनी आवश्यता नहीं थी जिसके कारण अचानक अध्यादेश जारी कर अपने पास यह अधिकार सरकार लेने को बाध्य होती। दूसरा मेरा निवेदन यह है....

(12.25 म.प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि नगरपालिका अधिनियम में संशोधन का सुझाव है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन नगर परिषदों के चुनाव नहीं हुये उन नगर परिषदों के क्षेत्रों के आस पास जो पंचायतों के इलाके हैं, जो नगर परिषद् सीमा में करीब करीब मिल चुके हैं उनके अन्दर ठीक प्रकार की नागरिक सुविधाओं का अभाव है। यद्यपि वे शहर के नागरिक बने हुये हैं लेकिन सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण चुंगी की चोरियां होती हैं। जैसे भीलवाड़ा, सीकर में नगर परिषद है किन्तु उनके पास के क्षेत्रों में व्यापारी अपने गोदाम बना लेते हैं, सारे का सारा माल वहां चला जाता है। इस प्रकार बहुत चुंगी चोरी के मामले होते हैं। उस क्षेत्र में आने वाले लोग नागरिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी चुंगी से मुक्त हैं। इस प्रकार की समस्याएं वहां मौजूद हैं, राज्य सरकार को पावर है उस पावर का प्रयोग कर उन्हें मिटा सकती है। आपने जो नगरपालिका (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें सिर्फ एक बात कही है कि राज्य सरकार चाहे तो किसी भी नगरपालिका क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक इंडस्ट्री लगती है तो छोटी सी इंडस्ट्री का मालिक भी यह चाहेगा कि नगरपालिका की चुंगी से, टैक्स से वह बचे। राज्य सरकार उस क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर देगी इसके बाद वहां के नागरिकों की समस्याएं भी उस क्षेत्र के मिल मालिक के हाथ में चली जायेंगी। जैसे पिलानी नगरपालिका का उदाहरण देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा पिलानी नगरपालिका का आधा हिस्सा गांव का है और आधा नोटिफाइड एरिया है। इस कारण सारे हिस्से में सारी की सारी सड़कें टूटी फूटी हैं। वहां कोई आय का साधन नहीं है। एक तरफ का हिस्सा बिड़ला का है और एक तरफ का हिस्सा नगरपालिका का है। इस कारण ऐसी दुर्गति हो रही है पिलानी नगरपालिका क्षेत्र की कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पूछना चाहता हूं ऐसी कौनसी मजबूरी थी जिसके कारण संशोधन लाना पड़ा कि सरकार अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा कर सकती है।

यह पाइन्ट है बहुत बड़ा जिसको आप समझने की कोशिश करें। पिलानी नगरपालिका का उदाहरण आपके सामने है। ऐसी कौनसी कठिनाई आ गई आपके सामने कि आपको यह आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा। आपने कोई अधिसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया है। कोई किया हो तो बता दें। मेरी जानकारी है कि आपने आर्डिनेन्स जारी करने के बाद एक भी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया है। फिर ऐसे कौनसे कारण हो गये थे? नगरपालिकाओं के चुनाव आपने करवाये हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हो पाये हैं, हाईकोर्ट में वार्ड के डिलिमिटेशन के केस होने के कारण वे रुक गये हैं। मुझे ऐसा डर है कि इन नगरपालिकाओं के आप चुनाव न करा कर उनमें से कुछ को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करना चाहते हैं। यह मंशा है। अन्यथा इस अध्यादेश को जारी करने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके कारणों में यह लिखा है: "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 313 के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार किसी नगरपालिका क्षेत्र को, इस तथ्य के होते हुए भी कि उसके समुन्नत व्यवस्था उपेक्षित है, अधिसूचित क्षेत्र घोषित नहीं कियाजा सकता है। किसी नगरपालिका क्षेत्र को भी अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त करने के लिये अधिनियम की धारा 313 को संशोधित करना आवश्यक समझा गया। चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और मामला अति आवश्यक था अतः राजस्थान के राज्यपाल ने 31 जुलाई, 1982 को राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 प्रख्यापित किया।'

उपाध्यक्ष महोदय, एक भी क्षेत्र की इस अध्यादेश के अन्तर्गत घोषणा नहीं की गयी है और सैशन आ गया है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आर्डिनेंस जारी किया गया है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसको काम में नहीं लिया गया है। अतः इस परिनियत सकल्प के द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि इस अध्यादेश को निरस्त किया जाये। इसकी जगह आप एक व्यापक, विस्तृत विधेयक लाइये और इस विधेयक को यहां पास करवाइये। ऐसा कोई कारण मौजूद नहीं था जिसके कारण आपको यह अध्यादेश जारी करना पड़ा। इस आर्डिनेन्स के तहत कोई कार्यवारी नहीं की गयी है। आप पूरा का पूरा बिल लाइये और बिल लाकर इसको पास करिये। यह आर्डिनेन्स बेकार है। यह कानून का दुरुपयोग है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक प्रकार से सरकार ने यह नीति अपना ली है कि जब मर्जी चाहे तब आर्डिनेन्स जारी कर दे। इसका कोई महत्व नहीं है, कोई कारण नहीं है। इस अध्यादेश की किसी कारण से आवश्यकता नही थी। अतः मैं परिनियत संकल्प प्रस्तुत करके निवेदन करना चाहता हूं कि इस आर्डिनेन्स को निरस्त किया जाये। मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने यहां पर बतायी हैं उनको ध्यान में रख कर आप बिल लाइये ताकि नगरपालिका क्षेत्र का काम ठीक से चल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

It is not your bussiness.

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली माननीय सदस्या डाक्टर उजला अरोडा ने तथा सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री घनश्याम तिवाड़ी ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये। मैं इसके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि····

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा हूं सुन तो लें।····

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य को आप जरा निर्देश दें कि वे बैठे-बैठे बात न करें। आपके माध्यम से बात करें।····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप इन से क्यों घबरा रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं न तो इन से घबरा रहा हूं और न आप से घबरा रहा हूं।

मैं निवेदन कर रहा था, डाक्टर उजला अरोड़ा ने जो जानकारी दी उसके सम्बन्ध में····

श्रीमती उजला अरोड़ा : कृपा दृष्टि यहां तक तो है। वहां तो कुदरती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कृपा दृष्टि का आप अन्तर मत आंका करो। सब की कृपा समान है। आपकी तरह के लोग नहीं है। इसलिये आप इन बातों में अपने बेलेन्स को बनाये रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बेलेन्स तो आप बना रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जवाब दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुरोध कर रहा था कि जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने आबू के बारे में कहा आबू नोटिफाइड एरिया नहीं है, वहां पर म्यूनिसिपल बोर्ड है। उनकी जानकारी अधूरी है। मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि कृपा करके पूरी जानकारी करके फिर बात किया करें····

श्रीमती उजला अरोड़ा : आबू की बात कीजिये। आबू रोड की बात मत कीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आबू रोड के अन्दर नगरपालिका चुनाव हो चुके हैं। आप सुनो तो सही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आबू रोड की बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माउन्ट आबू भी आ जायेगा। आप धैर्य रखें, तसल्ली तो रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आबू रोड में चुनाव करा कर आयी हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप चुनाव करा कर तो आयी हैं परन्तु आप वहां हार कर आयी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तुम्हारी जान को तो मैं चैतन्य बैठी हूं। मैं कहां हारी हूं। मैं तो जीती हू।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह 'तुम' शब्द का प्रयोग करना क्या उचित है ?

एक माननीय सदस्य : कभी कभी प्रेम में हो जाता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दोनों माननीय सदस्य जयपुर के ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जयपुर के हों या कहीं के हों तुम कहना ठीक नहीं है।

श्री राजबहादुर : प्यार की बोली है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बाबूजी, इस प्यार में आप बीच में कहां आ टपके।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्या से फिर इस बारे में निवेदन कर करूंगा कि उनकी पार्टी का चेयरमैन सिरोही में है, आबू रोड में नहीं है। वे अपनी जानकारी को ठीक कर लें। मैं फिर उनको अनुरोध कर रहा हूं कि वे सदन को सही जानकारी दें तो ठीक रहेगा।

जहां तक सीकर से आने वाले माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी की बात है, मैं समझता हूं कि इसका ताल्लुक नहीं है। राजस्थान सरकार ने नगरपालिकाओं के चुनाव करवाये हैं। 142 नगरपालिकाओं के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं और बाकी के बारे में राजस्थान सरकार बाकायदा घोषणा कर चुकी है कि जनगणना की रिपोर्ट हमारे पास आते ही हम वहां पर शीघ्र से शीघ्र चुनाव करवायेंगे। यह हमारा वायदा है। इसलिये कहीं किसी प्रकार की गलतफहमी इस बारे में नहीं होनी चाहिये।

आपने नगरपालिका क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र के बारे में कहा है। मैं समझता हूं कि इस बारे में राज्य सरकार काफी सक्रियता से सोच कर इन सारी चीजों को रोकने के बारे में लगातार प्रयास कर रही है। फिर भी मैं आपके सुझाव आमंत्रित करूंगा। इसके सम्बन्ध में जब भी कोई चर्चा हो तो आप बतायें, हम उनको रोकने के लिये प्रयास करेंगे।

जहां तक नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाने का ताल्लुक है मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा जहां नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाने का विचार है, वर्तमान में वे ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि है, जैसे पुष्कर का

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

क्षेत्र, माउन्ट ग्राबू का क्षेत्र, जैसलमेर का क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अन्दर हम नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाना चाहते हैं। हम इनका पूर्णतया विकास करना चाहते हैं ताकि जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं वे हमारे यहां की अच्छी इमेज लेकर जावें। हमारे यहां के जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो पुराने ऐतिहासिक स्थल हैं, उनकी ठीक ढंग से व्यवस्था कर सकें इसके लिये मैं यह बिल लाया हूं। 1979 के अन्दर इस बारे में निर्णय हुआ था कि जैसलमेर में नोटिफाइड एरिया कमेटी बनायी जाये। उस समय लॉ डिपार्टमेंट ने यह राय दी थी कि जब तक धारा 313 में अमेन्डमेंट नहीं होता है, जो नगरपालिका बन गई है, वे नगरपालिका जब तक हैं, उनके सम्बन्ध में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक आप वहां पर नोटिफाइड एरिया कमेटी नहीं बना सकते हैं। इसलिये हमारा जो मकसद है वह बिलकुल साफ है। जो एरियाज टूरिज्म की दृष्टि से या हमारे राज्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको विकसित करना आवश्यक है, एक योजनाबद्ध ढंग से टूरिस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग लेकर, भारत सरकार से सीरियसनेस से बात करके इन पर्यटक स्थलों को ठीक ढंग से विकसित करना चाहते हैं। इसलिये यह संशोधन विधेयक लेकर आया हूं।

इस आर्डिनेन्स के बारे में माननीय तिवाड़ीजी ने कहा कि अभी तक किसी एरिया को नोटिफाई क्यों नहीं किया। जुलाई में यह आर्डिनेन्स जारी कर दिया गया था, मुझे यह पता नहीं था कि विधान सभा का सत्र इतना जल्दी आ रहा है। कमेटी के गठन के पूर्व जहां तक आपत्ति का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रावधान रखा है कि जिस एरिया का नोटिफिकेशन करेंगे, उस एरिया के लिये 6 सप्ताह पूर्व आब्जेक्शन इन्वाइट करने का टाइम दे रहे हैं। इसके अन्दर यह भ्रम पैदा हो रहा है कि हम चुनाव नहीं करवायेंगे और इस प्रकार की सारी बातें कर देंगे। जो चुने हुए लोग हैं, जिन्हें जनता ने चुनकर सत्ता सौंपी है वह चुनाव से कैसे घबरायेंगे, कब तक घबरायेंगे इसलिए इस घबराहट का प्रश्न नहीं है। अगर घबराहट कहीं होगी तो, माननीय सदस्य, आपकी तरफ वह घबराहट हो सकती है। 142 में से केवल 20 स्थानों पर नगरपालिकाओं में पधारे। हमारी किस बात की घबराहट है। जनता से घबराकर रहेंगे कहां। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि जो मैंने....

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : बनिए की भाषा मत बोलिए....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो राजस्थान स्वायत्त शासन मंत्री की भाषा बोल रहा हू। और भाषाओं की बात छोड़ो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार यह जो मनानीय सदस्य ने जो प्रस्ताव दिया है इसके सम्बन्ध में उसका खुलासा निवेदन कर दिया। अब मैं अनुरोध कर रहा हू कि जो मैंने विधेयक पेश किया है, उसे पास करवाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

(व्यवधान)

Page No 48

(48)

(श्री उपाध्यक्ष)

आपने अपनी बात कह दी, उन्होंने जवाब दे दिया। Now the matter ends.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट बोलूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाइये। I am sorry, माननीय सदस्य, बैठ जाये। फिर मौके आते रहेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स के अनुसार क्वेश्चन तो पूछने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : No recommendation

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। वैसे तो आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, किन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव मूल प्रस्तावक ने किया है, संकल्प मूव किया है, इसलिए उनको अंतिम उत्तर देने का अधिकार है। मंत्री महोदय ने अपना जवाब जरूर दे दिया है लेकिन वोटिंग कराने के पहले he should be allowed to explain more.

श्री उपाध्यक्ष : उजला अरोड़ा ने मूव किया है।

(व्यवधान)

पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री सम्पत राम : नहीं, आपने जो व्यवस्था दी है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। माननीय तिवाड़ी जी ने....

श्री उपाध्यक्ष : I am allowing him.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन कर रहा था, मंत्री महोदय, बिल पर बहस नहीं हो रही है। आर्डिनेंस को निरस्त करने का परिनियत संकल्प है, इसमें मैंने एक मुद्दा उठाया कि जब विधान सभा सैशन में नहीं होती है तब राज्यपाल महोदय जब संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसे कारण विद्यमान हैं कि तुरन्त अध्यादेश जारी करना आवश्यक है, उसी समय अध्यादेश जारी किया जाता है, और उसको तुरन्त काम में लिया जाता है। मंत्री महोदय ने बताया कि आर्डिनेन्स जुलाई में जारी किया है। क्यों किया है ? उन्हें इस बात का पता नहीं था कि सैशन अभी आने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार 6 महीने के अन्तर्गत विधान सभा का एक सत्र होना आवश्यक है। अध्यादेश जुलाई में जारी किया है और सितम्बर में सैशन हो रहा है। मंत्री महोदय को इस बात का पता नहीं था कि सैशन सितम्बर में होने वाला है, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। अध्यादेश को जारी करने के कारण हैं वह बेसलैस है। संविधान में दिये गये अधिकारों का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग हो रहा है। आर्डिनेन्स बनाने के बाद आज तक काम में नहीं लिया गया। सैशन चल रहा है। स्पष्ट है कि बिल के बाद कुछ कार्यवाही हो सकती है। अध्यादेश जारी करने के जो अधिकार दिये गये हैं उन अधिकारों का सरसार दुरुपयोग हो रहा है। माननीय मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी नहीं विधान सभा का सैशन होने वाला है तो इससे बड़ा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मन्त्री मण्डल के एक सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं कि संविधान के अन्तर्गत 6 महीने में विधान सभा का सैशन बुलाना आवश्यक है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिनियत संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है, उस पर विचार किया जाये। मैं मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी इस बात को समझें कि अधिकारों का सरसार दुरुपयोग न हो। अध्यादेश को वह वापस लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर के बाद एक शंका....

श्री अध्यक्ष : आपके वजाय उन्होंने उत्तर दे दिया....

श्री भंवर लाल शर्मा : हमारे मंत्री जयपुर के रहने वाले हैं। संविधान की इतनी बात भी नहीं जानते इससे हमारी बड़ी बदनामी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो बात घनश्याम तिवाड़ी जी ने कही, उसी वात को आगे जारी रखते हुए मैं कहना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के बाद शंका उत्पन्न हो रही है कि क्योंकि राजस्थान तो पर्यटकों का स्थल है ही, तो क्या सारे राजस्थान को ही नोटिफाई एरिया डिक्लेयर करने जा रहे हैं या जयपुर को करने जा रहे हैं। इन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि कहां कहां करने जा रहे हैं। केवल एक जैसलमेर का उल्लेख किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो स्पष्ट है कि एक हाथ में शक्ति लेने जा रहे हैं, यह संख्या के बल पर लेंगे, लेकिन हमारी शंका निर्मूल नहीं है। यह शायद जयपुर से अब चुनाव तो लड़ेंगे नहीं इसलिए इनका यह विचार हुआ है कि जयपुर को भी नोटिफाइड एरिया कर दो यहां भी पर्यटक बहुत आते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा गुनाह करने का कदम न उठायें। यह जनतंत्र की हत्या है। आप स्पष्ट करें, क्या करना चाहते हैं। इस तरह की आशंकाओं के आधार पर मैं प्रस्ताव करती हूं कि परिनियत संकल्प जो हमने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1982) को अस्वीकार करता है?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

श्री श्रीराम गोटेवाला प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (ग्रामेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मेरे साथी श्री घनश्याम तिवाड़ी ने कहा था, इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकता क्या थी। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कानून के ज्ञाता हैं। संविधान में आर्डिनेंस तभी लाया जा सकता है जब इसकी अति आवश्यकता हो। मंत्री महोदय ने बड़ी लचर दलील दी कि उन्हें मालूम नहीं था कि विधान सभा का सत्र आने वाला है। एक मिनट के लिए अगर मान भी लिया जाये कि विधान सभा का सत्र आने की जानकारी नहीं थी तो फिर मैं पूछना चाहूंगी कि इसकी ऐसी आवश्यकता क्या थी ? क्या इस आर्डिनेंस को लाने के बाद आपने एक भी नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर किया। यदि नहीं, तो आपको मानना पड़ेगा कि जानबूझकर ऐसा आर्डिनेंस लाये हैं। इसकी आवश्यकता नहीं थी। इस लचर दलील को माना नहीं जा सकता है कि आपको विधान सभा के सत्र की जानकारी नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेंस को लाने के बाद इन्होंने आज तक कोई नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर नहीं किया। नोटिफाइड एरिया आलरेडी चल रहे हैं मैं उन पर जरा सी रोशनी डालना चाहूंगी। इतने घटिया तरीके से नोटिफाइड एरियाज चलाये जा रहे हैं कि उनको देखकर यह कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि राजस्थान के दूसरे एरियाज में नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई जाये। मैं उदाहरण के लिए आमेर को लेना चाहूंगी। आमेर नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया। नोटिफाइड एरिया के तहत मैं कहना चाहूंगी कि सारे के सारे काम आज राज्य सरकार करती है, कोई स्वतन्त्र रूप से नोटिफाइड एरिया कमेटी नहीं करती। उपाध्यक्ष महोदय, मनमाने तरीके से काम करवाये जाते हैं, मनमाने तरीके से नौकरों को रखा जाता है, यह सारा मंत्री महोदय की जानकारी में होता है। मैं कहना चाहूंगी कि नोटिफाइड एरिया आमेर में जितने ठेके दिए गये, सड़कें, नाली बनवाने के, सड़कें बनवायी गयीं, उन सारी की सारी सड़कों का आप स्वयं जाकर मुआयना करें वह उखड़ गयी हैं, नालियां उखड़ गयी हैं लेकिन पेमेंट कर दिए गये। इसलिए कर दिए गये कि पेमेंट देने के लिए ही ठेके दिए गये थे, काम करवाने के लिए नहीं दिये गये थे। इस तरह से काम करवाना था तो नोटिफाइड एरिया घोषित करने की आवश्यकता क्या थी। आज आमेर क्षेत्र में 10 वार्ड हैं, आप जाकर देखिए, 10 वार्डों में एक भी लाइट नजर नहीं आती। मरकरी लाइट लगाने से नोटिफाइड एरिया नहीं बन जायेगा। मनमाने तरीके से काम हो जाये, अत्याचार हो जाये, रात के अंधेरे में लोग सोते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, जो जमीनें आमेर तहसील में हैं चूंकि वे म्यूनिसिपैलिटी के जूरिस्डिक्शन में नहीं हैं उन पर इनके एक-एक कार्यकर्ता ने अपने तरीके से मनमाने तरीके से कब्जे कर लिये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ कब्जे ही नहीं किये हैं उनको बेच भी दिया है। लेकिन नोटिफाइड एरिया घोषित करने वाली सरकार सो रही है। क्यों सो

(सुश्री पुष्पा जैन)

रही है ? मंत्री महोदय, क्या आपकी जानकारी में नहीं है, क्या आपको यह पता नहीं है कि ये जो नोटिफाइड एरिया कमेटी आपके मंत्रालय के तहत चल रही है उनकी क्या हालत है ? उनकी बदतर हालत है। नोटिफाइड एरिया बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। इससे तो अच्छा है इनको बंद ही कर दिया जाता।

मंत्री महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ लोग जो अपने आपको कार्यकर्ता कांग्रेस (आई) का कहते हैं उनके द्वारा क्या कार्यवही चल रही है ? रामबाग के पास दुकाने बना दी है, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत खेदजनक बात है कि आज एक सरकारी आफिस में काम करने वाले एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसका मकान 50 साल से एक पहाड़ी पर बना हुआ था, के मकान को कमेटी के चेयरमैन ने तोड़ दिया है। उनके आदेश से तोड़ दिया गया है इसका मुझे अफसोस नहीं है अगर कोई गलत काम करता है तो उसको जरूर तोड़ दिया जाना चाहिए, अगर मेरा मकान भी गलत है तो उसको तोड़ दिया जाये, अगर मेरे कार्यकर्ताओं का मकान गलत है तो उसको तोड़ दिया जाय लेकिन दूसरी तरफ आपको ध्यान देना होगा रामबाग के पास जो आमेर की सबसे महत्वपूर्ण जगह है, सबसे अच्छा एरिया है वहां पर दुकानें बनी थीं उनके पास चार दुकानें बना दीं एक श्री मानमल शर्मा ने बना दी, उसको कुछ नहीं कहा। मैं स्वयं कमेटी के चेयरमैन उसके सैक्रेटरी से मिली, बार-बार उनसे आग्रह किया कि यह दुकान मानमल ने कैसे बना ली तो उसका जवाब मिला कि इसमें हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, हम इस मामले में मजबूर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, न्याय सबके लिए समान है। एक आदमी ने तो इतने महत्वपूर्ण स्थान पर दुकानें बना लीं उसके लिये कोई कानून नहीं है और गरीब फोर्थ क्लास सर्वेन्ट का मकान, जो 50 साल से बना हुआ था तोड़ दिया गया है, नगरपालिका के चेयरमैन की आज्ञा से तोड़ दिया गया। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली रोड पर एक सत्यनारायण शर्मा नाम के आदमी, जो अपने आपको कांग्रेस (आई) का कार्यकर्ता कहता है, ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। उस पर आटा चक्की, आरा मशीन और कुट्टी काटने की मशीन लगा ली है। कानून मौन है, प्रशासन मौन है।

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह आप पब्लिक ओपीनियन जानने वाले प्रस्ताव पर बोल रही हैं या किसी और पर बोल रही हैं ?

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों को आपके सामने रख कर इस बात को साबित कर रही हूं कि यह जो नोटिफाइड एरिया कमेटी का अध्यादेश है उसको आज पास नहीं करके जनमत जानने के लिये भेज दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, अंकेश्वर रोड पर मंदिर पर श्री राधेश्याम ने एक जमीन पर कब्जा किया।

श्री रामसिंह विश्नोई : भाषण दे रही हैं या पढ़ रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : पढ़ नहीं रही हूं। आपके काले कारनामे पढ़ रही हूं। मुझे बड़ा अफसोस है, उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बैंचेज के सदस्य इस प्रकार के गम्भीर मसलों को भी इतनी लाइटली लेते हैं। मंत्री महोदय जिस प्रकार से कार्यवाही करेंगे आपको उसी प्रकार से चिल्लाना होगा, जिस प्रकार से आप परसों चिल्ला रहे थे, यही आपकी नियती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि कब्जे कर लिये यह भी ठीक है कि मकान बना लिये। यह भी ठीक हैं दुकान बना ली। वहां तक भी ठीक था लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि उनको बेच दिया है, पैसे खड़े कर लिये हैं। क्या उस पर आपका हक नहीं था ? कब्जा करने के बाद में उन्होंने उस जमीन को बेच दिया। उनके नाम है श्री भानमल। उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैंने आपके सामने उदाहरण के लिये रखी हैं ताकि यह स्पष्ट हो कि इसको पास करना अभी जरूरी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि धड़कन तो आपकी तेज होनी चाहिए। धड़कन तो आपकी ही तेज होगी क्योंकि गड़बड़ तो आप कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये माउन्ट आबू में क्या करने जा रहे हैं, यह तो आपकी भी जानकारी में होगा। वहां पर एक आदमी है जो कि अनियमित काम करता है। उसने नक्की झील में अनियमित रूप से अपनी नावें चला रखी हैं। उस अनियमितता की जांच करना तो एक तरफ, मेरी जानकारी तो यह है कि आप चेयरमैन बनाने जा रहे हैं उस व्यक्ति को। यह तो नमूना है आपका। वहां के सारे प्रतिष्ठित एम० एल० ए० और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके विरोध में है लेकिन मंत्री महोदय ने तो जिद कर रखी है कि उसको ही बनायेंगे। उसका हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी उस पर स्टे मिला है। अगर, मंत्री महोदय, आपके ऐसे ही कारनामे रहते हैं तो फिर आपकी धड़कन बढ़नी चाहिए आपको ××× अगर जरा भी शर्म बाकी है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, घबराईये मत, मंत्री महोदय, कल परसों में आपके सारे कारनामे आने वाले हैं........

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): आपकी मंशा पूरी नहीं होगी।

सुश्री पुष्पा जैन : वह मंशा तो कांग्रेस (आई) में जाने से भी नहीं होगी।

श्री दाउंदयाल जोशी : आप जैसे लोगों के कारण ही तो यह मंशा पूरी नहीं होगी। जनता के वोट के साथ दगा करने वालों के कारण मंशा पूरी नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर माननीय सदस्य, बाधा न डालें।

श्री दाउदयाल जोशी : ××× आपको तो बोलने का भी अधिकार नहीं है।

××× शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है। कभी ये किसी को कुछ कहते हैं कभी ये कुछ कहते हैं। मुझे ये दोनों ही.......

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए एक उदाहरण और देना चाहूंगी। आमेर में सिवाय चक और गोचर भूमि नगरपालिका के तहत है, नोटिफाई एरिया कमेटी के तहत है उस पर पीली तलाई के पास नगर चन्द्र पुत्र मंगलचन्द ने दुकानें बना ली हैं और प्रशासन ने कुछ नहीं किया है।

ये कुछ नमूने पेश किये हैं जो कि यह दर्शाते हैं कि ये जो बिल लायें हैं यह बिलकुल फिजूल है, इसको लाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब ले आये तो ठीक है पर मैं संशोधनप्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये जिससे कि इस पर विस्तृत चर्चा हो सके और विचार-विमर्श हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष : उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोडा : मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता नहीं है। आप भी तो सुझाव दे सकते हैं। जो आपकी भावना है आप भी तो उस पर बोल सकते है। उपाध्यक्ष महोदय, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं........

श्री उपाध्यक्ष : आप उनकी तरफ देखें ही नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आमेर को बड़ी इच्छा से बसाया गया था, संगमरमरी इमारतें, कमनीय इमारतें, उसकी साज सज्जा को देखते हुए हर्ष होता है। इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है "खण्डहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी"। ये उन इमारतों का सत्यानाश कर रहे हैं। न कोई बिजली की व्यवस्था है, न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई सफाई का इन्तजाम है। पर्यटन स्थल है। कैसा पर्यटन स्थल है? क्या हालत बनाकर रख दी है आपने आमेर की। इसी प्रकार से आप जैसलमेर की हालत भी करना चाहते है क्या? पांच पटवों की हवेली पर किसी की नजर भी है क्या? जयपुर एक बहुत ही सुन्दर शहर है यहां पर भी आप वही हालत करने जा रहे हैं तो नहीं करने दी जायेगी। आज नगरपरिषद ने यहां पर तरह तरह के फव्वारे लगा रखे हैं वे इतने बढ़िया हैं कि उनसे जो खुशबू निकलती है उसके कारण नाक बंद करनी पड़ती है। आप कह रहे हैं कि चौपड़ों पर डंडे खींच दिये हैं, वहां फव्वारे चलायेंगे। जो फव्वारे हैं उनको ही नहीं चलाते हैं, बड़ी चौपड़ का फव्वारा नहीं चलाते हैं, रामगंज का तो कभी चलाते ही नहीं हैं क्योंकि वहां पर तो मुसलमान रहते हैं। वे मुसलमानों के मोहल्ले हैं तो फव्वारे आप किस प्रकार चला सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आप नोटिफाई एरिया घोषित करके काम करने की बात करते हैं किन्तु आप सम्पूर्ण राजस्थान में क्या काम कर रहे होंगे जब जयपुर में ही नालियां सड़ रही है, गली सड़ रही है। गलियों में कहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पर गटर नीचा है तो कहीं पर ऊंचा है। कहते हैं कि यातायात के लिये रोड साफ कर रहे हैं। इन गड्ढों पर तो साइकिल भी नहीं चल सकती है और पैदल चलने वाले को ऊंचे नीचे गटरों की ठोकर लगती है। अगर किसी को दुर्दशा देखनी है तो वह जयपुर की दुर्दशा देखे। आपने जयपुर की सुन्दरता नोच डाली है। मैं कहना चाहूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कुछ किया है उसके लिये इनको माफ नहीं किया जा सकता है। मिट्टी के जयपुर में ढेर लगे हुए हैं, कई हाथ के गड्ढे हैं। ठेका तो हमारे भाई साहब को दे रखा है। जयपुर में कोई काम नहीं किया है क्योंकि जयपुर में मिट्टी के ठेके का काम भाई साहब को दे रखा है। देखा जाय, तो भगवान ने दुर्दशा की है इनकी सुन्दरता लूटकर लेकिन इनको जयपुर की सुन्दरता नहीं लूटनी चाहिये। मैं कहना चाहूंगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भगवान को माफ किया जा सकता है लेकिन मनुष्य को दुर्भावना के लिये कभी माफ नहीं किया जा सकता। मेरा आपसे यह आग्रह है, उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति जयपुर में पैदा हुआ, जयपुर में बनियान-कच्छा पहिन कर घूमा उसने जयपुर के साथ न्याय नहीं किया। जयपुर की सड़कों पर मिट्टी के ढेर पड़े हैं, ठेका भाई साहब ने ले रखा है, मिट्टी उठाई नहीं जाती है। मैं कहना चाहती हूं कि यह बात सत्य है कि मनुष्य मिट्टी से बनता है और मिट्टी में समा जाता है लेकिन समय के पहले····

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : माननीय सदस्या, मंत्री जी के भाई पर चार्ज लगा रही हैं, यह गलत है। आप स्पेसिफिक बात कहें ताकि इसकी जांच कराई जाय। किसी के भाई ने ठेका लिया है····

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : इसकी जांच करवाई जाय।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्रीजी हां कर रहे हैं, वे इन्कार नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी खड़े होकर कुछ कहें। यह अपेक्षित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की ऐसी दुर्दशा है. आप चान्दपोल में आकर देखें कितने ही मिट्टी के ढेर लगे हुये हैं। चांदपोल बाहर जाकर देखें नीलम रेस्टोरेन्ट, जिसका मालिक इनका बड़ा भक्त बनता है, के आगे कितने ऊंचे मिट्टी के ढेर लगे हुये हैं, टीले बन गये हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। पहली बरसात की मिट्टी है बरसात को खत्म हुये कितने दिन हो गये हैं। भाई साहब को ठेका दिया गया है मिट्टी को उठाने का। हर साल मिट्टी आयेगी। अगर चन्द्रशेखर की बगीची का बन्धा बनवा देते तो मिट्टी नहीं आती। अगर मिट्टी नहीं आती तो ठेका नहीं होता। ठेका नहीं होता, तो धन्धा नहीं होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि इन्होंने बुरी नीयत से काम किया। गत सत्र में इन्होंने कहा था कि बरामदे खाली करवायेंगे। मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि बरामदे खाली करवायेंगे। किन्तु बरामदे खाली

Page No 55

(55)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं करवाये दुकानदार बरामदों में बैठे हैं। बरामदों में लाइट सरकारी जल रही है। बरामदों पर कब्जा करने वालों को दण्डित नहीं किया जा रहा है म्यूनिसिपैलिटी के लाइसेन्सी, ठेले वालों और सब्जी वालों की आप सफाई करवायेंगे, जो कि गन्दगी नहीं करते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सफाई बरामदे वालों की नहीं की गई। घोषणा तो यह की गई थी कि 24 घन्टे में बरामदे खाली करवायेंगे किन्तु वे खाली नहीं कराये गये। बरामदे खाली कैसे होते आप संयोजक समिति के चेयरमैन थे। प्रतिष्ठा तुम्हारी मुझे पूरी करनी पड़ेगी। मुझे कहना पड़ेगा कि तुमने चन्दा खाया। फिर कहते हैं कि बरामदे 24 घंटे में खाली करा देंगे। व्यापारियों को बुलाया। क्या व्यापारी खाली हाथ आयेगा मिलने के लिए? अगर यह सही नहीं है, तो बरामदे खाली क्यों नहीं करवाये गये? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न रिक्शा स्टेण्ड है, न ग्राटोरिक्शा के स्टेण्ड है।

श्री उपाध्यक्ष : और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं अपने अधिकारों के ऊपर बोल रही हूं।

मैं कहना चाहती हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाय। अगर मैं अपनी बात दलील के साथ नहीं कहूंगी, तो बात टूट जायेगी। मैं कहना चाहती हूं कि राजस्थान पत्रिका का यह स्तम्भ देख लें इनकी प्रशस्ति में भरा पड़ा है, यह-यह काम जयपुर में किये हैं। जो काम जयपुर में किये जाने थे वह तो नहीं किये गये हैं। और तो और जो मुख्य सड़कें हैं, जो आज हमारे विधान सभा के सामने की सड़क है उसकी डामर पिघल गई है और सड़क जगह जगह से टूटी पड़ी है। उस पर पैदल भी चल नहीं सकते। आये दिन एक्सीडेन्ट होते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनके पीछे बैठे हैं भंग नगर विकास न्यास, जयपुर के अध्यक्ष इन्होंने भी जयपुर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। मैं कहना चाहती हूं कि आप राजस्थान की चुनी हुई नगरपालिकाओं के अधिकारों को छीनिये मत। अगर छीनना चाहते हैं, तो जिस जनता ने तुमको चुनकर भेजा है उस जनता से पूछकर छीनिये। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि न लाइट है न सफाई और न पानी। पानी के बिलों के बारे में आज ही प्रस्ताव रखा है, लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। इस विषय पर तो बाद में कहूंगी। इस बिल के द्वारा आप चुनी हुई नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के अधिकार छीन कर प्रशासन चलाना चाहते हैं, उनमें मनमानी करना चाहते हैं हम इसके पक्ष में नहीं है, जनता इसके पक्ष में नहीं है। हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय। जिससे लोगों को जानकारी हो और यह मालूम पड़े आप क्या करना चाहते हैं। आपके काले कारनामों की उनको जानकारी हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : माननीय सदस्यां ने मंत्रीजी के भाई के ऊपर चार्ज

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

लगाये हैं कि इनके भाई को ठेका दिया गया है, यह गलत है इसलिए इसे कार्यवाही से हटा....

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा

(अनुपस्थित)

श्री अनंग कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(अनुपस्थित)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपना नाम भेजा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहेंगी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या इन्होंने राजस्थान पत्रिका का खण्डन किया है ?

श्रीमती विद्या पाठक : वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का इतिहास हमेशा याद रहेगा। कम से कम जयपुर और राजस्थान का इतिहास तो याद रहेगा ही। आज जयपुर की नगरपालिका की जो स्थिति है और लोकल बाडीज की जो स्थिति हो रही है वह इन्हीं के विभाग से सम्बन्धित है। इनका ऐसा ऐतिहासिक कार्यकाल रहेगा जिसके लिए भी जयपुर और जयपुर के आस पास का एरिया कभी इन्हें क्षमा नहीं करेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा जयपुर जयपुर जिले के बारे में जमवारामगढ़ और जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया, सचमुच बहुत बड़ी समस्या है। सड़क पर हम लोग सभी जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उन पर होकर गुजरते हैं। सड़कों की क्या स्थिति है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। जगह-जगह मेनहोल खुले पड़े हैं। मैंने इसके सम्बन्ध में विधान सभा में एक प्रश्न भी प्रस्तुत किया था। उसका जवाब यह आया कि कुछ मेनेहोल चोरी चले गये थे, उनमें से कुछ तो रि-प्लेस कर दिये गये थे और कुछ रि-प्लेस किये जा रहे हैं। परन्तु अशोक रोड, हास्पिटल रोड इस तरह की कम से कम दो दर्जन सड़कें हैं एच० सी० एम० इन्स्टीट्यूट ऐसी सड़क है जिनके मेनहोल के ढक्कन दो साल पहले चोरी चले गये थे वह आज तक वैसे के वैसे खुले हैं। उनमें लोग गिरते हैं, गन्दगी होती है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोग बहुत सहनशील हैं। आपको याद होगा, उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने म्यूनिसिपल कार्पोरेशन पर मुकदमा कर दिया था। उसके कम्पेनसेशन का पैसा भी कार्पोरेशन को देना पड़ा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेनहोल की यह स्थिति है। सड़कें ऊंची नीची हैं, शहर का गुलाबीपन समाप्त हो गया है। इसके अलावा जगह-जगह पोस्टर और होर्डिंग लगे

(व्यवधान)

हुए हैं। उस पर जगह-जगह गन्दगी के ढेर

(श्रीमती विद्या पाठक)

हैं, कोई विभाग आता है सड़कें तोड़ जाता है, दूसरा विभाग आता है वह सड़कें बनाने का नाम नहीं लेता। सड़कों की यह स्थिति है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को अक्सर रिक्शा में जाना पड़ता है, इतने अवैध रिक्शे हैं 90 पर्सेन्ट रिक्शों पर हुड नहीं है, जिन पर हुड है न तो उनका कभी फिटनेस टेस्ट होता है और न रिक्शा वालों फिटनेस टेस्ट होता है इतनी अनप्लेजेन्टेबल हालत में, ऐसी बुरी हालत में रिक्शा रहता है, आम, साधारण जनता को इससे कितना कष्ट होता है यह भी एक बड़ी विचारणीय बात है। सड़कों पर रोशनी नहीं है उसकी वजह से एन्टी सोशल एलिमेन्ट्स की बिलकुल बन आई है। चोरियां और अन्य तरह की वारदातें बहुत बढ़ रही हैं। जहां तक दमकलों का प्रश्न है कहने की आवश्यकता नहीं, पिछले तीन महीनों में ही क्यों पिछले दो सालों में दमकलों के विषय में काफी चर्चा सदन में हुई है। दमकलों की ऐसी स्थिति पूरे राजस्थान में है जैसी जयपुर में है। आग जैसी घटना पर नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिए मानवीय दृष्टि से म्यूनिसिपैलिटी सीधी जिम्मेदार है किन्तु उसकी दमकलों की स्थिति आज भी खराब है। बरसों पुरानी दमकलें हैं और वह भी खराब पड़ी हैं उनको सुधरवाया नहीं जाता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मंत्री महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर म्यूनिसिपैलिटी में गये थे, कुछ अर्से पहले माननीय मन्त्री महोदय, डांगी साहब भी पधारे थे, उससे पहले जनवरी में शायद माननीय मंत्री महोदय भी गये थे और आप वहां बड़े बड़े आश्वासन देकर आये थे, यहां का विकास होगा, इसका पुनर्निर्माण होगा मगर जो हालत जनवरी में या पिछले साल जनवरी में थी उससे भी बुरी, बदतर हालत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही पूरे राजस्थान की प्रॉब्लम है। आपने म्यूनिसिपैलिटीज में ई-ओज लगा रखे हैं जन-प्रतिनिधियों की वह मानते नहीं, भ्रष्टाचार के बिलकुल परसोनीफाइड भ्रष्टाचार बनकर खड़े हो रहे हैं। बिना टेण्डर किये सड़कें बनवाते हैं। जिनका पेमेन्ट वर्षों पहले हो जाना चाहिये था उनके लिए कहते हैं फाइल मिसिंग है पेमेन्ट नहीं हो सकता और जिनके पेमेन्ट नहीं होने चाहिये, जिसकी मस्टर रोल फेक है, काम फेक है उनको आज ही पेमेन्ट हो जाते हैं। आपके यहां म्यूनिसिपैलिटीज में विशेष तौर से सांगानेर, जिसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, में जो अपाइन्टमेंट हो रहे हैं डेली वेजेज पर वे भी पैसे खा के हो रहे है, पदोन्नतियां हो रही हैं वे नियमों के विपरीत हो रही हैं। यह सारी जानकारी आपको, मुख्य मन्त्रीजी, माननीय डांगीजी को दी जा चुकी है। आप, मंत्रीजी, वहां अभी कुछ दिन पहले गये थे तब फाइलें लेकर आये हैं, कुछ डिक्लेयर करके आये हैं परन्तु मुझे अविश्वास है, मैं यह बात जानती हूं कि मंत्री महोदय कुछ नहीं कर पायेंगे। काम सारा भ्रष्टाचार पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो लोग खा रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप लोगों की उनसे सीधी सांठ-गांठ है, आप कहें तो मैं इस बात को बिलकुल ओपनली नाम के साथ, सबूत के साथ बता सकती हूं। कितना काम होगा यह एक बहुत बड़ी डाउटफुल बात है। इसी तरह से जहां तक अतिक्रमण का सवाल है आपका प्रशासन इसमें सहायक

(श्रीमती विद्या पाठक)

है। वैसे आपने कुछ नियम बनाये हैं, दस लाख रुपये म्यूनिसिपैलिटीज को दिये हैं, जो बाढ़ से जो एरिया क्षतिग्रस्त हुए हैं उन में रिपेयर पर खर्चा किया जायगा पर वह पैसा कहां काम में लाया जा रहा है, जो गूलर बांध और सड़कों के किनारे बाढ़ से टूटे हैं, मकान टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं, नालियां टूटी हैं। कच्ची बस्तियों को बचाने के लिए कहीं कोई सुधार कार्य इस योजना में शामिल नहीं हैं। ये पैसा तो उनके घरों के बाहर की सड़कों पर काम में लिया जा रहा है जो कि राजनैतिक रूप से इनके बहुत सक्रिय हैं जो राजनैतिक रूप से कांग्रेस का प्रभाव जमाये हुए हैं। मेरे घर से आपके घर तक यह इनका मेजरमेंट है, सड़कों का मेजरमेंट मील, किलोमीटर या मीटर में नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, इस बात का आप बहुत विचार करेंगे और इस बात पर आवश्यक कदम उठायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

स्टेशनरी की पर्चेज बिना टेण्डर के हो रही है। लोगों को जमीनें नहीं मिल रही हैं, पुराने मामले रेगुलर नहीं हो रहे हैं अगर अतिक्रमण की शिकायत गम्भीर हैं यह सब मेरा अनुभव है। कुछ इस तरह के दिन उस मामले को निपटाया जाता है कि बीच में छुट्टियां पड़ जायं, अवैध कन्स्ट्रक्शन इस बीच इतने हो जाते हैं कि आप तोड़ नहीं सकते। उसके बाद में अगर इन्सिस्ट किया जाता है, तो मामूली आदमी को आपके म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी वैसे ही डांट कर भगा देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में समाप्त करती हूं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे ही उन लोगों को डांटकर भगा देंगे। अगर कहीं कोई प्रभाव पड़ा या जन प्रतिनिधियों ने कहा तो कलेक्टर के पास भेज देंगे कलेक्टोरेट जो स्वयं फाइलों का और घोटालों की फाइलों का विशेष तौर से बहुत बड़ा बुरियल ग्राउण्ड है। उसके बाद भी अगर ज्यादा इन्सिस्ट किया गया गया तो अदालत में चले जायेंगे, तो यह अदालत में भेजने व मामलों को लटकाने की प्रक्रिया बिलकुल सिस्टेमेटिकली सरकारी अधिकारियों द्वारा हो रही है आप उसका इन्तजाम नहीं कर सकते, यह मेरी आपसे बहुत बड़ी शिकायत है। जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वह अतिक्रमण कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर नाम लेना तो उचित नहीं है, पांच हजार रुपये में सांगानेर के प्रभावशाली व्यक्ति श्री प्रहलाद छीपा को तीन लाख रुपये की जमीन दे दी गई है। उन्होंने शो रूम बनवाये और आप कुछ नहीं कर पाये। अनआथोराइज्ड बस्तियां हैं, नाले बन रहे हैं। उन नालों के पानी का निकास कहां होगा? जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्तियां हैं उन बस्तियों में उस पानी का निकास होगा। सांगानेर छपाई के लिए, केमिकल वाटर, पाल्यूटेड वाटर के लिए मशहूर है जैसे पाली और जोधपुर वगैरह हैं। यद्यपि यह सही है कि इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट का डोमेन भी है पर एक सामाजिक रूप से आपकी म्यूनिसिपैलिटीज इसमें कोई चिन्ता नहीं

(श्रीमती विद्या पाटक)

कर रही हैं, ग्रावारा गाय, पागल सुग्रर, पागल कुत्ते, सड़कों पर घूमते रहते हैं ग्रौर म्यूनिसिपैलिटीज कुछ नहीं कर रही हैं। सड़कों पर गुजरना मुश्किल है जहां मिनी बसेज खड़ी होनी चाहिये, टेम्पों खड़े होने चाहिये वहां खड़े नहीं होते उनके ग्रास-पास पखाने की व्यवस्था नहीं है। हम तो यह सोच रहे थे कि जयपुर का एक भाग होने के नाते सांगानेर की भी इसी तरह से योजना बनायी जायगी। ग्रापकी फाइल में होगा मैंने लिख कर भी भेजा था कि इसका विकास जयपुर के विकास के साथ जोड़ा जाय परन्तु ग्रापके मास्टर प्लान का ग्रगर कहीं वायोलेशन सबसे ज्यादा हुग्रा है तो वह सांगानेर में हुग्रा है जहां पैसे देकर काम हो सकता है। पर मामूली लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, पब्लिक लेट्रिन्स, पब्लिक बाथरूम्स बहुत वड़ी डर्थ है पर नगरपालिका द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है टूटी फूटी सड़कें एक्सीडेन्ट में सहायक हैं। वैसे एन्क्रोचमेंट भी है ग्रौर उस पर सड़कें टूटी हुई हैं ऐसी स्थिति में ग्राम नागरिक के लिए क्या स्थिति होगी। फिर म्यूनिसिपैलिटीज की रेलेवेन्स क्या है। क्या है। इस पर भी विचार करने की कोशिश करेंगे। जहां कुछ लोगों ने जमीनें म्यूनिसिपैलिटीज द्वारा ग्राक्शन की गई जमीनें खरीदी हैं 10 साल पहले, 6 साल 5 साल, 8 साल पहले, उन जमीनों के पट्टे उनको ग्राज तक नहीं दिये गये, पैसा ग्राक्शन में ले लिया जाता है। कोर्ट से स्टे मगवा दिया जाता है उसमें कर्मचारियों की साजिश है, स्टे वेकेट नहीं होता है ग्रौर वह गरीब खरीददार चक्कर ग्रदालतों में लगाते रहते हैं। उनका गुनाह यह हो गया कि लैण्ड खरीद ली ग्राक्शन में घर के पास। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय इस पर भी ग्राप विचार करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो जो समस्या हैं सभी जगह हैं, सांगानेर में ग्रौर दूसरी जगह। जहां तक चुंगी का सवाल है बहुत लोगों ने ग्राफर किया है कि जो चुंगी नाके हैं यदि उनको ठेके पर दे दिया जाय तो उनकी ग्रामदनी कहीं ज्यादा होगी। जो ग्रापकी म्यूनिसिपैलिटीज घाटा बताया करती है उसका कारण यह है कि म्यूनिसिपैलिटीज में जो ग्रधिकारी बैठते हैं वे प्रभावशाली व्यक्ति बैठते हैं। उनके द्वारा सिस्टेमेटिकली जो चुंगी में पिलफ्रेज हो रहा है उसको सहायता देते हैं। क्या ग्राप इसे चैक करने की व्यवस्था करेंगे?

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इसी तरह से गन्दा पानी, लाइट, रोशनी सड़कें इन सब चीजों की व्यवस्था म्यूनिसिपैलिटीज को करनी चाहिये। ग्रब ग्राप इस बिल को लेकर ग्राये हैं। ग्राधे मिनट में इस विषय में कहकर खतम करती हूं। होता यह है, माननीय मन्त्री महोदय, पंचायतों से यदि ग्राप म्यूनिसिपैलिटी बनाना चाहते हैं तो पंचायतों के एरिया को नोटिफाई करिये, उसको नोटिफाइड बनाइये, उसके बाद ग्रेजुग्रली जैसे जैसे स्टेज पूरी होती है उनको जन प्रतिनिधियों के हाथ में देकर म्यूनिसिपैलिटी बनाइये पर ग्रापको जनता पर विश्वास नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं है, ग्रापके यहाँ सिस्टेमेटिक विकास नहीं हो रहा है यह कह कर व्यवस्था ग्राप ग्रधि-

(श्रीमती विद्या पाठक)

कारियों के हाथ में देना चाहते हैं। यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्प्रिट के खिलाफ है और एन्टी डेमोक्रेटिक है। आप कहते हैं कि यह डेमोक्रेटिक है, मगर बिलकुल उल्टा हो रहा है। आप जनप्रतिनिधियों में अविश्वास कर उनसे लेकर अधिकारियों देना को चाहते हैं। इसलिये मैं संशोधन प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 1982 को तीन महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय। जनता की मर्जी जानने के लिए भेजिए जिसके लिए आप इस बिल को ला रहे हैं, जिस पर सीधा प्रभाव होगा उससे भी पूछने की कोशिश करिये। जिस तरह से आप सोसाइटी बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपये की भूमि कोड़ियों में आपने सिस्टेमेटिकली दी है इसको भी आप मनमानी कर लागू करते हैं तो यह एक क्राइम होगा। धन्यवाद।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो मिनट बोलने की इजाजत दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप जनमत के लिए बोलना चाहती हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : विचारार्थ के लिये बोला जा सकता है। मैं केवल दो मिनट बोलूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जब जयपुर शहर का जिक्र आया तो मैं इस पर दो शब्द कहना चाहती हूं। जयपुर के लिए दो-तीन बातें कही जाती रही हैं, पिंक सिटी, सिटी आफ पिकाक और सिटी आफ पैलेसेज। मेरा मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है कि इसका नाम बदल दिया जाये। पिंक सिटी की जगह सिंकिंग सिटी, सिटी आफ पिकाक्स की जगह सिटी आफ पिग्स और डागस एवं सिटी आफ पैलेसेज की जगह सिटी आफ गटर्स डाल दिया जाय। सारे शहर में जगह-जगह गटर खुले हुए हैं। आज जयपुर जैसा खूबसूरत शहर, जितना सुन्दर था, इतना बदसूरत होता जा रहा है, अनकंट्रोल होता जा रहा है। जिस मिर्जा इस्माइल रोड पर ड्राइव करने का, शापिंग करने का, घूमने का अपना ही एक आनन्द होता था, दूर-दूर के लोग इसका आनन्द लेने के लिये आते थे आज उसी मिर्जा इस्माइल रोड पर जबर्दस्त ट्रेफिक रहता है, उस पर से गुजरते हुए रूह कांपती है। इतना अनकंट्रोल्ड शहर है जिसमें चीखें मारती हुई बसें, एक दूसरे से टकराती हुई साइकिलें हैं। ट्रेफिक पर कोई कंट्रोल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहती, केवल दो तीन बातों की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहती हूं। एक तो जगह-जगह गटर खुले हुए हैं। रात के वक्त कोई आदमी जाता है तो गिर जाता है। उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि ढक्कन नहीं है, लोग ढक्कन निकाल कर ले जाते हैं, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं निकालते हैं। उसमें नकूचे वाले ऐसे ढक्कन आसानी से लगाये जा सकते हैं जो कि इतनी आसानी से नहीं खुल पाते। आप नकूचे वाले ढक्कन बना दीजिये। जयपुर की सड़कें हैं, इनसे ईश्वर बचाये। जो संसार चन्द्र रोड है जिसको वनस्थली मार्ग भी कहते हैं जिस पर

Page No 61

(61)

(श्री लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

से दिन में कम से कम 100 बसें रोडवेज की गुजरती हैं उसकी काफी खराब हालत है। हर साल उस सड़क की मरम्मत कराई जाती है, लेकिन हर साल दो महीने के बाद वह टूट जाती है। अभी तीन महीने पहले उसकी मरम्मत होती रही, कई हफ्तों तक लोग परेशान रहे। उसका काम बन्द कर दिया गया। न सीमेण्ट डाला गया और न रोड़ी डाली गई। रास्ते में इतने-इतने पत्थर पड़े हुए हैं कि बसें उन पर से गुजरती हैं तो उनको बिखेरती हुई निकल जाती हैं जिससे जगह-जगह वहां पत्थर पड़े हुए हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने निगम वाली सड़क का जिक्र किया मैं उसकी ताईद करती हूं। मैंने केवल दो मिनट का समय लिया है इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वह इस पर गौर करें और इसकी स्थिति सुधारें। वरना जैसे आपके शहर में विज्ञापन निकलवाते हैं अपने शहर की सुन्दरता के लिए, जैसा मैंने विश्लेषण किया है आप उन नामों को मूल नामों की जगह रख दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाडी : पहले प्रद्युम्न सिंह जी के समय में जयपुर की ऐसी हालत थी और अब श्रीराम गोटेवाला के शासन में है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी : मेरा नम्बर था।

श्री उपाध्यक्ष : आयेगा, आयेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री महोदय यह बिल लाये इसका मैं पूर्णतः विरोध करता हूं। इसका पूर्णतः विरोध करने के दो कारण हैं। एक तो यह है कि आज नगर पालिका से सम्बन्धित कितनी समस्यायें खड़ी हो गयी हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए इस एक्ट में बहुत बड़े संशोधन की आवश्यकता थी। अभी पिछले कुछ समय में स्वायत्त शासन मंत्री ने भी अनुभव किया होगा उस अनुभव के आधार पर वह व्यापक संशोधन बिल प्रस्तुत करते। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि इस बिल में जो संशोधन करने का उन्होंने प्रयास किया है, मेरा राज्य सरकार पर आरोप है कि राज्य सरकार एक बड़ा हथियार, राजनैतिक हथियार अपने हाथ में ले रही है। It is a blunt weapon. जिसका वह कभी भी, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से प्रयोग स्वायत्तता को समाप्त करने के लिए कर सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया था उसके प्रत्युत्तर में स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि पर्यटन के विकास के लिए हम सरकार के हाथ में यह अधिकार दे रहे हैं कि जिस क्षेत्र का विकास करना चाहे उस क्षेत्र को नोटिफाइड एरिया बना दे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने 20-25 नोटिफाइड एरिया बनाये हैं ? जिस दिन आर्डिनेंस को लाये और जिस दिन विधान सभा शुरू हुई इसके

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बीच में क्या उन्होंने कोई नोटिफाइड एरिया बनाया। उन्होंने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि मैंने कोई नहीं बनाया। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं, कोई स्थान उनको पसन्द आये होंगे, पर्यटन की दृष्टि से उनका विकास करने की उनकी इच्छा थी तो एक, दो, तीन स्थानों के लिए वह आर्डिनेंस ले आते, बिल ले आते तो उस स्थान को नोटिफाइड एरिया बड़ी आसानी से बनाया जा सकता था। उस बिल के बारे में हमको भी कहने का मौका नहीं मिलता कि आप इसको नोटिफाइड एरिया बनाना चाहते हैं, किन्तु नोटिफाइड एरिया बनने के बाद जो समस्यायें पैदा होंगी उन समस्याओं पर डिस्कशन करने का मौका राजस्थान की विधान सभा में मिलता। एक, दो, तीन, चार नोटिफाइड एरिया बनाना चाहते हैं, माननीय मंत्री महोदय, किन्तु वह यह चाहते हैं नोटिफाइड एरिया पर विचार करने से इस राजस्थान की विधान सभा को दूर कर दिया जाये। एक ऐसा हथियार अपने हाथ में ले लिया जाये जिसका वार हम सब पर कर सकें। इस मंशा से उन्होंने बनाया। इस मंशा को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल एक दो नगरपालिका के लिए नहीं है, पूरी नगरपालिकाओं को वह पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। इस बिल में यह भी कहा गया, आप अगर बिल को देखेंगे—

"By a notification in the official gazette declare such municipalities or other specified area or any portion of the municipal area.....

क्या मन्शा है राज्य सरकार की? मैं बताना चाहता हूं। वैसे मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में नहीं बताया। मैं चाहूंगा कि जब उत्तर दें तो देवली नगरपालिका में क्या हुआ, उसका जिक्र करें। मेरी सूचना है कि देवली नगरपालिका के चुनाव के समय राज्य सरकार ने तय कर दिया कि एक वार्ड का चुनाव नहीं करवायेंगे। तर्क यह दिया कि वहां मिलिट्री के लोग ज्यादा रहते हैं। वहां के एक बंधु, एक सिटीजन, एक निवासी कोर्ट में चले गये। कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि यह नोटिफाइड एरिया नहीं बनाया चाहिये, इसके चुनाव होने चाहिये। शायद राज्य सरकार उस सारी बात को ढकने के लिए, सही करने के लिये, यह बिल लाई है। अगर उन्होंने यह वीपन अपने हाथ में लिया तो मुझे शंका है। यहां बड़ी चर्चा हो रही थी स्थानों की ओर बड़े जोर से मंत्री महोदय ने कहा, मुझे शंका है कोटा नगर-परिषद के चुनाव नहीं होंगे। तो छोटा सा ढांचा बनाकर यहां प्रस्तुत कर दिया, वहां मिलिट्री के लोग ज्यादा रहते हैं इसलिये एक एरिया नोटिफाइड एरिया बनाना चाहते हैं। ऐसा करके आब्जेक्शन मांगेंगे ताकि नगर परिषद के चुनाव आगे टाले जा सकें। क्या मंत्री महोदय ब्लंट वीपन अपने हाथ में लेना चाहते हैं?

कोटा नगर परिषद की जो सारी आय हो रही है वह 4 करोड़ की आय है। अगर कभी चुनाव हुये, चुनाव होने के बाद 3-4 पार्षद उनके किसी एरिया में जीत जाये, तो उस एरिया को नोटिफाइड एरिया बनाकर राज्य सरकार नगर परिषद से बहुत पैसा लेकर उसके विकास के लिये लगा दें? क्या चाहते हैं मंत्री महोदय मेरी समझ में नहीं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आया। दूसरे, उन्होंने यह नहीं बताया कि 31 जुलाई के बाद, इस अध्यादेश आने के बाद एक भी नोटिफाइड एरिया नहीं बनाया और ना ही बनाने की बात विधान सभा के सत्र के समय तक पाई गई। वैसे तो आपको ताड़ना देनी चाहिये उनको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य परिनियत संकल्प प्रस्तुत कर रहे थे, मैं भी चाहता था कि आप ताड़ना दें राज्य सरकार को, यह आर्डिनेन्स की सरकार है क्या? आर्डिनेन्स लाई, उसका उपयोग नहीं करती, नीयत खराब है, बदनीयति है। राजनीति की दृष्टि से विचार किया जा सके राजनैतिक भेदभाव से विचार किया जा सके, आगे भी विचार किया जा सके, ऐसा बहुत बड़ा राजनैतिक हथियार इस बिल के माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री, राज्य सरकार हाथ में लेना चाहती है, यह मेरा आरोप है। ट्रेजरी बेंचेज पर जो माननीय सदस्य बैठे हैं वह इस बात पर गम्भीरता से विचार करें, यह सामान्य विषय नहीं है। नगरपालिका के एक पोर्शन को नोटिफाइड एरिया बनाना बड़ा असामान्य विषय है। मैंने कहा न कि आप इसको विधान सभा में ला सकते थे, एक छोटा सा बिल ला सकते थे, विधान सभा में चर्चा हो सकती थी। किन्तु आप चर्चा से महरूम करना चाहते हैं? आपके मन में जो इच्छा आ जाय, सुबह उठे और नाहरी के नाके में आपको लगे चलो वहां किसी के ट्रक चल रहे हैं, भाई है या भतीजा है, गड़बड़ पैदा होती है, चलो नोटिफाइड एरिया बना दो। कौनसा अधिकार मन्त्री महोदय लेना चाहते हैं? ऐसा मत कीजिये, आज प्रजातांत्रिक सरकार है, हमने प्रजातंत्र को जन्म दिया है, विधान सभाओं की कीमत है, विधान सभा की कुछ स्थितियां हैं, उस स्थिति को दूर ले जाकर चुपचाप रात के अंधेरे में किसी भी पोर्शन को किसी भी नगरपालिका को इस प्रकार बनाने की राज्य सरकार की साजिश है। मेरा क्लीयर-कट आरोप है इसलिए मैं सम्पूर्णतः इस बिल का विरोध कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जब उत्तर दें उस समय देवली की घटना के संदर्भ में राजनैतिक उपयोग की जो मन्शा आपकी रही है, क्या वह मन्शा और जगह भी प्रिवेल कहेगी? मेरी शंका है कि करेगी। इसके अन्दर डूबने की, गहराई से डूबने की आवश्यकता है। मेरे मन में जो शंका है वह शंका सत्य प्रतीत होती है, अभी इस बात को कोई भी नहीं समझेगा। आर्डिनेन्स लायेंगे तो किसके लिए लायेंगे, कोई न कोई उपयोग करेंगे। मंत्री महोदय ने तो इसका उपयोग नहीं किया, चोर दरवाजा किया है, छोटा सा दरवाजा किया है, इसी पद्धति, विचारधारा से आगे चलकर काम करेंगे।

दूसरा, मैंने तर्क दिया कि राजस्थान नगरपालिकाओं में संशोधन के लिए व्यापक विधेयक लायें। अब तो कुछ अनुभव आपको भी हो गया होगा। थोड़े समय में एक संशोधन हम भी लाये थे, 18 वर्ष के जवान को हमने वोट देने का अधिकार दिया था। आप पहले घबरा गये, डर लग गया आपको डर लगने के कारण आपने उसको स्क्रेप कर दिया था। अब तो प्रजातंत्र की थोड़ी सी हवा आपको लगी होगी, देखा होगा कि यह जवान परेशानी पैदा कर देगा और कर रहा है, स्थिति पैदा हो रही है, कम से कम

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बिहार का जो विधेयक आया है उस पर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई विद्यार्थियों द्वारा उसका कारण है कि उनको मन में आने वाले भय को उजागर करने का मौका नहीं मिलता। मंत्री महोदय, उससे शिक्षा दीक्षा लीजिये। उनकी वृत्ति को चैनेलाइज करने के लिये यह आवश्यक है कि वे भी चुनाव लड़ें, नगरपालिकाओं में जायें, स्थानीय निकायों में जायें। यहां पर विधेयक लाते, व्यापक विधेयक लाते, उस 18 वर्ष की आयु वाले को फिर अधिकार देते कि आओ जवान, वोट देने का अधिकार लो नगरपालिकाओं में यह संशोधन लाते। मैं चाहता था कि व्यापक बिल लाते, मंत्री महोदय। इस बात का मौका देते नहीं कि तीन साल जिस दिन पूरे हो गये वैधानिक रूप से उसी दिन चुनाव होंगे। मंत्री महोदय ने एक बड़ी बात कही है कि आप तो 20 सीटें जीते हैं। यह जीतने हारने का सवाल नहीं है। आज नागरिक सुविधा मिली हैं इसलिये कि नगरपालिका चुनाव हुये हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से कि नगर परिषद के चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं? घोषणा करेंगे आप आज इसकी? क्यों नहीं घोषणा करते? कौनसा डर है आपको? जीत गये आप नगरपालिकाओं में फिर घबराते क्यों हैं, इतने दिन क्यों गुजार दिये?

मुख्य मंत्री का पहला संकल्प कहां चला गया नगर परिषदों के बारे में? जोधपुर में तो मार दिया आपको हाई कोर्ट ने। क्या बाकी नगर परिषदों में चुनाव की घोषणा आप करेंगे। तीन साल जिस दिन पूरे होंगे उसी दिन निश्चित रूप से चुनाव होंगे जैसे लोक सभा व विधान सभा के होते हैं, उसी प्रकार नगरपालिकाओं के होंगे? यह संशोधन लाते तो हम स्वागत करते। क्या आज भी आप घोषणा करेंगे? नगरपालिकाओं के बिल पर चर्चा हो रही है तो नगर परिषदों के चुनाव की घोषणा करें। क्या हालत हो रही है। जैसा भीम से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया, जयपुर नगर सड़ रहा है, जयपुर नगर ही नहीं, जयपुर, कोटा और अजमेर नरक हो गये हैं, इसलिये हो गये कि हम राज कर रहे हैं वहां। कौन बैठा है वहां? क्या स्वायत्तता है वहां? क्या चुनाव हुये हैं? बार-बार मत बोलिये कि 30 आप जीते, 60 आप जीते, 70 हम जीते हैं, यह कारण नहीं है। अगर आपका प्रजातंत्र में विश्वास है तो यह घोषणा करिये, नगर परिषदों के चुनाव हों, वहां लोगों को सब प्रकार की सुविधायें मिलें, लाते ऐसा व्यापक बिल, यह इन्ट्रोड्यूस करते। बड़ा जोरदार आपने इन्ट्रोड्यूस कर दिया केवल मात्र राजनैतिक हथियार लेने के लिये। आपके माध्यम से मैं इस बिल का विरोध करता हूं, निश्चित रूप से विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप व्यापक बिल लायें। 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाय, जिस नगरपालिका के चुनाव हुये 3 साल हो गये उसके चुनाव करायें। इस प्रकार का कार्य करें। अधिक अधिकार हो रहे हैं ई.ओज. के उनके अधिकारों को करटेल कीजिये। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कुचामन में क्या हो रहा है। ई.ओ की शिकायत आई, डबल ए. ओ. की शिकायत आई, भ्रष्टाचार की शिकायत आई या तो

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

मंत्री महोदय में दम नहीं है या वहां के विधायक चाहते हैं कि यह डबल ए. ओ. बने रहे। वह भ्रष्टाचार करें फिर भी विधायक चाहते हैं इसलिये राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री के पैर लड़खड़ाये। फाइल मुख्य मंत्री के पास चली गई आपसे निकल कर। आप निर्णय नहीं कर सके। मुख्य मंत्री ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो सस्पेन्ड करना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आपमें हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि योग्य अधिकारी को बनाये रखें। मैं धन्यवाद देता हूं वहां की नगरपालिका को कि इनको कौने में बिठा दिया। स्वायतत्ता आप देना चाहते हैं, प्रजातंत्र को आपको बढ़ावा देना चाहते हैं तो चुने हुये लोगों की कीमत बढ़ायें यह संशोधन करिये। साथ ही ई. ओ. के अधिकार कम करें। इसलिए मैं आपके माध्यम से जैसे पहले कहा, यह जो बिल है बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल गलत है और स्वायतता पर कठोर आघात करने वाला है। राज्य सरकार को ऐसा बड़ा हथियार मिल रहा है जिससे हमारी स्वायतता पर कठोर आघात कर सकेगी, हथोड़ा चला सकेगी। आप व्यापक बिल लायें जिससे लोगों की आशायें और आकांक्षायें पूरी करने के लिए स्वायतता दे सकें। प्रजातंत्र को जीवित करने के लिए दो तीन बातों का जिक्र मैने किया कि ई. ओ. के अधिकार कम कीजिये, 18 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दीजिए, तीन वर्ष जिन नगरपालिकाओं को हो गये हैं वहां चुनाव हो जाय, यह इसमें इनकारपोरेट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

(1.40 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री रामकिशोर मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उनके बदले मैं बोल लूं। उनके स्थान पर।

श्री सभापति : क्या उनके बदले आप बोलेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

सभापति महोदया, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय जिस ढंग से और जिस चालाकी से प्रशासन को लालफीताशाही के हाथों में समर्पित कर देना चाहते हैं उस लालफीताशाही से सारा राजस्थान त्रस्त हो गया है। सम्माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आठ नगर परिषदें हैं उन आठ नगर परिषदों में से केवल एक जोधपुर की नगर परिषद के चुनाव हुए हैं और वह चुनाव भी इसलिये हुए कि राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया था कि छः महीने के अन्दर अन्दर जोधपुर नगर परिषद के चुनाव करा दिये जायं। इस विवशता के कारण जोधपुर नगर परिषद के चुनाव हुए थे। बाकी जो सात नगर परिषदें हैं वहां पर प्रशासक नियुक्त किये

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हुए हैं। सातों नगर परिषदों में से एक मेरी कोटा की नगर परिषद है उसमें एक पार्ट-टाइम प्रशासक लगे हुए थे और अभी अभी एक पूरे समय के लिए प्रशासक नियुक्त होकर आये हैं। सभापति महोदया, उन प्रशासक महोदय को दो दिन ही काम करते नहीं हुए, चूंकि वह एक अच्छे प्रशासक थे और ईमानदार व्यक्ति थे उन पर हमारे मुख्य मंत्री जी की नगाह पड़ गयी, वोह उनको उठाकर भीलवाड़ा ले गये। उसके बाद बड़ी-बड़ी मिन्नतें करने के बाद-बार-बार निवेदन करने के बाद और जिलाधीश महोदय के रिमाइन्डर बार-बार देने के बाद भी पूरे समय के लिए प्रशासक नियुक्त नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कोटा राजस्थान का एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है। राजस्थान में जयपुर के बाद कोटा नगर ही ऐसा है जो विशेष रूप से बढ़ रहा है। इसके महत्व को देखते हुए मेरा निवेदन है कि कोटा नगर परिषद के अन्दर निश्चित रूप से पूरे समय के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाय। कोटा नगर परिषद में पूरे समय के लिए प्रशासक नहीं होने के कारण उसमें आपाधापी चल रही है। भाई भतीजावाद पनप रहा है, किसी भी प्रकार की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। शहर की सड़कें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मेरी मरम्मत कराओ, मैं टूट चुकी हूं, मेरे में तीन-चार इंच के गड्ढे हो गये हैं, मेरे ऊपर डामर बिछाओ। पर, सभापति महोदया, कोई हालत को देखने वाला नहीं है। अभी जो बात सदन में जयपुर शहर के लिए कही गयी और, सभापति महोदया, बाद में उसको आपने रिपीट किया कि यह तो सारे राजस्थान भर की समस्या है। वास्तव में कोटा शहर में सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। मैं, सभापति महोदया, निवेदन कर रहा था कि जहां पर बड़ी नगर परिषदें हैं उन सभी जगह की हालत खराब है। आपने अभी बड़े फख्र के साथ कहा कि आपने तो 20 सीट जीती हैं। लेकिन जो 80 छोटी-छोटी नगरपालिकायें है जिनका चुनाव आपने जीता है वह तो बेचारी बहुत ही खराब हालत में है। मत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बुलाइये उन नगरपालिकाओं के चैअरमैनों को और पूछिये, उनकी क्या दुर्दशा है। अभी चार दिन पहले सांगोद की नगरपालिका के चैअरमैन मिले थे। उन चैअरमैन महोदय ने वक्तव्य दिया कि मेरी नगरपालिका के पास पैसा नहीं है। वहां पर जगह जगह पर नाले हैं जिनमें पानी सड़ रहा है, मच्छर पनप रहे हैं और सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं किन्तु उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। स्वायत्त शासन मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन गड्ढे को आप कब भरवायेंगे, उन नालों को कब ठीक करवायेंगे? आप बड़ी नगरपालिकाओं की बात छोड़िये, राजस्थान में महा नगरपालिका तो एक भी नहीं है, जो छोटी-छोटी नगरपालिकायें हैं उनकी आय का कोई स्रोत नहीं है और सिर्फ चुंगी पर ही जीवित हैं। वे तो केवल वेतन बांटने का ही काम करती हैं, वह सफाई तो करवा नहीं सकती, और न ही बिजली के लट्टू ही लगवा सकती हैं। आप उन पर दया करें और उन्हें मदद दें। मैंने पिछली बार सदन में प्रश्न भी उठाया था। आपने उत्तर में बताया था कि हमने नगरपालिकाओं को

(श्री दाऊदयाल जोशी)

ग्रान्ट दी हैं। जो ग्राप ग्रान्ट देते हैं वह तो ग्रापकी इच्छा पर है कि ग्राप उनको कितनी सहायता दें कितना ग्रनुदान दें। जो राजस्थान सरकार ग्रान्ट इन एड देती है, जो ग्रनुदान की राशि है वह तो ग्रापकी मर्जी पर है। ग्राप चाहें तो किसी नगरपालिका को पांच लाख रुपये दे दें ग्रौर ग्राप चाहें तो किसी नगरपालिका को दो हजार रुपये का ही ग्रनुदान दें। यह ग्रापकी मर्जी पर है। ग्राप यह नहीं देखते कि किस नगरपालिका को ग्रनुदान देना जरूरी है। यह तो ग्रापकी इच्छा पर है ग्राप तो कभी देखते ही नहीं है कि कितनी राशि किस नगरपालिका को देना जरूरी है। इसके लिए ग्रापको कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिये, कोई ग्रापको पद्धति तय करनी चाहिये ग्रौर उसके ग्रनुसार प्रायोरिटी बेसिस पर सभी नगरपालिकाग्रों को समान रूप से धनराशि बांटनी चाहिये।

इसके ग्रलावा एक सबसे बड़ा ग्रौर सीधा-सीधा ग्रारोप मैं ग्रापके ऊपर लगा रहा हूं, राजनैतिक ग्राधारों पर ग्राप काम करते हैं। कोटा नगर ग्रौद्योगिक नगरी है वहां पर ग्रनेक फैक्ट्रीज हैं उनको ग्रापने चुंगी की छूट दे रखी है। जब मनोरंजन कर के बारे में विधेयक सदन में चल रहा था उस समय मैंने माननीय वित्त मन्त्रीजी पर ग्रारोप लगाये थे कि जिस प्रकार मनोरंजन कर की चोरी ग्रापके यहां पर हो रही है उसी तरह की दूसरी चोरी ग्राप राजस्थान में चुंगी की करवाते हैं। ग्राप पुरानी तारीखों से चुंगी की छूट देते हैं ग्रौर उनके ग्रादेश निकालते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, ग्रापने कोटा की डी० सी० एम० फैक्ट्री को कोयले पर कितनी छूट चुंगी की दे रखी है? क्या कोटा डी० सी० एम० फैक्ट्री गरीब है? कोटा की डी० सी० एम० फैक्ट्री का मालिक लाला चरतराम भरतराम राजस्थान में ही नहीं वलिक हिन्दुस्तान भर में चौथे नम्बर का पूंजीपति है। लाला चरतराम भरतराम की कोटा में चार फैक्ट्रीज हैं। जो एक कारखाना कोटा में चलाता था वह चार-चार कारखाने चला रहा है। क्या जरूरत थी ग्रापको लाला चरतराम भरतराम को चुंगी की छूट देने की? कोयले पर चुंगी की छूट ग्रापने उसको क्यों दी, एक गरीब, सर्व साधारण व्यक्ति को कोयले की चुंगी जहां पर दस रुपये देनी पड़ती है वहां पर लाला चरतराम भरतराम को दस पैसे चुंगी देनी पड़ती है। ग्राम ग्रादमी से तो दस रुपये की चुंगी लेते हैं ग्रौर लाला चरतराम, भरत राम से दस पैसे चुंगी वसूल करते हैं, यह कहां का न्याय है। चुंगी नगरपालिकाग्रों की ग्राय का मूलभूत ग्राधार है उस पर भी ग्रापकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। लेकिन ग्रापको क्या, ग्राप तो सम्पन्न वर्ग का हित चिन्तन करते हैं। ग्रभी ग्रभी ग्राप ग्रापने सर्राफों के लिए चिन्ता व्यक्त की। ग्रापको गरीब लोगों से क्या मतलब, ग्रापका तो सीधा संबंध बड़े बड़े सेठों से है, ग्रापका तो उनसे सीधा संबंध हैं. उनके दलाल ग्राते हैं ग्रौर ग्रापसे पिछली तारीख में चाहे जो छूट चुंगी की करवा कर ले जाते हैं। जो लाला चरतराम भरतराम चार चार कारखाने कोटा में चला रहा है उसको ग्रापने जो ग्रनावश्यक चुंगी में छूट दी है वह तुरंत समाप्त करनी चाहिये। उसको जो छूट राज्य सरकार ने 1964 में दी थी वह दस

(श्री दाऊदयाल जोशी)

साल के लिये दी थी और वह छूट सिर्फ सन् 74 तक थी किन्तु उसके बाद में सन् 75 में फिर आपने उसको छूट दे दी। उसके बाद में हमारी जनता पार्टी की सरकार आयी उसने वह बन्द करने की कोशिश की लेकिन वह समाप्त होने को थी उससे पहले ही हमारी सरकार चली गई। ज्यों ही आपकी सरकार आई आपने उसको फिर चुंगी की छूट दे दी। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आप आखिर कितने साल तक उसको चुंगी की छूट देते रहेंगे ? सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि नगरपालिकाओं की इस तरह तो दिन प्रतिदिन स्थिति गिरती ही जायेगी और वह अपना काम भली भांति नहीं चला सकेंगी। मेरा निवेदन है कि अगर आप इन्हें सफल बनाना चाहते है तो भगवान के नाम पर उन पर कृपा करें, और चुंगी की छूट को समाप्त करें। अभी जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, शायद जवाब में विसंगति हो गयी होगी, ...

(व्यवधान)

खैर, मेरा निवेदन, मन्त्री महोदय, अब आपसे यह है कि आप जल्दी से जल्दी नगरपालिकाओं का उद्धार करें और ऐसी व्यवस्था करें कि उनका कल्याण हो सके और वह आगे काम कर सकें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यादेश जारी करने के अपर्याप्त कारण

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह विधेयक है, जिस पर कि चर्चा हो रही है, ऐसा है जो अब आर्डिनेन्स के स्थान पर स्थान लेगा इस संबंध में हमारी ओर से माननीय सदस्या ने एक परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया। संकल्प पर जो चर्चा हुई उस चर्चा के समय माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि इस आर्डिनेन्स के इश्यू होने बाद अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर उनके इस वक्तव्य के आधार पर है, सभापति महोदया, हमारे कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 213 में जो दिया गया है वह मैं आपकी अनुमति से थोड़ा पढ़ कर सुना रहा हूं। सभापति महोदया, आर्टिकल 213 में लिखा है कि "At any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session. The Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require. Provided that the Governor shall not, without instructions from the President, promulgate any such Ordinance if– ......

इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये मैं उस सम्बन्ध में कोई जिक्र करना नहीं चाहता। एक बात निश्चित रूप से है कि कोई ऐसी इमर्जेंसी खड़ी हो गई हो, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि राज्यपाल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय को इस बात का सन्तोष हो जाये कि यदि हमने कोई आर्डिनेन्स इश्यु नहीं किया तो जनहित का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जनहित के विरोध में बहुत बड़ा कोई कार्य होने वाला है उससे बचने के लिए विधान सभा का सत्र उस समय नहीं चल रहा है। तो हमें आर्डिनेन्स इश्यु करना चाहिये। यह एक इस प्रकार का अधिकार है जिस अधिकार के लिए अपेक्षा यह की जाती है कि सरकार उसका किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेगी। मैं, सभापति महोदय, निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि इस सदन में कई उदाहरण आये होंगे, मुझे याद नहीं लेकिन आज मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार का कोई आर्डिनेन्स शायद ही जारी किया गया हो कि आर्डिनेन्स जारी करने के बाद में उस आर्डिनेन्स के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं हुई हो। मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभापति महोदय, आर्डिनेन्स के इश्यु करने के सम्बन्ध में विभिन्न पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के स्पीकर ने किस प्रकार की व्यवस्थायें दी हैं वह मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता चाहता हूं। कौल एण्ड शकधर पेज 521 पर लिखा है।

'The Speaker has held that promulgation of an Ordinance is in the discretion of the President and the Government could not share the responsibility of advising the President regarding immediate action the power of Parliament is expost facto.'

(1.52 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन).

यह, अध्यक्ष महोदय, मैं कौल एन्ड शकधर पेज 521 से पढ़ कर सुना रहा हूं। इसी में पेज 522 पर लिख रहा है।

'On November 15, 1971 when the Dy. Minister of Parliamentary Affairs sought to lay on the table copies of thirteen ordinances during the preceding inter session period an objection was raised that never before in the history of Parliament so many ordinances were issued during any particular intersession period. Thereupon the speaker observd.

"I agree with you that so many Ordinances should not have been issued I personally think it is not light matter to be ignored. Certain observations have been made by predecessor Shri Mavalankar based on very sound judgment. would invite the attention of the Govt. to see that there is real emergency justifying the issue of such ordinances.

इमर्जेंसी और अर्जेंसी की रियलिटी पर जोर दिया है। वास्तव में कोई इमर्जेंसी या अर्जेंसी थी तो उस हालत के अन्दर आर्डिनेन्स इश्यु किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, फिर आगे देखिये।

"When some members again raised the matter on Nov. 22, 1971 particularly in regard to the ordinances which had imposed certain

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

levies. the Speaker observed If you think that there should be some distinction between financial & non-financial, tax and non-tax ordinances there is nothing in my knowledge on which I can base my ruling. All I can say is that I do not approve of an ordinance which is just at the time when the House is about to meet........"

अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है कि यह ग्राडिनेन्स 31 जुलाई को जारी किया गया और सदन की बैठक 6 सितम्बर को होने वाली थी। सदन की बैठक 6 तारीख को होगी, गवर्नर महोदय ने। सदन को आहूत किया है उसकी मेरी याददाश्त के अनुसार तारीख21 अगस्त है। 21 अगस्त को सदन आहूत किया है और ग्राडिनेन्स इश्यु किया है 31 जुलाई को। 31 जुलाई को ग्राडिनेन्स इश्यु हो जाये और 6 तारीख तक उस ग्राडिनेन्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो इसका मतलब इमर्जेंसी या अर्जेंसी नाम का तो कोई तथ्य इसके अन्दर कहीं रहता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आगे फिर उन्होंने कहा है :

"Again on Nov. 13, 1971 the speaker observed : Ordinances by themselves are not very welcome, specially so when the date for the session of the House is very clear. It is not only clear but also near.

क्लियर का मतलब यह भी नहीं है कि विधान सभा को आहूत करने के लिए सम्मन्स उन्होंने इश्यु कर दिये हों, विधान सभा का सत्र जल्दी आने वाला हों चाहे डेट उसकी नहीं हो........

"In such cases unless there are very special reasons ordinances should be avoided. This is the ruling which I gave on 22nd Nov. 71 and the same was given by my predcessors."

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जब यह बात स्पष्ट कही है कि ग्राडिनेन्स हमने इश्यू किया 31 जुलाई सन् 1982 को, 31 जुलाई, 1982 को कौनसी इमर्जेन्सी थी, कौनसी अर्जेन्सी थी कि जिस इमर्जेन्सी और अर्जेन्सी के प्रश्न को लेकर यह ग्राडिनेन्स इश्यु किया गया है ? अगर इमर्जेन्सी और अर्जेन्सी होती तो मंत्री महोदय वक्तव्य नहीं देते कि अभी तक हमने इस संबंध में कोई भी क्षेत्र को डिक्लेयर नहीं किया। अब आज तक आपने डिक्लेयर नहीं किया तो मैं कहता हूं कि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम में जिस व्यक्ति का विश्वास होता है, जिस सरकार का विश्वास होता है वह इस ग्राडिनेन्स को लेप्स हो जाने देती। यदि आप यह अधिकार लेना चाहते थे तो इसका भी एक विधेयक पेश कर दिया जाता और विधेयक के रूप में आप अधिकार ले लेते लेकिन ग्राडिनेन्स आपने इश्यु किया और ग्राडिनेन्स को रिप्लेस कर रहा है एक विधेयक। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इससे अधिक धारा 213 का किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में यह मामला

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पहला इस प्रकार का है कि जिसमें गवर्नमेन्ट ने अपनी तरफ से यह स्वीकार किया है कि आर्डिनेन्स जारी करने के बाद आर्डिनेन्स जिस बात के लिए जारी किया गया था उसको हमने अभी तक क्रियान्वित नहीं किया। यह पहला केस होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर व्यवस्था दें, सरकार को आदेश दें कि इस आर्डिनेन्स को विथड्रा करे। यदि आवश्यकता हो तो इस आर्डिनेन्स के कारण से जो कानून नहीं बन पा रहा है उसके लिए सरकार विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दे। वह मैं समझता हूं कि यह सदन की अच्छी परम्परा होगी, आर्डिनेन्स जारी करने की जो मंशा है सरकार की उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा और सदन में एक इस प्रकार की परम्परा कायम करेंगे जिससे लोकतांत्रिक शक्ति बढ़ेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति आदर बढ़ेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। मैं इस संबंध में आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो आर्डिनेन्स निकला है उसमें कहा है :

"It shall be deemed to have come into force on the 2nd day of August 82."

उसके बाद में इसी आर्डिनेन्स के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था की गयी जिसमें 6 हफ्ते का टाइम नोटीफाई करने के लिए करने की बात कही गयी है। मैंने जैसा पहले भी निवेदन किया था और पुनः निवेदन कर रहा हूं कि 2 अगस्त तक विधान सभा 6 सितम्बर को बुलाये जाने की बात तय नहीं थी, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 2 अगस्त तक जानकारी नहीं थी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं 2 अगस्त की बात कह रहा था। जब आप बोल रहे थे तो मैं शान्तिपूर्वक सुन रहा था। यह वैधानिक मामला है और अध्यक्ष महोदय को आपके व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय देना है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कृपापूर्वक शांति से सुनें। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 2 अगस्त तक कतई इस बात की जानकारी नहीं थी कि 6 सितम्बर से विधान सभा का सत्र बुलाया जा रहा है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि 6 हफ्ते का समय दिया गया है उस दृष्टि से हमने तो विधान सभा का सम्मान किया है और सदन के माननीय सदस्यों का सम्मान किया है कि जब सदन बुलाया जा रहा है, सदन बुलाना तय हो गया है तो उसके बाद सदन के सामने इस आर्डिनेन्स को लाकर दिल वनवाकर ही हमें इसको कार्य में लाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्यों ने और बातें इस बारे में कही हैं उनके बारे में मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्वयं उनके जमाने के अन्दर जैसलमेर में 1979 में उन्होंने नोटीफाइड एरिया कमेटी घोषित करने का निर्णय लिया था। मैं यह अनुरोध कर रहा हूं इस संबंध में कि विरोधी दल के

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

नेता महोदय 213 बोल गए, मुझे 213 की जानकारी नहीं है कि 213 कौनसी है लेकिन 313 के अन्तर्गत हम म्युनिसिपैलिटी को नोटीफाई करने की घोषणा करते हैं। तो हमें अधिकार लेना आवश्यक था इसलिये उस समय हमने तय किया था, राजस्थान सरकार का निर्णय था कि पुष्कर, माउन्ट आबू और जैसलमेर इन तीनों को नोटीफाइड एरिया घोषित किया जाये। जब 2 अगस्त के बाद यह निर्णय लिया गया कि सदन बुलाया जाये तब इस आर्डिनेन्स को बिल की शक्ल में आपके समक्ष लाये हैं। इसमें कहीं कोई बुरी मंशा नहीं है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा, इस बिल को मैंने विचारार्थ स्वीकार करने के लिये पेश किया है, विचारार्थ लिया जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय हाथ में आर्डिनेंस ले लें। इसका दूसरा पेज पढ़िये। इसमें यह है:—

"(2) A copy of the notification under sub-section (1) shall be published in such places and in such manner as the State Government may, by general or special order, direct."

क्या आपने कोई नोटिफिकेशन इश्यु किया है ?

श्री श्री राम गोटेवाला : अभी नहीं किया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं किया है तो, अध्यक्ष महोदय, मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। इस आर्डिनेंस की मंशा यह है कि 313 में यह अमेंडमेंट करना चाहते हैं। 313 में अमेंडमेंट करके पावर्स क्या लेना चाहते हैं। 313 इनवर्टेड कोमा में जो इन्होंने किया है वह यह है

"313 Declaration of notified areas.—(1) Notwithstanding anything contained in section 4 or in any other provisions of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, signify its intention to declare that with respect to all or any of the purposes of this Act, improved arrangements are required within a municipal area or any other specified area.

(2) A copy of the notification under sub-section (1) shall be published in such places and in such manner, as the State Government may, by general or special order, direct."

अध्यक्ष महोदय, अगर आर्डिनेंस के लिए अर्जेन्सी और इमर्जेन्सी थी तो उसी समय सरकार को नोटिफिकेशन........

श्री अध्यक्ष : लेकिन मंत्री जी का कहना यह है कि 2 तारीख को यह तय हो गया कि आहूत हो जायेगी विधान सभा, इसलिये नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस अज्ञानता का मेरे पास कोई उत्तर

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

नहीं है इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। माननीय दो मंत्री यहां बैठे हैं, आर्डिनेंस इश्यू। करें........

श्री अध्यक्ष : दो नहीं, 5–6 मंत्री बैठे हैं, दो कैसे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सीनियर बैठे हैं। 5 बैठे होंगे, 10 बैठे होंगे, दो इसलिये कह रहा था ये ज्यादा सेन्सीवल हैं........

श्री श्रीराम गोटेवाला : सब सेन्सीवल हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर्डिनेंस की पावर्स को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। आर्डिनेंस जिन स्थितियों में जारी करना चाहिये, जो आर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है वह इमर्जेन्सी या अर्जेन्ट मैटर्स में है। आपने यहां न इमरजेंन्सी का प्रदर्शन किया और न अर्जेन्सी का प्रदर्शन किया, आर्डिनेंस इश्यू कर दिया और आपने इस आर्टिकल 213 का मखौल उड़ाया। मैं तो यहां कह रहा हूं कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 213 की बात, आप कर रहे है म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 313 की बात यह तो समझ का अन्तर है। मुझे कुछ कहना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह एक ऐसा केस है जो हिन्दुस्तान में उदाहरण पेश करेगा। आप इस पर विचार कर लें, देख लें और माननीय मंत्री जी को सुनना चाहें तो सुन लें। हमें सुनना चाहें, सुन लें और इस आर्डिनेंस पर चर्चा करने की अनुमति न दें। आप इस संबंध में कोई व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने एक संवैधानिक प्रश्न उठाया है कि विचारार्थ विधेयक जिस अध्यादेश की जगह पर लाया जा रहा है उस मूल अध्यादेश को जारी करने के लिये कोई पर्याप्त कारण नहीं थे। अध्यादेश की कुल मिलाकर मंशा यह थी कि राज्य सरकार को ऐसे अख्तियार होंगे कि म्यूनिसिपैलिटीज में से जितनी म्यूनिसिपैलिटीज को वे नोटिफाइड एरिया घोषित करना चाहें उनको घोषित कर सकें। उन्होंने अपने हाथ में यह अधिकार ले लिया तो इस अध्यादेश की मूल मंशा यह थी कि सरकार के पास ऐसे अधिकार होने चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण म्यूनिसीपैलिटीज, जो राष्ट्रीय दृष्टि से या अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हो को नोटिफाइड एरिया घोषित कर दिया जाये। लेकिन जैसा मंत्री जी ने स्वयं कहा, इस अध्यादेश के लागू होने के बाद नोटिफाई करने का जो अतिख्यार था उसका उपयोग ही नहीं किया गया। मंत्री जी ने यह कहा कि दो तारीख को यह मालूम हो गया था कि विधान सभा का सत्र 6 सितम्बर को आहूत हो रहा है इसलिये नोटिफाई करने की आवश्यकता ही नहीं रही। इस कारण से मुझे यह डाउट होता है कि जब आपको अख्तियार इतने ही लेने थे, नोटिफाई करने का अधिकार सरकार को लेना था इसलिये आर्डिनेंस तो जारी कर दिया लेकिन नोटिफाई किया नहीं। तो फिर ऐसी कौनसी परिस्थितियां थीं कि अध्यादेश जारी करना जरूरी था? अध्यादेश तो उस स्थिति में जारी करना होता है जब समस्या इस तरह की सरकार के सामने आ जाये कि विधान सभा सत्र के बीच के समय में

Page No 74

(74)

(श्री अध्यक्ष)

अधिकार राज्य सरकार लेना चाहती है, विधान सभा सत्र के बीच का जो समय है उसमें उन अधिकारों को उपयोग में लेना चाहती है लेकिन इसमें लिये गये अधिकार का उपयोग किया नहीं गया है। इस सम्बन्ध में विधि मंत्रीजी से राय चाहूंगा।

आर्डिनेंस इसलिये निकाला गया कि कुछ अख्तियार राज्य सरकार को कुछ म्यूनिसिपैलिटीज को नोटिफाई करने के मिल जायें किन्तु उनका आपने उपयोग किया नही। जैसे टैक्स का सवाल होता है यह कह दें यह टैक्स अभी से लगाना जरूरी है, तो तुरन्त प्रभाव से टैक्स लागू हो जाता है नहीं तो रेवेन्यू को लास होता है। टैक्स का तो सवाल है महीने का, दो महीने का लेकिन दूसरे प्रकार का कोई अधिकार लेना चाहते हैं तो उन अधिकारों का तुरन्त प्रभाव से उपयोग तो होना ही चाहिये वरना इमर्जेन्सी क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आर्डिनेंस निकालने का सम्बन्ध है मैं एक बात तो यह स्पष्ट कर दूं कि It is subjective satisfaction of the Governor. यह गवर्नर के सैटिस्फैक्शन की बात है। गवर्नर उस वक्त अगर सेटिस्फाई हो गये····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। गवर्नर का सेटिस्फैक्शन तो इसी बात पर डिपेन्ड करता है कि राज्य सरकार, कौंसिल आफ मिनिस्टर्स किस प्रकार से एडवाइज करती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आर्टिकल 213 में जो लफ्ज हैं वे यह हैं : "If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require :"

तो मेरा निवेदन करना यह है····

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब तो यह है कि राज्यपाल महोदय को पूरी छूट है। जब कभी आप यह सलाह दें कि इस आर्डिनेंस को पास करना है तो आर्डिनेंस पास हो जायेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गवर्नर का सेटिस्फैक्शन सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन होता है, उस सेटिस्फैक्शन को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। इसमें भावना यह है, हाउस सैशन में नहीं था, माननीय मंत्री जी का विचार था वह कुछ म्यूनिसिपैलिटीज को नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर करना चाहते थे। आर्डिनेन्स हो गया लेकिन उसमें दी गई पावर को कुब पीरियड के अन्दर एक्सर्साइज करना था, वह पीरियड 42 डेज था····

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन इस बात का करना होगा कि कौन-कौन से एरियाज को नोटिफाइड करना

(श्री अध्यक्ष)

चाहते हैं। वह नोटिफिकेशन इन्होंने इश्यू किया नहीं है। केवल अपने हाथ में शक्ति ले ली। उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। जब शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो यह शक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं जहां तक नोटिफाई करने का ताल्लुक है नोटिफाई तुरन्त करना जरूरी नहीं था। नोटीफाई 42 दिन के अन्दर-अन्दर इनको करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह नहीं है। आप पढ़िये। इसका मतलब यह है कि सरकार को यह अधिकार दे दिया इस आर्डिनेन्स के तहत कि वह किसी एरिया को नोटिफाई करे। नोटिफाई करने के बाद में 6 सप्ताह की मियाद दी है नागरिकों को अथवा दूसरों को जो इससे इफेक्टेड होते हों, वे अपने एतराजात पेश करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्ष महोदय, कुछ सरकन्सस्टान्सेज़ बीच में ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से यह नहीं हो सकता है। मान लीजिये आर्डिनेन्स तो कर दिया और स्टे आर्डर आ गया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिह शेखावत: हाइपोथेटिकल बातें नहीं चलती हैं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा: उच्च न्यायालय ने यह स्थगन आदेश जारी कर दिया कि नगरपालिका आबू को न तो डिजोल्व किया जाय और न सुपरसीड किया जाय।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इस आर्डिनेन्स के बाद में स्टे हुआ है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा: दो तारीख को आर्डिनेन्स आया उसी दिन की बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत: यह मैं नहीं कहता। मैं तो आपसे यह पूछता हूं, आप विधि मंत्री जी हैं और इस सदन में बोल रहे हैं, आप यह बताइये, कि इस आर्डिनेन्स को चैलेन्ज किया है क्या और चैलेन्ज करने के बाद में स्टे हुआ है क्या? इस आर्डिनेन्स को चैलेन्ज किया है क्या?

श्री बृज सुन्दर शर्मा: इस आर्डिनेन्स को तो चैलेन्ज करने का उस वक्त प्रश्न ही नहीं था।

एक माननीय सदस्य: फिर काहे का प्रश्न होता है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा: यह स्टे आर्डर आया उस वक्त आर्डिनेन्स कन्टेम्प्लेशन में था, उसी रोज यह स्टे आर्डर आया। जिस रोज आर्डिनेन्स निकला उसी दिन हाई कोर्ट से स्टे आया तो यह अन-नेसेसरी हो गया कि इस आर्डिनेन्स के तहत में कोई कार्यवाही की जाय। स्थगन आदेश आ गया कि आप कोई कार्यवाही कर नहीं सकते हैं। फिर नई चीज जो थी वह आबू की थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत: तो, अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट दूसरा खड़ा होता है। जो लेजिस्लेशन हाई कोर्ट में पेन्डिंग है और सब-जुडिस है उसको आप हाउस में नहीं ला सकते हैं।

Page No 76

(76)

(व्यवधान)

श्री बृज सुन्दर शर्मा: लेजिस्लेशन कहां पेन्डिग है ?

एक माननीय सदस्य: यह ग्रार्डर सब-जुडिस है, कोर्ट में चैलेन्ज किया है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा: यह नहीं कहा है ।

श्री चन्दन मल बैद : उसके तहत जो एक्शन लेना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया । अब चूंकि एक म्यूनिसिपैलिटी के बारे में स्टे आ गया तो सरकार ने उचित समझा कि जब तक एक स्टे आर्डर है और एक म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है तब तक दूसरी म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में भी कार्यवाही नहीं की जाय ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा फाइलों में नोटिंग है क्या कि चूंकि ऐसा स्टे आ गया है ।

(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : मैं अर्ज करना चाहता हूं, फाइलों में नोटिंग हो या न हो किन्तु सरकार के मन में यह बात जरूर थी कि....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय का जवाब दें ।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय के प्रति पूरा सम्मान है ।

अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि 2 तारीख को आर्डिनेन्स इश्यू हुआ । 2 तारीख को इस आर्डिनेन्स के सिलसिले में कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया लेकिन दूसरे सिलसिले में गया कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी को नोटिफाइड एरिया घोषित नहीं किया जाय । सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया । तो जो कार्यवाही हम करना चाहते थे उस कार्यवाही को तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया आर्डिनेन्स इश्यू करने के साथ ही । जब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से रुक गया है, हम इसको नोटिफाइड एरिया घोषित नहीं कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं है ।

श्री चन्दन मल बैद: Sorry हाई कोर्ट ।

श्री अध्यक्ष: हाई कोर्ट को ही ये सुप्रीम कोर्ट मानते हैं ।

श्री भैरोंशिह शेखावत: माननीय वित्त मन्त्री जी को करेक्ट करना चाहूंगा, आर्डिनेन्स दो अगस्त को जारी नहीं हुआ, आर्डिनेन्स 31 जुलाई को जारी हुआ ।

श्री चन्दन मल बैद: वह दो तारीख से लागू होने वाला था । अब आप एक-एक बात को लें तो कैसे होगा । 2 तारीख से लागू माना जायगा, यह भी इसमें लिखा हुआ है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेन्स-दी राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेंट) आर्डिनेन्स, 1982 । इस आर्डिनेन्स में लिखा है, क्लाज 1 में लिखा है ।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

"The Ordinance may be called the Rajasthan Municipalities (amendment) Ordinance, 1982."

पार्ट (II)में लिखा है "It shall come into force at once."

क्या मतलब है इसका ? आपका मतलब 2 तारीख से है क्या ? वह तो नोटिफिकेशन का है, इसमें लिखा है at once।

श्री बृज सुन्दर शर्मा: It was published on 2nd August and it came into force from 2nd August.

श्री भैरोंसिह शेखावत: वह तो Shall to be deemed. है।

(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद: बात यह है आप बुजुर्ग हो, डाट सकते हो मुझे लेकिन सही नहीं डाट रहे हैं आप....

(व्यवधान)

यह कहना चाहता और डाट लीजिये, आपकी गलत डाटें मैंने बहुत सुनी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, जिस मंत्री को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ज्ञान नहीं हो उससे तो राजस्थान को भगवान ही बचाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आर्डिनेन्स की मंशा क्या थी ? अब माननीय मंत्री जी ने कह दिया फाइल पर कोई नोटिंग नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद: मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं नोटिंग नहीं भी हो और हमारे ध्यान में यह बात आ जाय....।

श्री भैरोंसिह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं। एक सीधा सा क्वेश्चन किया....।

श्री बृज सुन्दर शर्मा: एक फैक्ट शायद आपके नोटिस में नहीं है। यह आर्डिनेन्स 2 अगस्त को ही पब्लिश हुआ है।

श्री अध्यक्ष: तभी तो मैंने पूछा था न कि गजट नोटिफिकेशन की तारीख क्या है। उसमें एटवन्स है, 2 तारीख हो गई।

श्री बृज सुन्दर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे यह इनफार्मेशन मिली है कि It was published on Second August.

श्री भैरोंसिह शेखावत: यह इत्तला क्या मिली, आर्डिनेन्स पर ही लिखा हुआ। नोटिफिकेशन तो इश्यू ही नहीं हुआ। आर्डिनेन्स इश्यू हुआ है और आर्डिनेन्स के कन्टेक्ट्स जो कुछ भी है....।

श्री बृज सुन्दर शर्मा: जो म्यूनिसिपैलिटीज है उनको भंग करके नोटिफाइड ऐरियाज घोषित करने का कानून बनाना था। एक म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से एक मि० त्रिलोक चन्द ने रिट फाइल की। वह रिट है साहब S B. Civil Writ Petition No. 1614/82. Trilok Vs. State of Rajasthan and others.

यह म्यूनिसिपल बोर्ड को भंग कराने के बारे में थी। उन्होंने कहा कि हमारा म्यूनिसिपल बोर्ड भंग नहीं किया जा

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

सकता है। यह रिट जो कुछ भी बाद में फाइल की है, उसी रोज आर्डिनेन्स आया, आबू का ही मसला जाकर इसमें लेना था, आबू के मसले पर स्टे दिया गया कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाय। तो नोटिफिकेशन जारी करने से कोई फायदा नहीं था। अब रिट की जो इन्फार्मेशन आई है वह यह है :

"Director of Local Bodies.

Dear Sir,

This is to inform you that the above said writ petition has been rejected by the High Court on our reply that we are not going to dissolve the nominated Municipal Board Mount Abu at present"

यह बाद में जा करके हुई है।

श्री अध्यक्ष : यह कौनसी तारीख को हुई।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : 4-9-1982।

इसलिए यह पासिबल नहीं हो सका। जो रिट पिटीशन पैन्डिंग नहीं थी और एक्शन लेने के लिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आर्डिनेन्स आपने आबू के लिये जारी किया था क्या ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : आबू और दूसरी म्यूनिसिपैलिटीज सभी के लिये था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस बात के लिये आर्डिनेन्स इश्यू किया था ? किस किस के लिये किया था ? श्री राम जी बता दें....।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माउन्ट आबू, जैसेलमेर, पुष्कर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माउन्ट आबू के लिये यह नोटिफिकेशन लागू नहीं हुआ था। माउन्ट आबू म्यूनिसिपैलिटी को तो ये डिजोल्व करना चाहते थे। जैसा विधि मंत्री जी बता रहे है कोर्ट ने स्टे कर दिया। यही कह रहे हैं आप, तो ....।

(व्यवधान)

मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जो कुछ हाई कोर्ट में मामला चल रहा था और स्टे हुआ, उसका इस आर्डिनेन्स से क्या सम्बन्ध है ?

इस आर्डिनेन्स से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो धारा 313 म्यूनिसिपल एक्ट में थी गवर्नमेंट ने धारा 313 के अन्तर्गत आबू म्यूनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करनी चाही इसलिये ज्यादा पावर्स लेने के लिये आर्डिनेन्स इश्यू किया था। पावर्स ज्यादा मिल गई आपको उसको आपने एक्सरसाइज नहीं किया, इससे रिट का कोई सम्बन्ध नहीं है, कोई रेलेवेन्सी नहीं है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : कोई भी व्यक्ति जो इन्ट्रेस्टेड होता है, उसको एप्रीहेन्शन हो जाता है कि अमुक चीज होने वाली है then it becomes necessary to take steps.

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप मुझे बता दें उस रिट में एप्रिहेन्शन को ग्राउन्ड बनाया है क्या ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : एप्रिहेन्शन को बनाया है तो उसकी कापी आ जायगी।

श्री भैरों सिह शेखावत : एप्रिहैन्शन को ग्राउन्ड बनाया है यह तो मेरी समझ में नहीं आता। एप्रिहैन्शन को ग्राउन्ड बनाया.

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति ने रिट दायर कर दी होगी तो उसका एप्रिहैन्शन्स पर कोई फैसला नहीं होगा। उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गवर्नमेन्ट ने लेकिन लेना तो था। उस स्टे के बाद में जाकर परिस्थितियां आयद हुई तभी तो जाकर एक्शन नहीं लिया नही तो उसी वक्त ही दूसरे, तीसरे दिन या जितने दिन मुकर्रर हैं, उतने दिन में नोटिफाई कर देते। तो कोई गलती नहीं हुई है। गलती नोटिफिकेशन निकालने की आपने बतायी है, वह यह बतायी है कि आपने आर्डिनेन्स जारी कर दिया 2 तारीख को और नोटिफिकेशन निकलाही नहीं है। जिस पर्पज के लिये नोटिफिकेशन निकाल रहे थे उस पर्पज को ही हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि आप इस म्यूनिसिपैलिटी को भंग नहीं करें तो फिर वह नोटिफिकेशन अपने आप ही""

श्री अध्यक्ष : म्यूनिसिपैलिटी की शिकायतों पर तो भंग करने का सवाल नहीं था ? कोई शिकायतें हों म्यूनिसिपैलिटी की उनके कारण भंग कर रहे हों और उसने रिट की हो।

श्री चन्दन मल बैद : हाई कोर्ट ने यह थोड़े कहा है कि आप शिकायतों के कारण भंग नहीं करेंगे। उन्होंने तो यह स्टे दे दिया कि आप आबू म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड को भंग नहीं करेंगे।

श्री भैरों सिह शेखावत : ग्राउन्ड क्या थे ?

श्री चन्दन मल बैद : हमको तो यह आदेश था कि भंग नहीं करेंगे। तो किसी कारण भंग करें, हमारे लिए तो स्थगन आदेश हो गया।

श्री भैरों सिह शेखावत : क्या आबू म्यूनिसिपैलिटी को भंग करने के लिए नोटिस दिया हुआ था ?

श्री प्रद्युम्न सिह : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष के नेता से एक सवाल करूंगा is it illegal ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : Yes.

श्री प्रद्युम्न सिह : No, it is not illegal. At the worst it may be a mistake on the part of the Governor.

श्री भैरोंसिह शेखावत : Then you should be bold enough to say that it is a mistake on the part of the Governor.

श्री प्रद्युम्न सिह : May be But it is not illegal at all.

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करने के जो अधिकार

Page No 80

(80)

(श्री अध्यक्ष)

हैं, उनके सम्बन्ध में पूर्व में भी लोकसभा में, अन्य विधान सभाओं में, अपनी विधान सभा में प्रश्न आ चुका है कि किन परिस्थितिओं में अध्यादेश जारी किये जायेंगे। यह मूल प्रश्न है। आपने यह आपत्ति की है कि अध्यादेश जारी करने के लिए पर्याप्त कारण उस वक्त सरकार के अथवा राज्यपाल महोदय के समक्ष विद्यमान नहीं थे। यह है कहने का मतलब।

श्री सूर्य कुमार।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस अध्यादेश को जारी करने के सम्बन्ध में जो आपत्ति प्रस्तुत की है उस पर विचार विमर्श इस सदन में चल रहा है। उसमें प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश को जारी किये जाने के पर्याप्त कारण और आधार मौजूद थे या नहीं। इसके बारे में विचार करने से पूर्व मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार मैं समझता हूं कि दिन और तारीख सबसे महत्वपूर्ण हैं यह जानने के लिए कि आया पर्याप्त कारण मोजूद थे या नहीं आज का दिन मौजू है या जिस दिन अध्यादेश जारी किया गया वह दिन मौजू है। यह बिल्कुल ठीक बात है, आज के दिन अगर हम उस पर विचार करें तो जैसा कि, अध्यक्ष महोदय, आपने स्वय ने फर्माया, कुछ शंकाएं इस बात के लिए उत्पन्न होती हैं कि सरकार ने उसके द्वारा जो अधिकार प्राप्त किये हैं अगर उन अधिकारों का उपयोग नहीं किया गया है तो उससे लगता है कि पर्याप्त कारण नहीं थे लेकिन विचार करने का समय तो यह है कि क्या 2 अगस्त, जिस दिन यह पब्लिश किया गया है, और 31 जुलाई, जिस दिन इसको पब्लिकेशन के लिए दिया गया है या इससे पूर्व जब भी राज्यपाल महोदय के समक्ष राजस्थान सरकार की ओर से या मंत्रालय की ओर से इस अध्यादेश को जारी किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है उस दिन पर्याप्त कारण मौजूद थे या नहीं? अगर उस दिन पर्याप्त कारण मौजूद थे और अगर उस दिन राज्यपाल महोदय इस बात से संतुष्ट हो गये थे कि यह पर्याप्त कारण हैं और राजस्थान सरकार जो अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है, वह अधिकार हाथ में लिया जाना उचित प्रतीत होता है तो अध्यादेश का जारी किया जाना भी मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार उचित था। क्योंकि विचार सदन में आज अध्यादेश के बाद में लाये गये, विधेयक के के सम्बन्ध में हो रहा है तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब उसके अनुसार कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो अध्यादेश को लाने से लाभ क्या था? जैसा कि प्रभारी मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि 2 अगस्त के बाद या 2 अगस्त को जब उन्हें इस बात का पता लग गया कि सदन का अधिवेशन, विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाने वाला है तो उन्होने शायद यह उचित समझा हो कि इस····

श्री अध्यक्ष : वह तो सब को मालूम था कि 20 सितम्बर तक तो सदन बुलाना पड़ेगा।

श्री सूर्य कुमार : अब इसमें दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है, अध्यक्ष महोदय, क्या अध्यादेश जारी किये जाने के बाद जिन अधिकारों का उपयोग सरकार करना चाहती थी, उन अधिकारों का उपयोग करने में सरकार ने कोई प्रोमीशन्स किये हैं या कोई कमीशन्स किये हैं और उसके आधार पर क्या अध्यादेश जारी किये जाने, नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई सवाल उत्पन्न हो सकता है। अध्यादेश जारी किया जाना, तो एक सर्वथा वैधानिक और संवैधानिक प्रश्न है। अगर उस अध्यादेश में दिये गये अधिकारों का उपयोग सरकार ने नहीं किया तो उसकी वैधानिकता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यह मेरा निवेदन करना है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यादेश की प्रोप्राइटी का सवाल हो सकता है

श्री भैरों सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन ऐसे अपर्याप्त कारणों पर सरकार आर्डिनेन्स इश्यु करवा दे बार बार, उसके सम्बन्ध में हमको भी तो ध्यान करना चाहिए न।

श्री भैरों सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। इस समय तक तीन मन्त्री बोले हैं और एक अभी बोले जो आपकी इस व्यवस्था से ठण्डे हो गये। एक बोले माननीय प्रभारी मन्त्री जी, उन्होंने कहा कि दो अगस्त को उनको यह सूचना मिल गयी थी कि विधान सभा का सत्र बुलाया जाने वाला है इसलिए नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया। एक बोले विधि मन्त्री जी, उनका यह कहना है कि उन दिनों 30 या 31, 1 या 2 को, वह तो आप फाइल देखेंगे तब पता लगेगा, आबू नगरपालिका के सम्बन्ध में हाई कोर्ट से स्टे आ गया इस कारण से हमने नोटिफिकेशन इश्यु नहीं किया। इन दोनों बातों में से कौन सी सही है, यह जरा आप इनसे पूछ कर बता दें।

श्री सूर्य कुमार : अलग अलग विचार हैं।

श्री भैरों सिंह शेखावत : अलग से नहीं है, कारण दोनों के अलग अलग हैं। एक ने कारण दिया कि हमने नोटिफिकेशन इसलिए इश्यु नहीं किया कि स्टे हो गया था और श्रीराम जी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन इसलिए इश्यु नहीं किया कि विधान सभा बुलाई जाने वाली है, यह जानकारी मिल गयी थी। दोनों में कौन सी बात सही है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : बात दोनों सही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करूं, दो अगस्त की बात मैंने निवेदन की ही है। दो अगस्त के साथ में जब माउन्ट आबू कमेटी के चेयरमैन बदलने या उसे भंग करने की बात थी, उस समय ही हमारे पास स्टे आ गया, वह अभी विधि मन्त्री ने खुलासा भी किया है। जहां तक मुझे याद है, मैंने उसकी कापी भी मंगवायी है, मैं कापी आपके समक्ष पेश कर दूंगा, उसमें क्लीयर लिखा है कि न आप इसको भंग कर सकोगे, न नोटिफाइड एरिया कमेटी बना सकोगे, सारा का सारा उसमें पहले से ही लिखा हुआ है। मैंने अभी डायरेक्टर लोकल बाडीज

(श्री श्रीराम गोटे वाला)

को कहा है, अभी मैं आपको उसकी कापी पेश कर दूंगा। उसमें क्लीयरली इस बात के इन्सट्रक्शन्स हैं। इसके साथ मैंने निवेदन किया कि 6 सप्ताह का नोटिस दिया जाना भी नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाने के लिए आवश्यक था। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार ने, कैबिनेट ने इस बारे में निर्णय किया था। इससे सम्बन्धित म्यूनिसिपैलिटी के एरियाज जिनमें एक आबू है, एक जैसलमेर है और एक पुष्कर है, तीनों ही राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल हैं। इनको ठीक ढंग से विकसित करने के लिए नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाये जाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव था। फिर जब माउन्ट आबू के बारे में क्लीयरली स्टे आ गया तो मैंने एडीशनल एडवोकेट जनरल को बुलाकर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस स्टे को वेकेट करवाइये ताकि हम इसके अनुसार कार्यवाही को पूरा करें। वास्तविक स्थिति यह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फाइल मंगाकर देख लीजिए।

श्री जयदेश प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड मेरी बात सुन लें। बातें जो कही जा रही हैं वह सब ठीक हैं लेकिन दो तीन अगस्त को वर्षा इतनी हुई जिससे चान्दपोल में मिट्टी बहुत ज्यादा भर गई उस मिट्टी को उठाने से ही इस आर्डिनेन्स का पालन नहीं हो सका।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेंस के सम्बन्ध में काफी कानूनी पहलुओं पर बातें कही गई हैं। ये सब बातें सरकार के सामने हैं। सिर्फ मुद्दा एक बात पर आकर उठता है कि हाई कोर्ट से स्टे हो गया। हाई कोर्ट में कौन आदमी किस तारीख को गया था उसका ग्राउण्ड आफ अपील क्या था? उस अपील करने वाले के या गवर्नमेंट के खिलाफ जाने वाले के क्या डाउट्स एण्ड एप्रिहेंशन्स थे या किसी मिनिस्टर ने लीक आउट कर दिया था कि आर्डिनेन्स जारी करेंगे। इस रेफरेन्स में यह बिल्कुल इर्रेलेवेंट चीज है। आप निर्णय कुछ भी दें लेकिन इस आर्डिनेंस का और हाई कोर्ट के जजमेंट का कोई आपस में सम्बन्ध नहीं है। हो सकता है कि इर्रेगुलेरिटी के आधार पर कर रहे हों। उन्होंने भी कोई ग्राउण्डस ऑफ अपील दिए होंगे तो आर्डिनेंस को नहीं लिया होगा बल्कि और बहुत सी बातें ली गई होंगी जिसके आधार पर यह स्टे जारी हुआ होगा। इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा पावरफुल हथियार है आर्डिनेंस तो। इमीजिएटली सरकार को कोई नुकसान हो रहा हो तो उसको लागू करना चाहिये लेकिन सारी चीजें विधान सभा के सामने आनी चाहिएं। आज तो उचित यही होगा कि हम अपनी वैधानिक परम्पराओं को कायम रखें। हमारी जितनी पार्लियामेंट्री रूलिंग्स हैं जिन बुजुर्ग लोगों ने अच्छे सिद्धान्त कायम किये हैं उनका सम्मान करें। कानून बनाने की पावर आज भी असेम्बली को है, पहले भी थी, इसको कोई चैलेन्ज नहीं कर रहा है कि आर्डिनेंस की पावर क्यों दे दी गई

(श्री सम्पत राम)

है। आर्डिनेन्स तो हर सरकार ने जारी किया है और आगे भी अलाऊ करना चाहिये। अब तो खूबसूरत बात यही होगी कि आर्डिनेंस विथड्रा कर लें और नियमानुसार अपने प्रिंसिपल एक्ट में संशोधन करके एक बिल्कुल सम्यक कानून का रूप देकर मंत्री महोदय विधान सभा के सामने आ जाएं। इसमें जिद्द का क्या सवाल है। आपकी परम्परायें कायम रहेंगी और आपको सब याद रखेंगे कि राजस्थान असेम्बली में इस प्रकार का निर्णय लिया जो किसी प्रकार व्यवस्थाओं के विरुद्ध नहीं था।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रभारी मंत्रीजी ने एक कारण दिया कि हम तीन नगरपालिकाओं को नोटिफाइड एरिया करना चाहते थे। तीन नगरपालिकाओं में पुष्कर, माउण्ट आबू और जैसलमेर थीं। ये तीन नगरपालिकाओं को यदि एक महीने बाद या दो महीने बाद भी नोटफाई किया जाता तो कौन सा ऐसा नुकसान सरकार को, जनता को हो रहा था? यह क्या अर्जेन्ट मैटर कहा जा सकता है? क्या यह किसी अर्जेन्सी को प्रकट करता है? इस बात से प्रमाणित है कि यह आर्डिनेंस लाया गया इसमें न कोई अर्जेन्सी थी, न कोई अर्जेन्ट मैटर था, न ही इमर्जेन्सी थी। इन तीन नगरपालिकाओं का कोई ऐसा संकट खड़ा हो गया हो कि इनको अगर नोटिफाई नहीं किया तो जो कोई मदद केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली थी, वह नहीं मिलती। ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई नुकसान नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति न उस वक्त थी और न आज है। केवल यह मंशा थी कि केवल तीन नगरपालिकाओं को नोटिफाई करना है, वो आप छः महीने बाद भी कर सकते हैं, आप दह महीने बाद भी कर सकते हैं, तो कोई अर्जेन्सी भी नहीं थी। विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने जो रूलिंग पेश की है उसमें केवल इस बात को बहुत आग्रहपूर्वक कहा गया है कि आर्डिनेंस तभी लाया जा सकता है जब बहुत इमर्जेंट मैटर हो, कोई अर्जेंट हो। इस आर्गूमेंट के आधार पर कि तीन नगरपालिकाओं को आपको नोटिफाई करना था इसमें कोई अर्जेंसी नहीं थी। इसलिए आर्डिनेंस का कोई जस्टीफिकेशन नहीं है, यह आर्डिनेंस अनवारण्टेड है, it is unwarranted and should not have been brought in at all. जैसा कि हमारे वयोवृद्ध माननीय सदस्य ने कहा है कि इसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें। बिल के रूप में इसे लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने माननीय राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियां है उनके बारे में एक आपत्ति उठाई है। मैंने मंत्री परिषद के सदस्य गण एवं इस सदन के अन्य माननीय सदस्यों को भी इसमें सुना। इस आपत्ति में काफी महत्वपूर्ण सवैधानिक प्रश्न है। इसलिए इस पर मैं अपना निर्णय एक दो दिन में दूंगा। वर्तमान में यह व्यवस्था देता हूं कि विचारार्थ विधेयक को फिलहाल स्थगित कर दिया जावे।

मैं निर्णय दूंगा इसके पश्चात् इसको पुनः विचारार्थ सदन में लिया जावेगा।

अगला विधेयक।

श्री भंवरलाल शर्मा. Very bold decision.

श्री बृज सुन्दर शर्मा मैं निवेदन करना चाहूंगा इस प्रश्न के ऊपर जहां तक सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन का प्रश्न है इस प्रश्न पर मैं इस सदन के सम्मुख अपनी बात फिर कहना चाहूंगा। आप शायद कल निर्णय देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर।

श्री बृज सुन्दर शर्मा: यह सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन होता है इसकी वजह से आर्डिनेन्स निकालते हैं। सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के बारे में बहुत सी अथोरिटीज हैं जिनके आधार पर इस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता।

एक माननीय सदस्य: व्यवस्था के बाद में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मुझे ऐसी अथोरिटीज बता दें। उनको ध्यान में रख कर बाद में अपना विनिश्चय दूंगा।

उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982

परिनियत संकल्प

अब श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1982) को विचारार्थ लेता हूं।

अब संकल्प लिया जायगा। अध्यादेश के विरुद्ध संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य हैं श्री नाथूसिंह, श्री कैलाश मेघवाल, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री गोपाल पचेरवाल, श्री यदुनाथसिंह, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय करने का जो अध्यादेश माननीय राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है उसको निरस्त करने के लिए मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह बहुत ही भावनात्मक विषय है क्योंकि कुछ ही समय पहले राजस्थान में राजनीति के एक सुदृढ़ स्तम्भ को इस सदन में बहुत भावभीनी प्रशंसात्मक श्रृद्धांजलि दी गई। इसमें सारा सदन सम्मिलित था और आप भी सम्मिलित थे। आज जो मैं इस अध्यादेश का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके पीछे कुछ मौलिक भावना है। मौलिक भावना यह है कि 1962 में जब विश्वविद्यालय राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ था उस समय एक प्रस्ताव आया था कि इस विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय रखा जाय। उस समय अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी ने राय दी थी, विशेष तौर से सारे राजस्थान को क्षेत्र मानकर हमको विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है, इसलिए राज-

(श्री कैलाश मेघवाल)

स्थान कृषि विश्वविद्यालय नाम उचित रहेगा। उस समय वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके एक साल बाद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक एक साल बाद फिर संशोधन प्रस्ताव लाया गया, वह यह था कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नाम....

(2.40 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय रखा जाय। सभापति महोदया, मुझे याद है उस समय सदन की समस्या थी, उदयपुर विश्व विद्यालय रख दिया जाये, क्योंकि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी ने सुझाव दिये थे। राष्ट्रीय एजेन्सी ने भी सुझाव दिये थे, कृषि विश्व विद्यालय एक फैकल्टी हो जाती है, जिसमें सब फैकल्टी शिक्षा की आ जाये, उस विश्व-विद्यालय की मान्यता मिलेगी, उसके आधार पर विश्वविद्यालय की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसको आधार बनाकर एक प्रस्ताव लाया गया कि उदयपुर विश्व-विद्यालय नाम कर दिया जाये। माननीय सभापति महोदया, मुझे याद है, 1967 में इस सदन के अनेकानेक सदस्यों ने एक बात कही थी कि इनका नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय रखा दिया जाये। लेकिन उस समय उदयपुर को ख्याति देने के लिये एक तर्क यह दिया गया, उस विश्वविद्यालय का नाम उदयपुर विश्वविद्यालय इसलिये रखें कि राजस्थान विश्वविद्यालय पहले से चल रहा था। क्योंकि यह उदयपुर में है इसलिए इसका नाम उदयपुर विश्वविद्यालय रख दिया जाये। माननीय सभापति महोदया, मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों को मालूम है, उस समय के माननीय सदस्य माणक चन्द जी सुराणा जी ने सुझाव मजाक में दिया था कि आप चाहो तो मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय नाम रख लो, हम स्वीकार करेंगे। उस समय वह मांग मन्जूर नहीं हुई। सुखाड़िया जी उस समय सदन के नेता थे। मुझे इसमें एक और निवेदन करना है, आपने यह नाम रखा, इसके बाद एक प्रस्ताव पास होकर आया उदयपुर की नगरपालिका से, नगरपालिका उदयपुर एक स्वायतशासी संस्था थी, उसने प्रस्ताव पास करके भेजा कि उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय रखा जाये। इसी तरह उदयपुर विश्वविद्यालय के सिण्डीकेट से भी प्रस्ताव पास होकर आया कि उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय रखा जाये। माननीय सभापति महोदया, मैं यह तो आप पर छोड़ता हूं महाराणा प्रताप की भूमिका ऐतिहासिक राष्ट्रीय महापुरुष के रूप में देश में स्वीकार की जाती है या नहीं। स्वर्गीय सुखाड़िया जी राजस्थान के निर्माण के बाद 1952 से लगाकर 1971 तक राजस्थान की राजनीति में अग्रदूत रहे, इसको कहने में मुझे संकोच नहीं है, इसको स्वीकार करने में संकोच नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय महापुरुष, जो ऐतिहासिक स्थान पाये हुए हैं, महाराणा प्रताप न केवल हिन्दुस्तान में, माननीय सभापति महोदया, आप स्वयं जानती हैं, सारी दुनियां में स्वातंत्र्य वीर के रूप में, ऐतिहासिक योद्धा के रूप में और सिद्धान्तों के लिये मर मिटने वाले एक बलिदानी महापुरुष के रूप में याद किये

(श्री कैलाश मेघवाल)

जाते हैं। मुझे मालूम है, महाराणा प्रताप की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिये, उनके आधार पर कार्य करके लिये स्वर्गीय सुखाडिया जी ने उदयपुर में प्रताप स्मारक बनवायें, उदयपुर में प्रताप सभा थी, उसको संरक्षण देते रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको मालूम होगा, अगर मोहन लाल जी सुखाड़िया की राय ली जाती कि इस विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय रखा जाये या मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रखा जाये तो शायद वह भी यह राय देते कि इसका नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय रखा जाये। इसलिये मैं आज जो इसके नामकरण का संशोधन लाया गया है––आर्डिनेन्स के द्वारा इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह मान लिया जाय कि माननीय सदस्यों ने कुछ बहुत अधिक भावनात्मक एकता कुछ श्रद्धा और कुछ बहुत अधिक लगाव के कारण एक ऐसा निर्णय ले लिया। महाराणा प्रताप के प्रस्ताव के मुकाबले में कोई भी आदमी यदि किसी भी तर्क के द्वारा, किसी वाद विवाद के द्वारा यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय नाम रखा जाये या मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय नाम रखा जाये। किसी भी तर्क से यह सिद्ध नहीं किया जा सकेगा कि महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय नाम हल्का पड़ता है या नीचे रह जाता है या किसी और दृष्टि से उचित नहीं रहेगा। इसलिये मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। चलो बहुत अच्छा, आपने यह नाम रख दिया, मैं कहना चाहता हूं इसका यह नाम रखने के बाद स्वर्गीय सुखाड़िया जी का अपमान ही हुआ है। शायद यह बात यहां उपस्थित सदस्यों को अच्छी न लगे, शायद मन्त्रिमंडल के सदस्यों को अच्छी न लगे लेकिन मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, जिन लोगों ने सुखाड़िया जी के साथ काम किया है, जिन लोगों ने सुखाड़िया जी की कार्य प्रणाली को देखा है, जिन लोगों ने सुखाड़िया जी के विशाल व्यक्तित्व को, हर दृष्टि से कार्य करने के तौर तरीकों को देखा है आज उन्होंने उदयपुर विश्वविद्यालय की क्या हालत की है। माननीय सभापति महोदया, सुखाड़िया जी की कल्पनाओं में कृषि विश्वविद्यालय क्या था, उदयपुर विश्वविद्यालय क्या था? मुझको अफसोस होता है, आज उस उदयपुर विश्वविद्यालय का राजस्थान के जीवन के साथ, राजस्थान के जन जीवन के साथ, राजस्थान की धरती के साथ, राजस्थान के नदी नालों के साथ तादात्म्य होना चाहिए था, आज उदयपुर विश्वविद्यालय को संकुचित दायरे में रख कर तानाशाही तरीके से कुंठित कर दिया गया है। उसका सारा उद्देश्य फेल हो गया। मैं, सभापति महोदया, निवेदन करना चाहता हूं, क्या आज कृषि विश्वविद्यालय का आधार देकर के जो उदयपुर विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है, और जिस उदयपुर विश्वविद्यालय को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहा जायगा, क्या उस विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में स्पष्ट कल्पना है? माननीय सभापति महोदया, अफसोस है, यह स्पष्ट कल्पना आज हमारे यहां नहीं है, क्या नीति होगी, क्या रीति होगी, क्या तौर तरीका होगा, यह विश्वविद्यालय किस लाइन पर चलेगा? मैं इसलिये निवेदन

(श्री कैलाश मेघवाल)

करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, बहुत कम लोगों को मालूम होगा उदयपुर विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालयों में एक फर्क है, उदयपुर विश्वविद्यालय अपने आप में एक पूर्ण संस्था है। It is an institution in itself. पूर्ण संस्थान है। उदयपुर विश्वविद्यालय में जहां प्राथमिक रूप से, मौलिक रूप से और मुख्य रूप से कृषि का अध्ययन कराया जाता है और अनुसंधानों को राजस्थान के किसानों तक पहुंचाने के लिये उस विश्वविद्यालय में एक निदेशालय भी चलता है। मैं, माननीय सभापति, महोदय पूछना चाहता हूं, जवाब देने वाले जो भी मंत्री हों, चाहे उप मंत्री हों, चाहे शिक्षा मंत्री हों, आज उदयपुर विश्वविद्यालय के कितने ऐसे कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान हैं जिन अनुसंधानों से किसानों को लाभ पहुंचा है? क्या कल्पना है आपकी इसके बारे में? आज उदयपुर विश्वविद्यालय में कौन से ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे किसान लाभान्वित हुआ? राजस्थान की धरती एक तरफ रेगिस्तानी धरती है, एक तरफ अर्द्ध रेगिस्तानी धरती है, एक तरफ ऊसर धरती है, दूसरी तरफ जंगली पहाड़ी इलाका है, तीसरी तरफ जंगल है। राजस्थान की तरह तरह की मिट्टी है। क्या राजस्थान की सम्पूर्ण भौगोलिक स्थिति को दृष्टि में लेकर, विचार करके, कृषि के उद्देश्य से कोई योजनाएं बनायी गई हैं? कोई अनुसंधान किया गया है? मंत्रिमण्डल को कुछ जल्दी थी नाम बदलने की, सारा मंत्रिमण्डल बैठ गया। लेकिन 1962 से यह विश्वविद्यालय चल रहा है, इस विश्वविद्यालय की कृषि क्षेत्र में क्या सेवाएं रही हैं राजस्थान में? माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं आज देश के 70 प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं। राजस्थान का प्रतिशत मिलाकर, राष्ट्रीय आय में 40 प्रतिशत आय कृषि से आती है। अगले दस सालों में हमने हमारे खेत की पैदावार, कृषकों की उपज के लक्ष्य निर्धारित किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदया, क्या राजस्थान की एन्वायरनमेंटल स्टडीज, एन्वायरनमेंटल एजूकेशन का कोई प्रावधान उदयपुर विश्वविद्यालय में करने के बारे में कभी सोचा है? आज ड्राई लैण्ड फार्मिंग के बारे में चर्चा होती है। लेकिन क्या कभी ड्राई लैण्ड फार्मिंग के बारे में विश्वविद्यालय में सोचा गया है? मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, आज पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है उसमें किस तरह से ज्यादा से ज्यादा उपज ली जाय, किस तरह से भूमि को उपजाऊ बनाया जाय, क्या ऐसे तौर तरीके निकाले हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान नहर आ रही है उसके बारे में दूसरे विवाद हो सकते हैं, आगे राजस्थान नहर बढ़ेगी लेकिन उसके दोनों तरफ जिस प्रकार के भू-खण्ड, जमीन, भूमि है उसके बारे में कभी अनुसंधान, रिसर्च के द्वारा, लेबारेट्री की जांच के आधार पर क्या यह तय किया गया है कि इस जमीन से ज्यादा उपज कैसे ली जा सकती है? मैं निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदया, आज वक्त है जब हमें सोचना पड़ेगा। आज हमारे किसान परिस्कृत, आगे बढ़ी हुई, महंगी कृषि पद्धति से अपरिचित है, आज खेत में कितनी बार जुताई की जाय, कैसे जमीन को जोता जाना चाहिये। सम्माननीय सभापति महोदया,

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं निवेदन करना चाहता हूं ये कृषि से सम्बन्धित कृषि पंडितों के अनुसंधान के लिये कुछ सवाल हैं कि खेत का कितनी बार किस फसल के लिये प्रयोग होना चाहिये, एक फसल लेकर दूसरी फसल के किये कितना समय देना चाहिये, किस प्रकार की फसल उससे लेनी चाहिये। क्या इस तरह का आधार बना कर उदयपुर विश्वविद्यालय ने कोई निर्णय दिये हैं ? सभापति महोदया, उदयपुर विश्वविद्यालय में धींगा-मस्ती, आपा-धापी की जब भी खबर आती है, उसको पक्षपात से ऊपर बढ़ा दिया, उसको पक्षपात से नीचे गिरा दिया, जब भी ऐसी खबर आती है तो कौन वाइस चांसलर है इससे मुझे कोई एतराज नहीं है, पी. एन. भण्डारी अच्छे प्रशासक हो सकते हैं लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कृषि पंडित इस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर होना चाहिये। बिना कृषि पंडित के आज कृषि प्रधान विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं कर सकते, उसके उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ा सकते, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। आज मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं, सभापति महोदया, आई.सी.ए.आर. है उसमें जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उनको परश्यु करने वाला कोई नहीं, उनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं, दिल्ली में जाकर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स के आमने–सामने बैठ कर उनसे राजस्थान में प्रोजेक्ट्स लाने की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। आज यह प्रतिगामी विश्व–विद्यालय होता चला जा रहा है, पीछे चलता जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह कहा जाता है कि अनुशासन कायम किया जा रहा है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, डण्डे के जोर से कौनसा अनुशासन होगा ? विश्व-विद्यालय वह स्थान है क्या, जहां डण्डे के जोर से अनुशासन कायम किया जाय ? क्या विश्वविद्यालय वह स्थान है जहां पर सत्ता का डर दिखाकर अनुशासन कायम करें ? विश्वविद्यालय हमारे समाज का, शिक्षा का, स्वतन्त्र चिन्तन मंच है। स्वतंत्र चिन्तक, विचारक वहां से निकलने चाहिए। आज आपने एक आई. ए. एस. बिठा दिया उसकी कोई कल्पना नहीं कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स आयेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं बांसवाड़ा से आने वाले माननीय विधा-यक यहां बैठे हैं, उन्होंने बार-बार एक बात कही कि आई. सी. ए. आर. में ठीक तरह से हमारी पैरवी नहीं हो रही है। उनके कहने के अनुसार कुछ काम हम नहीं कर पाये तो 5-10 करोड़ की जो स्कीमें राज-स्थान में आ सकती हैं, वे सब स्कीमें नहीं आ रहीं। आज उनको लाने की कोई कल्पना नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज सारे विश्वविद्यालय के ढांचे को देखें तो विश्वविद्यालय का खर्चा, जो 88 प्र. श खर्चा कृषि के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन पर हो रहा है 12 प्र.श. कृषि के आधार पर चलने वाले सब्जेक्ट पर हो रहा है जब कि सारा विश्वविद्यालय उसके लिए है। विद्यार्थियों की हालत क्या है, समय पर परिक्षाएं होती नहीं, और प्रयोग पर प्रयोग करते चले जा रहे हैं। सेमेस्टर प्रणाली आपने चालू की थी वह तो समाप्त कर दी।

(श्री कैलाश मेघवाल)

अब दूसरी प्रणाली चालू की। कोई भी प्रणाली चालू कर लें जब तक उसको विशुद्ध रूप से चलाने की भावना आपके मन में नहीं है, जब तक निष्ठा से नहीं चलना चाहते, तब तक ये सभी प्रणालियां बेकार हैं। विकास हर प्रणाली से होगा, अगर उसको सही दिशा में निष्ठा से चलाने के लिये आपकी विल-पावर है तो निश्चित रूप से विकास होगा, प्रयोग करने से कुछ नहीं होगा। माननीय सभापति महोदया, आज राजस्थान में उदयपुर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है, आज वहां होता क्या है ? आज किसी भी स्टेट्यूट, किसी भी एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप उसका राजनैतिक दुरुपयोग कम करें, आप राजनैतिक दृष्टि से निर्णय लेने की बात कम कीजिए। आज जो कृषि के पंडित हैं, जो कृषि को समझता हो, आप उसी को रजिस्ट्रार बनाइये, उसी को वाइस चांसलर बनाइये, आप उन लोगों को लगाइये जो राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि में अपनी विशेषता के लिए अपना नाम कायम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लगाये बिना आप राजस्थान में किसानों की सेवा नहीं कर सकते। अगर किसानों की सेवा नहीं कर सकते तो, सभापति महोदया, राजस्थान के करोड़ों रुपये, आई. सी. ए. आर. से, यू. जी. सी. से आने वाले करोड़ों रुपये और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आने वाले करोड़ों रुपये बेकार जा रहे हैं। एक के बाद एक कमीशन बैठे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आज तक कार्यवाही नहीं कर सके और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको पुनर्मूल्यांकन, आंकलन करना पड़ेगा कि जिन उद्देश्यों के लिए, जिन मूल्यों के लिये, राजस्थान के किसानों की सेवा के लिए हमने विश्वविद्यालय स्थापित किये थे, उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं ? अगर पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो, मान्यवर सभापति महोदया, जैसा मैंने कहा, श्री मोहन लाल सुखाड़िया का जो दृष्टिकोण था काम करने का, टीम-वर्क में आगे बढ़ने का, कुछ तौर तरीके थे, जनतांत्रिक तरीके थे, सबको विश्वास में लेकर, सबके साथ सहयोग करके चलने की आदत थी लेकिन, सभापति महोदया, शिक्षा मंत्री जी के बारे में क्या कहूं ? उधर वाले भी बहुत कह चुके हैं। जिन शब्दों में प्रमाण-पत्र उधर के विधायकों ने दिये हैं, शायद मैं नहीं दे सकता।

आप कृषि के मामले में मीटिंग बुलाते हैं तीनों विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलरों की। यह आपका तरीका गलत है। तीनों विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर एक साथ बैठ कर उदयपुर विश्वविद्यालय को नहीं समझ सकते। उदयपुर विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान का विश्वविद्यालय है। आपके तीनों वाइस चांसलर लंच-डिनर पर आ गये, गवर्नर साहब आ गये, भाषण दे डाला, कुछ सिफारिशी कागज पकड़ा गये कि यह कर देना, वह कर देना। मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, अगर इनमें साहस है, हिम्मत है तो ये एक एक तथ्य सदन में प्रस्तुत करें जिनके आधार पर इन्होंने उदयपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के साथ विश्वविद्यालय में होने वाली गतिविधियों के बारे में, कृषि के क्षेत्र में होने वाले कार्यों के बारे में, अनुसंधान के बारे में और उससे होने वाले लाभ के बारे में तथा

(श्री कैलाश मेघवाल)

वहां की वर्किंग के बारे में कभी कोई मूल्यांकन किया है? यह करने की फुर्सत नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मोहनलाल सुखाड़िया के नाम को क्यों आप बदनाम करना चाहते हैं ? जिस प्रकार के लोगों को आपने सिंडीकेट में बैठा दिया है उनसे आपके कुछ अपाइंमेंट्स हो जायेंगे, यह सही बात है, कुछ डायरेक्शन देंगे, वह चल जायेंगे, आपके टेलीफोन की इज्जत हो जायेगी लेकिन राजस्थान की जनता की सेवा नहीं कर सकते। उनको सेवा करने की फुर्सतें नह है।

मुझे, सभापति महोदय, एक तर्क दिया गया कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश सिन्डिकेट के सदस्य हैं। सभापति महोदया, यह तर्क इसलिये कोट कर रहा हूं कि मैं 20 साल तक विश्वविद्यालय की सिंडिकेट का सदस्य रहा हूं। मैंने मुख्य न्यायाधीश को कभी वहां पर नहीं देखा, वहां अफसर लोग ही आते हैं। सारे तौर तरीके पहले से ही तय रहते हैं, उनके साथ सारा एडजस्टमेंट रहता है, विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, क्या नहीं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको यह सब देखने की फुर्सत नहीं है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री मोहनलाल सुखाड़िया का नाम इस विश्वविद्यालय में मत लगाओ। यह उनका अपमान होगा। अगर आपमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि विश्वविद्यालय को कृषि के क्षेत्र में प्रगतिशील, राजस्थान की जनता की सेवा करने वाला बनाना है। जैसे मैंने कहा चुनौती के साथ कुछ तय करें। वैसे मिथ्या भाषण करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, जैसे यहां पर समयानुकूल और अवसरानुकूल कुछ भी बोलने का कुछ लोगों ने जैसे लाइसेन्स ले रखा है, उन पर मैं इसलिए विश्वास नहीं करता चाहे वे मिनिस्टर ही क्यों न हों, क्योंकि तर्क-वितर्क के लिए कुछ भी जवाब दे दिया जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, मेरा नाम ?

श्री सभापति : आपका आगे आ रहा है, जनमत जानने में आ रहा है, उसमें भी आप बोलेंगे।

श्री नाथूसिंह : मेरे को डिले हो रही है।

श्री सभापति : आप महिलाओं के लिए सम्मान रख कर बैठ जाइये।
श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) सभापति महोदया, इस अध्यादेश के द्वारा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नाम बदलने की बात आयी है। मैं यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत करती हूं यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

मेरी दलील यह है कि राजस्थान में छात्रों की संख्या अधिक है। दो विश्वविद्यालय की बहुत दिनों से मांग चली आ रही है, कोटा और बीकानेर की। नये विश्वविद्यालय खोलकर मोहनलाल जी सुखाड़िया के नाम को जोड़ा जा सकता है। इसलिये इस पर अतिक्रमण मत करिये। उनके लिये हम श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति हम जैसे लोगों से ऐसी बात न बुलवाइये। क्यों नहीं आप एक नया विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करते हैं। मैं तो यह कहूंगी कि स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया के नाम से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय बरकतुल्ला खां के नाम से भी एक विश्वविद्यालय बनाइये। यह मेरा सुझाव है। आपने जयपुर में भी एक नयी परम्परा डाल दी। जो यू० आई० टी० का भवन है, उस पर न तो विकास प्राधिकरण का नाम है, न पहले यू० आई० टी० का नाम था। अगर आपसे नया भवन नहीं बन सकता था तो हम बना देते, जयपुर में दानदाताओं की कमी नहीं है, जयपुर में भूमिदाताओं की कमी नहीं है और हम जैसे जीवित बैठे हैं। हम जिनके नाम को आगे चलाना चाहते हैं उनका नाम आपने यू० आई० टी० के भवन पर लिख दिया, राम किशोर व्यास भवन। मैं कहना चाहती हूं, यह परम्परा कब तक चलेगी। अनेक ऐसी संस्थाएं है जिनका नाम इनके नाम से रखा जा सकता है। स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक ऐसी संस्थाएं हैं। मानसिक चिकित्सालय का नाम इनके नाम से रखा जा सकता था। बहुत पुराने जन सेवी व्यासजी, जयनारायण जी व्यास थे, कुछ लोग समझते है कि उनके नाम से यह व्यास भवन है। जनाना अस्पताल का कोई नाम नहीं है। और भी कई अस्पताल के कोई नाम नहीं हैं। अरे, वे चौमूं से चुन कर आये थे, चौमूं का नाम आप राम किशोर नगर रख सकते थे। मैं आपको निवेदन करूं, गांधीजी साबरमती में पैदा हुए थे लेकिन गांधी का नाम देश के कोने कोने में है। कोई जरूरी नहीं है कि जहां वे पैदा हुए हैं केवल वहीं उनका नाम चले। मैं यह कहना चाहती हूं कि आप इस परम्परा को छोड़िये। आप नामकरण की पद्धति पर आते हैं, नाम तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, चर्म और गुण के नाम से हम लोग नाम देते आये हैं। जड़-चैतन्य को देते आये हैं। चल-अचल को देते आये हैं। मैं कहना चाहूंगी कि उदयपुर विश्वविद्यालय को उसी नाम से रहने दीजिये। मेरा आप से आग्रह है कि स्वर्गीय मोहन लाल सुखाड़िया के नाम से आप एक नये विश्वविद्यालय की घोषणा कीजिये, स्थापना कीजिये। राजस्थान जब से बना है आपने कोई विश्व विद्यालय नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? कोटा वालों की, बीकानेर वालों की, बार बार मांग चली आ रही है। आप वहां छोड़िये, मेवाड़ में खोल दीजिये। आप मेवाड़ में चित्तौड़ में खोल दीजिये, भील-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वाड़ा में खोल दीजिये, किसी उप नगर डूंगरपुर में खोल दीजिये उसमें आपका हाथ किसने रोका है। मैं कहना चाहती हूं, महाराणा प्रताप हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मीरा हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। दुर्गादास हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। पन्ना धाय हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। उदयसिंह हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इन सब को ताक में रख कर आपने उनका नाम रख दिया। जैसा कि यहां जयपुर में सतसैया के दोहरे जैसे नाविक के तीर, बिहारी पैदा हुए, राजस्थान को जिन पर गर्व है उनके नाम से नगर बसना चाहिए था। जनता सरकार ने बिहारी बाजार नाम रख दिया। उसको हटाकर श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से इन्दिरा बाजार रख दिया गया है। किसी और बाजार का नाम इनके नाम से रखा जा सकता था। मैं कहना चाहती हूं इंदिरा गांधी के नाम से नगर बसा दीजिये, कहीं आपत्ति नहीं है। बिहारी के नाम को मिटाकर इंदिरा बाजार रखा गया है। मैं समझती हूं, इस तरह का मत कीजिये जिससे कि लोग आपको बुरे ढंग से इंगित करें, आपको कहें कि आप गलत काम करते हैं। अगर मोहनलाल सुखाड़िया के नाम से विश्वविद्यालय भवन की आपको जरूरत है तो कोटा, बीकानेर में मैं और मेरा दल आपको भूमि और धन देने के लिए तैयार है। कितनी फैकल्टीज खोलनी है? हम बनायेंगे, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, मगर आप इस तरह बनी बनायी चीजों पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं, मैं समझती हूं वह गलत है। इस तरह के आपके प्रकरण की मैं निन्दा करती हूं। माननीय सुखाड़िया जी अमर रहें, उन्होंने बहुत काम किया है। उनका नाम जीवित रहे, हम इसको जीवित रखने के लिए विश्वविद्यालय के लिए भूमि देने को तैयार हैं, उसके लिए धन जितना भी आवश्यक होगा हम देंगे। यहीं भामाशाह पैदा हुए। यहां धन की कमी नहीं है। केवल मन बनाइये। यही मेरा आपसे आग्रह है।

(व्यवधान)

अतः आप जो यह अध्यादेश लाये हैं उसको अस्वीकार करने की मैं सदन से प्रार्थना करती हूं।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदया द्वारा दिनांक 26 जुलाई 1982 को प्रख्यापित उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

मैंने इस अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसके पीछे पर्याप्त कारण हैं। सभापति महोदया, सुखाड़ियाजी राजस्थान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। वे महान् व्यक्ति थे। इसमें कोई सन्देह नहीं है, इसमें भी सन्देह नहीं है कि उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए लेकिन, सभापति महोदया, यह श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो तरीका है उसका मैं विरोध करता हूं। सभापति महोदया, हमारे देश में सुखाड़िया जी राजस्थान के निर्माता हुए हैं परन्तु हिन्दुस्तान के निर्माता महात्मा गांधी, बल्लवभाई पटेल, रवीन्द्र नाथ टैगोर आदि हुए हैं। ये बहुत महान् हस्तियां

(श्री नाथूसिंह)

इस देश में हुई हैं। यहां तक कि अकबर को महान् कहा जाता है। अशोक यहां हुए उन्होंने शांति का संदेश दिया, विजय स्तम्भ उनका चिह्न है। इतने बड़े बड़े व्यक्ति यहां पर हुए हैं लेकिन किसी के नाम से विश्वविद्यालय का नाम नहीं रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, क्या महात्मा गांधी के नाम से कोई विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान में है? वल्लभ भाई पटेल के नाम से कोई विश्वविद्यालय है?

श्री सभापति : गुजरात में है।

श्री नाथूसिंह : गुजरात में वल्लभ भाई पटेल के नाम से नहीं है....

श्री सभापति : वल्लभ नगर करके है।

श्री नाथूसिंह : वल्लभ भाई पटेल के नाम से नहीं है। कौनसा है, बताओ? ऐसा नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : हो या न हो आप बोलते जाओ।

श्री नाथूसिंह : आप बता दीजिये।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : आपकी सूचना सही नहीं है, सरदार पटेल के नाम से गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय है। पन्तजी के नाम से है, जवाहरलालजी नेहरू के नाम से है। आप करेक्ट कर लीजिये अपने आपको,

श्री नाथूसिंह : पहले आप शान्ति से सुन लीजिये। मैं बता रहा हूं इनके नाम से हैं। एक तो जवाहर लालजी नेहरू के नाम से है, एक गोविन्द वल्लभ पंत के नाम से है। लेकिन जब बनाये गये थे तब पहले उनकी एक भूमिका बनायी गयी थी कि इस तरह का इन्स्टीट्यूट होगी। यहां तक कि मैं बताऊं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को, रवीन्द्रनाथ टैगोर जिस इन्स्टीट्यूट को चलाते थे, उस इन्स्टीट्यूट का नाम भी रवीन्द्र नाथ टैगोर के नाम नहीं रखा गया है, विश्व भारती उसका नाम है। आप देखिये। तो केवल किसी विश्वविद्यालय का नामकरण किसी व्यक्ति के नाम से करने से ही कोई महानता पैदा हो जाती है या उसको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हो जाती है, ऐसा नहीं है। अकबर के नाम से कोई विश्वविद्यालय नहीं है। अशोक के नाम से कोई विश्वविद्यालय नहीं है। किसी के किसी के नाम से है? कृष्ण के नाम से कोई विश्वविद्यालय नहीं है। ये महान् व्यक्ति इस हिन्दुस्तान में हुए हैं लेकिन इनके नाम से विश्वविद्यालय के नाम से नहीं रखे गये हैं। आपने यह नयी परम्परा डाली कि पहले के नाम बदल दो। पुराने विश्वविद्यालय का नाम बदल कर सुखाड़िया जी के प्रति आदर भाव दिखा रहे हो या श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो? मैं समझता हूं कि आपने उस महान् व्यक्ति को कन्ट्रोवर्सी के पाइन्ट पर खड़ा कर दिया है। आप उस व्यक्ति के प्रति आदर भाव नहीं दिखा रहे हो बल्कि कन्ट्रोवर्सी में खड़ा करके उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की आपकी भावना लगती है। कृषि विश्वविद्यालय को सुखाड़िया जी के नाम से इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मुख्य मंत्रीजी उस डिस्ट्रिक्ट पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, क्या आपको

(श्री नाथूसिंह)

केवल उनके नाम से ही वोट मिल जायेंगे ? क्या इसके बिना आपको मत प्राप्त नहीं होंगे ? क्या उदयपुर की जनता के वोट प्राप्त करने के लिये ही आपने यह सब किया है ? सभापति महोदया, मैं यह नहीं समझता हूं कि इसके पीछे उनकी कोई अच्छी भावना है। मुझे लगता है कि उनका नाम बदनाम करने के लिये ही यह आर्डिनेंस लाये हैं। एक बात और है। उन्होने इन्दिरा जी से भी पूछ लिया है या नहीं कि उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सुखाड़िया विश्वविद्यालय कर दिया जाय ? कहीं ऐसा नहीं हो कि माथुर साहब को लेने के देने पड़ जायें। सुखाड़िया जी का नाम हो और मुख्य मंत्री जी का पत्ता साफ हो जाये। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चन्दन मल जी ने पहले नम्बर पर आने के लिये और मुख्य मंत्री को पीछे धकेलने के लिये ही यह षड़यन्त्र रचा हो ? मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसके पीछे दुर्भावना यही है। इसके पीछे कोई अच्छी भावना तो है नहीं।

एक माननीय सदस्य : आप क्यों चिन्ता में डूब रहे हो ?

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : बोलने वाले का थोड़े ही नाम हो जायेगा।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, हम नहीं चाहते थे कि सुखाड़िया जी का विरोध किया जाये लेकिन यह जो चलाकर सुखाड़िया जी को कन्ट्रोवर्सी में डाला जा रहा है यह अच्छी बात नहीं है। अगर सुखाड़िया जी को श्रद्धांजलि देने की ही भावना थी तो उनकी भावनाओं का आदर करते हुए उस ढंग से विकास के काम करते जिस ढंग से सुखाड़ियाजी चाहते थे तब तो उनको एक श्रद्धांजलि होती। उनके नाम से कोई नया कार्यालय स्थापित करते। सुखाड़ियाजी को श्रद्धांजलि देने के लिये राजस्थान के विकास और राजस्थान की जनता के विकास के लिए कोई नया कार्यक्रम, कोई अच्छी चीज लाते और कहते कि हम जनता को यह दे रहें हैं उनके नाम से, तब बात समझ में आती।

इसके अलावा कई प्रस्ताव राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी को दिये गये कि उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल कर महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय किया जाये तथा कई बार जगह जगह पर इस संबध में निवेदन और प्रतिनिवेदन किया गया, परन्तु वह बात नहीं मानी गयी। आज हर जगह देखें, दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय, उदयपुर में उदयपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर में जोधपुर विश्वविद्यालय, पटना में पटना विश्वविद्यालय है। पटना में जयप्रकाश विश्वविद्यालय नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि विश्वविद्यालय जो होता है उसके पीछे एक भावना होती है। जो नाम रखते है अगर वह नाम बदल दिया जाये तो यह ठीक नहीं है। इसी प्रकार से जयपुर में यू. आई. टी के भवन का नाम बदल कर श्री रामकिशोर व्यास भवन कर दिया गया है। यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : आपने भी तो दिल्ली में अस्पताल का नाम

(श्री विष्णु प्रकाश बाजारी)

बदल कर राम मनोहर लोहिया अस्पताल कर दिया है।

श्री नाथू सिंह : कल को तो आप कह देंगे कि राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री शिवचरण माथुर हैं इसलिए इस प्रांत का नाम राजस्थान प्रांत से बदल कर शिवचरण प्रांत कर दिया जाये····

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : आपने भी तो लोहिया अस्पताल कर दिया।

श्री नाथू सिंह : बैठ जाइये आप। पता चल गया, आपको कितनी जानकारी है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : बैठ तो जायेंगे ही हम, लेकिन आपने नाम बदल दिया है····

श्री नाथू सिंह : हां हां, मालूम है आपकी बुद्धि कितनी है। यह तो आपके कांग्रेस वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं। सभापति महोदया, आज देश और प्रदेश में कालाबाजारी चोरबाजारी जोरों पर है। लोग कालाबाजारी चोरबाजारी से परेशान है, और तो और मैं एक गांव में गया तो वहां के लोगों ने कहा कि हम लोग विष्णु बजारी से परेशान हैं तो इनकी क्या स्थिति है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : मेरे ख्याल से आपका कोई नाम लेने वाला नहीं है इसलिये आपको परेशानी हो रही है।

श्री नाथू सिंह : सभापति महोदया, इसके पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए था वह नहीं है। नया विश्वविद्यालय स्थापित कर देते, सभापति महोदया। आपको मालूम ही होगा कि राजस्थान के अन्दर नये विश्वविद्यालयों के लिए कोई कमेटी बैठी थी। कोठारी कमीशन और मेहता कमीशन बैठा था। उनकी रिपोर्ट आयी या नहीं आयी? आयी तो कहां है? कभी हाउस में नहीं आयीं। किसी को जानकारी नहीं है, किसी को बताया नहीं गया है कि उन पर क्या कार्यवाही की है। राज्य सरकार ने उनके संबंध में कुछ किया ही नहीं है। उनका यहां पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर आप विकास करना चाहते तो नया विश्वविद्यालय खोलते। अच्छा होता जो रिपोर्ट आयी हैं उनके बारे कार्यवाही करते। विश्वविद्यालय के विकास के बारे में, उनका स्टेण्डर्ड सुधारने के बारे में कुछ करना चाहिये था इसके बजाय नाम परिवर्तन कर दिया। नाम परिवर्तन करने से उदयपुर का विकास हो जायेगा क्या? विश्वविद्यालय का विकास हो जायेगा क्या? मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा। इसका तो उद्देश्य ही समझ में नहीं आया है। अगर आप विधेयक पढ़ें, मैंने विधेयक को पढ़ा है, तो उसमें····

(व्यवधान)

अगर श्रद्धांजलि ही अर्पित करनी है तो उसके तो बहुत से तरीके हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता। इसलिये, सभापति महोदया, यह अच्छा होता कि इस संबंध में कमीशन की जो रिपोर्ट हैं उनको आप लागू करते लेकिन जब से शिक्षा मंत्री जी आये हैं तब से दो बातें हुयी हैं। एक तो जहां कहीं कोई जैन नजर आ जाता है उसको विश्वविद्यालय में इम्पार्टेन्ट पद पर

(श्री नाथू सिंह)

बैठा देते हैं। उदयपुर विश्वविद्यालय में आपने क्या किया, राजस्थान विश्वविद्यालय में आपने क्या किया ? यहां पर रजिस्ट्रार की पोस्ट पर आपने जैनी को लिया है। वह इसके लायक है या नहीं, कोई दूसरा उससे सीनियर है या नहीं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। एक ही ध्येय है कि कहीं कोई जैनी नजर आया तो उसको बिठा दिया। मंत्री महोदय ने वहां जातिवाद फैलाया है। इनके द्वारा इतना जातिवाद हो रहा है। ये कपड़े पहन कर जायेंगे तो कोई आपको पहचान जायेगा। श्रीमान्, अगर आप वहां दूसरे कपड़ों में जायेंगे तो आपको वहां हर व्यक्ति, हर अध्यापक, हर विद्यार्थी यह कहेगा कि चन्दन मल जी शिक्षा मंत्री बन कर आये हैं तब से यहां जातिवाद आया है, इम्पार्टेन्ट पदों पर जैनी भर रखे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शिक्षा मंत्रीजी, नाम परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि विश्वविद्यालय की दशा सुधारने के लिए कुछ करें। विश्वविद्यालय और ज्यादा खोलें। कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, गंगानगर में खोल दें। वहां से डिमान्ड आ चुकी है। जहां के लिए रिकमण्डेशन आयी है वहां खोलें। अगर वहां पर आप अपने नाम से भी खोल दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपका नाम इस प्रकार से ऊंचा हो जायेगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु आपका उद्देश्य यह नहीं होना चाहिये। आपका उद्देश्य यह होना चाहिये कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। अगर आपको सुखाड़िया जी को श्रद्धांजलि ही अर्पित करनी है तो बहुत रास्ते हैं। नयी नयी योजनाएं लागू करें, कोई नया काम शुरू करें, तब तो सच्ची श्रद्धांजलि आपकी होगी। सभापति महोदया, मुझे बड़ा दुःख है, हम नहीं चाहते थे कि हम लोग सुखाड़िया जी के नाम का विरोध करें लेकिन आपने हमको भी इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि यह सब बोलना पड़ा। आपने यह जो अध्यादेश जारी किया है इसका मैं इस आधार पर विरोध करता हूं कि यह सुखाड़िया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का तरीका नहीं है। इस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इसलिये इसका विरोध कर रहा हूं।

चन्दनमल जी से अपील करूंगा कि इसको वापस लें और सदन का आह्वान करूंगा कि वह इस अध्यादेश को अस्वीकार करे। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल पचेरवाल

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान सरकार ने यह जो आर्डिनेन्स माननीय सुखाड़िया साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रख्यापित

(श्री गोपाल पचेरवाल)

किया है उसके द्वारा नाम परिवर्तन कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सुखाड़िया साहब के बारे में चर्चा करना नहीं चाहता हूं। अगर हम उस आदमी के बारे में चर्चा करें तो मैं चाहूंगा कि उस आदमी के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की जाये।

एक माननीय सदस्य : अच्छी चर्चा है।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपकी समझ में नहीं आयेगा।

इस अध्यादेश में यह कहा गया है कि हम विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन इसलिये कर रहे हैं कि हमारी श्रद्धांजलि सुखाड़िया जी को हो। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार इतने बड़े आदमी, जिसने राजस्थान के निर्माण में अपना योग दिया है, को....

(व्यवधान)

इसके पीछे राजस्थान के शिक्षा मंत्री की क्या भूमिका है, क्या मानस है, यह जानते रहें, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता हूं। वास्तव में यदि उस आदमी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, यदि आप यह महसूस करते हैं कि मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के नेता रहे हैं, आप यह मानते हैं कि इस आदमी ने बहुत बड़ी राजस्थान की सेवा की है तो आप ऐसे कार्यक्रम चलायें जिनसे राजस्थान का विकास हो। लेकिन आप बड़ा ढोंग करते हैं। आपने चला रखा है-20 सूत्री कार्यक्रम, आपने चला रखा है पेड़ लगाने का कार्यक्रम, परिवार-नियोजन कार्यक्रम। आपके मुख्य मंत्रीजी का 20 संकल्प का कार्यक्रम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप 20 सूत्री कार्यक्रम छोड़ दीजिए, 20 संकल्प कार्यक्रम छोड़ दीजिए। आप एक मोहन लाल सुखाड़िया का नाम रखने का कार्यक्रम चला दीजिए। राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी का नाम बदल देने से मोहनलाल जी सुखाड़िया को श्रद्धांजलि नहीं मानी जायेगी। सच्ची श्रद्धांजलि वह होगी कि राजस्थान के गरीब, भूख से मरने वाले आदमी को भूखा नहीं मरने दिया जाये। राजस्थान की महान् हस्ती, मोहन लाल जी सुखाड़िया को सच्ची श्रद्धांजलि वह होगी कि राजस्थान के हरिजनों पर जो जुल्म, ज्यादती की जा रही हैं उनका राजस्थान की सरकार सख्ती से मुकाबला करे। ऐसे काम करो। राजस्थान के निर्माता मोहन लाल सुखाड़िया को वही श्रद्धांजलि होगी। ऐसे काम करोगे तब तो यह महसूस किया जायेगा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री, राजस्थान की सरकार सच्चे मन से अपने नेता को, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री को, राजस्थान के निर्माता को सही रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती है वरना यह एक ढोंग होगा, यह उस आदमी का अपमान होगा, यह उस महान् हस्ती विचारक, निर्माता को संकुचित दायरे में जकड़ने की राजस्थान के शिक्षा मंत्री की एक साजिश होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप ऐसे कार्यक्रम चलायें जिससे गरीब को रोजगार मिले, शिक्षा में परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन हो। आज देश में राजनैतिक छुआछूत हो रही है, महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, महिलाएं मारी जा रही हैं, उन पर अत्याचार किये जा रहे हैं। भरतपुर की एक घटना आपको

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पता है, बांसवाड़ा की घटना पता है। बेगूं के थाने में पुलिस की हिरासत में बैरवा जाति के एक व्यक्ति को पुलिस ने मार दिया, दफना दिया उसके परिवार वालों तक को उसकी लाश को नहीं दिया। इस तरह की श्रद्धांजलि देना चाहते हैं माननीय श्री सुखाड़िया जी को? आप इनको रोकिए और कहिए कि हमारा पंचवर्षीय कार्यक्रम होगा, एक वर्षीय कार्यक्रम होगा, हम मोहन लाल जी सुखाड़िया को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चलायेंगे और राजस्थान में इस तारीख से इस तारीख तक का यह कार्यक्रम होगा। उसमें उन बस्तियों में स्कूल खोले जायेंगे जहां के बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। जिनके पास रोजगार नहीं है उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। मोहन लाल जी सुखाड़िया को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम चलाये जायें। नाम परिवर्तन से न मोहन लाल जी सुखाड़िया को श्रद्धांजलि अर्पित होने वाली है, न प्रदेश का भला होने वाला है, न उनका सम्मान बढ़ने वाला है। यह कोई न कोई चंदन मल जी का उनको कलंकित करने का, उनका स्तर गिराने का षड्यन्त्र है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन), अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1982) को अस्वीकार करता हूं।

इसे रद्द किया जाये, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी

(अनुपस्थित)

आप उत्तर दीजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (उप मंत्री शिक्षा) : सभापति महोदया जी, राजस्थान राज्य बनने के समय राजस्थान विश्वविद्यालय पूरे राजस्थान में उच्च शिक्षा का काम कर रहा था। देश में और प्रान्त में, 15 अगस्त 1947 की आजादी के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई आवश्यकताओं और विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 1962 में उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। इस उदयपुर विश्वविद्यालय को प्रारम्भ में कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिभाषित किया गया था लेकिन उसके बाद यह महसूस किया गया कि इस विश्वविद्यालय में कई संकायों की स्थापना की जाये और इसे मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित किया जाये। स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सुखाड़िया साहब ने इस विश्वविद्यालय को बनाने में, इसके विस्तार में और इसमें नए नए विषयों के प्रारम्भ करने में जो महती भूमिका अदा की वह किसी से छिपी नहीं है। स्वर्गीय मोहन लाल जी सुखाड़िया साहब का जन्म 21 जुलाई, 1916 को हुआ। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा नाथद्वारा में प्राप्त की। उसके पश्चात् 1936 में उन्होंने इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए बम्बई में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद भोपाल कालेज, जो उदयपुर विश्वविद्यालय का एक अंग है, में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

की और विद्यार्थी नेता के रूप में वहां रहे। 1942 के आस-पास जिस समय इस देश में आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी और मेवाड़ में प्रजा मण्डल के माध्यम से सामंतशाही ताकतों के लिये मुकाबला हो रहा था, उस समय सुखाड़िया साहब उस आंदोलन में कूद पड़े और प्रजा मण्डल के माध्यम से सामंतशाही ताकतों और दमनकारी ताकतों का मुकाबला किया। अंग्रेजों से लोहा लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सुखाड़िया साहब ने इस आंदोलन का भोपाल में नेतृत्व किया। वे कई बार जेल गये। देश की आजादी की लड़ाई में यह कह सकते हैं कि सुखाड़िया साहब जैसे लोग और तत्कालीन नेताओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आजादी के बाद सन् 1949 में जब देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मंत्रिमण्डल बना तो उन्हें पहली बार मंत्री के रूप में सम्मिलित किया गया। 1954 में वे राजस्थान के मुख्य मन्त्री बने और तब से लेकर लगभग 17 वर्ष तक उन्होंने राजस्थान का सफल नेतृत्व किया। राजस्थान के शैक्षणिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए वे दिन प्रतिदिन प्रयत्न करते रहे। मैं कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान नहर परियोजना, जो एशिया की सबसे बड़ी महती परियोजना है, को प्रारम्भ करने में श्री सुखाड़िया साहब की सफल नेतृत्व और सफल दूरदर्शिता रही है।

इसी प्रकार से चम्बल विकास परियोजना और राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने दूरदर्शिता पूर्ण मार्ग दर्शन दिया। राजस्थान जो निरन्तर अकाल से जूझता हुआ प्रति वर्ष वर्षा की प्रतीक्षा करता रहा है, ऐसे अकाल पीड़ित राजस्थान के एक समयबद्ध, नियोजित और व्यवस्थित विकास के लिए जो दूरदर्शिता पूर्ण मार्ग-दर्शन श्री सुखाड़िया साहब ने दिया, वह भुलाया नहीं जा सकता। उदयपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और जयपुर में मालवीय इंजीनियरिंग कालेज की नींव श्री सुखाड़िया साहब ने डाली। इसी प्रकार विभिन्न मेडिकल कालेजों की स्थापना श्री सुखाड़िया जी के समय में हुई। मैं यही कहना चाहूंगा कि 1955 में सबसे पहले पंचायती राज सम्मेलन नागौर में हुआ था। प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना सुखाड़िया साहब ने की जिसकी सारे देश में तारीफ की गयी। श्री सुखाड़िया जी कई प्रान्तों के गवर्नर रहे, उन्होंने संसद सदस्य के रूप में भी उदयपुर की सेवा की। उन्होंने अपने जीवन का पूरा समय राजस्थान के निर्माण के लिए, उदयपुर के निर्माण के लिए समर्पित भाव से एक तरीके से कुर्बान कर दिया। मैं समझता हूं कि ऐसे महान् व्यक्तित्व को हम श्रद्धांजलि दे सकें उस रूप में, पूरे राजस्थान की जनता के आदर के रूप में उनका एक स्थायी स्मारक बने, एक उनकी स्थायी यादगार रहे, इस रूप में सरकार यह महसूस करती थी कि विश्व विद्यालय का नाम परिवर्तन किया जाये ताकि इनका कोई अच्छा स्मारक बने। इस प्रकार जो परिनियत संकल्प माननीय सदस्यों ने रखा है उसका प्रति उत्तर देते हुए यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान और हिन्दुस्तान में ऐसे अनेक संस्थान, ऐसे अनेक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विद्यालय, ऐसे अनेक धार्मिक संस्थान उन लोगों के नाम से बनाये गये हैं जिन लोगों ने सेवायें की हैं, जो सार्वजनिक जीवन में रहे हैं। मेरे पास ऐसे 20-25 विश्व विद्यालयों के नामों की सूची है। माननीय सदस्य जो बांदीकुई से आये हैं जैसा उन्होंने कहा कि कृष्ण के नाम से कोई संस्था नहीं है। दक्षिण में वेंकटेश्वर भगवान के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जनता पार्टी के जमाने में वैलिंग्टन अस्पताल का नाम बदलकर राममनोहर लोहिया हास्पिटल रखा गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हास्पिटल स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से कामराज नाडार के नाम से मदुरई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मद्रास में तत्कालीन मुख्य मंत्री अन्ना साहब दुरई के नाम से तामिलनाडू में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसी प्रकार हमारे आधुनिक भारत के निर्माता पण्डित जवाहर लाल नेहरू के नाम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से रवि शंकर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ऐसे अनेक व्यक्तियों की सूची मेरे पास है जिनके नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। माननीय सदस्य, जो अजमेर से आते है ने बताया कि महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के नाम के बारे में कोई प्रस्ताव आया था। यह बात सही है कि 26-2-79 को एक प्रस्ताव आया था जिसमें इस विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय रखने की बात की गई थी लेकिन तत्कालीन सरकार ने 1-9-1979 को उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था।

अनेक माननीय सदस्य : कौन सी सरकार ने ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : 1-9-1979 को जनता पार्टी की सरकार ने उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था।

जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने जो नामों की परम्परायें हमारे देश में हैं उनके बारे में प्रश्न उठाया था। उसके बारे में कह चुका हू कि नामों से कई विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में हैं, हमारे देश में मेडिकल कालेज ऐसे हैं, जैसे रवीन्द्रनाथ मेडिकल कालेज, उदयपुर, सवाई मानसिंह हास्पिटल, जयपुर, सरदार बल्लभ भाई पटेल मेडिकल कालेज बीकानेर। ऐसे अनेकानेक कालेज राजस्थान में हैं, जो नामों से हैं।

इसी प्रकार अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि उदयपुर विश्वविद्यालय मे शोध कार्य नहीं हो रहा है। यह बात बिलकुल गलत है। उदयपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जो वेटरिनरी कालेज, बीकानेर तथा जोबनेर कृषि महाविद्यालय है इन तीनों में प्रति वर्ष शोध कार्य होता है, यहां पर संकर बीज के बारे में, उन्नत किस्म के बीज के बारे में, कृषि इन्जीनियरिंग के बारे में और सम्बन्धित सभी विषय के बारे में शोध कार्य हो रहा है। आप इस सम्बन्ध में उदयपुर 'विश्वविद्यालय का जो वार्षिक प्रतिवेदन आता है, उसमें शोध कार्यों के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बारे में निरीक्षण कर सकते हैं, इसी प्रकार से जो कृषि प्रसार निदेशालय हैं उनके द्वारा इन शोध कार्यों को राजस्थान के तमाम किसानों में प्रसारित करने के लिये समय-समय पर काम किया गया है। मैं विश्वास दिला कर सदन को कह सकता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा जो भी शोध कार्य किया जाता है वह ग्रामीण लोगों तक पहुंचाया जाता है और पहुंचाया जाता रहेगा। माननीय सदस्य, जो केशोराय पाटन से आते है, ने यह जिक्र किया कि आज कांग्रेस पार्टी और वर्तमान सरकार जो बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों को चला रही है वे कार्यक्रम सही हैं और जो कांग्रेस पार्टी ने भावनायें प्रकट की हैं उन भावनाओं के अनुरूप कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों में जो भूमिहिन लोग हैं उनको भूमि देने की व्यवस्था की गई हैं, जिन लोगों के पास में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं उनको राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार देने की व्यवस्था की गई है, हमारी छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत कई बेरोजगार लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था की गई है।

इसलिये जो संकल्प सदन में लाये गये हैं, सभापति महोदया जी, मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इन संकल्पों को निरस्त करें और इजाजत देने की कृपा करें कि मैं इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करूं।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन राज्यपाल महोदय द्वारा 26 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1982) को अस्वीकार करता है?

(अस्वीकृत)

परिनियम् संकल्प अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

श्री सभापति : मंत्री जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (उप मंत्री, शिक्षा): सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति : आप में से कोई बोलना चाहें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदया, 26 जुलाई, 1982 के दिन उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिये अध्यादेश जारी किया गया। मैं समझता हूं कि 26 जुलाई, 1982 से उदयपुर विश्वविद्यालय एक नये नामकरण संस्कार से शुरू हो रहा है। शायद इसके पहले जो नाम था वह कुछ हल्का-फुलका, कम प्रभावी था, कम ऐतिहासिक महत्व रखता था, उसके पीछे इतिहास कम था, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। और उस व्यक्ति को जो उस धरती में पला उसको बड़ा बनाने का प्रयत्न किया गया। मैं धरती मां को बढ़ कर मानता हूं, पर आप आदमी को बड़ा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि लोग जिस धरती में पैदा होते हैं उसके नाम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर उनको ज्यादा गर्व होता है। यह दुर्भाग्य है कि अब व्यक्ति के नाम से भूमि पहचानी जायेगी। यह तो पुराने इतिहास को मटियामेट करने वाली बात होगी। मैं श्री सुखाड़िया जी के प्रति कोई अनादर नहीं रखता हूं। मैं सुखाड़िया जी के प्रति पूरा आदर भाव रखता हूं, पूरा सम्मान रखता हूं। लेकिन यह बुरी आदत है कि केवल नामकरण संस्कार के आधार पर व्यक्तियों की महानताओं को जिन्दा रखा जाता है। क्या उस व्यक्ति की महानता को केवल यहीं तक सीमित करके सीमित दायरे में डालने जा रहे हैं कि शायद कहीं आगे आने वाली पीढ़ी उसे भूल न जाये? ऐसी मन में कोई शंका है क्या? यदि आदमी ने कुछ किया है तो उसकी कर्म शक्ति और कर्म आने वाला इतिहास बतायेगा कि वह महान् था। मीरा का क्षेत्र किसी ने भी नहीं बनाया था उस जमाने में लेकिन मीरा को आज भी लोग क्यों याद करते हैं? महाराणा प्रताप का क्षेत्र उदयपुर में किसी ने नहीं बनाया था। सुखाड़िया जी ने अपना क्षेत्र स्वयं बनाया था। लेकिन लोग महाराणा प्रताप को आज भी याद करते हैं। आपके मन में गलतफहमी क्यों हो गई कि उनको जिन्दा रखने के लिये उनके नाम का कोई न कोई स्टेच्यू खड़ा करना पड़ेगा? शायद इसका कारण मन की निराशा है। इस प्रकार की कार्यवाही सुखाड़िया जी के प्रति एक षड्यंत्र है। मैं इसको बहुत बुरे शब्दों में प्रकट कर रहा हूं, उस व्यक्ति की महानता को उदयपुर के एक कोने में ले जाकर फिक्स कर देना चाहते हैं। राजस्थान के एक कोने में बिठा देना चाहते हैं। जो न केवल राजस्थान का बल्कि हिन्दुस्तान के लोक तंत्र का एक प्रहरी था उसका सम्मान किस ने किया? क्या उसका सम्मान देश की प्रधान मंत्री और आपकी नेता ने किया? उनकी मृत्य के बाद? उनकी बीमारी के बाद वे उनसे मिलने नहीं आई। उसका सम्मान किसी तरह से उन्होंने नहीं किया। एक फिल्म स्टार बीमार हो जाय तो यात्रा रद्द कर श्री राजीव गांधी उससे मिल सकते हैं। इन्दिरा गांधी जाकर उससे मिल सकती हैं। उदयपुर की धरती में पला वह व्यक्ति, जिसको आप आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, का अनादर तुम्हारी नेता ने किया और जिसको आज आप राजकुमार कहते हैं उस राजीव गांधी ने किया। उसका अपमान करने की वजह से यह षडयंत्र रचा गया है। उसे ले जाकर उदयपुर की यूनिवर्सिटी में बैठाना चाहते हैं।

आजकल विश्वविद्यालयों की क्या हालत है? क्या मिलेगा उसे विश्वविद्यालय का नाम बदल कर? विश्वविद्यालय राजनीति का अड्डा बनकर खड़े हुये हैं। जो शिक्षा के विश्वविद्यालय है, जो शिक्षा के पवित्र मन्दिर हैं वे कहां हैं? आज वे शिक्षा के पवित्र मन्दिर नहीं हैं। वे सबसे ज्यादा बदमाशी, बेईमानी और पक्षपात के अड्डे बन गये हैं। वहां सुखाड़िया जी की मूर्ति बैठाकर क्या कर लेंगे? उनकी मूर्ति को बैठाकर क्या सम्मान मिलेगा उनको? आज उदयपुर विश्वविद्यालय के जो हाल-चाल हैं उन हाल-चालों को सुधारने के लिये आपने एक वाइस-चांसलर को यह कह कर निकाला था कि उस पर चार्जेज हैं। उसको चार्ज शीट दी गई कि तुम पर ये-ये

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चार्जेज हैं इसलिये तुमको निकाला जाता है। मैं आज पूछना चाहता हूं सुखाड़िया जी का नाम लेने वालों से, इस प्रकार से क्या सुखाड़िया जी का नाम जोड़ना चाहते हैं ? एक एक चार्ज शीट उठा कर देख लें, कहते है कि उन्होने नियुक्ति में बड़ी अनियमितता की है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज आपने अनियमितता की पराकाष्ठा

(3.40 म.प.)

(श्री अहमद बक्स सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कर दी। एक अध्यापक की नियुक्ति करने के लिये इन्टरव्यू का समय होता है, फार्म भरने की तारीख, इन्टरव्यू में बुलाने का समय होता है लेकिन यह उदयपुर का विश्वविद्यालय है जहाँ पर इस प्रकार का कोई समय नहीं होता है। न कुछ अता है न पता है। ऐसे लोगों का सलेक्शन हो जाता है। आपको मैं पढ़ कर सुनाता हूं कि किस प्रकार से अनोखे विज्ञापन यहां से निकले है जिनको पढ़ कर के आप शायद श्रद्धान्जलि अर्पित कर रहे हों। 20 जनवरी, 82 को एक विज्ञापन निकाला, दूसरा विज्ञापन-नम्बर 4, 1982 जो आपने 13 मई 82 को निकाला है, इसमें आपने लिखा है कि न्यूनतम आवश्यक योग्यता को भी घटाया जा सकता है। कुलपति चाहेंगे तो प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तिथि निकल जाने के पश्चात् आये हुए प्रार्थना पत्रों पर भी विचार कर सकेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह गलत परम्परा पड़ रही है, इसका नाम बदलने से, आप पूरे उदयपुर विश्वविद्यालय....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं, यह कोई गलत परम्परा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : गाथा गानी शुरू कर दी। इसके लिए कोई तैयारी भी नहीं है, न कोई इसका जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नाम बदलने की बात है, और आप सारे अपाइन्टमेन्ट्स और सलेक्शन्स, किसको प्रमोशन मिला किसको डिमोशन मिला, की बात कर रहे हैं। यह इससे क्या ताल्लुक रखता है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेतसिंह जी का सही नामकरण कर दें....

(व्यवधान)

खेतसिंह कोई नाम होता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मोहनलाल सुखाड़िया जैसे व्यक्ति को इस प्रकार के घृणित स्थान पर ले जाकर बैठाया जाये। यह मैं कभी नहीं चाहूंगा इसलिए मैं हाउस को कन्विन्स करने की कोशिश कर रहा हूं, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है उस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्थान पर सुखाड़िया जी को ले जाकर अपमानित मत करो। इससे उसकी बदनामी होगी। मैं आपको पढ़ कर सुना रहा था....

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी रूलिंग दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सैंणचा : उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न यह है कि जो भाषण दिया जा रहा है वह टू दी पाइन्ट है। मैं टू दी पाइन्ट मानता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तिथि निकल जाने के पश्चात् भी कुलपति चाहेंगे तो वे प्रार्थना पत्र ले सकेंगे। इसलिए आज यह बात भी आई कि इस प्रकार का विज्ञापन निकला है। श्रीमान्, यह विज्ञापन नहीं है, विज्ञापन के आधार पर जो इण्टरव्यू हुए वे किस बात को प्रमाणित करते हैं? श्रीमन्, मैं तो उदयपुर का निवासी हूं, रोजाना मेरा इन बातों से काम पड़ता है। मैं आपको एक के बाद एक उदाहरण दे सकता हूं। पहले आपको कामर्स के ही एक इण्टरव्यू के बारे में बताता हूं। ऐसे कई लोग हैं जिनको मेरिट के आधार पर इण्टरव्यू में काल किया गया था लेकिन कुछ लोग ऐसे बच गये थे जो इस मेरिट के आधार, पर स्क्रीनिंग कमेटी के आधार पर इण्टरव्यू के योग्य नहीं थे, श्रीमन्, उनको नहीं बुलाया गया लेकिन इण्टरव्यू के दो दिन के बाद उनको बुलाया गया। किसकी सिफारिश से बुलाया गया, भगवान जाने और वे जानें, मुझे कोई लेना देना नहीं लेकिन आपको सुन कर ताज्जुब होगा जिन दो लोगों को स्क्रीनिंग कमेटी ने नहीं लिया उन दोनों लोगों का सलेक्शन हो गया, श्री त्रिवेदी और उदयभानसिंह, आप देखें....

(व्यवधान)

यह केवल सलेक्शन नहीं है श्रीमन्, यह उदयपुर विश्वविद्यालय भयंकर बेईमानी का अखाड़ा बनता चला जा रहा है। यह केवल कामर्स का ही सवाल नहीं है, गणित का एक विद्यार्थी, जो उसी कालेज में पढ़ता था, ने बी.एससी. कर रखा है, उसको उसकी योग्यता के आधार पर इण्टरव्यू में नहीं बुलाया गया लेकिन किसी की सिफारिश के आधार पर उसको इण्टरव्यू में बुलाया गया और उसका सलेक्शन हुआ, नम्बर 3 पर। श्रीमन्, गणित....

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य यह समझते हैं कि नाम बदलने से पहले ये गड़बड़ियां हों तो वे सही मानी जायं, या नाम बदलने के बाद में और खराबियां पैदा हो जायेंगी? रेलेवेन्सी का पाइन्ट है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बिलकुल, आज देश में ऐसा वातावरण है, उपाध्यक्ष महोदय, केवल उदयपुर में ही नहीं सम्पूर्ण देश के विश्वविद्यालयों में यह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वातावरण बनता चला जा रहा है। यही नहीं, श्रीमन्, ऐसा हुआ, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि अंग्रेजी में जिस व्यक्ति ने फार्म नहीं भरा, इण्टरव्यू के लिए कोई इच्छा जाहिर नहीं की उससे चार दिन पहले फार्म भरवाया गया और उसके बाद उसका सलेक्शन हुआ। आप चाहें....

(व्यवधान)

वह रेणु व्यास है। रेणु व्यास। रेणु व्यास प्रिन्सिपल की लड़की है उस रेणु व्यास का सलेक्शन हुआ। चार दिन पहले फार्म भरवाया गया। श्रीमान्, आपको आश्चर्य होगा जिस महिला ने उदयपुर विश्वविद्यालय से 6 गोल्ड मैडल प्राप्त किये, जिसने एम. ए. में भी उदयपुर विश्वविद्यालय से गोल्ड मैडल प्राप्त किया और यहां तक कि पी एच. डी. भी कम्पलीट की वह श्रीमती मेहता इस इण्टरव्यू में सलेक्ट नहीं हो सकीं। राज्यपाल के सामने जाकर के उसने अपने दोनों गोल्ड मैडल फेंक दिये, इनकी मुझको जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

सलेक्ट कौन हुआ, उस पद पर? सलेक्ट हुआ वहां पर सिफारिशी आदमी। जो सैकण्ड क्लास पास है वह व्यक्ति सलेक्ट हुआ। आखिर कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिये, आखिर कोई तो मापदण्ड होना चाहिये। यही नहीं, श्रीमन्....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका मतलब है कि ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ सुखाड़ियाजी का नाम नहीं जोड़ना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपको सुन कर बहुत ताज्जुब और आश्चर्य होगा, आपने आज दिन तक किसी ऐसी एग्जीक्यूटिव कमेटी का कोई ऐसा निर्णय नहीं सुना होगा, कि अगर दस साल पहले किसी ने इण्टरव्यू दिया था और उस इण्टरव्यू में सक्सेस नही पा सका था, तो दस साल पहले वाले इण्टरव्यू से रिवर्स करेंगे। उदयपुर यूनिवर्सिटी में तीन सितम्बर के दिन यह प्रस्ताव पास किया है कि 10 दस साल पहले किसी ने इण्टरव्यू दिया था लेकिन बाद में पी एच. डी. हासिल करने के बाद उसकी सीनियोरिटी के आधार पर उसे लाभ दिया है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं पवाइन्ट्स पर आपको ले जाना चाहूंगा, टी. सुन्दरम काण्ड से उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर को निकाला गया था, सस्पेण्ड किया गया था। टी. सुन्दरम एक मात्र काण्ड था जिसके कारण से राजनाथसिंह के साथ इतना अन्याय किया गया। कैसा अन्याय, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। हमारे राज्यपाल महोदय कहते हैं कि योग्यता में नहीं आते इसलिए उसको नहीं बनाया। राज्यपाल महोदय ने एक आदेश लिख कर दिया उसको सुना देता हूं। व्यक्तिगत अपाइन्टमेंट के पीछे एक आदमी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की हत्या करना चाहते हैं उसको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। हमारे वाइस चान्सलर साहब 24 अगस्त के दिन एक फरमान जारी करते हैं टी. सुन्दरम को लगाया जाय, उसको पढ़कर सुनाता हूं–

"The Chanceller therefore is pleased to order that Dr (Mrs) T. Sunderam is permitted to join as Dean college of Home Science Udaipur as stop gap arrangement for a period not exceeding six months and thereafter the University shall again consider all eligible persons to the post of Dean including Dr. (Mrs) T. Sunderam for further appointment as stop-gap arrangement or regula appointment as the case may be.

मतलब चान्सलर ने किसी भी आदेश से किसी व्यक्ति को डीन बनाया इसको दूसरे दिन कोर्ट में चैलेन्ज किया और उस व्यक्ति का हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया उस नाराजगी के कारण से यह सारा झगड़ा हुआ कि उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कैसे निकाला जाये। उन्होंने नहीं बनाया तो टी सुन्दरम को इस पोस्ट पर जिस तरह से लाते हैं उसका मैं एक नाटक आपको बताता हूं, आपको सुनकर....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे उदाहरण तो बहुत बताये जा सकते हैं, पाइन्ट यह है कि नाम बदला जाय या नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपको यही बात कह रहा हूं। श्रीमन् यही नहीं आपको सुनकर और ताज्जुब होगा टी. सुन्दरम के रेगुलर सलेक्शन के लिए केवल होम साइन्स की एक पोस्ट को और एडवर्टाइज किया गया। उसके लिए इण्टरव्यू में कहां पर बुलाया गया ? जयपुर में उसका इण्टरव्यू लिया गया 10 जनवरी 82 के दिन। आप सुनिये, 10 जनवरी के दिन प्रातः काल 11 बजे इण्टरव्यू होता है और 4 बजे एग्जीक्यूटिव मीट करती है उसमें एक्सपर्ट्स ने लिखा कि इसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो क्वालिफिकेशन फुलफिल करता हो। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 4 बजे रिलेक्स किया और उसके बाद अपाइन्टमेंट किया गया। अपाइन्टमेंट करने के बाद उस व्यक्ति को 6 बजे जयपुर में ड्यूटी जोइन करवाई गई। यह कौन व्यक्ति था ? इन सब बातों से बुराई की बू आती है। जिस आधार पर विश्वविद्यालय में सलेक्शन किये जा रहे हैं, उस विश्वविद्यालय में सुखाड़ियाजी का नाम जोड़कर क्यों बदनाम कर रहे हो। श्रीमन्, आपको आश्चर्य होगा, एक दूसरा चार्ज लगाता हूं उस पर कार्यवाही नहीं की उस कारण से उनको निकाला गया है। मंत्री महोदय, आप इसका जवाब दें। कमीशन ने जो रिपोर्ट दी मैं चाहता हूं उस रिपोर्ट को दुबारा निकालकर देखी जाये और जो व्यक्ति दोषी है चाहे वह कोई भी हो, उसके साथ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। यह आज मैं पूछना चाहता हूं कि उस पर क्यों नहीं कार्यवाही हुई ? पिछले चार सैशन से मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं वहां ऐसे लोगों को क्यों नियुक्त कर रखा है जिनकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनके सर्टिफिकेट को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है ? वह ए. ई.

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एम. बने हुये हैं, चाहे के. डी. माथुर हो या चाहे कोई और हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनको किस आधार पर वहां से निकाला गया है? चार्ज शीट के किस कालम में यह लिखा हुआ है इसका पालन नहीं किया गया है? इसका आप जवाब दें। मंत्री महोदय बतायें कि ऐसे वाइस चांसलर का क्या करेंगे जिसने आज तक गलती को रिलाइज नहीं किया? केवल एक कारण से किसी व्यक्ति विशेष को निकल दिया, उसको बदनाम करना चाहते हैं उसकी क्या गलती थी जिसके आधार पर आपने उसको निकाला? यही नहीं, श्रीमन्, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि माथुर राज चल रहा है. मैं बहुत सोच समझ कर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आखिर कब तक लोगों के ऐसे ही अपाइन्टमेंट होते चले जायेंगे? श्यामलाल माथुर, हमारे यहां जो एग्रीकलचर का निदेशालय है उसके आप डायरेक्टर हैं। और उनसे वरिष्ठतम कितने आदमी बैठे हुए हैं, इसका आपको मालूम है? 50 आदमी उनसे वरिष्ठ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप यूनिवर्सिटी छोड़कर महकमों में आ गये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई महकमों में नहीं आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जो सब्जेक्ट मैटर है आप उसको नहीं छोड़िये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि श्री गुलाबचन्द कटारिया को जितना समय दिया गया है, मुझे भी उतना समय दिया जाय क्योंकि मैं सलेक्शन कमेटी का मैम्बर हूं, इसलिये मैं पाइंटवार इनको बता सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माफ कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आज उदयपुर विश्वविद्यालय में अनुशासन की बात कहते हैं, अगर पुलिस की छांव में वहां पर अनुशासन कायम हो गया तो कौन सी तारीफ की बात है। वाइस चांसलर ने पत्र लिखकर वहां पुलिस मंगायी कि वहां गुण्डागर्दी चल रही है। आज वहां पर पुलिस के 200 आदमी मौजूद हैं, यह कोई तारीफ की बात नहीं है। पुलिस के कारण वहां पर लॉ एण्ड आर्डर मेनटेन कर लिया तो यह कोई विशेष बात नहीं है। इस तरह आप विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसको रोका जाये। मैं आपकी यह तारीफ जरूर करूंगा कि पहले राजस्थान के लोगों की अपेक्षा बाहर के लोगों को ज्यादा चांस मिलता था, बाहर के लोग ज्यादा एण्टर होते थे, लेकिन अब राजस्थान के लोगों को प्रिफ्रेंस मिलता रहा है। इसकी मैं तारीफ करता हूं लेकिन इस तारीफ से आप फूल कर कुप्पा न हो जायें और जिस व्यक्ति को चाहें सिफारिश से सलेक्शन कर दें। आखिर उदयपुर अपने नाम में महाराणा प्रताप के कारण से महत्व रखता है। वहां के लोगों की भावना भी कुछ है। अगर आप इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, केवल

Page No 108

(१४)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपकी नाम बदलने की इच्छा है तो वह हमारी सरकार ने भी रिजेक्ट कर दिया था कि केवल नाम बदलकर या किसी व्यक्तिगत आधार पर किसी व्यक्ति का नाम रखकर उसको जिन्दा नहीं रखना चाहते हैं। महाराणा प्रताप अगर जिन्दा रहेंगे तो अपने कर्मों के कारण रहेंगे, सुखाड़िया जी अगर जिन्दा रहेंगे तो अपने द्वारा किये गये कृत्यों के कारण रहेंगे। इन बेईमान आदमियों द्वारा उनका नाम थोपने के कारण वे जिन्दा नहीं रहेंगे, इससे उनकी आत्मा दुःखी होगी। जिस व्यक्ति ने महाराणा प्रताप का स्टेच्यू लगाया, राजस्थान में सबसे पहले महाराणा प्रताप स्मारक बनाया वह केवल मोहन लाल सुखाड़िया जी ही थे। जो व्यक्ति महाराणा प्रताप से इतना प्यार करता था, उसने कभी यह नहीं सोचा था····

श्री उपाध्यक्ष : आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के साथ सुखाड़ियाजी का नाम अपमानित करने जा रहे हैं और जो उदयपुर विश्वविद्यालय अपने नाम से जाना जाता है उसी के आधार पर इनके नाम को····

(व्यवधान)

अगर आपमें हिम्मत है तो मैं संशोधन प्रस्तावकरता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। आप आर्डिनेन्स लायें, नाम बदलने के लिए आपको आर्डिनेन्स लाना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है कि यह सरकार है या तमाशा है। लेकिन नाम बदलने के लिये आप आर्डिनेन्स लायें तो आपकी सरकार को शाबाश है, आपको धन्यवाद है। इस तरह से आप उनको जिन्दा रखना चाहते हैं तो रखलें। सुखाड़ियाजी को कितने दिन तक आप जिन्दा रख पायेंगे? देखते हैं कितने दिनों तक आप उनको जिन्दा रखते हैं। वे आपके कर्मों से डूब जायेंगे। वे अपने कर्मों से जिन्दा रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये हैं। जो बिल सरकार ने रखा है अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। उस पर जो चीज जरूरी है, सबसे पहली बात यह है कि उन्हें इस बात का कष्ट है कि उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रखा जा रहा है। ये चाहते हैं कि इसका नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय रखा जाये। पहली बात यह है कि इनका यह विरोध नहीं है कि इसका नाम न बदला जाये, इनका विरोध यह है कि इस विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय रखा जाये। मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय नहीं।

(व्यवधान)

Page No 109

(109)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ।

माननीय सदस्य, बाधा न डाले ।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने इनकी बात ध्यान से सुनी है इन्हें भी मेरी बात सुननी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापको बताना चाहता हूं, यह बात इस पार्टी की मानसिक दशा की प्रतीक है । जो ग्रादमी ग्रपनी राजनीति केवल मात्र हिन्दुस्तान की पुरानी संस्कृति को बताते हुए महापुरुषों के नाम पर चलाना चाहते हैं, उन लोगों को यह मालूम नहीं कि हिन्दुस्तान में ग्राजादी के बाद एक गरीब घर में पैदा होने वाले जिस ग्रादमी ने 38 साल तक राजस्थान का नेतृत्व किया, राजस्थान को प्रगति के पथ पर ग्रागे बढ़ाया, जिस ग्रादमी ने लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से राजस्थान को विकास के पथ पर ग्रागे बढ़ाया, वह मोहन लाल सुखाड़िया ही थे । कोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं, कांग्रेस के सदस्य थे । उनका विरोध करना ग्रक्ल का दिवालियापन है । 38 साल तक राजनैतिक पार्टी में रहने के बाद हो सकता है कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ले सकते हैं लेकिन ढाई साल के शासन काल में जिस तरह से शिक्षा में इण्टरफियर किया, जिस तरह की बात ग्राप करना चाहते हैं, उदयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य, ग्रापके भूतपूर्व शिक्षा मंत्री यहां बैठे हुए हैं, ग्रपने दिल पर हाथ रखकर यह बतायें····

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र ग्रार्य वीर (डग) : ग्राप उधर देखकर बोलें । ग्राप ऐसा कहते हैं ।×××

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य, ग्राप बैठ जायें ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय मैं ग्रापके सामने सदन में पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं कि तत्कालीन जनता पार्टी के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने तीनों विश्वविद्यालयों में सिण्डीकेट को भंग किया । ग्रापको जानकर ग्राश्चर्य होगा, जो यह कहते हैं कि उदयपुर विश्वविद्यालय में राजनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है, वे ग्रपने दिल को टटोलें । उदयपुर विश्वविद्यालय की तत्कालीन सिण्डीकेट में तत्कालीन शिक्षा मंत्री, श्री भंवरलाल शर्मा को नोमिनेट कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था जनता पार्टी ने किया था । ग्रब यह कहते हैं कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में राजनीति हावी हो रही है । ये राजनैतिक इंटरफियरेन्स की बात कहते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत में नहीं रहा, 35 साल के इतिहास में नहीं रहा । हिन्दुस्तान में दो पार्टी हैं एक सी. पी. एम. ग्रौर एक भारतीय जनता पार्टी, जो ग्रपनी राजनीति में साम्प्रदायिकता के ग्राधार पर युवकों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं । इसलिए जो यह इंटरफियरेंस होता है उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ग्रौर सी. पी. एम. को जाता है ।

×××ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : कांग्रेस शासन के 35 साल के इतिहास में····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य बातें न करें।

व्यवस्था का प्रश्न

दर्शक वीर्था में अजनबी की उपस्थिति

श्री नाथूसिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

हाउस की बाउंडरी में कोई भी अजनबी बैठ जाय····

श्री उपाध्यक्ष : आप रूल बताइए ?

श्री नाथूसिंह : रूल 304। Withdraw of Stranger. उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी स्ट्रेंजर इस सदन की गैलेरीज में नहीं बैठ सकता। इस सदन में आफिसर्स गैलेरी भी आती है जिसमें श्री भंडारी, जो उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं····

(व्यवधान)

पहले सुनिये।

अनेक माननीय सदस्य : वह स्ट्रेंजर नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I have given my ruling. It is not a point of order. Sit down.

श्री नाथूसिंह : पहले मेरा पाइंट आफ आर्डर····

(व्यवधान)

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : इनकी बुद्धि का दिवालिया निकल गया है।

श्री नाथूसिंह : He is not an officer। समझने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

पहले आपको सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, Please, sit down.

श्री नाथूसिंह : जो प्रश्न मैंने उठाया, आप ओवर रूल कर देना, मैं मानूंगा। पहले कैसे ओवररूल कर सकते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : ओवर रूल कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बिराज जाइये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : With your permission.····

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, उद्योग) : उन्होंने ओवर रूल कर दिया है।

श्री नाथूसिंह : आपकी परमिशन से अफिसर्स गैलेरी में····

अनेक माननीय सदस्य : कोई परमिशन नहीं दी है।

श्री नाथूसिंह : यूनिवर्सिटी आटोनॉमस बाड़ी है। आपने सुना ही नहीं, आपने क्या निकाला। आप रूल निकालें। मैं क्या पाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप पर दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि आप सुनते ही नहीं। वापस लें इन शब्दों को।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको वकालत करने की जरूरत नहीं है।

श्री नाथूसिंह : आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों का पालन करें। I am the last person to adopt that procedure.

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण): पहले आप पूरा सुन लीजिये।

श्री नाथूसिंह : आप सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : I have heard.

श्री नाथूसिंह : आपने नहीं सुना।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा पाइंट उठाना है तो बात दूसरी है That point of order has been over ruled.

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : आपने पाइंट आफ आर्डर पूरा सुना ही नहीं इसलिये पहले आपने हो-हुल्लड में व्यवस्था....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराज जाइए।

श्री देवीसिंह भाटी : पहले ध्यान से सुन लीजिये। आपकी व्यवस्था सुप्रीम है हम मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बाधा न डालें कार्यवाही में, I have considered everything.

श्री देवीसिंह भाटी : जरा प्रेम से सुनिये उसके बाद व्यवस्था दीजिये।

श्री नाथूसिंह : पहले सुन लीजिये। परमिशन से मैं बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं परमिशन देने में असमर्थ हूं।

श्री नाथूसिंह : नहीं, पहले आप सुन लें पूरा। अगर आप गलत तरीके से हाउस चलायेंगे तो दुर्भाग्य होगा।

(व्यवधान)

पहले आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : या तो नियमों का पालन करें या चेयर जो रूलिंग दे उसको मान लिया जाये चाहे आपकी समझ में आये या नहीं। मेहरबानी करके चेयर से कोई रूलिंग दी जाती है तो उसका आदर करना चाहिये वरना क्या फायदा मुझे यहां बिठाने का ....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आप जो रूलिंग देवें उसका मैं ससम्मान पालन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपके जो बोलने वाले थे उनके समय बाधा डालने नहीं दी। इसलिये आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। Please, hear him उसके बाद में पाइंट आफ आर्डर उठायेंगे तो मैं सुनूंगा। पहले उनको पूरा करने दिया जावे।

श्री सी० पी० जोशी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सी०पी०जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको भूमिका बताना चाहता था। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाये हैं, मैं विनम्र शब्दों में उनका ध्यान इसलिए इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो हमने चेंज किया है, जो इतिहास उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, कोई भी एक्ट उठाकर देख लें उसमें लिखा हुआ है कि पद घटाये बढ़ाये जा सकते हैं, यह कोई नई अनोखी बात नहीं हुई है। जिस टी. सुंदरम के सलेक्शन की बात आपने कही, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने स्वयं ने माना है कि जयपुर में इन्टरव्यू हुआ, 4 बजे एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। तो निश्चित तौर पर जो इन्टरव्यू में अपीयर होगा उसको जयपुर आने की आवश्यकता कहां पड़ी। या तो आपको मालूम नहीं है कि डीन को कहां से लेकर आये, आप जिस वाइस चांसलर के आर्डर को कोट कर रहे हैं उसको दुबारा पढ़ लें। उस आर्डर में क्या लिखा हुआ है? जिस सिंह कमेटी की आप दुहाई देते हैं उस कमेटी ने भी टी. सुन्दरम के एडहॉक अपाइटमेंट्, सलेक्शन को, राइट माना है। जो सूचना आप हमको देना चाहते चाहते हैं उसकी क्या आवश्यकता है? हम इस बात को जानते है आपकी जनता पार्टी के शासन काल में आपके द्वारा नियुक्त तत्कालीन वाइस चांसलर, आप कह रहे थे, बहुत बढ़िया थे। अजमेर के माननीय सदस्य, उस समय जनता पार्टी के पावरफुल मन्त्री थे, उस समय एक साल तक डा. रघुवीर सिंह वाइस चांसलर थे। उनको पता नहीं कैसे यह मालूम हो गया कि जो 2।। साल में आपने बैकडोर एडहॉक अपाइंटमेंट्स किये, सारे अनक्वालीफाइड व्यक्तियों के किए। उन एडहॉक अपाइंटमेंट्स को हटाने के लिए निश्चित तौर से ऐसे आदमी को लाना पड़ेगा ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री सी०पी० जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं मैंने गम्भीरता से सुने हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उनके पास फैक्ट्स एण्ड फिगर्स हों तो वे बतायें अन्यथा मैं जो कह रहा हूं अगर वह गलत बोल रहा हूं तो हाउस से रिजाइन कर दूंगा लेकिन हाफ हार्टेड ट्रूथ सदन में देकर यह इमोशनल एनवायरमेंट बनाकर यह बताना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के अन्दर

(श्री सी. पी. जोशी)

धांधली हो रही है, यह न कल चल सकता है न परसों चलेगा न भविष्य में चलेगा। जब आपका शासन था तब भी नहीं चलने दिया न आने वाले समय में चलने देंगे, मेरी बात पूरी सुन लें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराज जाइए। Please sit down.

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं इतना चैलेंज स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चैलेंज का सवाल नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय मैंने चैलेंज की बात की। मैंने कहा है, नोट कर लीजिये, रिकार्ड प्रोड्यूस कर दिया जाये....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने हाउस की गरिमा के खिलाफ ये चीजें की जा रही हैं। कृपया सुनने की क्षमता भी रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हमने संतोष महसूस किया, हमने जनमत जानने के लिए कहा तो बोलने का अधिकार नहीं दिया, उनको किस अधिकार से बुलवा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : हमारी बात को वह काट रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय जनता पार्टी के शासन काल में तत्कालीन वाइस चान्सलर ने कितने लोगों का, जो अन क्वालिफाइड थे, अपाइन्टमेन्ट किया है आप जाकर रिकार्ड उठाकर देख लें। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले उस समय का रिकार्ड उठाकर देख लें। तत्कालीन वाइस चान्सलर ने जब अपाइन्टमेन्ट किया था तो लोगों ने वहां पर वाक आउट किया था। इतना ही नहीं, आप यह भी देख लें कि उस समय के वाइस चान्सलर के वक्त सिंडीकेट में कितने वाक आउट हुए थे और अब कितने हुए, आप कम्पेअर करलें। इसके अलावा आपके तत्कालीन चान्सलर ने पांच साल का कोर्स कर दिया था उसको अगर हमने तीन साल का कर दिया ? और डिग्री दे दी तो इसमें क्या गुनहा कर दिया जनता पार्टी के शासन काल में....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी : आप चाहें तो रिकार्ड उठाकर देख लें। मैं झूठ बात नहीं कर रहा हूं। शायद उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को एक्चुअल बात पता नहीं है। मैं जो भी यहां पर कह रहा हूं वह सभी बात रिकार्ड हो रही हैं अगर गलत हों तो आप मुझे बता सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आप जरा गम्भीरता से लें। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इन्द्र-वचन त्रिवेदी और उदयभानसिंह का गलत सलेक्शन कर लिया, वे लोग क्वालिफाइड नहीं थे फिर भी वी. सी. ने उनको ले लिया। इसके लिये मैं सदन में यह कहना

(श्री सी. पी. जोशी)
चाहूंगा कि इन्द्रवचन त्रिवेदी तो पहले से ही बी. एन. कालेज में लेक्चरार थे। उन्होंने इन्टरव्यू फेस किया था। इसके बाद उदयभानसिंह के बारे में कहा, तो उनके बारे में भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राप चाहें तो रिकार्ड उठाकर देख लें ग्रापको पता लग जायेगा कि उदयभानसिंह का सलेक्शन किसके समय में हुग्रा ग्रौर वह किसने किया ग्रौर किस प्रकार से हुग्रा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी यह सभी बातें ग्रापको रिकार्ड से पता लग जायेंगी। ग्रापने यहां पर यह भी कहा कि क्वालिफाइड ग्रादमी बैठे रह गये ग्रौर नान क्वालिफाइड को ले लिया गया। ग्रापने यह कहा कि पी. एच. डी. पास व्यक्ति को इन्टरव्यू में नहीं बुलाया ग्रौर ग्रनक्वालिफाइड को बुला लिया। शायद माननीय सदस्य को सलेक्शन के नार्म्स का पता नहीं है। सलेक्शन के नार्म्स होते हैं, जितनी पोस्ट होती हैं उसके ग्रन्दर एक के ग्रनुपात में 8 व्यक्ति को बुलाये जाते हैं। जितने भी एप्लीकेन्ट्स ग्राते हैं, प्रोसेस में जितने लोगों की जरूरत होती है उसके ग्रनुसार ही इन्टरव्यू में काल करते हैं। एक बात ग्रौर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरी पोस्ट्स में भी क्राइटेरिया बना हुग्रा है कि एक पोस्ट के पीछे सात व्यक्तियों को बुलाया जाता है। इसलिये नार्म्स के ग्रनुसार जितनी पोस्ट के लिये जितने लोगों को बुलाना चाहिये उनको बुलाया जाता है। इसमें ग्रगर एप्लीकेशंस ग्रधिक ग्राई हैं तो उतने ही लोगों को काल किया गया जितने का क्राइटेरिया है। उसमें ग्रगर किसी व्यक्ति ने ग्रप्लाई किया है ग्रौर उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ग्रा गये या वह उस क्राइटेरिया में नहीं ग्राया तो उसको रिजेक्ट किया जायेगा ही। ग्राप चाहें तो रिकार्ड उठाकर देखलें ग्रौर ग्रपने को करेक्ट करलें। इसके ग्रलावा उदयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट को नहीं लिया। तो जिस गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति की ग्राप बात कर रहे हैं वह इंग्लिश में नहीं था, फिजीक्स में नहीं था वह तो हिस्ट्री में था, इसलिये ग्राप चाहें तो उसकी भी जांच करवा सकते हैं। इसके ग्रलावा जो इन्टरव्यू में काल किये जाते हैं तो उनके लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित करते हैं कि इस क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को लेना है। इसमें फर्स्ट क्लास या पी. एच. डी. जो भी हो उसके ग्रनुसार काम होता है। इसमें once an interview call is given, then is it not a guarantee that he will be selected in the interview. इसमें यह नहीं होता है कि उसको क्यों नहीं लिया। डाक्टर मेहता के बारे में यह कहा गया है कि वे गोल्ड मेडलिस्ट थे उनका सलेक्शन नहीं हुग्रा ग्रौर जो व्यक्ति सलेक्ट हुग्रा वह ग्रनक्वालिफाइड था। तो ग्राप जाकर देखलें कि जिस व्यक्ति को सलेक्ट किया है वह भी कम क्वालिफाइड नहीं है। जब किसी इन्टरव्यू में लोग जाते हैं उनमें से जब किसी को नहीं लिया जाता है तो वह यह कह सकता है कि सलेक्शन फेग्रर नहीं हुए। मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रगर किसी सलेक्शन कमेटी मे ग्रापको सलेक्शन करने के लिये बैठाया जाये ग्रौर उसमें ग्राप किसी एक व्यक्ति को सलेक्ट करें ग्रौर दूसरे को नहीं करें तो जिसका सलेक्शन हो गया वह तो कुछ नहीं कहेगा पर जिन दूसरे लोगों

(श्री सी. पी. जोशी)

का सलेक्शन नहीं हुआ वे तो कहेंगे कि सलेक्शन फेअर नहीं हुआ। इसी तरह इसमें हुआ है। आप रिकार्ड देख कर आवें तो आपको पता लग जावेगा।

इसके अलावा तीसरी बात उदाहरण के रूप में यह कही कि वाइस चांसलर ने श्याम लालजी को नहीं लिया जो कि 50 आदमियों से सीनियर थे। मैं उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी के शासन काल में जब एक व्यक्ति हाई कोर्ट में जीत गया, फिर डबल बैंच में भी जीत गया तब उस समय के वाइस चान्सलर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे। उस वक्त आपने कोर्ट की बात नहीं मानी और आज हमें आप यह बता रहे हैं कि हम न्याय की बात नहीं करते हैं। जो आदमी क्वालिफाइड था उसके साथ आपने अन्याय कर दिया उसका कुछ नहीं। ये सभी बातें जनता पार्टी के शासन काल में हुई थीं, ये बातें कांग्रेस शासन में नहीं हुई। सिन्डीकेट ने जिनको नहीं लिया और आपके समय में जो अन्याय किया उसकी बात आप कर रहे हैं? इसके अलावा आपके तत्कालीन वाइस चान्सलर ने डाइरेक्टर का कोरस पेंडिंग कोर्स के लिये अपाइन्टमेन्ट कर दिया। उसका सलेक्शन ही गलत किया। आप बतावें कि उस डाईरेक्टर का इन्टरव्यू कब हुआ, कब उसे बनाया गया और कैसे बनाया गया? उस व्यक्ति को आपने उस समय से लेकर पूरी तनख्वाह दी। आपने उसकी बैकडोर एन्ट्री करवायी। ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी के सिन्डीकेट के द्वारा नहीं की गई ये तो आपके जमाने में हुई हैं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि he is not getting the salary. He is only getting allowance.

यह जो काम हुए वह हमने नहीं किये। हम तो आपसे यह कहना चाहेंगे कि हम उदयपुर विश्वविद्यालय में पढ़े हैं और वहां विद्यार्थी रहे हैं वहां पर हमने संघर्ष किया है हम वहां के लिये कोई गलत काम नहीं करेंगे और न ही हमने गलत काम किया है। आप केवल हाउस को गुमराह करने के लिये यहां पर यह कहना चाहते हैं कि ऐसे विश्वविद्यालय को मोहनलाल सुखाड़िया जी के नाम से क्यों जोड़ा जा रहा है। ये आपके संकीर्ण भाव हैं, यह तो आपकी मानसिक स्थिति का दिवालियापन है इसलिए आप यह कह रहे हैं। आज वहां पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वहां पर जो पहले पांच साल का कोर्स था उसको हमने तीन साल का कर दिया। तीन साल में अगर किसी को डिग्री मिलती है तो हमने क्या गुमराह कर दिया? पहले वहां पर जो गुण्डागर्दी हो रही थी उसको अगर रोका जा रहा है तो क्या गुनाह किया जा रहा है? विश्वविद्यालय की हालत बहुत ही खराब हो रही थी अब सुधर रही है, आप चाहें तो देख लीजिये। आप स्वयं को करेक्ट कर लें। अब यदि वहां सेमेस्टर सिस्टम लागू करें या और कोई बात करें तो गलत क्या है। कालेज में काम हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ है। आप खुद चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में शांति रहे, आप खुद चाहते हैं कि उदयपुर में शान्ति रहे, नगर में शान्ति रहे। इसलिए उसमें कुछ सुधार किया जा रहा है तो क्या गलत है। चाहे सेमेस्टर सिस्टम रहे

(श्री सी. पी. जोशी)

चाहे रजिस्टर सिस्टम की स्कीम लागू रहे आपको क्या है ? आखिर आपकी मन्शा क्या है ? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। वहां पर पहले चाकू लिये लोग घूम रहे थे, बन्दूक लेकर घूम रहे थे गुण्डागर्दी हो रही थी उसको अगर रोकने के प्रयास किये तो क्या गलत काम किये ? एग्रीकल्चर कालेज में फार्मर्स के लड़कों के लिये जगह रिजर्व कर दी थी उसके बाद में वह बन्द हो गई थी किन्तु उससे वहां पर फायदा ही हुआ था लोगों को, 60 प्रतिशत रिजल्ट रहा। पहले वहां पर विश्वविद्यालय में चन्द लोग गुण्डागर्दी करते थे वह अब बन्द हो गयी है। माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में अभी कोई गलत काम नहीं हो रहा है। हम सिन्डीकेट के मैम्बर हैं। अगर आपको कोई गलती दिखाई दी हो तो आप हमें आकर बतावें, हम उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे पर आप वह बात करने को तैयार नहीं, आप तो गलत लोगों को सपोर्ट करना चाहते है। हम गलत बात को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके समय अगर कोई आदमी हाई कोर्ट में जीत जाता तो भी आप नहीं मानते थे और गलत काम को सपोर्ट करते थे पर हम वह काम नहीं करते हैं और न ही कभी करेंगे। आपने अपने समय में एक व्यक्ति को गलत ढग से अपाइन्टमेंट दिया जब कि वह व्यक्ति पार्ट टाइम जोब भी करता था, उसको 35 हजार रुपये दिलाये। हमने यह काम नहीं किया। मैं इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपका चाहे कोई पालिटिकल मोटिव हो सकता है, पर हमारा कभी पालिटिकल मोटिव नहीं रहा है। हम तो चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में शांति रहे छात्र शांति से पढ़ें और वहां पर गुण्डागर्दी नहीं हो। हमने वहां का ला एण्ड आर्डर ठीक करने के लिये अगर कोई आई०ए०एस० अधिकारी बैठा दिया तो क्या गलत काम किया ? आपको तकलीफ किस बात की है ? आपको तकलीफ इस बात की है कि आपकी पकड़ वहां नहीं हो सकी। आप तो लोगों की भावना को भड़काना चाहते हैं, आप तो कह रहे हैं कि उसका नाम महाराणा प्रताप के नाम पर नहीं रखा गया। क्या इसीलिये आपको तकलीफ है ? क्या इसीलिये आपको दुख हो रहा है कि आप लोगों की भावनाओं को भड़का कर आन्दोलन नहीं करवा सके ? उसका नाम महाराणा प्रताप नहीं करके अगर मोहनलाल सुखाड़िया कर दिया तो क्या हुआ ? हम भी मानते हैं कि महाराणा प्रताप महान् थे। कोई आपने ही महाराणा प्रताप का ठेका नहीं ले लिया है। आज हमारे देश को आजाद हुए 35 साल हो गये हैं, हमारी पार्टी ने तो कई महान् व्यक्तियों को पैदा कर दिया। हमने महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू और मोहनलाल सुखाड़िया जैसे लोगों को पैदा कर दिया पर आपके यहां तो देने को नाम ही नहीं है। आपने किसी को पैदा किया हो तो बतायें। आपके पास देने को नाम ही नहीं हैं इसलिए आप अर्जुन, कृष्ण वगैरह के नाम रखते हैं। आप पुराने इतिहास पुरानी संस्कृति के नाम पर अपना पालिटिकल मोटिव सिद्ध करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नाम बदलने की

(श्री सी. पी. जोशी)

प्रक्रिया हमारी नहीं है। अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उनकी जानकारी के लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय का गठन सन् 1962 में हुआ। सन् 1964 में इसका नाम बदल दिया गया, उसके बाद सन् 67 में इसका नाम कृषि विश्वविद्यालय हुआ। आज आप कह रहे हैं कि सी०ए०डी० के एरिया की रिसर्च स्कीम है, क्या आप यह समझते हैं कि वह इस यूनिवर्सिटी के पास है? यह सी०ए०डी० तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। मैं तो आपको यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि रिसर्च में काम करने के लिये मुझे पांच सौ रुपये आज 9 महीने के बाद मिले हैं। यह नये वी०सी० के आने के बाद हुआ है. मैं तो इसके लिये बधाई देना चाहता हूं कि इतने महीने बाद मेरे काम के पैसे मिले। जहां तक मोहनलाल सुखाड़ियाजी का नाम जोड़ने का प्रश्न है तो वह विश्वविद्यालय सिर्फ उदयपुर का ही नहीं है सारे राजस्थान का है। उसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं. वह कोई एक्सक्लूजिव नहीं है। हमने मोहनलाल सुखाड़ियाजी का नाम रख कर कोई गलत काम नहीं किया। यह विश्वविद्यालय पूरे राजस्थान का है। उसमें राजस्थान के कोने कोने से लोग पढ़ने आते हैं। जहां तक मोहनलाल सुखाडियाजी के नाम का प्रश्न है उनमें विजन था, उनमें निर्णय लेने की सूझबूझ थी उनमें प्यार था। उस आदमी के नाम पर नाम बदल दिया तो क्या गुनाह कर दिया? पर आपको अपने पालिटिकल मोटिव को सिद्ध करने के लिये, आपके पालिटिकल इन्ट्रेस्ट हो सकते हैं, महाराणा प्रताप जैसे लोगों का नाम इसमें नहीं जोड़ना चाहिये। जहां तक महाराणा प्रताप का सवाल है हम भी उनकी इज्जत करते हैं।

लेकिन जिस आदमी ने इस डेमोक्रेटिक सैटअप का निर्माण किया उनको कन्डेम करने का यह समय नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि अगर मोहनलाल सुखाड़िया का नाम जोड़ना है तो उनकी आशाओं के अनुरूप, उस आदमी के व्यक्तित्व के अनुरूप उस विश्वविद्यालय का स्टेण्डर्ड बनाना चाहिये। मैं आह्वान करना चाहता हूं, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को, कि यदि आपके दिल में प्रेम है, अभी उप चुनाव के अन्दर आपने और आपकी पार्टी के लोगों ने कहा था कि मोहनलाल सुखाडिया के स्वप्न को हम पूरा करेंगे हमें वोट दो। तो उस दिन आपने वोट मांगे थे और आज उनके नाम पर आपको दुख हो रहा है। अरे, मैं आपको इस बात के लिये आह्वान करता हूं कि यदि आपको समझना है।

(व्यवधान)

(4.20 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आप चाहते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया के व्यक्तित्व के अनुरूप विश्वविद्यालय बने तो मैं निश्चित रूप से चाहूंगा

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रायश्चित कर रहे हैं।

श्री सी.पी. जोशी : प्रायश्चित तो कौन किसका करता है यह आप अपने मन से पूछिये। यह जो मोहनलाल सुखाड़िया को नहीं जानते हैं वे हल्ला कर रहे हैं इस सदन में दूसरे सदस्य नही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो सुखाड़िया जी को नहीं जानते हैं वे बोल रहे हैं। जो जानते हैं वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आपको तकलीफ हो रही है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बीकानेर में उनके साथ जो कुछ हुआ आपको पता ही नहीं है।

श्री सी. पी जोशी : अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं उदयपुर विश्वविद्यालय श्री मोहनलाल सुखाड़िया के व्यक्तित्व के अनुरूप बने उसके लिए आप उसका स्टेण्डर्ड सुधारिये। इसमें सहयोग देकर उसका नाम बदलना हो तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हैं।

अंत में मैं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय से एक ही बात कहना चाहूगा मुझे यह बात मालूम कि आज राजस्थान में आई. सी. ए. आर. और एन. सी. ए. आर. से इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है कि राजस्थान के अन्दर कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि यदि केवल मात्र विश्वविद्यालय का नाम मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय कर दिया जाये तो राजस्थान को करोड़ों रुपया आई. सी. ए. आर. और एन. सी. ए. आर. से मिलेगा। ऐसा यदि इसमें अमेंडमेन्ट कर सकें तो शासन का भला होगा और हमारा भी भला होगा, निश्चित तौर। पर इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं हमारी गवर्नमेन्ट और आई. सी. ए. आर. की यह कन्डीशन है कि यदि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम को इनकार्पोरेट कर दें तो निश्चित तौर पर हमको ज्यादा पैसा देंगे। इसी आशा के साथ, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आज विधान सभा को पांच विधेयक पारित करने थे। उनमें से एक भी विधेयक पारित नहीं हुआ है। पांच विधेयकों के लिए लगभग 4 घन्टे का समय था और क्योंकि करीब 4।। घंटे का समय निकल गया है इसलिए बैठक का समय एक घन्टे के लिए और बढाना पड़ेगा। अब मैं प्रत्येक विधेयक के लिए समय सीमा निर्धारित करता हूं। इस विधेयक को पारित करने के लिए 15 मिनट का समय और दिया जाता है। 15 मिनट समाप्त होने के बाद में सभी तरह के सारे प्रश्न इस संबंध में पूछ लिये जायेंगे।

श्री नाथूसिह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर भी 15 मिनट में शामिल है।

श्री नाथूसिंह : मैं तो एक ही मिनट में समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 304 में withdrawal of stranger-The speaker may, ..

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष महोदय ने विनिश्चय दे दिया है, इसलिए अब यह दुबारा नहीं उठाया जा सकता ।

श्री नाथूसिंह : मैं दूसरा पाइन्ट उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा पाइन्ट नहीं । सब बातें एक साथ ही कह देनी चाहिए । एक हिस्सा पहले कहा गया और थोड़ी देर बाद में दूसरा हिस्सा कहेंगे इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री नाथूसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आफिसर्स गैलरी में कौन कौन बैठ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : वहां बैठने के तो नियम हैं और गैलरीज में बैठने के नियम अध्यक्ष तय करता है। उसके हिसाब से जो व्यक्ति जहां बैठा है ठीक बैठा है, यही मेरी व्यवस्था है । तो अब प्रश्न पूछ लूं ।

श्री कमलेन्द्र सिंह ।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का जो संशोधन पेश किया है उसको जनमत को जानने के लिए परिचालित किये जाने के बारे में मेरा प्रस्ताव है । इसके पीछे मन्शा, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र इतनी है कि श्री सुखाड़िया जी के नाम पर तो किसी तरह का मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे तो केवल एक बुनियादी एतराज है । नाम को लिखना, नाम को वापस बदलवा और फिर वापस तीसरी बार नाम बदलना, यह जो ट्रेन्ड बना हुआ है, यह जो परम्परा बनी हुई है उस पर मेरा विरोध है, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा । वेस्ट बंगाल में 1967 में वामपंथी मोर्चे की सरकार बनी थी । सरकार बनने के बाद उस सरकार ने कलकत्ता में जितनी भी सड़कें थीं और जितनी भी गलियां थीं उन सबके ऊपर वामपंथी नेताओं के नाम लिख दिये गये थे । माओ से लगाकर मार्क्स, माओ, लेनिन से लगाकर आज जो बैठे हुये हैं ज्योतिर्मय बसु और चारू मजूमदार सबके नाम की तख्तियां लगा दी गयी थीं । 1979 में जब सरकार बदली और कांग्रेस की सरकार आई तो सब तख्तियों को वापस बदल दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है जैसे कि हर शुक्रवार को सिनेमा हाल पर नाम की तख्तियां बदल जाती हैं और वहां पर कभी अमिताभ बच्चन और कभी धर्मेन्द्र की फिल्म आ जाती है उसी तरह से यूनिवर्सिटीज का नाम बदला जा रहा है । मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत परम्परा पड़ रही है । आपके सामने मैं यह भी उदाहरण पेश करना चाहूंगा, यूरोप में एक कानून बनाया गया है. एक कन्वेन्शन बनाया गया है कि किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है वह चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो उसके मरने के दस साल तक किसी भी पब्लिक इन्स्टीट्यूशन, किसी भी आम सड़क पर उसका नाम नहीं लगाया जाता है । आज के दिन भी डेगोल के नाम पर फ्रांस में कोई सड़क नही है, कोई इन्स्टीट्यूशन नहीं है । आज

(118)

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

भी जर्मनी में कोनराड के नाम पर कोई सड़क या कोई इन्स्टीट्यूशन इसलिए नहीं है कि उनको मरे हुए दस साल पूरे नहीं हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का केवल एक ही मतलब है, श्री मालवीया जी के नाम पर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बन सकती थी। स्वतन्त्रता संग्राम में एक परम्परा बनाई गयी थी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी थी वह मालवीया जी के नाम पर बन सकती थी, शांति निकेतन टैगोर के नाम से बन सकता था किन्तु सबको अवाइड करके लोकल नाम से जिस शहर में यूनिवर्सिटी थी, उस शहर के नाम से ही वह यूनिवर्सिटी बनायी गयी। बारबार जो नामों को पलटने की कोशिश की जाती है, मैं समझता हूं, जिन नेताओं का नाम लाया जाता है उससे उनका सस्तीकरण किया जा रहा है। श्री सुखाड़िया जी का नाम उदयपुर यूनिवर्सिटी के स्थान पर लगाया जाये तो, मैं समझता हूं, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है बल्कि उनके नाम से एक विज्ञापन जरूर जारी किया जा रहा है। एक विज्ञापन ही है, यह उनके प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में यह कहना चाहता हूं कि उनके प्रति जो सम्मान है वह सस्ता हो रहा है। जिस जगह सोना होना चाहिए वहां कागजो के नोट का प्रचलन करना चालू किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सदन से रिक्वेस्ट करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982 एक महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ताकि पब्लिक ओपिनियन क्या बन रही है उसका कुछ न कुछ सरकार को भी पता लगे। जल्दी जल्दी में, भावावेश में आकर नाम पलट रहे हैं तो इस नाम का केवल आप सस्तीकरण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री बुलाकीदास कल्ला (उपमंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मोहनलालजी सुखाड़िया ने उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर तथा राजस्थान के लिये जो कुछ किया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। वे वास्तव में आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे। उन्होंने राजस्थान को शैक्षणिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ाया। उन्होंने गांव-गांव में स्कूल, राजस्थान में जोधपुर और उदयपुर के विश्वविद्यालय, जयपुर में मालवीय इन्जीनियरिंग इन्जीनियरिंग कालेज की नींव डालने का काम किया। राजस्थान की समस्याओं का समाधान करने के लिए सुखाड़िया जी ने हर क्षेत्र में अपनी सेवायें दीं। माननीय सदस्य जो विपक्ष से आते हैं उन्होंने जो विचार रखे हैं वे अपने आप में कन्ट्रोवर्शियल हैं। कुछ सदस्य यह कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय रखा जाये और कुछ सदस्य कहते हैं कि इसका नाम किसी के नाम पर नहीं रखा जाये। मैं प्रश्न के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दायरे में कहना चाहूंगा कि वे स्वयं इस बात को समझ लें कि उनकी सरकार ने 1979 में इस बात का फैसला किया था कि महाराणा प्रताप के नाम से इस विश्वविद्यालय का नाम नहीं रखा जाये। स्वर्गीय सुखाड़ियाजी ने महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक स्मारक बनाने में और महाराणा प्रताप को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने में कोई कसर नहीं रखी थी और हमारी भी यही मन्शा है कि उनका सम्मान बराबर रखा जाये। उनकी भावनायें विरोध के लिए विरोध करने की हैं। उन्होंने विषयान्तर होकर उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के लिये जो विधेयक सदन में रखा गया है उसके बारे में न कह कर उदयपुर विश्व विद्यालय के कार्य संचालन कलापों के बारे में जो प्रश्न रखे हैं, मैं समझता हूं, विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबधी नियमों के अन्तर्गत ऐसे विषयों को अलग से रखना चाहिए ताकि नियमानुसार उनको जवाब मिल सके। जहां तक उन्होंने अपने देश की परम्पराओं के अन्तर्गत जो नाम परिवर्तन की बात कही है, अभी विपक्ष से आने वाले माननीय सदस्य ने जर्मनी और इंग्लैण्ड के उदाहरण दिये, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, हम अपने देश की परम्पराओं का अनुसरण करना चाहते हैं। हमारे देश में एक ही नहीं बीसों विश्वविद्यालय हैं जहां सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों की सेवायें, त्याग और वलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके नाम से विश्वविद्यालयो के नाम रखे गये हैं। मैंने इससे पूर्व सदन को बताया कि कामराज नाडार साहब के नाम से मदुरई में यूनिवर्सिटी है। अन्नादुरई के नाम से तमिलनाडू में यूनिवर्सिटी है। आधुनिक भारत के निर्माता पं. जवाहर लाल नेहरू के नाम से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। ऐसे अनेक अस्पताल हैं जैसे वैलिंगटन अस्पताल का नाम परिवर्तन करके आपने राम मनोहर लोहिया अस्पताल बनाया। इसी प्रकार से जय प्रकाश नारायण जी के नाम से अस्पतालों का निर्माण किया। इसलिये हमारी देश की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए श्री सुखाड़ियाजी को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए राज्य सरकार ने उनकी कर्मभूमि उदयपुर के उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करने हेतु यह विधेयक प्रस्तुत किया है। आज राजस्थान के तमाम लोग चाहते हैं कि सुखाड़ियाजी ने जो सेवायें त्याग और वलिदान राजस्थान के लिये किया है, जिस तरीके से जर्जरित राजस्थान को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति की ओर लाकर खड़ा किया है, ऐसे महान् सपूत की अक्षुण याद रखने के लिये इस विश्वविद्यालय का नाम परिवतन करें और उनकी अक्षुण स्मारक बनाकर श्रद्धांजलि दें। इसलिएमाननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, विपक्षी दल के सदस्यों ने जो प्रस्ताव जनमत जानने हेतु रखा है उसको निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) (संशोधन, विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जावे ?)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। खण्ड 2। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह इसलिये किया गया है कि उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम मोहनलाल सुखाड़िया रखा जाये उसका मैं स्वागत करती हूं। मोहनलालजी सुखाड़िया एक महान् व्यक्ति थे। उनकी याद में एक छोटी सी श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया गया है इसलिये उनका नाम रखने का मैं स्वागत करती हूं। मुझे खेद है, अध्यक्ष महोदय, आज उनके नाम को लेकर जिस प्रकार के विचार व्यक्त किये गये उससे दुःख होता है एक ऐसी महान् आत्मा के प्रति जिन्होंने हमारे राजस्थान की इतनी सेवा की उस व्यक्ति के नाम रखने के ऊपर जिस प्रकार के शब्दों में कई भाइयों ने बात की मुझे दुख हुआ कि एक मृतात्मा के बाद भी क्या इस तरह की हुज्जत और हुल्लड़ इस विधान सभा में आनी चाहिये थी ? क्या मानसिक दशा हो रही है यह यह इंगित करती है। जो व्यक्ति जो भाई हिन्दू धर्म की दुहाई देते रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या हिन्दू संस्कृति में महान् नेताओं के नाम के पीछे कोई चीज नहीं रखी गई। आज की गंगा भागीरथ के नाम पर भागीरथी कहलाई उसका क्यों नहीं बायकाट कर दिया। ध्रुव के नाम पर ध्रुव तारा का नाम रखा गया। यह परम्परायें रही है। हमारे देश में ही नहीं सभी जगह रही हैं। महान् नेताओं को श्रद्धांजलि देने उनके प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने का यह भी एक तरीका है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ आपने वहां की यूनिवर्सिटी को लेकर कहा। दिल में दर्द तो यह था कि सुखाड़िया जी का नाम क्यों रखा गया, लेकिन बीच में यह लाये कि ऐसे राजनैतिक अखाड़ों के. अड्डे बने हुए हैं इससे सुखाड़िया के नाम का अपमान होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी ऐसी बातें हो रही हैं उसका नाम राम मनोहर लोहिया वहां से क्यों नहीं हटा दिया जाता ? आज आपने विरोध किया। दीन दयाल उपाध्याय की बिल्डिंग बनाने के लिए आपने नहीं सोचा, बिल्डिंग बना दी। श्यामा प्रसाद मुकर्जी मार्ग बनाने के लिये कई तरह की स्पर्धा चलती रही उस वक्त यह बात क्यों नहीं याद आई ? आज सुखाड़िया जी के वक्त इस बात को आपने सदन में क्यों रखा ? कम से कम मृतात्मा के लिये पालिटिक्स को ऐसी जगह न लाया जाये अनेक जगह आप पालिटिक्स लाते हैं।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक छोटा सा संशोधन प्रस्ताव यह रखा है कि खण्ड 2 के उप खण्ड (1) में प्रयुक्त शब्द "Mohan Lal Sukhadia University" के स्थान पर शब्द "Mohan Lal Sukhadia Agricultue University" प्रतिस्थापित किया जाय। यह मेरा संशोधन प्रस्ताव है, यह मैंने इसलिये रखा है जब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी तो शुरू में कृषि विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी लेकिन धीरे-धीरे इसका असली स्वरूप गायब होता गया। आज यह मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी के रूप में है। कृषि विश्वविद्यालय के लिये 'कृषि' नाम रखने के लिये मैं इसलिये जोर दे रही हूं इसका अगर मोहन लाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय नाम हो जाता है तो रिसर्च कौंसिल से करोड़ों रुपयों की ग्रांट प्राप्त होगी। इसका सही स्वरूप नहीं रखने के कारण हमारे प्रदेश को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। अगर कृषि विश्वविद्यालय हो जाये तो रिसर्च के लिये वर्ल्ड बैंक से रिसर्च कौंसिल और अनेक प्रकार से हमें ग्रांट मिलती रहेगी। जहां तक मेरा ख्याल है हमारी सरकार की मंशा यह है कि अभी भी यह एग्रीकलचर वायस है और हमारा मकसद पूरा हो रहा है इसलिये कृषि नाम देने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय का भी यह कहना है कि ग्रांट जितनी हमें मिलनी चाहिये, मिल रही है कृषि नाम का कोई फायदा नहीं है। बाकी मेरी मान्यता है, जो कुछ मुझे जानकारी प्राप्त है वह यह है कि कृषि विश्वविद्यालय कायम करते हैं तो अनुसंधान के लिये एक बहुत बड़ी राशि प्राप्त होती है। अगर आप कहते हैं कि हमारा मकसद पूरा हो रहा है और हमें बराबर उतनी ही ग्रांट मिल रही है तो मैं मंत्री जी से आंकड़े चाहूंगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी को कुल कितना अनुदान मिल रहा है और राजस्थान को प्राज कुल कितना अनुदान मिल रहा है ? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को कितना अनुदान मिल रहा है, कितना स्टाफ है और हमें क्या प्राप्त हो रहा है ? मैं निश्चित जानकारी के अनुसार कह सकती हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी के मुकाबले पंजाब यूनिवर्सिटी में कहीं 6 गुणा स्टाफ है। दूसरी दृष्टि से यह भी देखा जाये कि राजस्थान इतना बड़ा हमारा राज्य है क्या उसमें एक भी कृषि यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है जबकि उड़ीसा जैसे पिछड़े हुए राज्य हैं उसमें कृषि यूनिवर्सिटी है। हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय है हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय है। यही नहीं बल्कि इन विश्वविद्यालयों के कारण एक बहुत बड़ा फर्क आया है हिमाचल प्रदेश ने कृषि यूनिवर्सिटी के कारण फलों के उत्पादन में एक रिवोल्यूशन पैदा किया है। एक छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश एक और कृषि यूनिवर्सिटी खोलने पर विचार कर रहा है जिसमें होर्टीकल्चर केवल फलों पर अनुसंधान किया जा सकेगा।

हमारा राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे यहां की पशु संख्या बहुत अधिक है। इन सब बातों को देखकर एक स्वतन्त्र कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में होना नितान्त आवश्यक है। इस समय 19 मिशन राज्य में अलग-अलग काम कर रहे हैं और उनकी जरूरत है। क्योंकि अलग-अलग तरह का

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत)

अपना बड़ा राज्य होने की वजह से अलग-अलग प्रकार का क्राप पेटर्न है अलग-अलग प्रकार का अनाज पैदा होता है, वर्षा का है, क्लाइमेंट का है, जियोग्राफी का है ट्रोपोग्राफी का है । इसलिए अलग-अलग जगह पर ज्वार का, बाजरे का, मकई का, कपास का अनुसंधान हो सकता है जबकि पंजाब और दूसरे राज्यों में कई प्रकार का अनुसन्धान करके बहुत प्रोडक्शन बढ़ाया है। मैं तो यह भी आपसे कहूंगी जब भी हमारी यूनिवर्सिटी की ग्रान्ट के लिए ऊपर प्रपोजल भेजे जाते हैं तो ज्यादातर इस आधार पर वापस लौटाये जाते हैं कि आपका कृषि विश्वविद्यालय नहीं होने के कारण ग्रान्ट पूरी नहीं दी जा सकती है। मंत्री महोदय क्या यह बात सही नहीं है कि डा. स्वामीनाथन, जो डाइरेक्टर जनरल रिसंच हैं ने बार बार सरकार को नोट लिखे है, कि आप एक स्वतन्त्र कृषिविश्वविद्यालय की स्थापना करें।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : पंजाब में जो कृषि अनुसंधान हुआ हैं उससे वहां का किसान दो साल आगे चला गया है। कृषि विभाग जो कुछ भी काम करता है वह बिलकुल गारत में जाता है। किसान अपने आप खुद जो काम करता है वही सही निकलता है।

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत : माननीय सदस्य, आप दो कदम आगे चल रहे हैं, किसी के बीच में बोलने खड़े हो जाते हैं यह अच्छी बात नहीं है। आपको बोलना है तो बाद में बोलिये। मैं मंत्री महोदय से इसलिए पूछना चाहती हूं क्या दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले हमारे पास स्टाफ है ? क्या हमारी लेबोरेट्रीज इतनी उन्नत हैं जितनी की दूसरी यूनिवर्सिटियों की हैं ? क्या हमारे पास रिसंच के इतने साधन हैं जितने की बराबर के राज्यों में हैं ? मैं कह सकती हूं निश्चित रुप से नहीं हैं। हमारे पास साधनों की कमी है, हमारे पास रिसंच की कमी है और हमारे पास स्टाफ की कमी हैं। मंत्री महोदय, आप इस पर विचार करें और हमारे राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, उसके आकार को देखते हुए, दूसरे राज्यों के मुकाबले को देखते हुए आप हमारे यहां एक कृषि विश्वविद्यालय की अलग स्थापना करें।

अभी जो मौजूदा उदयपुर की यूनिवर्सिटी है उसका आकार इतना बड़ा है। केवल उदयपुर शहर के कुछ कालेज हैं वे उसके अन्तर्गत हैं बाकी दो कालेज बीकानेर और जोबनेर के हैं वे तो कृषि विश्वविद्यालय के ही अंग है। इसलिए मंत्री महोदय, जो अभी उदयपुर यूनिवर्सिटी में मौजूदा कालेज चल रहे हैं उन्हें चाहें इस यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत रखें चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत रखें आपके साधनों के अनुसार रखें, लेकिन उदयपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसको कृषि यूनिवर्सिटी का रूप दिया जाये। आप इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। हम काफी पिछड़े हुए हैं, हमें और अधिक विशेष पिछड़ा हुआ न रखा जाये। इसके ऊपर आप पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करें। मैं आपको निश्चित रूप से कह रही हूं जैसी कि आपकी मान्यता है कि हमारा

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत)

जो सारा का सारा मकसद है वह पूरा हो रहा है वह नहीं हो रहा है। जितनी ग्रान्ट मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। मैं कहती हूं औरों के मुकाबले हमें ग्रान्ट नहीं मिल रही है। इस पर राज्य सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया है। उनके दिमाग में इस बारे में कई धारणायें हैं- इस यूनिवर्सिटी को यहां रखा जाये या हटाया जाये पालिटिकल झगडों से आप शिक्षा जैसे विषय को न जोड़ें। सारे राजस्थान की यूनिवर्सिटी एक जगह कायम हो या दूसरी जगह कायम हो उन सब बातों से ऊपर होना चाहिए। हमें तो यह देखना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा हमारे राज्य का किससे फायदा हो सकता है। स्थान कोई भी हो, उचित स्थान आप रखें लेकिन कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास न होने से हमें एक शर्म सी आती है। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान प्रदेश में जहां भेड़ें, गायें, ऊंट, बहुत सारे जानवर और सब पशु धन होते हुए रेगिस्तान है उस रेगिस्तान में हम किस प्रकार उन्नत बीज दे सकते हैं, कितना कम पानी देकर अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। अकाल और सूखे से किस प्रकार मुकाबला कर सकते हैं उसके लिये हमें अपने ही तरीके से, अपनी टोपोग्राफी के हिसाब से रिसर्च करके अपने आपको अनाज के मामले में स्वावलम्बी बनाना है। स्वावलम्बी होने के बाद ही हम अनाज बाहर भेज सकते हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगी कि कृषि विश्वविद्यालय के बारे में विचार करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

समय का अभाव है।

श्री महाराम चौधरी : कृषि पर बात आ गई है इसलिए निवेदन करना चाहता हूं.....।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य बैठ जायें। श्री नन्दलाल कुछ कहना चाहते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : उदयपुर जिले के कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष यहां बिराजे हुए हैं, माननीय हनुमान प्रसाद प्रभाकर, वे भी दो शब्द फर्मा दें तो उत्तम रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री बुलाकी दास कल्ला (उप मंत्री, शिक्षा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाली माननीय सदस्या ने मोहन लाल सुखाड़िया उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम में 'कृषि' शब्द जोड़ने के बारे में जो संशोधन प्रस्ताव दिया है, उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि एक तो जो भी ग्रान्ट आई. सी. ए. आर. से मिली है वह हमने लैप्स नहीं होने दी है। जो अकेडेमिक कौन्सिल बनी हुई है उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अनुरूप व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके अनुरूप जो सहायता आई. सी. ए. आर. से मिलनी चाहिये वह बराबर मिलती आ रही है। जहां तक यह 'कृषि' शब्द मोहन लाल सुखाड़िया से जोड़ने का प्रश्न है यह केवल नाम जोड़ने की बात नहीं है, इसके साथ बहुत से मुद्दे जुड़े हैं। एक तो जो यह विश्वविद्यालय काम कर रहा है वह मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहा

(श्रीबुलाकीदास कल्ला)

है। यदि कृषि विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय बनता है तो दूसरी फैकल्टीज वहां से हटेंगी और एक अलग प्रश्न वहां जुड़ जायेगा। फिर उसके लिए वहां की स्थानीय जनता, वहां का समाज एक विवाद खड़ा कर सकता है। इसलिये इसके सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में विशेष प्रावधान करने की बात कही गई है, वह भी नहीं होगी तथा इससे सम्बन्धित अन्य विश्वविद्यालय खुल पायेंगे या नहीं खुल पायेंगे, इन सभी आधारों पर विचार करना होगा। ऐसी स्थिति में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्या ने जो खण्ड 2 में प्रस्ताव रखा है, उनको निरस्त किया जाये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से यह जानकारी चाही है कि क्या आपके यहां से जो प्रपोजल और प्लान गये हैं वे नहीं लौटाये गये हैं? क्या डाइरेक्टर जनरल, डा० स्वामीनाथन ने आपको यह नहीं लिखा है कि स्वतन्त्र कृषि विश्वविद्यालय नहीं होने के कारण हम पूरी ग्रान्ट नहीं दे सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दें। दूसरा, जो मैंने कहा पंजाब, हरियाणा को किस अनुपात में अनुदान मिलता है और आपको किस अनुपात में मिलता है? ये आंकड़े बतायें।

श्री बुलाकी दास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक नाम परिवर्तन से सम्बन्धित है और उसमें 'कृषि' शब्द जोड़ने के सम्बन्ध में मैंने अपने तर्क दे दिये है। इसलिये हम अब इस स्टेज पर कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसी सूरत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो ग्रान्ट से सम्बन्धित मुद्दा है और जो 'एग्रीकल्चर' शब्द जोड़ने से मल्टी फैकल्टीज के हटने का प्रश्न है, वह बहुत गम्भीर है। इसलिए इसको न उठायें और खण्ड 2 के सम्बन्ध में जो संशोधन इन्होंने दिया है, उसे निरस्त किया जाये।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक: माननीय सदस्या यह कहना चाहती हैं कि एक नयी कृषि युनिवर्सिटी बनायी जाये उसका नाम मोहन लाल सुखाड़िया युनिवर्सिटी रखा जाये, यह सुझाव सही है....

श्री चन्दन मल बैद (शिक्षा मंत्री): यह सही है कि भारत सरकार की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि इसका नाम कृषि विश्वविद्यालय रखिये लेकिन उसके कारण से उन्होंने हमारी ग्रान्ट रोकी नहीं है और जो पैसा हमको कृषि विश्वविद्यालय के अनुदान के रूप में मिलना चाहिए था, वह हमें बराबर मिल रहा है। हम उनसे बराबर कह रहे हैं कि हम कृषि विश्वविद्यालय नाम रख देंगे तो जो मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी अभी चल रही है उसमें बाधा आ जायेगी, इस वास्ते हम सक्षम नहीं हैं। हम बराबर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि इसके बारे में हमें किस तरह का क्या निर्णय लेना चाहिये, कितनी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिये, कैसा क्या कार्य होना चाहिये। यह इस विश्वविद्यायल से सम्बन्धित नहीं है, यह अलग चीज है और इस पर अलग से विचार-विमर्श होगा। पैसे का जो सवाल है वह

(श्री चन्दनमल बैद)

जितना कृषि विश्वविद्यालय को मिलना चाहिये, उतना मिल रहा है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : क्या राजस्थान को अलग कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है, आपके ख्याल से ?

श्री चन्दन मल बैद : मैं कह चुका हूं कि इस विधेयक से सम्बन्धित नहीं है। उस पर विचार-विमर्श चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : अलग से विचार चल रहा है। संशोधन प्रस्ताव वापस लेने का विचार है क्या, माननीय सदस्या ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मैं वापस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन को वापस लेने की इजाजत दी गयी।

विथड्रा कीजिए ना।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मैं वापस लेती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3, 4, 5 में कोई संशोधन नहीं, अतः मतदान हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3, 4 व 5 स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3, 4 व 5 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। इसमें कोई संशोधन नहीं है अतः यह मतदान हेतु प्रस्तुत की जाती है।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि। कोई संशोधन नहीं है, अतः ये मतदान हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक का पारण

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इस विधेयक के लिए मैं 5 मिनट का समय और देता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

विधेयक का पारण

श्री कैलाश मेघवाल। 5 मिनट का समय है, ढाई मिनट आप बोलेंगे और ढाई मिनट दूसरे माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल बना रहे है उसके बारे में बिना सोचे-समझे कुछ बातें बोली गई। मुझे अफसोस है कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, जो प्रोफेसर रहे हैं, ने जो बातें कही हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, तर्क नहीं है, रेशनल नहीं है। मैंने एक स्पष्ट बात कही थी कि पहले यह एक प्रस्ताव आ चुका था कि इसका नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय रखा जाये लेकिन उसको नकारा गया था। यह हमारा दुर्भाग्य है, माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय उप मंत्री जी को जो चीजें पकड़ा देते हैं, उनको बोल देते हैं। उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन शिक्षा का जैसा अवमूल्यन राजस्थान में किया गया है, वह माननीय शिक्षा मन्त्री यहां कर रहे हैं। 1964 में उस समय यह निर्णय लिया गया था, कि किसी व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम नहीं रखा जाये यह निर्णय आज भी सचिवालय में मौजूद है। उसी निर्णय को जनता पार्टी की सरकार ने अप्रूव किया था, वह भी इस आधार पर किया था। जरा पृष्ठभूमि देख लेते, आपको मालूम नहीं, चन्दन मल जी बोलना नहीं चाहते और आपका अवमूल्यन करवा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि यह जो निर्णय श्रीमान् सुखाड़िया जी के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल में लिया गया था कि कभी भी किसी के नाम पर किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं रखा जाये, उसको हमने अप्रूव किया था। उसी आधार पर पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेन्स लाये हैं, कौनसा पहाड़ गिर रहा था। आप तो विराजमान थे, इसी सदन की गौरवमयी कुर्सी पर, स्वर्गीय मोहन लाल जी सुखाड़िया को श्रद्धांजलि देते समय, चाहे उस पक्ष के बोले हों, चाहे इस पक्ष के बोले हों परन्तु प्रत्येक व्यक्ति ने निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मोहन लाल जी सुखाड़िया ने जनतांत्रिक परम्पराओं, जनतांत्रिक गरिमाओं, जनतांत्रिक मर्यादाओं का सबसे ज्यादा निर्वहन किया। आज उन्हीं जनतांत्रिक मर्यादाओं का निर्वहन करने वाले व्यक्ति का नाम आप आर्डिनेन्स लाकर विश्व-

(श्री कैलाश मेघवाल)

विद्यालय के नाम के साथ जोड़ रहे हैं। क्या यह विधान सभा नहीं आ रही थी, क्या बिल नहीं ला सकते थे ? यह उनकी महान् जनतांत्रिक पर्सनलिटी को आपने अपमानित किया है। यह श्रद्धांजलि आप किस तरह से दे रहे हैं, यह आप ही जानें। नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक चले गये, मैं उनसे निवेदन करना चाहता था कि वे भावावेश में कुछ कह गये। पिछली सिण्डीकेट की मीटिंग में वे गये थे, अगर वे यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि पिछली सिण्डीकेट की मीटिंग के प्रत्येक निर्णय पर उनका डिसेंट नोट है, वे मिनिट्स यहां रखवाये जायें उदयपुर विश्वविद्यालय के। शायद उस डिसेंट नोट के कारण प्रशासन ने उनसे जरा मेल-जोल बढ़ा दिया इसलिये आज इस तरह की उनकी प्रशंसा करने की स्थिति बनी हो, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन वे होते तो मैं उनसे पूछना चाहता था कि क्या आपने हर निर्णय के ऊपर डिसेंट नोट दिये ? मैं निवेदन करना चाहता था, भीम से आने वाली विधायिका ने कहा है कि दूसरी जगह कृषि विश्वविद्यालय में जितना साज सामान, जितना प्रोजेक्ट, जितनी स्वीकृतियां पहुंच रही हैं, उतनी स्वीकृतियां राजस्थान के इस कृषि विश्वविद्यालय में नहीं पहुंच रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में भी कहा था कि यहां पर झगड़ा किस बात का है ? कौन कहां किस तरह से लगाया गया, वहां लगा, कैसे लगा, क्यों इसके ऊपर कोई बहस नहीं की गई ? मैंने कुछ मुद्दे उठाये थे, आपने कह दिया, अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान किस पर चल रहा है ? मालूम है कौनसे विषय पर है, कौन से बीज पर है, कौन से सीरियल्स पर, कौन से पशु पर....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह की उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थिति है। एक बात और कही गयी। मुझे अफसोस है, उन्होंने अभी कहा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने, जनता सरकार ने दो आदमियों को 22 महीने निलम्बित रहने के बाद वापस नौकरी में लिया। अगर न्याय मिलता है तो रख लिया। लेकिन कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य यहां नहीं बैठे हैं, शायद शिक्षा मंत्री जी जानते हैं, उनमें एक व्यक्ति और था फूल चन्द जी वकील, जो कांग्रेसी हैं, के छोटे भाई मोहन लाल कोठारी है वे भी कांग्रेसी हैं, उनकी पत्नी कांग्रेसी और डा० कुन्दन कोठारी खुद कांग्रेसी हैं। जीवन मल शुरू से आखिर तक कांग्रेसी रहा, उसको हमने बहाल किया है, यह हम गर्व से कह सकते हैं। इस बात को जिस तरह कह गये, मुझे अफसोस है, उनके मुख से यह शब्द निकला कि बैकडोर से उसको बहाल किया। वह कांग्रेसी हैं, कुन्दन सिंह, मैं नाम लेकर कह रहा हूं। फूल जी कोठारी को आप जानते हैं, तेरापंथी समाज के हैं, वह कांग्रेसी हैं। उनके छोटे भाई मोहन लाल जी कोठारी कांग्रेसी हैं, उनकी पत्नी सुशीला जी कोठारी कांग्रेसी हैं। उनका एक छोटा भाई कुन्दन कोठारी था जो निलम्बित हुआ था, कांग्रेस सरकार में। उनके खिलाफ कोई बात सिद्ध नहीं हुई तो हमने उनको बहाल किया, तनख्वाह दिलायी। यह गौरव जनता पार्टी की सरकार को, तत्कालीन शिक्षा मंत्री को मिला।

(श्री कैलाश मेघवाल)

ऐसी मिसाल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब लोग सोचते हैं वह चले गये, उनके सामने क्या जायं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में कहा था, मैं इस बात के निश्चित खिलाफ हूं कि अगर विश्वविद्यालय को····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : विश्वविद्यालय को आई. ए. एस., आई. पी. एस. के आधार पर चलाना है तो विश्वविद्यालय का नाम मत लीजिए। यह तो कांग्रेसी विधायक हैं, वह कह गये कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर को हमने लगाया था। इसलिये लगाया था क्योंकि उस समय आवश्यकता थी। टैम्प्रेरी इसलिये लगाया था कि एग्रीकल्चर के पण्डित हैं, एग्रीकल्चर का पन्डित आना चाहिये। पुलिस आफिसर से विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं तो यह विश्वविद्यालय, चन्दनमल जी, आपको मुबारक हो। शिक्षा का अवमूल्यन करने के इतिहास में नाम आयेगा तो आपका नाम आयेगा। मैंने पी. एन. भण्डारी के सम्बन्ध में यह नहीं कहा कि वे काबिल नही हैं। एक ब्यूरोकेट के रूप में अच्छे अफिसर हो सकते है लेकिन विश्वविद्यालय का जो विजन होना चाहिये, कृषि विश्वविद्यालय की जो कल्पना चाहिए, जो दूरदृष्टि होनी चाहिये, वह उनमें कृषि पन्डित के मुकाबले नहीं हो सकती। विश्वविद्यालय को शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा, कृषि पन्डितों के द्वारा चलाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही कहना है, बड़े जोश से बोले थे बड़ी बात कही थी,....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है।

श्री कैलाश मेघवाल : नाथद्वारा के माननीय विधायक कितना बोलते थे, बड़े भावावेश में वह गायब भी हो गये। उनसे मैं पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। शिक्षा मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने समय सीमा बांधी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : केवल दो मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शिक्षा मन्त्री जी। मैंने काफी समय दे दिया सभी माननीय सदस्यों को, अब नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, समय सीमा बांधी हुई है। मेरी मजबूरी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बिल्कुल नम्र प्रार्थना करता हूं चूंकि उन्होने एक....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैंने काफी समय दे

(व्यवधान)

दिया है। आर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जावें। अंकित नहीं हो।

शिक्षा मंत्री जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण): चन्दनमल जी, क्या नाम लेने में ही घबराते हैं। उनको बोलना चाहिए। चन्दनमल जी खुद क्यों नहीं बोलते ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : खुद बोले ना। उनका विरोध है क्या इससे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, संक्षेप में। टाइम हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय शिक्षा मंत्री जी, खुद बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है उसका जवाब मैं पूर्व में दे चुका हूं। 26-2-79 को एक प्रस्ताव इस सम्बन्ध में आया था, जो जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त कर दिया इसलिए मुझे इस सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कहना है।

मैं अनुरोध करता हूं कि उदयपुर विश्व विद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982 को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाव ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

अगला विधेयक।

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982.

परिनियत संकल्प

राजस्थान सरकार स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश एवं विधेयक आदि। परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह एवं अन्य माननीय सदस्य। भाषणों पर समय सीमा पांच मिनट।

अच्छा, श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

यह बिल तो आना ही था और इसके आने की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि अध्यादेश के द्वारा इस बिल को लाया गया है। इस बिल का आर्डिनेन्स है उसका तो मैं विरोध करता हूं लेकिन बिल का स्वागत करता हूं। 12 जुलाई को यह अध्यादेश जारी किया गया और उसके बाद में सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की, यह माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में बतायेंगे। कितनी सरकारी सम्पत्तियों, जिन पर अप्राधिकृत व्यक्तियों का अधिकार था, को अपने कब्जे में ले लिया? अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं सरकारी सम्पत्तियों की जो हालत है, लोग यह समझते हैं कि लावारिस प्रोपर्टी अगर किसी को कहते है तो वह है सरकारी सम्पत्ति। आज सरकार जिस प्रकार से लावारिस हो रही है उसी प्रकार से सरकारी सम्पत्तियां लावारिस हो रही है। चाहे जो व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है। इस कारण बिल को तो लाना बहुत जरूरी था लेकिन दो महीने पहले अध्यादेश को लाना किसी प्रकार से जरूरी नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस अध्यादेश के अन्तर्गत कुछ संस्थाओं को जोड़ा गया है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को इसमें जोड़ा गया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम को इसमें जोड़ा गया है। इसी तरह से राजस्थान पंचायत अधिनियम के अधीन गठित पंचायतें पंचायत समितियां, जिला परिषद्, कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत गठित जिन कम्पनियों में 51 प्रतिशत से अधिक सरकारी हिस्सा हो उनको उसमें जोड़ा गया है। इसी प्रकार से देवस्थान और वक्फ की जो जमीन है उन सब को इसमें जोड़ा गया है। इन सब को जोड़ने का माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा काम किया। यह अध्यादेश किस जल्दी में लाये यह तो मुझे पता नहीं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि अध्यादेश लाने के पश्चात् माननीय मन्त्री महोदय को एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जिसको खाली कराया जा सके। आपको ध्यान नहीं हो तो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपकी ही बगल में बैठे हुए आपके मंत्रिमण्डल के सदस्य, इस समय आप देख लीजिये कि बगल में कौन हैं वे उठ कर चले गए हैं, जयपुर यू. आई. टी. के गेस्ट हाउस, जो सिविल लाइन्स के पास है, को दिनेशरायजी डांगी दबाए बैठे हैं, उसको आप खाली नहीं करवा सके।

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। बिना पूर्व सूचना के मानहानिकारक मामले नहीं उठायें कृपया। आपने इसकी सूचना नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, उद्योग): कोई पूर्व में सूचना नहीं दी है, व्यक्तिगत आक्षेप है इसलिए इसको एक्सपंज किया जावे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मंत्री का नाम लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री महोदय दबा कर बैठे हैं। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि यू. आई. टी. के गेस्ट हाउस में रहते हुए विधान सभा से मकान किराया और वसूल कर रहे हैं। आपके मंत्री मण्डल में से

(व्यवधान)

एक सदस्य हैं। यू. आई. टी. के गेस्ट हाउस में यू. आई. टी. के नोटिस देने के पश्चात् स्वयं का निर्माण कराया। आज से नहीं, दस साल या 15 साल से दबा कर बैठे हैं। यदि आपको अध्यादेश लाने की जल्दी थी, इतनी अरजेंसी थी तो आपकी बगल में रहने वाले से मैं यह निवेदन कर दूं, दूर नहीं हैं आपके बंगले के बिलकुल पास में है उसको आप खाली नहीं करवा सके।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : उसको आप खाली क्यों नहीं करवा सके! आपकी सरकार ढाई साल तक रही, आप खाली नहीं करवा सके।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं, अध्यक्ष महोदय, उस समय विधायक नहीं था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नाम में मत जाओ, करा लो खाली।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : आप क्या कर रहे थे ढाई साल तक ?

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : ढाई साल नींद आ रही थी क्या ?

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : Hear. Hear. अब नींद खुली है, पहले नहीं खुली।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब तो देवो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, शायद दया करके उन्होंने इसको छोड़ दिया था, उस समय ये विधायक नहीं थे।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : उस समय सरकार सो रही थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दया का पात्र समझ कर हमारी सरकार ने उनको माफ कर दिया था, उस समय विधायक नहीं थे उनको विधान सभा से पैसे भी नहीं मिलते थे इसलिए शायद उनको माफ कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, राजस्थान मंत्री मण्डल के एक सदस्य ने आज भी यहां से जयपुर अजमेर रोड पर, 23 बीघा 5 बिस्वा सरकारी जमीन को दबा रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। इसमें आप यह उदाहरण नहीं दे सकते। यदि आपको यह उदाहरण देना था तो या तो इसके कोई खण्ड पर संशोधन प्रस्तुत करते अथवा अन्य किसी तरीके से इस मामले को लाते। आपने इस अध्यादेश को अस्वीकार किया

(श्री अध्यक्ष)

जावे इसके लिए एक संकल्प दिया है, उसमें कोई व्यक्तिगत विषय लाना चाहते हैं, वह इसकी परिधि में नहीं आता। इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि क्या इसकी इतनी अरजेंसी थी और अरजेंसी के जो करण बता रहे हैं तो जो मंत्री मण्डल के सदस्य हैं····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शेर आ गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब तक मंथन कर रहे थे शेर से।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, केवल पांच मिनट का समय प्रत्येक माननीय सदस्य को दे रहा हूं, इसलिए जल्दी समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही नहीं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, शांत रहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, खसरा नम्बर 37/3, और खसरा नम्बर 34/4, दोनों की जमीन मिलाकर 23 बीघा और 15 बिस्वा होती है, वह जमीन आज भी निश्चित रूप से राजस्थान मंत्री मण्डल के एक सदस्य दबा कर बैठे हुए हैं। अध्यादेश लाने के बाद आप इस जमीन को खाली कराते। यही नहीं, उस जमीन के पास में खसरा नम्बर 38 पर सोइल कंजरवेशन कराया गया था, वह जमीन राजस्थान नेशनल हाई वे के 15 नम्बर के मील के पत्थर के पास हरनाथपुरा गांव में है। वह जमीन........

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : नाम बतायें कि कौन से मंत्री ने कब्जा कर रखा है? क्या प्रद्युम्न सिंहजी ने कर रखा है या चेतरामजी ने कर रखा है या गोटेवालाजी ने कर रखा है या शर्मा जी ने कर रखा है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको इजाजत नहीं दी है, कृपया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस जमीन की कीमत आज 10-15 लाख रुपया है, अध्यक्ष महोदय, वह जमीन दबा कर बैठे हैं। वह जमीन दबाने वाले आपके मंत्री मण्डल में हैं। ऐसी कौन सी अरजेंसी थी? अगर अरजेंसी थी तो खाली कराते उस जमीन को।

श्री अध्यक्ष : ऐसी जमीन के लिए तो पहले ही कानून बने हुये थे। इसमें आप उसका क्या हवाला दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह भी तो नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह तो साधारण जो रेवेन्यू का कानून है उसके अन्दर भी अनधिकृत कब्जा है तो उसको हटाया जा सकता है। इससे सम्बन्धित हो वह बात कहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन्होंने इसलिये पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को, निगमों को वह जमीन दे दी।

श्री अध्यक्ष : यह जमीन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वह जिला परिषद की है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, जयपुर के मास्टर प्लान में इस जमीन को जिस पर्पज के लिए निर्धारित किया था. सरकार ने, उस पर्पज के काम नहीं आयी। मंत्रिमण्डल के सदस्य दबाकर बैठ गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। समय समाप्त हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज जिस प्रकार राजस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्य सरकारी सम्पत्तियों को लावारिस समझकर दबा कर सदन के अन्दर बैठे हैं, उनके पास जवाब नहीं है इस बात का।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समाप्त कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिये मैं कहता हूं अध्यादेश लाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखें। श्री कैलाश मेघवाल।

समय सीमा बांध दी है, तीन विधेयक और पारित करने हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो मिनट बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस अध्यादेश को लाने के पश्चात् किस-किससे जमीन खाली करायी ? कौन-कौनसे निगम को जमीन दी, कौन-कौनसे औद्योगिक क्षेत्र की जमीन थी ? इस अध्यादेश के लाने के बाद इस अध्यादेश के द्वारा कितनी जमीन खाली करवायी और क्या कार्यवाही की ? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार, जिसको लावारिस सरकार के नाम से पुकारा जाता है, की लावारिस प्रापर्टी को मंत्रिमंडल के सदस्य दबाना चाहेंगे तो दूसरे लोग जरूर दबायेंगे। इस अध्यादेश को किसलिये ला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : संशोधन के वक्त आपके विवेक का प्रयोग मेरे पक्ष में हो उस समय पांच मिनट दें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे तो कुछ सुझाव हैं। कई मंदिर कांग्रेस के प्रभावशाली लोगों ने रोक रखे हैं। सामने रामचन्द्र जी के मंदिर पर कब्जा है। बहुत दिनों से किराया ही नहीं दिया गया। देवड़ी जी के मंदिर पर कब्जा है।

श्री अध्यक्ष : तो, इस आर्डिनेन्स का फिर विरोध क्यों कर रही हैं, उसी उद्देश्य से तो लाया जा रहा है।

(134)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो इसके लक्ष्य की प्राप्ति की बात कर रही हूं। ध्यान से सुनलें। यही नहीं, यहां तक कि जो पी. डब्ल्यू. डी. के क्वार्टर्स कलेक्टर और एस.पी. के लिये कलेक्ट्री के बिलकुल पास थे, उन दोनों क्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया। आज वहां पर कांग्रेस कमेटी के दफ्तर का बोर्ड लगा हुआ है। कलेक्टर रहता है पाच मील दूर और एस. पी. रहता है नयी पुलिस लाइन में। कहीं कोई गड़बड़ी हो जाय, कलेक्टर और एस.पी. से मिलने को कम से कम आधा घंटा लगता है। उन क्वार्टर्स को खाली करवायें। श्रीमान्, मेरा निवेदन है, नगर विकास और नगर परिषद् ने कई लोगों को किराये पर जमीन दी। किराये पर किनको जमीन दी? म्युनिसिपैलिटी के तत्कालीन प्रशासक, जो चुने हुए अध्यक्ष थे, उन्होंने जमीन दी। कहो तो नाम लीक आउट करदूं, नहीं कहो तो नहीं करूं। मैं नगर विकास न्यास के अध्यक्ष, जो अभी नहीं है, की बात कर रही हूं। उन्होंने जमीन दी किराये पर और जमीन पर कांग्रेस के बंधुओं ने पक्के मकान खड़े कर लिये। उनको खाली करायें। आप चाहेंगे तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी, पटरियों की दुकानें दीं, लेकिन इन्होंने न तो किराया वसूल किया न दुकान खाली करवाई। मैं चार्ज लगाती हूं कि कांग्रेस के लोगों ने उन स्थानों पर पक्के भवन बना लिये हैं। उनको खाली करायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बाहर दिल्ली में हमारी सम्पत्ति है, बीकानेर हाउस है वह भी हमारी सम्पत्ति है। हरिद्वार में हमारी सम्पत्ति है। बम्बई कलकत्ता में हमारी सम्पत्ति है।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो वहां उस प्रदेश की सरकार के कानून लागू होंगे आपने कहां होंगे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : राजस्थान की सम्पत्ति है, राजस्थान की सरकार के द्वारा संचालित हैं। न उनका किराया लिया गया है न ही उनको खाली कराया गया है।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये अलग कानून लाना पड़ेगा। इससे काम नहीं चलेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो इसको सशक्त बनाकर लाते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्या, उन प्रदेशों में यह कानून लागू नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह बता रही हैं कि ऐसा कानून लाओ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो यह बताना चाहती हूं, जर जोरू और जमीन....

(व्यवधान)

श्रीमान् जी, आपको अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये नियम बनाने चाहिये। मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपने एन्क्रोचमेंट किया है उसका क्या करेंगे? यह विधान सभा एक रुपया महीना या एक रुपया वार्षिक किराये पर चल रही है। टाउन हाल म्यूनिसिपैलिटी का है, म्यूनिसिपैलिटी बरामदों में किवाड़ लगाकर, जहां घोड़े बधते थे वहां चल रही है और टाउन हाल में आप बैठे हैं। आपकी विधान सभा के लिए जो जमीन निर्धारित थी वहां आपने बनायी नहीं और आपने इसका किराया भी,

(श्रीमती उजला अरोड़ा

अध्यक्ष महोदय, मुद्दत से नहीं दिया। इस तरह के एन्क्रोचमेंट के लिए आप कुछ करने वाले हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जयपुर के मंदिरों की लिस्ट दे सकती हूं, जयपुर के वक्फ की जमीन की लिस्ट दे सकती हूं। सरकार ने उनका पैसा दिया नहीं, वक्फ बोर्ड बिलकुल बरबाद होकर बैठा हुआ है। अरे, श्रीमान्, आप अपनी सम्पत्तियों पर कब्जा करो। देवड़ी जी का मंदिर खाली कराओ, रामचन्द्र का मंदिर खाली कराओ, पी. डब्ल्यू. डी. के क्वार्टर्स खाली कराओ। *मैं निवेदन करूंगी, अध्यक्ष महोदय, बड़ी*-दिया बस्ती में पी. डब्ल्यू. डी. का एक बंगला है, जिसको वूच का बंगला कहते हैं। वह वहीं के एक इंजीनियर को सामान्य दर पर थोड़े दिनों के लिये किराये पर दिया। उस पर नव निर्माण करा लिया उसने, दो तीन बंगले बना लिये। इस तरह आपकी सम्पत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं लोग। अब छुड़ा नहीं पा रहे हैं। मैं बधाई दूंगी आपको जिस दिन आप इस लक्ष्य की पूर्ति करके दिखा देंगे। कुछ थोड़ा सा मोह आप भी छोड़िये, स्वार्थ आप भी छोड़िये। आपके मन ने तो यह कहा कि मैं तो भ्रष्टाचारी हू, उसने तो बेचारे ने एडमिट किया। लेकिन लोग यू० आई० टी० के गैस्ट हाउस को पचाये बैठे हैं। किराया सरकार से ले रहे हैं लेकिन उसको खाली नहीं कर रहे हैं। वे तो यह कह रहे हैं 24 हजार में मुझे दान दे दो। क्यों दान दे दो, भाई? मैं समझती नहीं हूं। जो आचार्य होता है, उसके आचरण ग्रहण करने योग्य होते हैं। जो कुर्सी पर पदासीन होता है, उनको भी इस तरह का आचरण रखना चाहिये, कि उसका अनुकरण लोग कर सकें। मान्यवर, इस अध्यादेश को जिस संकल्प से आप लाये हैं, उस संकल्प को पूरा करके दिखा देंगे तो ठीक हैं, वरना तो आपके आचरण इस तरह के नहीं है कि आपको इसको प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये। इसकी आड़ में कोई और उल्लू आप सीधा नहीं करलें।

यही बात कहते हुए मैं संशोधनप्रस्ताव करती कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधि-*भोगियों की बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश,* 1982 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, उद्योग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो अपने विचार प्रकट किये, उससे तो यही आभास मिला कि मूल रूप में....

(5.17 सांय)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वे इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि समर्थन कर रहे हैं और सरकार को उन्होंने सुझाव दिये हैं। बड़ी खुशी की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बात है, मैं उनका आभारी हूं कि आज पहली मर्तबा उन्होंने किसी बिल का स्वागत किया और विरोध की खातिर विरोध नहीं किया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन कुछ स्वीपिंग चार्जेज सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने और जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने लगाये कि मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य ने....

(व्यवधान)

अगर उनकी इतनी ही चिन्ता थी तो यह लाजिमी होता है कि पूर्व में अध्यक्ष महोदय को नोटिस देकर आप यहां कुछ बात करते। यहां 19 सदस्य हैं, मैं अपनी ही....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं सामने कहता हूं, दिनेश डांगी ने दबा रखी है। आप निकाल लीजिए। 20 लाख रुपये की जमीन जयपुर- अजमेर रोड पर दबा रखी है। ग्राम हरदयालपुरा के अन्दर खसरा नम्बर 38 के अन्दर निकाल लीजिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य, कृपया। मैं आपसे निवेदन करूं, इसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय पूर्व में अपना निर्णय दे चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय की उदारता का नाजायज लाभ उठाते हुए इस प्रकार के चार्जेज आप पुनः लगा रहे हैं। आपने जिस जमीन का जिक्र किया....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चार्ज तो कल आपने लगाया जब बेरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की। बेरी कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर यह चार्ज इनके ऊपर लगाया था कि नहीं लगाया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बेरी कमीशन की जो रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत हुई है, उसके अन्दर एग्रीकल्चर लैण्ड का जिक्र हुआ था। इस एक्ट से एग्रीकल्चर लैण्ड कवर नहीं होती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह नहीं होती लेकिन जयपुर के मास्टर प्लान में वह एग्रीकल्चर लैण्ड नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मास्टर प्लान का सहारा मत लीजिये। आपको कहना है कह दीजिये। एग्रीकल्चर लैण्ड इस एक्ट से कवर ही नहीं होती है। अब आपको चार्ज के खातिर चार्ज लगाना है। आपने कहा कि यू० आई० टी० के गैस्ट हाउस को ले लिया उन्होंने। अब कभी आप कहते हैं आप बड़े उदार दिल हैं। आपने बड़ी उदारता का परिचय दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप बता दीजिये कब्जा नहीं है क्या? गैस्ट हाउस को नहीं दबा रखा है क्या? विधान सभा से हर महीने का किराये नहीं उठा रहे हैं? सरकारी भवन में रह कर सरकार से किराया उठा रहे हैं। मंत्रिमण्डल के सदस्य यहां मौजूद हैं क्या?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, आप कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह यहीं पर हैं, उनसे दस्तखत करा दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे कह रहा हूं, आप पूर्व नोटिस दीजिये। नोटिस देंगे, जवाब देंगे। आपने कह दिया, अध्यक्ष महोदय ने आपको रोक दिया था।

मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, बिल की जो मूल भावना है उसका तो इन्होंने स्वागत किया है इसलिये मुझे बहुत कहना नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : आर्डिनेन्स क्यों लाये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो आपको सवेरे मिल गया झुन्झुना, बजाते रहिये। ऐसी असाधारण परिस्थितियां हो गई थीं, कृषि उपज मन्डी की जमीन थी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय मंत्री महोदय, आप अध्यक्ष महोदय के निर्णय को झुन्झुना बताते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बाधा न डालें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अध्यक्ष महोदय के निर्णय को नहीं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस तरह से नहीं करने देंगे। भविष्य में इस तरह के आर्डिनेन्स को लायेंगे तो फिर हम आपको देखेंगे। विधान सभा आ रही है और आप आर्डिनेन्स ला रहे हैं।

श्री राजबहादुर : (भरतपुर) यह चेयर का कंटेम्प्ट है, माननीय मंत्री महोदया जो रूलिंग रिजर्व हो गई है उस पर तो नत-मस्तक रहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उसका तो मैं बहुत आदर करता हूं। आप तो नत-मस्तक की बात कह रहे हैं मैं साक्षात दण्डवत् करने को तैयार हूं। मैं तो लेट जाऊं यह आप क्या कह रहे हैं। मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं, माननीय सदस्य। मैं अध्यक्ष की रूलिंग को चैलेंज कर सकता हूं ? मैं ऐसी जुर्रत कभी नहीं कर सकता। यह आर्डिनेन्स जिन कारणों से लाया गया है उनका जिक्र किया गया है। क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने समय निर्धारित कर दिया है दो बिल और पारित कराने है सदन से, अतः मैं और भी कुछ मुद्दे उठेंगे उनका उत्तर बाद में दे दूंगा। जो माननीय सदस्यों ने बिल की मूल भावना का, इस आर्डिनेन्स का स्वागत किया है मैं उसके लिये उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधि-भोगियों की बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश सं० 3 सन् 1982) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

श्री शिव चरण माथुर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सरकारी स्थान

(श्री उपाध्यक्ष)

(अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधियोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन (अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा मेरे खयाल से सबसे ज्यादा आप बोलती हैं, बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा तो मन ही नहीं रहा बोलने के लिए। मुझे एक शेर याद आता है—

> या रब वो ना समझे हैं,
> ना समझेंगे मेरी बात,
> दे और दिल उनको जो
> न दें मुझको जुबां।

और मैं चुप ही रहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री छीतरलाल, श्री अनंग कुमार जैन, श्री हंसराज शर्मा।

श्री राजबहादुर : कंसीडैरेशन का मोशन है इस पर किसी भी मैंबर को बोलने का....

श्री उपाध्यक्ष : वह ठीक है लेकिन इसके बाद में। श्री हंसराज शर्मा, श्री बाल चन्द्र आर्यवीर, श्री रघुवीर सिंह कौशल, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री दाऊ दयालजोशी, श्री बंसी लाल पटवा, श्री नाथूसिंह, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री यदुनाथ सिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेण्डमेंट पर बाद में बोलूंगा इसलिए आप माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत आभारी हूं आपका भी और माननीय सदस्य का भी जिन्होंने मुझे अवसर दिया। किन्तु मुझे कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहनी है। इसमें जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स है, उसको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। मुझको लगता है जैसे कन्फेशन होता है किसी मुजरिम का उसी प्रकार का कन्फेशन है इसलिए जो इश्यूज नुक्ते, पाइन्ट्स निकलते हैं, माननीय प्रभारी मन्त्री जी मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप खुद देख लें—"There has been a growing tendency on the part of unscrupulous persons to encroach upon Government land." आपने लिखा है अपने आब्जेक्ट्स और रीजन्स में। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आफिसर्स कंसर्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिनके अन्तर्गत यह प्रापर्टीज आती हैं, उनके होते हुए कैसे एग्रेसन, अधिग्रहण होता रहा? किस प्रकार से सब लोग संपत्तियां दाब सके? मैं स्पेसिफिक जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी आफिसर्स के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया कभी? Was it not a dereliction of duty, a grave lapse in the performance or duties? आपकी नाक के नीचे सारी प्रापर्टी निकल जाये और कलेक्टर्स देखते रहें तो क्या किया जाय?

श्री चंदनमल बैद : मौज तो नाक के नीचे ही होती हैं।

श्री राजबहादुर : इसको सीरियसली लीजिये। मैंने कहा यह, तो कन्फेशन है। "The menace has gained huge proportions." इन दो सालों में क्या किया आपने ? फिर यह बताइये यह तो कामन पाइन्ट है, सरकार का अध्यादेश जारी होने के बाद भी कोई एक्शन लिया गया किसी प्रकार का भी ? मैं तो इसलिए कहना चाहता हूं, आप एक डिपार्टमेंट भूल गये, उस डिपार्टमेंट का कोई जिम्मेदार नहीं है। वह आर्कियोलोजी, पुरातत्व विभाग है। उसको आपने इसमें रखा है या नहीं रखा है ? यह प्रश्न पहले आता है कि पुरातत्व की प्रापर्टीज का कौन जिम्मेदार है ? मैं आपको स्पेसिफिक केस एक नहीं कई जिलों की जमीनों के बता सकता हूं। मैं सारी व्याख्या में जाना नहीं चाहता। भरतपुर में एक किला है। उसकी चारों तरफ की बाउण्ड्रीवाल को जगह-जगह से तोड़ दिया गया है। जगह जगह मकान बना लिये गये हैं। पहले बड़े लोगों ने बनाये, जो असर वाले थे, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ जबकि आर्कियोलोजिकल प्रापर्टी प्रोटेक्टेड मानूमेंट हैं, प्रोटेक्टेड मानूमेंट की तारीफ में आती है। वह सब होता रहा। मैं यह जानना चाहता हूं क्या वहां कलेक्टर या प्रापर्टी को देखने वाले कंसर्न आफिसर्स नहीं थे क्या ? क्या कोई भी नोटिस लैप्स आफ ड्यूटीज का किसी ने लिया ? इसमें सारे डिपार्टमेंट मेंशन किये हैं आपने। पंचायत समितियां तक आ गई और भी आ गये, क्या उनकी प्रापर्टी और आर्कियोलोजिकल प्रापर्टी की देखरेख की कोई गुंजाइश है ? फिर यह बताइये क्या कोई प्रोसिजर है जिसके तहत शिकायत कर सकें और शिकायत करें तो उस पर कोई एक्शन हो सके ? बार-बार शिकायत की गई है कि सारी प्रापर्टी जा रही है, खतम हो रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। ऐसा लगता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि This Statement of Objects & Reasons is a Statement of confession. कन्फेशन के बाद मुजरिम को जो सजा होती है वही मिलनी चाहिये। मैं तो एक वकील के नाते यही कहना चाहता हूं कि कन्फेशन के बाद क्या होता है। अगर इसमें वे सब चीजें लिखी नहीं होती कि, साहब, यह ह्यूज प्रपोरशन में मीनेस है मेरे लफ्जों में The menace has gained huge proportions ह्यूज प्रपोरशन हो गया। आप बैठे-बैठे क्या कर रहे थे ? आप, माफ करिये, अकर्मण्य थे या नान-परफारमेंस थे, क्या थे ? आपकी जमीनों पर, आपके पांवों के तले की जमीनों पर आप सख्ती रखें। लोग नाजायज कब्जे करते रहें, कायदा कानून आपका है या नहीं ? जो आर्कियोलोजिकल प्रापर्टी है आपने कहा वह स्टेट प्रापर्टी है। स्टेट प्रापर्टी निकल जाय उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी है ? कोई रिकार्ड है ? शिकायत किससे करें, आज इसका भी पता नहीं है। आप किसी का जवाब तलब नहीं कर सकते। और जो असर वाले आदमी हैं उन्होंने कोठियां बना ली हैं।

जगह-जगह बड़े-बड़े एस्टेब्लिशमेंट बन गये। शाप्स बन गई और बड़े-बड़े शो रूम्स बन गये। जमीन के ऊपर कई लोगों का कब्जा है। That property is Govern-

(श्री राज बहादुर)

ment property. आप जिन महकमों की प्रापर्टी को इसमें शामिल करना चाहेंगे, उनके नाम बता दें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो चीज है What is the action taken ? What notice has been taken ? If you can quote me or cite me even one instance where you have taken any action for any lapse of any non-peformance of theduties by the concerned officers on the spot, if you can just tell me, if you have been able to protect any state property, I would certainly vow down and say your bill has come. But it is too late. It should have come earlier and what effective action has been taken in those cases in which they have come to your notice. लेकिन चूंकि वे आपके सपोर्टर्स हैं, आप उनसे डरते होंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं वहां पर कोठियां बन गई हैं, शो रूम्स बन गये हैं। No body has been responsible. ले आउट कट गया। आप जाकर देखिये, क्या दयनीय दशा है। भरतपुर में क्या हुआ किले के डड पर ? जगह-जगह लोगों ने झोंपड़ियां बना ली हैं। क्या आप इन झोंपड़ियों को उठायेंगे ? आपके पास एक ही रास्ता होगा, जिनकी वहां पर झोंपड़ियां हैं उनको बदले में आप मकान देंगे। उनमें अधिकतर शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के मकान हैं। क्या उनसे खाली करवायेंगे, मेरा निवेदन है जितनी जमीन बच गई है उतनी जमीन बचालो। जो गया सो गया लेकिन जितना बचा है उतना बचा लो। इधर हमारे जंगल कट गये घना में, फारेस्ट मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं। पेड़ कट गये। जंगल बरबाद हो गये। इधर आपका यह कहना है Where is the Administration ? मैं इतनी ही विनती करना चाहता हूं।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा संशोधन है। जनमत के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : It was not moved.

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : आपने तो बोला ही नहीं। बीच में वरिष्ठ सदस्य आ गये। इसलिये अब मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : That matter is over now.

श्री कैलाश मेघवाल : कैसे ओवर हो गया। जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये, यह मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा आप बोलिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982 एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये, यह एक संशोधन प्रस्ताव दिया है। जनमत जानने के लिये यह इसलिए परिचालित किया जाये जैसा कि अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे आर्कियोलोजी डिपा-

(श्री कैलाश मेघवाल)

टंमेंट की जमीन है उसका क्या होगा। मैं यह मानता हूं कि मंत्रिमण्डल की कलेक्टिव विस्डम होती है, लेकिन असेम्बली की कलेक्टिव विस्डम उससे ज्यादा है और असेम्बली की कलेक्टिव विस्डम से जनता की कलेक्टिव विस्डम ज्यादा है इसलिये इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। मैं मंत्री महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि कई जमीनें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से आपके कब्जे में आती हैं लेकिन लोग उस पर कब्जा करके बैठे हैं वह सारा एक साथ इसमें आ जायेगा। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। इसमें और विभाग जुड़ सकते हैं और कई तरह की सम्पत्तियां जुड़ सकती हैं जो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। इसमें आपको एतराज क्यों होना चाहिये? एक काम्प्रीहेंसिव बिल, लेजिस्लेशन आपको मिल जायेगा। कई जगह जो गड़बड़ हो रही हैं वह इससे रुक जायेंगी। यह एक ऐसा सुझाव है जिसको मानने से आपको एतराज नहीं होना चाहिये। आप बार-बार संशोधन ला रहे हैं। अगले सैशन तक रुक जायें जिससे सारे राजस्थान का नक्शा मालूम पड़ जायेगा, कहां कहां कब्जे हो रहे हैं। मैंने जो संशोधन प्रस्ताव दिया है माननीय उपाध्यक्ष, वह संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। वह संशोधन सदन के सामने आता, वह रेलेवन्ट है या इर्रेलेवेन्ट है सदन तय करता। इस बात का है कि इसमें एक विशेष प्रावधान हो। यह नियम है कि कोई कब्जा कर ले सार्वजनिक स्थान पर तो उसको एक विशेष तरीके से वहां से हटा सकते हैं। यह सिविल लॉ में है परन्तु राजस्थान में इस तरह के विशेष प्रावधान की जरूरत है। हमारा दुर्भाग्य है, गृह राज्य मंत्रीजी यहां पर हैं, आज राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को जो अलाटमेंट होते हैं, चाहे वह आबादी भूमि हो, चाहे दूसरे कोई रहने वाले स्थान हो चाहे और तरह की जमीनें हों, वे उनके स्वामित्व में नहीं आ पाती हैं। जिन जमीनों पर उनका कब्जा है वे सिविल लॉ का सहारा लेते हैं। इस सिविल लॉ का लम्बा प्रोसिजर है जो बहुत ही कष्ट साध्य है, व्यय साध्य है। इसमें सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, जो मैंने संशोधन प्रस्ताव दिया था, नहीं आया है, माननीय उपाध्यक्ष ने अपने विवेक से रख लिया है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आप बड़ी बात करते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनकी माली हालत सुधारने की बात करते हैं, उनका सामाजिक स्तर सुधारने की बात करते हैं, उनको खुशहाली की तरफ ले जाने की बात करते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसमें यह जोड़ दिया जाये कि जो जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के स्वामित्व में आई हुई है या उनकी कोई भी जमीन है या कोई अचल सम्पत्ति है, उस पर भी यह एक्ट लागू होगा और इस एक्ट के तहत कार्यवाही होगी। जिस तरह दूसरे लोगों के कब्जों को हटा कर आप सरकारी जमीन की सुरक्षा करना चाहते हैं उसी तरह इन लोगों की जमीन के

श्री कैलाश मेघवाल)

स्वामित्व की सुरक्षा भी इसके साथ साथ सरकार करे। सरकार के हाथ काफी लम्बे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : You are going to fast.

श्री कैलाश मेघवाल : इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। इसके लिये मुझे कुछ निवेदन करना पड़ेगा, कुछ तर्क रखना पड़ेगा ताकि मंत्री महोदय का विवेक, प्रेम जागे। वैसे माननीय प्रद्युम्न सिंह जी से कम उम्मीद है फिर भी चाहता हूं कि मेरी बात का उन पर असर हो जाये तो राजस्थान थोथे नारे से पार हो जायेगा। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग यह महसूस करेंगे कि यह सरकार हमारा भला करना चाहती है। आप इस तरह से इस एक्ट में प्रावधान करके उनको राहत पहुंचाये। इसलिये इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित करें ताकि गरीब तबके के लोगों को लाभ मिले और उनके स्वामित्व की सम्पत्ति पर, जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनको हटा कर इनको कब्जा दिला सकें। मेरा निवेदन है कि माननीय प्रभारी मंत्री जी को इसको जनमत जानने के लिये परिचालित करने में किसी तरह का एतराज नहीं होना चाहिये। इनके लिये एक काम्प्रीहेंसिव लॉ तैयार हो जायेगा। मेरा शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का संशोधन स्वीकार करें ताकि इन गरीब तबके के लोगों की रक्षा हो सके यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभारी मन्त्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं उसका उत्तर इसलिए देना आवश्यक है कि उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जोड़ने का संशोधन पेश करके ऐसा दर्शाने का प्रयत्न किया है कि सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की जमीन की तरफ उदासीन नजर आती है। मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक एग्रीकल्चर लैण्ड का सवाल है उसके लिये टिनेन्सी एक्ट और दूसरा सिविल लॉ है। मैं सिविल लॉ की बात नहीं कर रहा हूं–आपको स्पेशल प्रोविजन चाहिये। सवाल यह आता है, यह जो हमारा बिल आ रहा है आप इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को देखें —

"There has been a growing tendency on the part of unscrupulous persons to encroach upon the immovable properties which though not belonging to the State Government as such belong to Government Corporations, Panchayat bodies, Government Companies, Devasthan institutions, Wakfs and Market Committees."

यह जो बात कर रहे हैं वह व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं जो कि इस एक्ट के तहत कवर नहीं हो सकती है। इसलिये आपने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जो सुझाव रखा है, आपने जो संशोधन रखा है वह इस वक्त स्वीकार करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। क्योंकि यह एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी का मामला है इसलिये यह इसमें कवर नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट कम्पनीज, जो कम्पनीज एक्ट के तहत कवर होती हैं उनको कवर करने के लिए यह एक्ट लाये हैं। आपने आदिवासियों, हरिजनों की बात कही है उनके खेतों की रक्षा की बात कही है तो आपकी पार्टी से ज्यादा इस मामले में हमारी पार्टी जागरुक है। आप जितने काम कर चुके वे सब गलत थे। आप सिर्फ छोटे छोटे लैप्सेज की बात का बतंगड़ पेश करने और उसका राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा करें तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, यह आपका हक है।

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे यही उम्मीद थी कि आप फिर यही जवाब देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कैलाश जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि आपकी मेहरबानी है, मेरा यह चौथा टर्न है आप मेरे क्षेत्र में आइये तो आपको हकीकत का पता चल जायेगा।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : वह तो हम देख आये हैं सब पता लग गया है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : धौलपुर के नाम से तो आपको सुनकर ही डर लगता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो ही बात का पता चलता है दो कोठी हैं एक तो प्रद्युम्न सिंहजी की और दूसरी सेठ बनवारी लालजी की। बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूं? चुनाव के दिनों में बाड़ेबंदी की गयी थी या नहीं की गई थी?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

माननीय प्रभारी मंत्री जी, आप विषय पर आयें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको क्या तकलीफ है, अपने राज में तो आप नहीं रोक पाये यह तो ऐसा ही चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल भरतपुर से आने वाले माननीय बुजुर्ग सदस्य ने पुरातत्व विभाग के बारे में पूछा। जहां तक मेरी जानकारी है भारत सरकार ने इस बारे में एक्ट बना रखा है आर्कियोलोजिकल एक्ट मानूमेंट उसी से कवर होता है।

श्री राजबहादुर : इसमें भारत सरकार का ही कानून नहीं है, राजस्थान सरकार का भी कानून है एन्सिएंट मानूमेंट और प्रॉपर्टी का है। मैं भारत सरकार के कानून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी सरकार के कानून की बात कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने जो सुझाव दिया है, भरतपुर के अन्दर ऐतिहासिक कोई किला है जिसकी कोई बाउन्डरी वाल पर कब्जा किया गया है उसके बारे में कहा है कि उसको किस प्रकार हटाया जाये। उसके बारे में सरकार एग्जामिन करेगी क्योंकि आज यहां पर आपने उस प्रॉपर्टी पर एनक्रोचमेंट की सूचना दी है, उसके बारे में विचार कर लेंगे कि क्या सरकार की तरफ

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

से कदम उठाये जा सकते हैं। इस पर विचार करेंगे लेकिन वह इस बिल के अन्तर्गत नहीं आता है....

श्री राजबहादुर : दुबारा देखें आप इसको....

श्री प्रद्युम्न सिंह : और अगर माननीय सदस्य को इसकी कोई विशेष ही चिन्ता थी तो इसमें आपको अमेंडमेंट लाना चाहिये था।

श्री हरिसिंह : उस पर हम गरीब लोग बसे हुए हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस पर संशोधन पेश करना चाहिए था। एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि यह जो एनक्रोचमेंट की समस्या है वह कोई आज की समस्या नहीं है, यह बहुत पुरानी समस्या है कोई दो चार साल में हुयी हो ऐसी बात नहीं है।

श्री राजबहादुर : एक बात बता दूं, यह दो चार साल की ही समस्या है यह कोई पुरानी समस्या नहीं है। वह आपके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड मानूमेंट हैं उसके लिये कानून अलग है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन एनक्रोचमेंट पिछले चार साल में ही यह हुआ है पहले बड़ों ने किया फिर छोटे लोगों ने किया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप ध्यान में लायें।

श्री राजबहादुर : मैं सोचता था कि ये कार्यवाही करेंगे लेकिन ये तो जिम्मेदारी से कतरा रहे हैं। सरकार को जानकारी दे रहा हूं, सरकार को इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिये लेकिन बड़े ही खेद की बात है कि कोई जिम्मेदारी को भी स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नोटिस ले रहा हूं, माननीय सदस्य इसको जानकारी में लाये हैं उसके लिये मैंने कहा कि इसको किस प्रकार हटाया जा सकता है, यह विचारणीय प्रश्न है इसके बारे में विचार करेंगे। वहां पर जो अवैध रूप से कब्जे हुये हैं उनको किस प्रकार हटाया जाये, इस पर विचार करेंगे अभी आफ हैण्ड तो मैं कोई एश्योरेंस दे नहीं सकता हूं। मैंने तो बड़े अदब के साथ निवेदन किया है कि इस तरह की बात है तो उसको देखेंगे। और कोई बात थी तो जिस प्रकार से कैलाश जी ने संशोधन दिया था और अपने विचार रखें माननीय सदस्य भी अमेंडमेंट लाते और उस पर विचार प्रकट करते। उन्होंने विचारार्थ के स्टेज पर अपने जो विचार रखें, सुझाव दिये सरकार उन पर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री राजबहादुर : आपने कहा उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं अमेंडमेंट लाता तो उपाध्यक्ष महोदय, जिसके लिये आलरेडी कानून बना हुआ है उसके लिये मैं क्या अमेंडमेंट लाता ?

श्री उपाध्यक्ष : You give in writing that such and such encroachment has been made. Government will certainly take action.

श्री राजबहादुर : Thank you.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्डश: विचार : खण्ड– दो

श्री नाथूसिंह संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।
(विराम)
Have you withdrawn ?

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : No.no. Sir उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड दो पर निम्नांकित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं :-

For sub clause (iii) in clause (b) of Sec. 2 the following sub clause (iii) be substituted-

"All the public undertakings established under the Companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956)".

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मंत्री महोदय ने प्रयास किया है कि सब चीजों को कवर किया जाये और सारे एन्क्रोचमेंट को हटाया जाये। कहीं कोई एन्क्रोचमेंट रह नहीं जाये । लेकिन इसमें अगर आप सब क्लाज 3 को देखें और सब क्लाज 6 को देखें तो जैसा कि मंत्री महोदय कह सकते हैं कि 6 में यह कवर हो जायेगा तो, उपाध्यक्ष महोदय, कई पब्लिक अन्डरटेकिंग्स ऐसे होते हैं जो कि कम्पनीज एक्ट के तहत नहीं आते हैं और स्टेट्यूटरी एक्ट के तहत आते हैं उन पर यह एक्ट लागू नहीं होगा । अगर इस सशोधन को सम्मिलित कर देते हैं तो सारे अन्डरटेकिंग्स इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । अगर आप यह कर देते हैं तो कोई स्कोप नहीं रहता है एन्क्रोचमेंट करने वालों के लिये यह अमेंडमेंट लाने का मेरा उद्देश्य यही है। मैं आपके हाथ मजबूत करना चाहता हूं । सरकार की कोई ऐसी कमजोरी नहीं रह जाये जिससे वह कोई एक्शन नहीं ले सके । मैं आशा करता हूं कि जितने भी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, मंत्री महोदय इसको स्वीकार करते हुये उनको इसमें शामिल करेंगे । इससे आपके ही हाथ मजबूत होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री उत्तर देगें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं समझा रहा था जब मेरे से पूछने आये थे तो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य नाराज हो गये । इसमें यह पहले से ही है Government Company is defined under sec. 617 of the Company Act,1956. It is already covered.

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आप शायद इसका अभिप्राय समझ नहीं पाये। आपने शायद कम्पनीज एक्ट पढ़ा नहीं है, पढ़कर आते तो यह अमेंडमेंट पेश करने की आवश्यकता ही नहीं होती।

श्री नाथूसिंह : ऐसा है कि कुछ पब्लिक अन्डरटेकिंग्स ऐसे हैं जो कि कम्पनीज एक्ट के तहत नहीं आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वे इसमें कवर्ड हो जायेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये पालकीवाला बनने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : ऐसा नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये तो बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड दो में श्री नाथूसिंह ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्विकार किया गया।

"प्रश्न यह है कि खण्ड -2 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड -2 स्वीकार किया गया।

खण्ड- 3 में कोई संशोधन नहीं है।

"प्रश्न यह है कि खण्ड- 3 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड- 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

"प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक पर पारण

श्री शिवचरण माथुर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधित अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। अभी मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य, श्री नाथूसिंह की तरफ इशारा करते हुए यह कहा कि यह तो पढ़ रहे हैं, अभी बच्चे हैं। क्या माननीय सदस्य को इस तरह से

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सम्बोधित करना चाहिये ? आप व्यवस्था दीजिए इस पर। क्या अपने नियमों में इस तरह का सम्बोधन....

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी दुर्भावना से नहीं कहा था वैसे मैं कभी सम्माननीय, माननीय सदस्य के अलावा और कुछ सम्बोधित नहीं करता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने नहीं कहा ? आप नट जाओ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं वापस लेता हूं उसको।

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि Is activeness of the mind directly proportionate to the age?

श्री प्रद्युम्नसिंह : Never.

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। जितना उम्र में आप मेरे से बड़े हैं उतना ही वुद्धि में पीछे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मानव प्रकृति है कि अपनी अक्ल और दूसरों की दौलत हमेशा ज्यादा लगती है, लोगों को।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982.

श्री जयकृष्ण शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। मंत्री महोदय से ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी और ट्रान्सपोर्ट पावर····

श्री उपाध्यक्ष : सदस्यों की अनुमति से आधे घण्टे का समय और बढ़ा दें····

अनेक माननीय सदस्य : No. No.

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ····अब यह अथॉरिटी लेना चाहते हैं कि ट्रान्सपोर्ट विभाग बिना मीटिंग के स्वयं ही कोई रूट खोल दे, चाहे जितने लाइसेंस दे दे, चाहे जितने लाइसेंस सीमित कर दे। इस तरह के अधिकार लेना चाहते हैं। मैं समझती हूं कि यह सरासर गलत है।

(व्यवधान)

मैं कहना चाह रही थी कि ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर बहुत से चार्ज लग रहे हैं। होता यह है जो पुराने लाइसेंसीज हैं वह लोग अपना वहीं रूट दुबारा मांगते हैं। रोडवेज उसके बीच में कई बार दखल करती है। उसको प्रायोरिटी मिलनी ही चाहिए लेकिन रोडवेज ने अनियमित तरीके से रूट खोल दिए। मैं आपको कहना चाहती हूं कि जयपुर में भी मिनी बसें चल रही है। मिनी बसें मेले के हिसाब से चल रही हैं, उनको परमानेन्ट परमिट. नहीं दिये गये हैं। इस तरह इस वर्ष मिनी बसों को अंधाधुन्ध परमिट दिए गये हैं। जयपुर की भी सड़कों पर चप्पे-चप्पे पर, आप देख लीजिए हजारों व्हीकल खड़े रहते हैं। चाहे जौहरी बाजार पर देख लीजिए चाहे आप एम. आई रोड पर देख लीजिए, हजारों व्हीकल खड़े हैं। मैं कहना चाहती हूं, इस तरह से अधिकार लेकर मनमाने ढंग से रूट खोल दिए गये तो बेईमानी होने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। मैं कहना चाहूंगी कि ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी द्वारा इस तरह के अधिकार अपने हाथ में लिया जाना कदापि उचित नहीं रहेगा। मैं मानती हूं नये मार्ग खोलना अच्छा रहता है, नये मार्ग खोलने के लिए मना किसने किया है। गांवों में जो कच्चे रूट सड़कों से नहीं जुड़े हैं, उनको नए मार्गों से जोड़ देना चाहिए। किसी भी रास्ते में मनादी नहीं है। लेकिन इस तरह के अधिकार मंत्री महोदय अपने हाथ में लेकर जो उनका दुरुपयोग करना चाहते हैं, मैं समझती हूं वह गलत है। पिछले दिनों जिन लोगों ने अच्छी खासी रकम दी उनको लाभ मिला, उनको बसें इश्यू की गयीं। मेरा कहना है कि सीधे-सीधे कानून से आइये। कानून में रूट खोलने का प्रावधान है, लाइसेंस देने का भी प्रावधान है। फिर इस तरह मनमाने ढंग से आप यह अधिकार क्यों लेने जा रहे हैं? क्या आपको विभाग की अनियमितताओं का मालूम नहीं है। मेरी तो इच्छा होती है कि मैं किसी फोटोग्राफर को साथ ले लूं और उन बसों के नम्बर और उनकी बॉडी की फोटो लेकर सदन में प्रस्तुत करूं किन्तु मेरी आर्थिक स्थिति इस काबिल नहीं है कि मैं वह प्रूफ दे सकूं। कभी आप रास्ते में जाते हुए देखते होंगे आंखों देखा प्रूफ आपके सामने है। उन बसों की कैसी कंडीशन है? आवाज पर, स्पीड पर नियन्त्रण नहीं है। इस तरह की अनियमितताएं विभाग में चल रही हैं। शराब पीकर लोग गाड़ियां चलाते हैं, अन्धाधुन्ध मौतें होती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा कहना यह है, मंत्री महोदय, आप सोच समझकर कानून लायें। क्या आपकी आज गाड़ियों को परमिट देने की क्षमता नहीं है? क्या नये रूट खोलने का कानून में प्रावधान नहीं है? बहुत बड़ी बेईमानियां आप करने जा रहे हैं। विभाग को आप बेईमानी करने का मौका दे रहे हैं। कुछ लोग विभाग में अच्छे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

भी है उनको बदनाम करने के लिए चांस देना चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह से आपको नियम लेकर नहीं आना चाहिये। जो अपने पास नियम हैं, उनके तहत....

(व्यवधान)

मुझे आज तक याद है। गंगानगर से आभोर तीन किलोमीटर का रूट....

(व्यवधान)

उसने मांगा

मंत्रिमण्डल उसको नहीं लिख सका....

(व्यवधान)

उन्होने अप्लाई कर दिया, 3 किलोमीटर का रूट। वैसे ही रोडवेज घाटे में है लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है और इस तरह के अधिकार हाथ में लेना चाहते हैं। मैं समझती हूं, मंत्री महोदय, इस तरह के अधिकार आपको नहीं लेने चाहिये जनता से सुझाव आमन्त्रित करते। मैं समझती हूं इस तरह का व्यवहार आपके लिये कदापि उचित नहीं है और........

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या, 6 बज गये हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कल बोलूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कर लीजिये।

(व्यवधान)

आधा घण्टा और बढ़ा दें ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आठ बजे मीटिंग में जाना है।

अनेक माननीय सदस्य : कल करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 9 सितम्बर के 1982, प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 6 बजे, बुधवार, दिनांक 9 सितम्बर, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

(152)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूचना

स्टेटमेंट बाबत चैंकिंग गोदाम सहकारी उपभोक्ता संघ जयपुर

क्र. सं.	नाम नग	तादाद माल मुताबिक स्टॉक रजिस्टर	तादाद माल जो भौतिक सत्यापन पर जो मौजूद पाया	कमी	मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	नीनो लेडीज घड़ी	1	निल	1	165
2.	ओमेक्स ए. डी. डी. जी	18	16	2	495
3.	रेन्को लेडीज घड़ी	19	15	4	411.84
4.	टाइटस लेडीज घड़ी	2	1	1	143 00
5.	रीको लेडीज घड़ी	18	16	2	630.00
6.	ओरेक्स लेडीज घड़ी	37	36	1	60.00
7.	सीको ए.डी.डी.एस.एस.	6	1	5	2175.00
8.	सिटीजन ए.ड़ी.डी.	8	2	6	2160.00
9.	नीनो ए.डी.डी. जी	16	14	2	572.00
10.	ओमेक्स जी	5	3	2	240.00
11.	हम्पेक्स जी	125	124	1	120.00
12.	मोण्डिया जी	96	94	2	280.00
13.	रेन्को जी	147	146	1	60.00
14.	ओइटेक्स जी	47	45	2	180.00
15.	रीको ए डी डी जी	41	37	4	900.00
				कुल कीमत	8591·84

1	2	3	4	5	6
(बी)					
1.	शार्प 4 बैण्ड ग्रार/सी	1	निल	1	6000.00
2.	एन० पी० सीएक्स 1000 कार केसिट	2	निल	2	2600 00
3.	कारस्पीकर	2	निल	2	500.00
4.	सैन्यो 4 बैण्ड ग्रार/सी	3	2	1	1800.00
5.	सैन्यो 3 बैण्ड ग्रार/सी	4	3	1	1700.00
6.	इंगलिस सिगरेट	53	20	33	330.00
7.	रेस्टोरिया क्रम	1	निल	1	18.00
8.	कलर पैन	18	8	10	10.00
9.	की चैन	7	1	6	72.00
10.	पैन नाइफ	17	1	16	80.00
11.	सिगरेट लाइटर	7	5	2	70.00
12.	म्युजिकल ज्वेलरी बाक्स	2	निल	2	150.00
13.	सैन्यो ग्रार/सी	1	निल	1	1600.00
14.	मियुजिकल सिगरेट केस	1	निल	1	200.00
15.	मैक्सी स्प्रे	1	निल	1	57.00
16.	टैलकम पाउडर	2	1	1	22.00
17.	मोक सिगरेट लाईटर	1	निल	1	65.00
18.	डेयर क्लिप	17	1	16	40.00
19.	जि० II रेजर	20	1	19	570.00
20.	हेयर क्लिप	34	–	34	51.00
21.	मेकग्रप किट	31	29	2	60.00
22.	लेडीज पर्स	2	1	1	15.00
23.	लेडीज पर्स	4	1	3	15.00
24.	बिगसंग पैन	3	–	3	24.00
25.	बोनस प्लगकार्ड	11	6	5	40.00

1	2	3	4	5	6
26.	नेलकटर	54	–	54	270.00
27.	जी० II ब्लेड्स	76	–	76	304.00
28.	फुट रूल	58	3	55	110.00
29.	फोटो एलबम्ब	27	1	26	390.00
30.	किचन नाइफ	44	9	35	112.00
31.	मैजरिंग टेप	22	12	10	150.00
32.	केलकुलेटर	11	10	1	190.00
33.	स्प्रे	10	7	3	270.00
34.	प्लेइग कार्ड जी०/एम	22	15	7	45.50
35.	I बैण्ड ट्रान्जेस्टर	22	4	18	1620.00
36.	सिगरेट लाइटर	4	3	1	6.00
37.	पैन टार्च	12	6	6	60.00
38.	आटा अम्ब्रेला	8	3	5	300.00
39.	हीरो पैन	7	–	7	42.00
40.	बाल पैन	5	–	5	40.00
41.	सेविंग ब्रुस	4	1	3	21.00
42.	कोडेस्ट टेल्व कैमरा	1	–	–	1000.00
43.	केलकुलेटर कैसियों	1	–	1	200.00
44.	इस्टेबुक मिक्सर	1	–	1	600.00
45.	स्वींग केट	2	–	2	10.00
46.	लन्दन ब्रिज ब्लेइस	50	–	50	50.00
47.	शैम्पू	3	2	1	18.00
48.	ब्रिल क्रीम	1	–	1	30.00
49.	कैमरा स्टेण्ड	1	–	1	150.00
50.	नेसिड ब्लेड्स	110	–	110	33.00
51.	कार स्पीकर	1	–	3	250.00
58,	कैंची	19	1	18	198,00

1	2	3	4	5	6
53.	स्प्रे	5	2	3	180.00
54.	हेयर ड्रायर	3	–	3	300.00
55.	फिलिस आटो आयरन	1	5	18	250.00
56.	क्वाडस कार क्लोक	2	1	1	250.00
57.	लेडिज सैन्डल	1	–	1	50.00
58.	पोइलर पैन	5	3	2	30.00
59.	कैंची	36	12	24	120.00
60.	गोल्डनचैन	616	472	141	720.00
61.	4 एन/बी/पी० ई० एन०	3	2	1	15.00
62.	सुविंग निडल्स	80	40	40	20.00
63.	सोनी केसिटस	25	7	18	540.00
64.	यासिका कैमरा नेट 124	1	–	1	2000.00
65.	नेशनल फेलस गन	1	–	1	450.00
66.	मोलीनकस मिक्सर	1	–	1	550.00
67.	टेलरिंग टेप	11	8	3	3.00
68.	सिलवर चेन	552	315	237	711.00
69,	थ्रेड चैन	71	147	76	38.00
70.	बी/पी इन्स्ट्रूमेंट	1	–	1	350.00
71.	स्टैथस्कोप	1	–	1	150.00
72.	5 इन/लिपिस्टक	3	1	2	20.00
73.	टेलरिंग टेप	3	–	3	6.00
74.	कटलरी सेट	1	–	1	150.00
75.	नेल कटर	11	–	11	33.00
76.	ग्रोल्ड स्पाईस डेडीरेट	–	–	1	35.00
77.	सी 60 यूज की सेट	39	–	39	585.00
78.	सी 90 ,,	6	1	5	90.00
79.	डोर पुवर	4	–	4	60.00

(156)

1	2	3	4	5	6
80.	फोल्डिंग सीजर	3	–	3	15.00
81.	थर्मामीटर	14	4	10	100.00
82.	ग्रारमिट परफ्यूम सेंट	1	–	1	100.00
83.	सिगरेट गैस लाइटर	2	–	2	130.00
84.	सैनियो 3 ग्रार/सी	1	–	1	1200.00
85.	हेयर क्लिपस	10	–	10	25.00
				कुल रुपये	31796.50

(सी) रेडीमेड कपड़ों का भौतिक सत्यापन

1.	जीन पेन्ट्स	41	25	16	1920.00
2.	स्वीमींग ट्रन्स	43	32	11	165.00
3.	लेडीज पंटीज	95	46	49	490.00
4.	;; शर्टस	6	5	1	55.00
5.	बनियान	12	–	12	60.00
6.	बाबा सूट	7	–	7	140.00
7.	जेन्ट्स फुल शर्ट	8	–	8	960.00
8.	मैक्सी	14	3	11	660.00
9.	जेन्ट्स पुलशर्टस	30	5	25	1375.00
10.	जैन्टस टी शर्टस	71	38	33	1485.00
11.	फोक्स	4	–	4	180.00
12.	फोक्स	4	–	4	180.00
13.	;;	16	–	16	400.00
14.	बाबा पेन्ट	3	–	3	15.00

1	2	3	4	5	6
15.	टी०शर्ट्स	30	1	29	705.00
16.	बाबा टी शर्ट्स	26	23	3	105.00
17.	फ्रॉक्स	2	1	1	55.00
18.	बाबा टी शर्ट	2	–	2	30.00
19.	बाबा चड्डी	5	10	5	25.00
20.	पेटीकोट	4	1	3	75.00
				कुल योग	9175.00

क्र० सं०	नाम नग	तादाद माल मुताबिक स्टॉक रजिस्टर	तादाद माल जो भौतिक सत्यापन पर जो मौजूद पाया	कमी	बेशी	मूल्य कमी	मूल्य बेशी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	36 प्लेन शर्टिंग	476.10	447.10	23.10	–	485.10	–
2.	44 ,,	1049.90	770.95	378.98	–	9473.75	–
3.	58 ,, प्रिन्टेड एफड	21.45	42.15	–	20.70	–	724.50
4.	44 प्रिन्टेड शर्टिंग	391.95	234.10	157.00	–		4398.80
5.	36 ,, ,,	8.85	24.45	–	15.80		374.40
6.	ए० जी० प्रिन्टेड साड़ी	723.05	635.43	87.62	–	3241.94	–
7.	,, प्लेन साड़ी	247.05	273.43	–	26.33	–	738.64
8.	सूती प्रिन्टेड साड़ीं	230.40	134.60	145.80	–	3645.00	–
9.	1470 प्लेन साड़ी	11.00	4.75	6.85	–	75.00	–
10.	ए०जी० कटपीस प्रिन्टेड	11.45	17.80	–	6.35	–	117.47
11.	ए०जी० हाथ जी/सी	7.80	7.85	–	0.05	–	1.00
12.	ए०जी० प्लेन सी/पी० साड़ी	14.20	14.35	–	0.15	–	2.10
13.	बूली पी० प्रिन्टेड सी/पी	26.50	5.35	323.25	–	290.52	–

157

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	बूली प्लेन कटपीस	2.20	3.45	–	1.45	–	15.95
15.	इंगलिश सूटिंग	2.15	15.15	–	14.00	–	1400.00
16.	सोयना सूटिंग	140.70	51.20	89.50	–	6712.50	–
17.	गडीन	173.75	177.30	–	3.55	–	248.50
18.	टेटरेक्स सूटिंग	74.85	54.75	201.00	–	1065.30	–
19.	टवीस सूटिंग	28.30	–	28.30	–	1415.00	–
20.	कॉटन शटिंग	19.10	14.75	4.35	–	25.10	–
21.	ट्रोपिकस सूटिंग	16.60	17.10	–	0.50	–	21.00
22.	डी० के० सूटिंग	8.45	–	8.45	–	335.00	–
23.	सूती प्लेन साड़ी	71.00	26.53	45.25	–	995.50	–
24.	ए० जी० एम्ब साड़ी	5.40	41.35	–	35.95	–	1438.00
25.	,, 36 प्लेन कटपीस	0.90	–	.90	–	9.75	–

कीमत 32172.56 पैसे कमी मूल्य बेशी 5081.56 पैसे

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके प्रश्न एवं उनके उत्तर

सिरेहे बिहारीजी का मन्दिर, नीमाज

77. **श्री शिवदानसिंह राठौड** (जैतारण) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिरेहे बिहारी जी का मन्दिर नगर नीमाज तहसील जैतारण (पाली) को देवस्थान विभाग के अन्तर्गत लेने का प्रश्न विचाराधीन है ?

(2) क्या उक्त मन्दिर के बारे में विभाग द्वारा उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जांच करवाई गई थी और उन्होंने इसे तुरन्त देवस्थान विभाग के तहत ले लेने हेतु सिफारिश की थी ?

(3) क्या आयुक्त, देवस्थान विभाग उदयपुर ने भी इस मन्दिर को विभाग के तहत ले लेने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश की थी ?

(4) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त मन्दिर को देवस्थान विभाग के तहत नहीं लेने के क्या कारण हैं और अब कब तक इस मन्दिर को विभाग के तहत ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) राज्य सरकार ने इस मामले में उक्त मन्दिर के दोनों पुजारियों को नियमानुसार देवस्थान आयुक्त को अपने स्तर पर सुना जाकर मामले की पूर्ण जांच पड़ताल कर प्रतिवेदन राज्य सरकार को भिजवाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। इस मामले में देवस्थान आयुक्त के कार्यालय में आगामी पेशी दिनांक 4-10-82 नियत है। मामले की पूर्ण जांच पड़ताल के पश्चात् राज्य सरकार इस मन्दिर को राजकीय नियन्त्रण में लेने के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी।

कोटा नगर में ट्रेफिक सिगनल्स की व्यवस्था

78. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) व

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा नगर में एक भी चौराहे पर ट्रेफिक सिगनल्स की व्यवस्था नहीं है तथा यदि है भी तो वह गत कई वर्षों से बन्द पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसे अनुचित नहीं समझती ? यदि समझती है, तो कब तक सिगनल्स की व्यवस्था करदी जावेगी ?

(2) कोटा नगर के किन-किन चौराहों पर ट्रेफिक पुलिस की व्यवस्था है ? क्या कोटा नगर की उत्तरोत्तर बढ़ रही आबादी के संदर्भ में प्रशासन ने जितने चौराहों पर व्यवस्था की हुई है वह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो भविष्य की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में लगे इलेक्ट्रिक सिगनल्स चौराहों के विस्तार के कारण कार्य योग्य नहीं है, मगर इन चौराहों पर ट्रैफिक कांस्टेबलों द्वारा यातायात नियन्त्रण, व्यवस्था जारी है। अभी कोटा में इलेक्ट्रिक सिगनल्स व्यवस्था लागू करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) कोटा नगर में बजरिया, घण्टाघर, कोटड़ी, छावनी, नहर गुमानपुरा नया पुलिया, गढ़, ब्रिज टाकिज, बून्दी बस स्टेण्ड, एरोड्रम आदि प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था जारी है। नगर की बढ़ती आबादी एवं औद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुए नगर की ट्रैफिक पुलिस की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

79. श्री भैरूंसिंह गुर्जर(खारची) एवं श्री शिवदानसिंह राठौड़(जैतारण): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

आयुर्वेद विभाग द्वारा जुलाई, 1981 से अगस्त, 1982 तक विभिन्न श्रेणी एवं संवर्ग के कर्मचारियों के कुल कितनी संख्या में स्थानान्तरण किये गये ? कृपया जिलेवार व राज्य स्तर के स्थानान्तरणों की संख्या सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

आयुर्वेद विभाग में जुलाई, 1981 से अगस्त, 1982 तक की अवधि में निदेशालय स्तर से कुल 848 कर्मचारियों (वैद्य स्तर तक) के स्थानान्तरण किये गये, जिनकी जिलेवार सूचना संलग्न है। सचिवालय स्तर से कुल 9 राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये, जिनकी सूची संलग्न है।

निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों की सूचना आना बाकी है।

(160)

जुलाई, 1981 से अगस्त, 1982 के आयुर्वेद विभागान्तर्गत वैद्य/हकीम/होमियोपैथिक चिकित्सकों के किये गये स्थानान्तरणों की संख्या की जिलेवार सूची :–

क्र.सं.	नाम जिला	राज्य सरकार स्तर की संख्या	विभागीय स्तर की संख्या	योग
1.	अजमेर	–	29	29
2.	अलवर	–	6	6
3.	भीलवाड़ा	1	29	30
4.	बांसवाड़ा	–	17	17
5.	बून्दी	–	6	6
6.	बीकानेर	–	9	9
7.	बाड़मेर	–	3	3
8.	भरतपुर/धौलपुर	–	32	32
9.	चूरू	1	38	39
10.	चित्तौड़	–	25	25
11.	डूंगरपुर	–	6	6
12.	जयपुर	7	101	108
13.	जोधपुर	–	15	15
14.	झुन्झुनू	–	18	18
15.	जालौर	1	8	9
16.	झालावाड़	–	7	7
17.	कोटा	–	2	2
18.	नागौर	1	17	18
19.	जैसलमेर	–	9	9
20.	पाली	–	13	13
21.	सवाई माधोपुर	5	19	19
22.	सिरोही	2	11	13
23.	सीकर	2	41	43
24.	टौंक	–	9	9
25.	उदयपुर	–	39	39
26.	गंगानगर	–	43	43
	योग :–	15	552	567

(161)

कम्पाउण्डर/नर्स जुलाई, 81 से अगस्त, 82 में किये गये स्थानातरण संख्या की जिलेवार सूची :–

क्र.सं.	नाम जिला	राज्य सरकार के आदेशान्तर्गत स्तर की संख्या	विभागीय स्तर की संख्या	कुल
1.	अजमेर	–	22	22
2.	अलवर	–	2	2
3.	भीलवाड़ा	–	11	11
4.	बांसवाड़ा	–	5	5
5.	बूंदी	–	4	4
6.	बीकानेर	–	1	1
7.	बाड़मेर	–	3	3
8.	भरतपुर	–	11	11
9.	चूरू	–	8	8
10.	चित्तौड़	–	8	8
11.	धौलपुर	–	5	5
12.	डूंगरपुर	–	10	10
13.	जयपुर	1	22	23
14.	जोधपुर	–	2	2
15.	झुण्झनू	–	9	9
16.	जालौर	–	1	1
17.	झालावाड़	–	1	1
18.	कोटा	1	6	7
19.	नागौर	–	11	11
20.	जैसलमेर	–	1	1
21.	पाली	–	4	4
22.	सवाई माधोपुर	1	16	17
23.	सिरोही	–	3	3
24.	सीकर	3	4	7
25.	टोंक	2	1	3
26.	उदयपुर	–	24	24
27.	गंगानगर	–	8	8
	योग:—	8	203	211

जुलाई, 81 से अगस्त, 1982 में आयुर्वेद विभागा-तर्गत लिपिक वर्ग के किए गये स्थानान्तरणों की संख्या की जिलेवार सूची

क्र.सं.	नाम जिला	राज्य सरकार स्तर की संख्या	विभागीय स्तर की संख्या	कुल
1	अजमेर	–	6	6
2	भीलवाड़ा	–	1	1
3	बांसवाड़ा	–	2	2
4	बून्दी	–	1	1
5	बीकानेर	1	1	2
6	चूरू	–	1	1
7	जयपुर	2	3	5
8	जोधपुर	–	2	2
9	झुन्झुनू	1	–	1
10	झालावाड़	–	2	2
11	कोटा	1	2	3
12	सवाई माधोपुर	–	3	3
13	सीकर	1	2	3
14	टोंक	–	1	1
15	उदयपुर	–	5	5
	योग :–	6	32	38

जुलाई, 1981 से अगस्त, 1982 में आयुर्वेद विभागान्तर्गत निदेशालय स्तर से परिचारक/च०श्रे० कर्मचारियों के किये गये स्थानान्तरणों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	नाम जिला	राज्य स्तर की संख्या	निदेशालय स्तर की संख्या	योग
1.	अजमेर	–	10	10
2.	भीलवाड़ा	–	5	5
3.	बून्दी	–	1	1
4.	चूरू	–	1	1
5.	धौलपुर	–	1	1
6.	जयपुर	–	3	3
7.	नागौर	–	6	6
8.	सीकर	–	4	4
9.	टौंक	–	1	1
	योग :–	–	32	32

राज्य सरकार स्तर से दिनांक 7/81 से 7/82 तक किये गये राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण की सूची

क्र० सं०	नाम अधिकारी	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1.	श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता	वैद्य ग्रेड प्रथम, भरतपुर	जि०आयु० अधि० सीकर	राज्याज्ञा क्रमांक एफ 27(1) आयुर्वेद/81, दिनांक 3-9-81
2.	श्री रंगनाथ शर्मा	आदेश की प्रतीक्षा	धात्री-कल्पद प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर	
3.	श्री भंवरलाल मोटेचा	वैद्य ग्रेड प्रथम	जि० आयु० अधि० गंगानगर	प. 27 (1) आयुर्वेद/78, दिनांक 29-1-82, पदोन्नति से
4.	श्री हरिमोहन शर्मा	वैद्य ग्रेड प्रथम	जि० आयु० अधि० कोटा	,, ,,
5.	श्री गोकुलेन्द्र शर्मा	वैद्य ग्रेड प्रथम	जि० आयु० अधि० अलवर	,, ,,
6.	श्री हरिनारायण शर्मा	उप निदेशक, आदेश की प्रतीक्षा, जयपुर	कोटा	
7.	श्री हकीम मोहम्मद असलीम खां	फतेहपुर (सीकर)	कोटा	प. 11 (188) आयुर्वेद/81 दिनांक 16-4-82
8.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	जि० आयु० अधि० झालावाड़	भरतपुर	प. 11 (17) आयुर्वेद/81 दिनांक 15-7-82
9.	श्री प्रज्ञानाथ शास्त्री	जि० आयु० अधि० भरतपुर	झालावाड़	,, ,,

जयपुर-आगरा मार्ग पर अवस्थित कुक्कुटशाला

80 **श्रीमती उजला अरोडा** (जयपुर-ग्रामीण)-- क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर-आगरा राजमार्ग पर स्थित कुक्कुट शाला की योजना कब स्वीकृत हुई थी ? योजना की क्या रूपरेखा थी ? कृपया योजना के ब्ल्यू प्रिंट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त योजना में आज तक कुल कितने फार्म्स का आवंटन हुआ है तथा किस-किस को ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें। क्या यह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा अग्रेतर क्या कदम उठाये गये?

(3) उक्त स्थल को समतल कराने, वहां सड़क बनाये जाने तथा बिजली की व्यवस्था की जाने में आज तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त कार्य अब तक सम्पन्न नहीं किया गया ? यदि हां, तो अब कब तक कर दिया जावेगा ?

(4) संयंत्र परियोजना अधिकारी का कुक्कुट सम्पदा स्थल पर कार्यालय नहीं खोलने के क्या कारण हैं ? अब कब तक कार्यालय खोला जावेगा ?

(5) क्या विभाग द्वारा उक्त परियोजना की सफलता के संदर्भ में भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुक्कुट सम्पदा नामक योजना वर्ष 73-74 से चालू की गई है। स्वीकृत योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत 109 भू-खण्ड आवंटित किये गये थे। जिनमें से 22 भू-खण्ड के आवंटन निरस्त किये जा चुके हैं। शेष 87 आवंटित भू-खण्डों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) उपलब्ध साधनों के अनुसार उक्त स्थल को प्लाट नं० 107 तक समतल कराया गया है। भूखण्ड संख्या 107 तक बिजली की व्यवस्था भी हो चुकी है। धनाभाव के कारण अभी तक सड़क निर्माण नहीं हो सका है।

(4) धनाभाव के कारण कार्यालय भवन नहीं बन पाया है, अतः वहां कार्यालय स्थापित नहीं हो सका।

(6) वर्ष 82-83 में 16 कुक्कुट शालायें कार्य प्रारम्भ कर लेगीं तथा 51 यूनिट्स को बैंकों से ऋण दिलवाया जायेगा, जिससे कुक्कुटशालाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके।

(166)

Scheme for setting up of Boultry Estate at Jaipur

1. Introduction.

Population in Jaipur is our 8 Lacs and even if 10% of the population is considered to be potential egg eaters, the demand of eggs per day should be to the tune of 80000 eggs, where as egg production in Jaipur at present is hardly about 15000-20000 eggs per day. There is thus great scope for stepping up of egg production by as much as 4 times. It is therefore absolutely necessary that poultry population may be incressed 4-5 times to ensure the incressed supply of eggs.

2. Object of the Scheme

The object of the scheme is to :

1. Provide self employment opportunities to un-employed greduates to take up to poultry farming wite 500 layer unit. It is proposed to allot to each farmer 1500 sp. meters of land in the poultry estate land and in this land a farmer could in course of time keep as many as 2000 birds.

2. Enable the existing small poultry farm holders located in the city or around the city maintaing birds on top of their houses or in their compound to move to the new site ond increase their size of flock in better environment

3 Enable enable the Ex-servicemen, retited personal to settle on this piece of land to start poultry farming as a source of their livelehood.

4. Step up thus the egg production in the city to meet with the increasing requirement of eggs.

3 Eligibility.

The following catagories of persons will be eligible to obtain land on the poultry estate site and subsequently loan from scheduled Banks.

1. Un-employed graduates who were imported training in poultry under Half a Million Job programme and special Employment Prombtion Programme.

2. Existing Poultry Farmers keeping poultry in a small way who wish to increase their flock size under suitable environmental condition.

3. Ex-servicemen, retired personal who have experience of keeping poultry.

4. Finaccial Requirements.

Financial requirement for one unit of 500 layers has been worked out and is given in annexture A.

5. Term and Conditions. for sanction of loan facility.

1. Rate of Interest-Bank's present rate of interest is 4½ O.B.R with minimum of 13 to 13½ perannum However, if the Bank avails refinance facility from Agriculture Refinance and Development Corporation (ARDC) then the interest will be charged with reference to the rate of interest on the refinance from A. R. D. C.

2. Margin Money-The estimated requirement for each unit was Rs. 20000/- and on that basis the unemployed graduates trained under Half a Million Job Programme and Special Employment Programme had been provided a margin money of 10%viz Rs. 2000/-each. This amount is available in deposit with the Jaipur poultry Estate Coop. Societies Ltd.

6. Security

The security will be offered in the following manner :-

1 Most of the land alloted to the individual on 25 years lease basis.

2 Hypothecation of poultry sheds and equipment purchased out of loan amount.

7. Insurance.

There is no insurance in vogue of poultry Farmes at present.

8. Repayment period.

Repayment period would be fixed with reference to surplus of income available each year. The period of medium term loan would however be 7 years payable on equal half yearly installment.

9. Supervision.

The supervision may be condition by the Bank Officer/ Branch Manager etc.

It will also be regulalry undertaken by the staff of the Intensive Poultry Development Block, Jaipur.

सूचि जिनको भूखण्ड आवटित हैं

क्र. सं. 1	नाम कुक्कुट पालक 2	भूखण्ड संख्या 3
1.	श्री रामप्रसाद सिंहल	2
2.	,, राजेन्द्र सरीन	4
3.	,, डी० एल० सिंह	6
4.	,, भगवान श्रीवास्तव	8
5.	,, राजेन्द्र शर्मा	9
6.	श्री कमल तिवाड़ी	10
7.	,, मुकट बिहारी शर्मा	11
8.	,, चन्द्र मोहन माथुर	12
9.	डा० एस० एच० चावला	13
10.	श्री पृथ्वीराज व्यास	14
11.	श्री एच० लाल	15
12.	,, पुरदमल सिंह सिंधु	16
13.	,, रामबक्स कसाना	17
14.	,, पी० कुमार	18
15.	,, पुष्पेन्द्र सिंह नाथावत	19
16.	,, प्रेम सिंह शेखावत	22
17.	,, आदित्य कुमार पारीक	23
18.	,, मुंशीराम लाम्बा	24
19.	,, विद्या प्रकाश वर्मा	25
20.	,, फूलचन्द	26
21.	,, गुलाब राय	27
22.	श्रीमती विमला जैन	28
23.	श्री नन्द लाल	29
24.	श्री मुन्नवर खां	30
25.	श्रीमती दुर्गा देवी	31

1	2	3
26.	श्रीमती मालती देवी	33
27.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़	38
28.	,, कैलाश चन्द्र पारीक	39
29.	श्रीमती लक्ष्मी तिवाड़ी	40
30	,, रंजना तिवाड़ी	41
31.	,, प्रेमलता माथुर	44
32.	,, अनवरी बेगम	45
33.	श्री परमेश्वर दयाल रावत	46
34.	श्रीमती गेन्द कंवर	47
35.	,, नूरजहां	52
36.	श्री वहीद्दीन खां	53
37.	श्रीमती गुलाब कसाना	54
38.	श्री गोविन्द नारायण जोशी	55
39.	,, गोविन्द नारायण श्रीवास्तव	56
40.	श्रीमती सुदर्शना ढिंगरा	57
41.	श्री कयामुद्दीन	60
42.	श्रीमती सुसेन डेविड	62
43.	श्री अरूण कुमार सेठ	64
44.	श्रीमती सरला सेठी	65
45.	श्री बाल किशन सूद	66
46.	,, मोती लाल सेठ	68
47.	श्रीमती उमा देवी	70
48.	श्री रूप सिंह	71
49.	श्रीमती कौशल्या	72
50.	श्री नवनीत कुमार भटनागर	73
51.	,, रघुराज सिंह	74
52.	श्रीमती मीना देवी	75

1	2	3
52.	श्री योगेश कुमार माथुर	76
54.	,, श्याम सुन्दर माथुर	77
55.	,, राजेश्वर प्रसाद सिंह	78
56.	श्रीमती गुलाब देवी त्रिपाठी	79
57.	,, सरोज सिंहल	81
58.	,, पूरण मल चौधरी	82
59.	,, परमात्मा दयाल माथुर	83
60.	,, बजरंग लाल बैरवा	84
61.	,, निर्मल एच० लाल	85
62.	,, गोपी लाल बैरवा	86
63.	,, डा० देवराज बजाज	87
64.	श्रीमती शशी गुप्ता	88
65.	,, रामप्यारी माथुर	89
66.	श्री विष्णु कुमार शर्मा	91
67.	,, मनमोहन लाल माथुर	93
68.	श्रीमती उषा देवी	94
69.	,, कल्पना	95
70.	,, पुष्पा वर्मा	96
71.	,, कंचन देवी	97
72.	श्री विक्रम सिंह	98
73.	,, यशोमित्र अरोड़ा	99
74.	,, प्रदीप कुमार शर्मा	100
75.	,, उम्मेद सिंह	101
76.	श्रीमती उषा संगारी	102
77.	,, बीना सीकरी	104
78.	,, चन्द्र कान्ता सिंह	105
79.	श्री पी० के० शर्मा	107

(172)

1	2	3
80.	श्री रामेश्वर प्रसाद	108
81.	,, विजेन्द्र सिंह	109
82.	,, मोहम्मद याह्या	110
83.	,, सुधीर कुमार सिंह	111
84.	श्रीमती संगीता देवी	112
85.	,, कमलेश	113
86.	,, बीना देवी	114
87.	श्री तेज सिंह	127

ग्राम पंचायत तलछेरा के सरपंच के विरुद्ध शिकायत

81. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ग्राम पंचायत तलछेरा पंचायत समिति, नदबई के सरपंच के विरुद्ध कोई गबन की शिकायत राज्य सरकार को मिली है ? यदि हां, तो अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

जी नहीं। सरपंच तलछेरा, पंचायत समिति नदबई के विरुद्ध राज्य सरकार को कोई गबन की शिकायत प्राप्त नहीं हुई, किन्तु जिलाधीश, भरतपुर को उनके विरुद्ध नामान्तरण सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रारम्भिक जांच जिलाधीश, भरतपुर द्वारा कराई गई। जिलाधीश ने प्राथमिक जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है, जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्य में आने वाले पर्यटक

82. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) एवं

श्री घनश्याम तिवाड़ी : (सीकर) क्या पर्यटनराज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत में विदेशों से आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या में राजस्थान आने वाले पर्यटकों का कितना प्रतिशत है ?

(2) इस प्रतिशत को बढ़ाने के क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) भारत में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों में से लगभग 26% विदेशी पर्यटक राजस्थान में आते हैं।

(2) पर्यटकों को राजस्थान की ओर आकर्षित करने हेतु विभाग द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) पर्यटक आवास सुविधाओं में वृद्धि।

(2) पर्यटक परिवहन सुविधाओं का विस्तार।

(3) लोक प्रिय मेले एवं त्यौहारों का आयोजन।

(4) लोक कला एवं लोक संस्कृति के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन।

(5) राज्य की पर्यटन सुविधाओं, स्थलों एवं नैसर्गिक सौन्दर्य का प्रदर्शनियों एवं फिल्मों द्वारा दिग्दर्शन।

(6) पर्यटन प्रचार साहित्य प्रकाशित करा कर स्वदेश एवं विदेश में वितरण।

(7) राज्य की पर्यटन सम्पत्ति का स्वदेशी एवं विदेशी पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन।

(8) यात्रा अभिकर्ताओं, छाया चित्रकारों एवं यात्रा लेखकों को राज्य के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराकर पर्यटन सम्बन्धि जानकारी कराना जिससे वे अपने ग्राहकों को अपने लेखों, चित्रों एवं सूचनाओं द्वारा राज्य की ओर आने हेतु प्रेरित कर सकें।

(पर्यटन राज्य मन्त्री)

(9) पर्यटन स्थलों के विकास एवं रख रखाव का कार्य।

(10) राज्य के बाहर पर्यटक सूचना केन्द्रों की स्थापना कर पर्यटकों को तात्कालिक सूचनाएं उपलब्ध कराना।

(11) एक शाही रेल गाड़ी (पैलेस ग्रान व्हील्स) भारतीय रेलवे के सहयोग से चालू की गई है।

बीसलपुर पहाड़ (टोड़ारायसिंह) के खनन से प्राप्त रायल्टी

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :– क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

निर्वाचन क्षेत्र टोडारायसिंह के बीसलपुर पहाड़ के खनन से पिछले 22 वर्षों में प्राप्त अधिशुल्क (रॉयल्टी) की राशि में से कितनी राशि उक्त क्षेत्र के विकास कार्यों पर व्यय की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

निर्वाचन क्षेत्र टोड़ारायसिंह के बीसलपुर पहाड़ के खनन क्षेत्र से पिछले बाइस वर्षों में अधिशुल्क (रायल्टी) व भाटक (रेन्ट) से कुल रु० 3, 54, 391/– की आय विभाग को प्राप्त हुई है। जहां तक विकास कार्यों पर व्यय का प्रश्न है, उसका अधिशुल्क या भाटक से सम्बन्ध नहीं है तथापि इस क्षेत्र में वर्ष 1969-70 70–71 एवं वर्ष 1979-80 में विभाग द्वारा अर्द्ध मूल्यवान खनिजों (एक्यूमेरिन, बोरिल व हैलियोडोर) आदि का पूर्वेक्षण कार्य किया गया है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोडक के चुनाव

84. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमंडी) :- क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की मोडक गांव सहकारी समिति को भंग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) भंग समिति कौनसी तारीख को निर्वाचित हुई थी तथा अब पुनः चुनाव कब तक करवाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंच निर्णय द्वारा चुनाव अवैध घोषित करने पर प्रशासक की नियुक्ति की गई है।

(2) अवैध घोषित समिति का चुनाव दिनांक 4-12-81 को हुआ था, शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराने हेतु सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कोटा को निर्देश दे दिये गये हैं।

भरतपुर जिले में स्थित मन्दिरों के भोगराग की राशि

85. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या भरतपुर जिले में स्थित सभी मन्दिरों की भोगराग की राशि प्रायः

(श्री राज बहादुर)

समाप्त कर दी गई है और रसोइये, जो मंदिरों में भोगराग के लिए नियुक्त थे, उनको सेवा से हटा दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ पैसा नाममात्र के लिए इन मन्दिरों के पुजारियों को दिया जाता है ? यदि हां, तो शेष भोगराग के खर्च की क्या व्यवस्था की गई है ? मन्दिरों का रख रखाव किस प्रकार होता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि नाममात्र के लिए कुछ मन्दिरों को 8-9 रुपये अथवा अधिक से अधिक 50 रुपये माहवार दिये जाते हैं, जबकि उक्त मन्दिरों की दुकानों, मकानों अथवा अन्य सम्पत्ति आदि से काफी आमदनी होती है ? यदि हां, तो कृपया मन्दिरों को उक्त प्रकार होने वाली आय का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। भरतपुर स्थित राजकीय मंदिरों के भोगराग के लिए पर्याप्त राशि का निर्धारण किया जाकर वह राशि नकद रूप से सम्बन्धित मंदिर के पुजारियों को भुगतान कर दी जाती है, ताकि वे आवश्यकता अनुसार भोगराग के लिए सामग्री बाजार से क्रय कर सकें। मंदिरों के भोगराग में कमी नहीं की जाकर आवश्यक राशि का निर्धारण किया गया है ताकि भोगराग के आड़ में होने वाले अपव्यय को रोका जा सके। मंदिरों की व्यवस्था एवं प्रबन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि वह यथावत सुचारू रूप से चल रही है।

(3) जी नहीं। भरतपुर जिले में स्थित राजकीय मंदिरों के भोगराग के लिए 9 रु० या 10 रु० या 50 रु० माहवार निश्चित कर देने का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। केवल भरतपुर शहर में स्थित मन्दिर श्री लक्ष्मण जी व श्री गंगा जी में ही पर्याप्त भोगराग की राशि का पुनः निर्धारण किया गया है। क्योंकि उक्त दोनों मंदिरों की किराये की आय न्यायालयों के स्थगन आदेश के कारण लगभग प्राप्त नहीं हो रही है। तीन वर्षों के आय के मानचित्र संलग्न हैं।

मंदिर श्री गंगाजी, भरतपुर के आय व्यय का मानचित्र (राजकीय आत्म निर्भर मंदिर)

वर्ष	आय मद						व्यय मद								
	किराया	ब्याज	तेजा हजारी	भेंट	सहायता	योग	वेतन	पर्यवेक्षण	आरोपण	पोशाक	स्टेशनरी	पानी बिजली	मरम्मत	विविध व मुकदमा	योग
78-79	54840	7500	2600	200	360	65500	13900	–	11450	500	150	1500	5000	2563	35063
79-80	14221	9765	1051	105	360	25502	11064	–	11843	–	112	5943	4320	1706	34988
80-81	19839	9765	4363	105	360	34432	15960	3465	10916	480	269	1496	566	4033	37125

मंदिर श्री लक्ष्मण जी बाजार, भरतपुर (राजकीय आत्म निर्भर मंदिर)

वर्ष	किराया	ब्याज	भेंट	एन्यूटी	सहायता	योग	वेतन	पर्यवेक्षक	भोग	पोशाक	स्टेशनरी	पानी बिजली	मरम्मत	विविध	योग
78-79	29942	12124	50	2441	128	44665	10295	–	11321	324	112	1391	8103	815	32361
79-80	7933	12124	22	4882	128	25089	10456	–	11817	80	205	1311	1704	994	26567
80-81	7999	12124	65	2441	128	22757	18813	2737	5854	20	82	1313	547	1605	30971

राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री कैलादेवी जी. झीलकाबाड़ा, भरतपुर

वर्ष	पुजापा	नारियल बिक्री	किराया	आय		सहायता	योग
				ब्याज	विविध		
78-79	23489	7566	21501	–	409	180	53145
79-80	22544	6732	21611	–	311	180	51378
80-81	23489	15421	20575	12200	216	180	72081

व्यय

वर्ष	वेतन	पर्यवेक्षण प्रसार	यात्रा व्यय	पोशाक	मांग	उत्सव अनुष्ठान	रोशनी पानी	मरम्मत नव निर्माण	विविध (किराया टैन्ट खरीद पगड़ी बनाम विविध स्टेशनरी मुकदमा पोस्टेज ।)	योग
78-79	720	1307	1713	122	1920	7262	7196	5215	10503	35958
79-80	1760	129	779	–	–	7956	7451	4446	12718	35239
80-81	4813	3234	1427	–	–	8289	7920	2782	10298	38763

राजकीय आत्म–निर्भर मंदिरान, भरतपुर

वर्ष	आय: किराया	आय: ब्याज	आय: भेंट	आय: एन्यूटी	आय: सहायता	आय: योग	व्यय: वेतन	व्यय: पर्यवेक्षण प्रभार	व्यय: मांग	व्यय: बिजली पानी	व्यय: स्टेशनरी	व्यय: मरम्मत	व्यय: मुकदमा	व्यय: विविध	व्यय: योग
78-79	17869	–	–	–	–	17869	14258	–	2887	390	100	771	100	–	18506
79-80	8281	2850	–	–	8036	19167	10236	–	2015	449	100	2058	300	159	15316
80-81	12265	2850	–	–	612	15747	9803	1168	3691	751	253	2055	336	520	18577

वर्ष 72–73 से 81–82 तक स्वीकृत भोगराग का विवरण

क्रम सं०	नाम मंदिर	72–73	73–74	74–75	75–76	76–77	77–78	79–80	80–81	81–82	दि: 1-12-81 से निर्धारित
1.	श्री विहारी जी, जिला, भरतपुर।	3300	3300	3600	3600	3600	3600	3600	4500	4500	3650
2.	श्री गंगा जी भरतपुर	7500	7500	10000	10000	11450	11450	11450	12000	12000	3650
3.	श्री लक्ष्मण जी, बाजार, भरतपुर।	5300	5500	9000	9000	10100	10100	10100	10100	12000	3650

(182)

राजकीय आत्म निर्भर-मंदिरान भरतपुर में स्वीकृत भोगराग का विवरण
वर्ष 81–82

क्र०सं०	नाम मंदिर	भोगराग की राशि
1.	मंदिर श्री मोहनजी अटलचंद	180.00
2.	,, श्री वृजलोठाजी	168.00
3.	,, श्री गोमालजी नदिया	120.00
4.	,, श्री लाला महाराज जी	204.00
5.	,, श्री बालानन्द जी	120.00
6.	,, श्री हनुमान जी सिरकी पाड़ा	72.00
7.	,, श्री मोहनजी जी डीग	144.00
8.	,, श्री बिहारी जी घनागढ़	90.00
9.	,, श्री गोपालजी पंगोरें	90.00
10.	,, श्री बिहारी जी हलेना	156.00
11.	,, श्री बिहारी जी डहरा	84.00
12.	,, श्री कुंज बिहारी जी उच्चैंजन	144.00
13.	,, श्री जानरायजी वालरेव	72.00
14.	,, श्री लक्ष्मण जी कुम्हेर	72.00
15.	,, श्री गंगाजी, विमल कुंड, कामां	120.00
16.	,, श्री लक्ष्मण जी डीग	360.00

लाडंनू में सार्वजनिक स्थल पर द्यूतक्रीड़ा

86 **श्री रामधन** (लाडंनू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडंनू में पिछले तीन माह से सार्वजनिक रूप से जुआ खेला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार ऐसे असामाजिक कार्य को बन्द करवाने के लिए कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्रमोन्नति

सांचौर

87. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचौर तहसील की लगभग 2 लाख आबादी के लिये पूरी तहसील में केवल एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो सांचौर में स्थित है ?

(2) यदि हां, तो उक्त केन्द्र को रेफरल अस्पताल में अब तक क्रमोन्नत न करने के क्या कारण हैं ? इसे कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायगा ?

(3) क्या सांचौर नगरपालिका, जिसकी आबादी 15000 से भी ऊपर है, में एक महिला डाक्टर नियमानुसार रखा जाना उचित है ? यदि हां, तो यह पद कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वित्तीय प्रावधान के अभाव में। सातवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचौर में एक महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत है। महिला चिकित्सक के उपलब्ध न होने के कारण इस पद पर एक पुरुष डाक्टर पद स्थापित किया हुआ है। जैसे ही महिला चिकित्सक उपलब्ध होगी सांचौर में उसे लगाना सम्भव होगा।

पंचायत समिति गिर्वा में 'पिछड़े को पहले' कार्यक्रम के तहत ऋण

88. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि (विशिष्ठ योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति गिर्वा में वर्ष 1981-82 में पिछड़े को पहले कार्यक्रम, के अन्तर्गत चयनित परिवारों को बैल, भैंस, बकरी आदि खरीदने के लिये कैम्प्स लगाये गये और उनको उनकी आवश्यकतानुसार जानवर खरीदवाये गये और सम्बन्धित बैंकों से उनके ऋण-फार्म भी भरवाकर दिये गये ?

(2) यदि हां, तो ऐसे कितने परिवारों को ऋण दिये गये ?

(श्री भैरूंलाल मीणा)

(3) क्या यह सही है कि इस कार्यक्रम के तहत चयनित परिवारों को कैम्प्स में ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् भी अभी तक ऋण नहीं मिले हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने परिवार हैं।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 314 परिवारों को दुधारू पशु, बैल, बैलगाड़ीयां, बकरी, भैंस, भेड़ें आदि के लिए ऋण दिये गये।

(3) 395 परिवारों को मार्च, 82 तक ऋण वितरण नहीं हो सका।

पंचायत समिति कुम्हेर व सेवर में अध्यापकों की कमी

89. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति कुम्हेर व सेवर, जिला भरतपुर में प्राथमिक स्कूलों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कितने अध्यापकों की कमी है और इस वर्ष कितने अध्यापकों की कमी दूर कर दी जावेगी ?

उत्तर

निर्धारित मापदण्ड 1:49 के अनुसार पंचायत समिति कुम्हेर में 30 व सेवर में 54 अध्यापकों की कमी है। शिक्षा विभाग से अध्यापकों के पद स्वीकृत होने पर अतिरिक्त अध्यापकों के पद आवंटित कर दिये जावेंगे।

ग्राम देवगांव (झुन्झनू) के निकट लाईम स्टोन की खान की लीज का प्रकरण

90 **श्री मोहनलाल मोदी**(नीम का थाना): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुन्झनू के गांव देवगांव के निकटस्थ लाइम स्टोन की खान को पट्टे (लीज) पर लेने के लिये किन-किन व्यक्तियों ने कब-कब आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त खनिज क्षेत्र की लीज दिनांक 17-8-1982 को स्वास्तिक मिनरल के नाम स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो इस लीज की औपचारिकता पूर्ण करने में कितना समय लगा और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पहले यह खनिज क्षेत्र लाइम स्टोन के पूर्वेक्षण के लिये आरक्षित होने की वजह से लीज पर नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो अब लीज पर देने के कारण क्या हैं ?

उत्तर

(1) जिला झुन्झनू के गांव देवगांव के निकट लाइम स्टोन की खान के पट्टे लेने के लिये जिन व्यक्तियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए तथा उन पर जो कार्यवाही की गई वह संलग्न परिशिष्ट–1 में दर्शाया गया है।

(2) जी हां। इस खनन पट्टे का संविदा निष्पादन 23/8/82 को कर पंजियन कराने हेतु दिनांक 27/8/82 को दे दिया गया है। इस प्रकार लीज की औपचारिकता पूर्ण करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट (1)

क्रमांक	नाम आवेदक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री जगदीश प्रसाद सोनी	150×150 मी०	22 / 3/ 79	आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया।
2.	श्री स्वास्तिक मिनरल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० जयपुर	80×50 मी०	27/ 6/ 81	आवेदन पत्र आदेश दिनांक 26/10/81 द्वारा स्वीकृत किया गया एवं संविदा निष्पादित दिनांक 4 /11/ 81 को किया जाकर उसका दिनांक 11 /12 /81 को पंजीयन किया गया। खनन पट्टा चालू है।

परिशिष्ट (1)

1	2	3	4	5
3.	इंजन	100×40 मी०	27/ 6/81	आवेदन पत्र आदेश दिनांक 17/8/82 द्वारा स्वीकृत किया गया जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 23/6/82 को कराया जाकर पंजीयन हेतु पार्टी को जरिये पत्र दिनांक 27/8/82 से दिया गया।
4.	संजीव कुमार	500×500 मी०	16/12/81	आवेदन पत्र विचाराधीन है।
5	श्री प्रेम नारायण मेहता	500×500 मी०	16/12/81	आवेदन पत्र विचाराधीन है।

जिला धौलपुर में नीम हकीमों द्वारा ग्रांखों के ग्रॉपरेशन

91. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है, कि जिला धौलपुर के ग्राम राजाखेड़ा, लालपुर व खेरोली में फर्जी चिकित्सकों द्वारा ग्रांखों के ग्रॉपरेशन किये गये ? यदि हां, तो इन फर्जी नेत्र शिविरों में ग्रॉपरेशन्स में कितने व्यक्तियों की ग्रांखों की रोशनी जाती रही ? कृपया ग्राम व नामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारियां की गई हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की ग्रौर कब गिरफ्तार किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि दोषी व्यक्तियों से दस्तावेज बरामद हुये जिनसे सिद्ध होता है कि राज्य के ग्रन्य ग्रामों में भी फर्जी ग्राई कैम्प्स लगाये गये ? यदि हां, तो कब से यह फर्जी चिकित्सक राज्य में सक्रिय थे व इनके द्वारा कितने व्यक्तियों को ग्रन्धा किया गया ?

(4) प्रशासन को उक्त प्रकरण की कब जानकारी प्राप्त हुई ग्रौर ग्रब तक इस प्रकरण के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ? राज्य सरकार संबंधित ग्रधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त प्रकरण के निर्दोष ग्रामीणों को ग्रार्थिक व ग्रन्य सहायता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी व कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। उपलब्ध जानकारी के ग्रनुसार 20 व्यक्तियों की ग्राखों की रोशनी जाती रही। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। तीन व्यक्तियों को दिनांक 2-4-82 को।

(3) जी हां।

फरवरी 1982 से राज्य में सक्रिय थे। उपलब्ध सूचना के ग्रनुसार इन लोगों द्वारा किये गये ग्रापरेशन्स से कुल 32 व्यक्तियों की रोशनी गई जिनमें 12 व्यक्ति ग्रलवर जिले के शामिल है।

(4) दिनांक 27-3-82 व 29-3-82

1. पुलिस ने तीनों फर्जी चिकित्सकों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 304, 328, 327, 417, 420, 326 ताजीरात हिन्द के तहत प्रक्रिया प्रारंभ की।

2. चिकित्सा विभाग ने पीड़ित व्यक्तियों से सम्पर्क कर इलाज किया।

3. चिकित्सा विभाग द्वारा दिनांक 3-4-82 को नागरिकों से ग्रपील की कि वे फर्जी शिविरों से सावधान रहें।

(5) 35,000 रुपये की सहायता जिलाधीश के माध्यम से देने के लिये मुख्य मंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की जा चुकी है।

सूची

(क) राजाखेड़ा शिविर में हुए अंधे व्यक्तियों की सूची—

1. श्रीमती रामादेवी पत्नी जैदाराम ग्राम नाहिला
2. श्री हनुमानदास पुत्र श्री छीतरसिंह ग्राम नाहिला
3. श्री श्याम पुत्र श्री गिरवर नाई ग्राम नाहिला
4. श्री मुरली पुत्र श्री छत्रपाल बघेला ग्राम गंगोली का पुरा
5. श्रीमती जावित्री पत्नी श्री फतेहसिंह ग्राम धडी करीलपुर
6. श्रीमती लोंग पत्नी श्री छोटे लाल ग्राम राजाखेड़ा
7. श्रीमती रामेश्वरी पत्नी श्री राम दयाल ग्राम राजाखेड़ा

(ख) लालपुर शिविर में हुए अंधे व्यक्तियों की सूची —

1. श्री करणसिंह पुत्र श्री शिवलाल ग्राम लालपुरा
2. श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री चूरामनी ग्राम लालपुरा
3. श्रीमती बतसिया पत्नी श्री मूलाधोबी ,,
4. श्रीमती पना पत्नी श्री छोटू गूजर ग्राम लालपुरा
5. श्रीमती तिरबेनी पत्नी श्री रूप किशोर ग्राम लालपुरा
6. श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व० श्री रघुवीरसिंह ग्राम गूजरान
7. श्रीमती चमेली पत्नी श्री बंशीराम ग्राम देहोली
8. श्री गोरे लाल पुत्र श्री पूरण ग्राम देहोली
9. श्री लोहरी पुत्र श्री राजाराम ग्राम देहोली
10. श्री तुलसीराम पुत्र श्री सिकाराम ग्राम शेखपुरा गुंजरान

(ग) खेरोली शिविर में हुए अंधे व्यक्तियों की सूची—

1. श्रीमती रेशम पत्नी श्री नेमीचन्द ग्राम खेरोलो
2. श्रीमती धाको पत्नी श्री कालू ग्राम रातोती
3. श्रीमती भूरी पत्नी स्व० श्री रतना ग्राम रातोती

(190)

जिला विकास अभिकरण नागौर द्वारा बनाई गई योजनाएं

92. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या कृषि (विशिष्ठ योजना संगठन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जिला विकास अभिकरण नागौर द्वारा पंचायत समिति मूण्डवा व पंचायत समिति, नागौर के लिए पेयजल योजना, पशु पेयजल योजना आदि बनाई गई है ? यदि बनाई गई है, तो क्या आधार मान कर ? कृपया योजना व सम्बन्धित गांव का नाम, कुल व्यय, योजना सम्पूर्ण हुई या नहीं इस विषयक पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर द्वारा पंचायत समिति मूडण्वा व नागौर हेतु, मनुष्यों हेतु पेयजल योजना नहीं बनाई गई। पशु पेयजल योजना अवश्य तैयार की गयी थी। स्थानों के चयन के लिए पंचायत समितियों से प्रस्ताव मांगे गये थे। माह जून व जुलाई, 1982 में किया गया कार्य, गांवों के नाम एवं व्यय की गयी राशि तथा भौतिक उपलब्धि (प्रतिशत में) का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। योजना को बनाने के मुख्य आधार हैं:—

(1) जल स्रोत-कूप-नलकूप आदि का नजदीक होना।

(2) पशुओं की संख्या।

प्रपत्र "अ"

पंचायत समितिवार पशु पेयजल योजना का विवरण

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव का नाम	डी पी ए पी/ डी डी पी योजना में रा. ग्रा. रो. यो. का अंशदान	जि. ग्रा. वि. अ. नागौर का स्वीकृत अंशदान	योग	माह जून/जुलाई, 82 तक कुल व्यय	जुलाई, 82 के अंत तक कार्य का (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नागौर पक्का तालाब	1. रोहिणी	0.50	1.50	2.00	1.92 (जून तक)	90 प्रतिशत
		2. जोध्यासी	1.00	1.00	2.00	0.91 ,,	40 ,,
	टांका निर्माण	1. चुंटीसरा	0.03	0.27	0.30	0.30 ,,	100 ,,
		2. सिमंड़	0.03	0.27	0.30	0.30 ,,	100 ,,
		3. (श्रीबालाजी नायकों की ढाणी)	0.03	0.27	0.30	0.21 ,,	100 ,,
		4. ढाकोरिया	0.03	0.27	0.30	0 30 ,,	100 ,,
		5. उंटवालिया	0.03	0.27	0.30	0.30 ,,	100 ,,
	बड़ा कुण्ड	6. श्रीबालाजी	0.07	0.23	0.70	0.23 ,,	60 ,,
		7. इन्द्रास	0.07	0.63	0.70	0.20 ,,	60 ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	मूण्डवा टांका निर्माण	1. साटिका कला	0.07	0.23	0.30	0.30 (जुलाई तक)	100 ,,
		2. टांकला	0.07	0.23	0.30	0.30 ,,	100 ,,
		3. ग्रावीणा	0.07	0.23	0.30	0.30 ,,	100 ,,
		4. चरड़ा	0.07	0.23	0.30	0.30 ,,	100 ,,
		5. बिरलोका	0.07	0.23	0.30	0.30 ,,	100 ,,
	बड़ा कुण्ड	6. फिरोजपुरा	0.07	0.63	0.70	0.70 ,,	100 ,,
		7. गोठडा	0.07	0 63	0.70	0.07 ,,	100 ,,
	योग :-		2.28	7.52	9.80	6.94	

(192)

जिला बूंदी में अपराधकी घटनायें

93. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):- क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वर्तमान जिला पुलिस अधीक्षक, बूंदी के अपना कार्यभार सम्भालने की तिथि से 15 अगस्त, 1982 तक जिला बूंदी में निम्न प्रकार की घटनाएं कितनी घटी :-

1. चोरियाँ
2. डकैतियां
3. हत्यायें
4. आगजनी तथा
5. बलात्कार

कृपया थानावार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(जिला बूंदी में दिनांक 23–7–81 से 15–8–82 तक घटित अपराधों की थानेवार तालिका)

	नाम थाना	डकेती	चोरी	हत्या	आगजनी	बलात्कार
1.	कोतवाली	1	67	3	2	–
2.	कापरेन	–	8	–	–	1
3.	केशोरायपाटन	1	11	5	–	–
4.	तालेडा	–	22	2	–	–
5	गेन्डोली	–	11	1	–	1
6.	जे.एस.डेम	–	5	1	–	–
7.	सदर थाना	–	42	2	–	1
8.	लाखेरी	–	21	3	–	–
9.	नेनवा	–	12	2	–	–
10.	देई	–	20	1	–	1
11.	डबलाना	1	19	2	–	–
12.	हिण्डोली	–	25	1	–	2
13.	बंसोली	–	6	–	–	–
	योग :—	3	269	23	2	6

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ऋण

94. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराडा): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के बेघर व्यक्तियों को मकान हेतु रु. 750/- का अनुदान सरकार की ओर से पंचायत समिति, सराड़ा के माध्यम से दिया गया ?

(2) यदि हां तो पंचायत समिति सराड़ा में उक्त रकम कितने व्यक्तियों को दी गई।

(3) क्या उक्त पंचायत समिति की सभी पंचायतों को राशि का आवंटन किया गया था ? यदि नहीं, तो कितनी पंचायतों में कितने व्यक्तियों को ? यदि सभी पंचायतों को नहीं दिया गया, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि मकान बनाने वाले व्यक्तियों को सीमेंट भी आवंटित की जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार से स्वीकृत योजना के अनुसार पंचायत समिति के माध्यम से मकान हेतु 750/- रु. प्रति परिवार अनुदान दिया गया।

(2) पंचायत समिति सराड़ा द्वारा 259 व्यक्तियों को अनुदान राशि दी गई।

(3) जी हां। सभी पंचायतों को राशि आवंटित की गई थी किन्तु जिन ग्राम पंचायत के चयनित व्यक्तियों ने मकान निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं कराया वह राशि अन्य पंचायतों के चयनित व्यक्तियों को दी गई।

(4) भवन निर्माण के लिए प्रार्थी के आवेदन पत्र पर लगभग 4 या 5 सीमेन्ट के थैलों का परमिट दिया जाता है। पंचायत समिति क्षेत्र में उक्त कार्य हेतु किसी को सीमेन्ट का परमिट नहीं दिया गया क्योंकि किसी ने मांग ही नहीं की।

राजस्थान नहर से संबंधित योजना

95. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार के सामने राजस्थान नहर राज्य मंत्री महोदय ने राजस्थान नहर से सम्बन्धित कोई योजना प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो कृपया उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार इस योजना से सहमत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? राज्य सरकार की किन-किन प्रस्तावों से असहमति है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक "एक्सपर्ट ग्रुप" का गठन कर दिया है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं। यह ग्रुप द्वितीय चरण में प्रस्तावित सभी विकल्पों का (जिनमें उपरोक्त प्रस्ताव भी शामिल है) अध्ययन करके रिपोर्ट पेश करेगा। इस रिपोर्ट के प्राप्त

(मुख्य मंत्री)

होने पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जावेंगे।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

96. **श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाडमेर)**: क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आधार आबादी है अथवा क्षेत्रफल या अन्य ?

(2) क्या पंचायत समिति बाड़मेर के ग्राम नांद से 20 किलोमीटर की दूरी पर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है ? यदि हां, तो कहां ?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के क्षेत्र में बहुत से ऐसे भी स्थान हैं जहां से स्वास्थ्य केन्द्र 20 किलोमीटर की दूरी से भी अधिक दूर है ?

(4) क्या सरकार ग्राम नांद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आधार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसमें क्षेत्र की आबादी ही मुख्य आधार है।

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी हां।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना, चित्तौड़गढ़

97. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना, चित्तौड़गढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें राज्य सरकार को वर्ष 1980 से अब तक लगातार प्राप्त हो रही हैं ?

(2) यदि हां, तो जांच के दौरान किसे दोषी पाया जाना साबित हुआ व जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गई ?

(3) रिपोर्ट कब पेश हुई और अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विगतवार ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना, चितौड़गढ़ में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सर्व प्रथम पहली शिकायत अप्रेल, मई 1982 में जो कृषि विस्तार शाखा से संबंधित थी तथा दूसरी शिकायत जून, 1982 में जो अनुसंधान शाखा से संबंधित थी, प्राप्त हुई।

(कृषि मंत्री)

(2) विस्तार शाखा से संबंधित शिकायत पर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कृषि उदयपुर प्राथमिक जांच कर रहे थे तथा उनका प्रतिवेदन अभी अपेक्षित है। अनुसंधान शाखा से संबंधित शिकायत पर जिला अधिकारी, चितौड़गढ़ द्वारा प्रारम्भिक जांच करवाई गयी और माह जुलाई, 1982 में उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार शिकायत के बिन्दु निराधार पाये गये।

(3) अनुसंधान शाखा का, शिकायत संबंधित, प्राथमिक जांच प्रतिवेदन जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 17-7-82 को प्रस्तुत कर दिया गया है। तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार शिकायत के किसी भी बिन्दु के प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप इस पर कोई अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बामनवास पट्टीकलां में कन्या प्राथमिक शाला

98. **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि शैक्षणिक सत्र 1981–82 में बामनवास पट्टीकलां में कन्या प्राथमिक शाला स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो क्या वह विद्यालय चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति निरस्त कर दी गई, अतः विद्यालय चलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

थाना पाटूकलां (नागौर) में, वर्ज हरी लकड़ी काटने का मुकदमा

99. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना पाटूकलां जिला नागौर में हरी लकड़ी काटने का मुकदमा नं. 2/82 दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा कौन से माह में किस तारीख को केस दर्ज कर किस तारीख को चालान पेश किया गया ?

(2) क्या चालान प्रस्तुत करने से पूर्व किसी उच्च अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है ? यदि हां, तो किस किस स्तर के अधिकारी से एवं इस मामले में स्वीकृति देने के सक्षम अधिकारी कौन थे या हैं ?

(3) जब पुलिस इस प्रकार के मामलों में लकड़ी जब्त करती है तो पुलिस के कब्जे में फैसले तक रखा जाना आवश्यक है अथवा जमानत पर किसी को भी चालान प्रस्तुत करने से पूर्व पुलिस दे सकती है ?

(4) क्या यह सही है कि पुलिस थाना के रिकार्ड में थानेदार ने चालान कर दिया जाना दर्शाया है पर वास्तव में चालान प्रस्तुत नहीं किया ?

(5) क्या इस मामले की कोई शिकायत पुलिस विजिलेंस के अतिरिक्त महा निरीक्षक के यहां भी की गई थी ? यदि हां, तो किस तारीख को तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

थानेदार, पुलिस थाना पाटूकला ने विजिलेंस अतिरिक्त महा निरीक्षक के आदेशों की अवहेलना कर फाइल को यहां न भेज कर चालान प्रस्तुत कर दिया ?

उत्तर

(1) जी हां । अभियोग दिनांक 1-1-82 को दर्ज होकर चालान दिनांक 8-7-82 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

(2) जी हां । वृत्ताधिकारी स्तर के अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है. इस मामले में वृत्ताधिकारी मेड़ता सिटी समक्ष अधिकारी थे ।

(3) धारा 102(3) भा० द० प्र० सं० के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसंधान अधिकारी ऐसी जब्त की गई सम्पत्ति को जमानत पर सुपुर्दगी पर देने हेतु सक्षम है ।

(4) जी नहीं । चालान मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मेड़ता सिटी की अदालत में दि० 8-7-82 को किया जा चुका है ।

(5) जी हां । दिनांक 31-7-82 को अतिरिक्त महानिरीक्षक विजिलेन्स के समक्ष शिकायत पेश होने पर संबंधित अभियोग की पत्रावली मंगवाई गई । मुकदमे में चालान अपर महानिरीक्षक, सतर्कता के निदेशों के पूर्व ही दिनांक 8-7-82 को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका था । अतः यह सही नहीं है कि चालान निर्देशों की अवहेलना कर प्रस्तुत कर दिया ।

श्री कल्याण अस्पताल, सीकर

100. श्री धनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री कल्याण अस्पताल सीकर को "बी" श्रेणी से "ए" श्रेणी में क्रमोन्नत कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके बाद कितनी शैयाएं बढ़ाई गई भिन्न भिन्न श्रेणी के कितने पद सृजित किये गये तथा कितना धन एवं उपकरण इस हेतु उपलब्ध कराये गये ?

(2) "बी" एवं "ए" श्रेणी के अस्पतालों में क्या अन्तर है ?

(3) उपरोक्त अस्पताल को क्या क्या नयी सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार विचार कर रही है तथा कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, ।

150 रोगी शैयाएं बढ़ाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है । क्रमोन्नति के फलस्वरूप जो स्टाफ के अतिरिक्त पद सृजित किये गये उसकी सूची संलग्न है । अतिरिक्त स्टाफ के वेतन एवं साज सामान हेतु 7.89 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया जारहा है ।

(2) 150 से 299 रोगी शैयाओं वाले अस्पताल को 'बी" श्रेणी का अस्पताल कहते है । 300 एवं इससे अधिक रोगी शैयाएं वाले चिकित्सालय को "ए" श्रेणी का अस्पताल कहते है ।

(3) स्टाफ, इमर्जेन्सी सेवायें फिजियोथिरापी डिपार्टमेन्ट एवं ऐनीस्थीसिक के विशेषज्ञ की नई सेवायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है ।

(1988)

श्री कल्याण अस्पताल सीकर को क्रमोन्नत करने पर बढ़ाए गए पदों की सूची

पद का नाम	पदों की संख्या
1. वरिष्ठ विशेषज्ञ	3
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ	1
3. सी० ए० एस०	10
4. मेट्रन ग्रेड I	4
5. सिस्टर	4
6, कम्पाउन्डर ग्रेड प्रथम	4
7. कम्पाउन्डर ग्रेड द्वितीय	6
8. स्टाफ नर्स	6
9. रेडियो ग्राफर	2
10. टैक्नीशियन	2
11. फिजियोथेपिस्ट	1
12. आकूपेशनल थिरेपिस्ट	1
13. इलेक्ट्रिशियन	1
14. टेलर	1
15. कारपेन्टर	1
16. कार्यालय अधीक्षक श्रेणी–2	1
17. वरिष्ठ लिपिक	3
18. कनिष्ठ लिपिक	3
19. ड्राईवर	2
20. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कुक, धोबी, बार्डबॉय, हरिजन)	50

Page No 201

(199)

पुलिस स्टेशन हाउसिंग आफिसर खेतड़ी के विरुद्ध शिकायतें

101. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर ने खेतड़ी के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, श्री कमलेश अग्रवाल, एडवोकेट श्री विश्वनाथ एवं रोडवेज के बुकिंग क्लर्क, श्री गिरधारी लाल की अग्रिम जमानत जुलाई, 1982 के अन्तिम सप्ताह में स्वीकार की है ?

(2) क्या श्री कमलेश अग्रवाल ने यह प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश को दिया था कि पुलिस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है एवं झूठे मुकदमे बनाकर गिरफ्तार करना चाहती है ? कृपया प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत के फैसले में पुलिस के विरुद्ध कुछ कहा है ? कृपया फैसले की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सत्र न्यायाधीश ने राज्य के पुलिस महानिरीक्षक को इस मामले में छानबीन करने एवं उचित कार्यवाही करने हेतु फैसले की नकल भेजी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, श्री कमलेश अग्रवाल ने गृह राज्य मंत्री को भी खेतड़ी पुलिस स्टेशन हाउसिंग आफिसर के विरुद्ध शिकायत भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) श्री अग्रवाल ने जो अग्रिम जमानत की दरख्वास्त सत्र न्यायाधीश जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें अंकित किया था कि पुलिस उनसे रंजिश रखती है । बदला लेने पर उतारू है तथा बेइज्जत करना चाहती है । जमानत की दरख्वास्त की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है । अलग से कोई प्रार्थना पत्र दिया हो तो विभाग को जानकारी नहीं है ।

(3) जी हां । फैसले की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी हां । अभियोग के अनुसंधान के पश्चात सही स्थिति मालूम होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।

(5) जी हां । परिवाद को उप महानिरीक्षक जयपुर रेंज के पास जांच कराने एवं रिपोर्ट भिजवाने हेतु भेजा गया । जहां से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ।

(209)

353] परिशिष्ट–8 सितम्बर, 1982–परिशिष्ट

न्यायालय जिला एवं सत्र-न्यायाधीश जयपुर नगर।

विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या सन् 82

1. विश्वनाथ पुत्र श्री राधा कृष्ण जाति महाजन अग्रवाल, एडवोकेट, निवासी खेतड़ी।

2. कमलेश चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जाति महाजन अग्रवाल निवासी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट खेतडी।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक

अप्रार्थी

अपराध अन्तर्गत धारा 467, 120–बी, 386, 471, 397, 193 भा. द. सं.
जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 प. प्र. सं.
श्रीमान् जी,

प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है—

यह कि अभियोजन के अनुसार दि० 29-6-82 को पुलिस थाना खेतड़ी में श्री निवास पुत्र बनवारीलाल कुमावत परिचालक बस नं. आर. आर. जी. 7832 खेतड़ी ने एक लिखित रिपोर्ट इस अमर की पेश की कि वह बस रोडवेज नं. 7832 का चालक है जिसका ड्राइवर किशनसिंह है, कल रात को बस लेकर आठ बजे जयपुर पहुंचा उनका नाइटहॉल्ट (रात्रि विश्राम) जयपुर का रात को करीब 10.30 पर वह अपनी आर. आर. जी. 7832 में सोया हुआ था तो उसके पास गिरधारी चैकिंग बाबू खेतड़ी डिपो और विश्वनाथ वकील आया और उसे जगाकर कहा कि एक टिकट 5/– रुपया का अधिभार सहित खेतड़ी रींगस का अब काट कर दे दें जो के० सी० अग्रवाल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट साहब खेतड़ी को देनी है ताकि उनको पुलिस कार्यवाही में काम आवे। तब उसने इन्कार कर दिया। तब उसके बैग में से 15/– रुपया बुक नम्बर, जो टिकट 000600638 में दोहरी चालू थी को निकालकर गिरधारीलाल चैकिंग बाबू ने जबरदस्ती टिकट नं. 000600638 के नीचे कार्बन लगाकर अधिक भार का खेतड़ी रींगस टिकट 11.40 पैसे काट दी। इसकी प्रति कार्बन वाली यात्री प्रति फाड़कर अपने बैग में डाल ली और 11.40 पैसे व 5/– रुपया अधिक भार के नहीं दिये। और मुझे कहा कि इस टिकट का इन्द्राज वे बिल में ऊपर ही ऊपर शुरू में कर ले नहीं तो तुझे जयपुर में बचाने वाला कोई नहीं है। मारेगें। मुन्सिफ साहब के० सी० अग्रवाल

जयपुर के ही हैं। तुझे जिन्दा नहीं रहने देंगे। तब वह डरते हुए वे बिल में उस टिकट की ऊपर ही ऊपर एन्ट्री कर दी। टिकट में की गई एन्ट्री गिरधारी बाबू की है। उसने ड्राईवर श्री किशनसिंह को सुबह बताया रात को ड्राइवर अपनी बहिन के घर चला गया था। गिरधारी और विश्वनाथ रात को ही उनके पास से चले गए, कहां गए पता नहीं अब वापिस खेतड़ी थाने पर रिपोर्ट देता हूं।

अभियोजन के अनुसार पुलिस थाना खेतड़ी ने बिना नम्बर एफ० आई० आर० मुटिब उक्त आशय की जरिये स्पेशल मैसेज जयपुर भेजी और पुलिस अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट को थाना बनीपार्क में वास्ते कायम करने मुकदमा भेजी जहां पर मु०सं० 183/82 अन्तर्गत धारा 386, 467,471, 397, 193, 120–बी भा० द० सं० में दर्ज की तफतीश शुरू की क्योंकि पुलिस प्रार्थीगण से रंजिश रखती है और यह झूठा केस बनाकर बेइज्जत करने को गिरफ्तार करने पर उतारू है इसलिए यह प्रार्थना-पत्र अग्रिम जमानत निम्नलिखित आधारों पर पेश हैं––

1. यह कि प्रार्थीगण सम्पन्न परिवार के व्यक्ति हैं। प्रार्थी नं० 1 वकील है एवं प्रार्थी नं० 2 न्यायिक अधिकारी है। उनकी चल व अचल सम्पत्ति राजस्थान में है इसलिए उनके भागने का कोई अन्देशा नहीं है।

2. यह कि गवाहान इस्तगासा प्रार्थीगण के असल में नहीं है और ना उनसे सम्बन्धित है इसलिए उनके तोड़ने व बहकाने का कोई अंदेशा नहीं है।

3. यह कि प्रार्थी नं० 2 खेतड़ी में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त है और उसने सुकरी राम नामक भार साधक अधिकारी के विरुद्ध एक प्राइवेट मुकदमें में प्रसंज्ञान लिया था जिसमें उसे जमानती वारन्ट के तलब किया गया था और इस वाके से पूर्व ता० 26-6-82 को हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी तथा उसने यहां से मुकदमा भी दूसरी अदालत में भेजने का भी प्रार्थना-पत्र दिया तथा शाम को तुलसी राम थानेदार के वकील श्रीपाल ने प्रार्थी नं० 2 के घर जाकर यह जोर दिया कि या तो मुकदमे को रफा दफा करदे वरना बुरे परिणाम होंगे। जिस पर दि० 26-6-82 को प्रार्थी नं० 2 ने इस वाके की सूचना जिला एवं सेशन न्यायाधीश झूंझनू को दी तथा इसकी प्रतिलिपि द्वारा बार एसोसियेशन के सदस्यों (खेतड़ी) को सूचित किया। इसकी सूचना दि० 28-7-82 को ही डिस्पेच हुई क्योंकि दि० 27-7-82 को छुट्टी थी।

4. यह कि ता० 28-6-82 प्रार्थी नं० 2 जयपुर अपने घर खेतड़ी से आ रहा था और रींगस से एक्सप्रेस पकड़ने के लिए खेतड़ी से जयपुर चलने वाली बस में अधिक भार के पैसे देकर रींगस तक की टिकट लेकर बैठ गए क्योंकि

(202)

रींगस से पहले कोई द्रुतगामी बस जयपुर के लिए नहीं मिल सकती थी क्योंकि वह जयपुर जल्दी आना चाहता था। इसलिए उक्त बस में रवाना हो गया। रास्ते में ही तुलसी राम थानेदार ने अनधिकृत रूप से बड़े ही नाटकीय ढंग से, जैसा कि उसके द्वारा की गई रिपोर्ट से जाहिर है, प्रार्थी नं० 2 को बेइज्जत करने के लिए व बदला लेने के लिए बिना टिकट यात्रा करने का बहाना बनाकर गिरफ्तार कर लिया और जमानत पेश करने के लिए कहा जिस पर प्रार्थी नं० 2 ने मना किया कि उसके पास जमानती नहीं है जिस पर पुलिस वालों ने अपना जामिन खड़ा कर जमानत करवा कर रिहा किया और इस प्रकार उसने कॉग्नीजेन्स लेने के कारण रंजिश निकाली जबकि प्रार्थी नं० 2 के पास शुरू से ही टिकट अधिक भार का था।

5. यह कि प्रार्थी नं० 2 बजाय जयपुर आने के वहां से वापिस खेतड़ी आ गए। उच्च पुलिस अधिकारी श्री रतनसिंह सोनी को सारा किस्सा बताया तथा वकील लोगों को भी सारा किस्सा बताया तथा टिकट भी बताया तथा जिला एवं सैशन न्यायाधीश झुंझनू को पत्र द्वारा सूचित किया।

6. यह कि पुलिस खेतड़ी ने दूसरे रोज जब उक्त गाड़ी वापस खेतड़ी गई तो खेतडी पुलिस ने कन्डक्टर को वे बिल व टिकट बुक के साथ पकड़ कर थाने ले गए और शाम को सात बजे तक बैठा कर एक झूठी लिखावट करवाई जिससे प्रार्थी नं० 1 व 2 के द्वारा मिल कर झूठा टिकट बनाने जबरदस्ती लिखवा दिया।

7. यह कि जिस कारण से कण्डक्टर समय पर अपना पैसा नहीं जमा करा सका जिस पर डिपो मैनेजर ने उसे रकम जमा न कराने का कारण पूछा तो कण्डक्टर ने लिखित में अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उसको थाने पर ले जाया गया और उससे झूठी रिपोर्ट जुबानी लिखावट लिखाई और शाम को 7 बजे तक बैठाए रखने के कारण जमा नहीं करवा सके। यह भी जाहिर किया कि उसका वे बिल व टिकट बुक भी थाने वालों ने कब्जे में ले ली और डिपो मैनेजर ने जब थाना अधिकारी को पूछा तो उन्होंने वे बिल और टिकट की सत्य प्रतिलिपि भिजवा दी।

8. यह कि कण्डक्टर से जो जबरदस्ती लिखवाया गया उस पर थाना खेतड़ी वालों ने प्रार्थीगण के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कर दी जिसे जयपुर बनीपार्क थाने में भेजा गया।

9. यह कि यदि जैसा किस्सा रिपोर्ट में लेकर अभियोजन पक्ष आया है वह सही होता तो सिन्धी कैम्प रोडवेज स्टेण्ड जयपुर पर जहां गाड़ी आकर रुकी वहां पर पुलिस चौकी भी है और काफी स्टाफ भी रहता है और

रोडवेज के उच्च अधिकारी भी थे तो वे रिपोर्ट नहीं करते जिससे ही अपने आपसे स्पष्ट है कि यह पुलिस ने झूठी रिपोर्ट मनमन्ढ़त बनाई है।

10. यह कि जैसा रिपोर्ट से जाहिर है उन्हें रिपोर्ट दिनांक 29-6-82 को दे दी गई तो दि० 16-7-82 तक क्या करते रहे। इस देरी से यह भी स्पष्ट है कि मुकदमा बाद में झूठा मनगढ़न्त बनाया गया है।

11. यह कि दि० 14-7-82 कण्डक्टर श्री निवास ने सही स्थिति का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष चिड़ावा मे अन्तर्गत धारा 164 द० प्र० सं० में दे दिया। जिसके लिए दिये प्रार्थना-पत्र में उसने पुलिस की ज्यादती का हवाला दिया है और इसी प्रकार ड्राईवर ने दि० 22-7-82 को सही वाकेयात का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर के यहां कर दिया।

12. यह कि क्योंकि पुलिस प्रार्थीगण से रंजिश रखती है और बदला लेने पर उतारू है तथा बेइज्जत करना चाहती है।

13. यह कि एस० एच० ओ० श्री तुलसी राम ने इस घटना से पूर्व इस्तगासा करने के सम्बन्ध में वकील को भी धमकाया इस पर खेतड़ी बार एसोसियेशन निन्दा प्रस्ताव पारित किया और संबंधित वकील श्री रामशरण ने कन्टेम्प आफ कोर्ट के लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी कार्यवाही कर रखी है।

14. यह कि वे बिल से ही स्पष्ट हो जावेगा कि उसमें कोई घटा बड़ी करके या बाद में इन्द्राजात टिकट के नहीं किया है बल्कि आर्डिनरी काम में इन्द्राज किया हुआ है।

15. यह कि जुर्म 467, 397 भा० द० सं० का नहीं बनता है ये धाराएं केवल मामले को उग्र रूप देने के लिए लगाई गई हैं।

16. यह कि जुर्म कोई ऐसा नहीं है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दिया जा सके।

17. यह कि प्रार्थीगण से कोई बरामदगी आदि करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि टिकट की फोटो कापियां पहले ही पुलिस अधिकारियों को भेजी जा चुकी हैं।

206

18. यह कि प्रार्थीगण जांच में मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भारसाधक अधिकारी बनीपार्क जयपुर को निर्देश देवे कि यदि वे प्रार्थीगण को मु० सं० 183/82 में यदि गिरफ्तारी करें तो तुरन्त रिहा कर दें।

प्रार्थीगण

दिनांक 28-7-82

1. विश्वनाथ अग्रवाल
2. कमलेशचन्द अग्रवाल

जरिये अभिभाषक प्रार्थीगण
रघुनन्दनलाल खण्डेलवाल, एस० के० नागर, मक्खनलाल गुप्ता एडवोकेट्स

205

न्यायालय सैशन न्यायाधीश, जयपुर नगर, जयपुर

बनाम

प्रार्थना-पत्र जमानत अन्तर्गत धारा 438/439 दं० प्र० सं०

क्रिमिनल मिसलेनियस केस नं० 445/82

एफ० आई० आर० न० 183/82

थाना बनीपार्क, जयपुर

प्रार्थी/ प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक उपस्थित

बहस सुनी गई एवं पुलिस/संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

खेतड़ी पुलिस के थानेदार के विरुद्ध प्रार्थी सं० 2 ने मजिस्ट्रेट की हैसियत से केस का प्रसंज्ञान लिया जिसका अभियोग प्रार्थी संख्या–(1) ने किया था। उसी के परिणामस्वरूप खेतड़ी पुलिस ने प्रार्थीगण पर फर्जी रोडवेज की टिकट व वेबिल फर्जी बनाने का आरोप लगाकर अभियोग पत्र जयपुर भेजा। टिकट व बिल फर्जी होने का प्रथमदृष्टि में कोई प्रमाण नहीं है। लगता है कि पुलिस ने वैमनस्यता वश मजिस्ट्रेट व एडवोकेट को झूठा फंसाने का प्रयास किया है जो किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन के लिये शोभाजनक नहीं कहा जा सकता ।

अतः इस प्रकरण के विशेष तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के समक्ष पुलिस अथवा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु 8000/– रुपये का निजी बंधकपत्र एवं 4000/– रुपये को दो-दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत कर दे एवं धारा 438 दं० प्र० सं० में दिये गये निर्देशों की पालना को वचनबद्ध हो तो प्रार्थीगण को इस प्रकरण में बंधन में लेते समय स्वतन्त्र रखा जावे ।

अथवा

अधीनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद न्यायालय द्वारा बुलाये जाने हेतु /–रुपये का निजी बंधक पत्र एवं /– रुपये की दो-दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर दे तो प्रार्थी/प्रार्थीगण को इस प्रकरण में स्वतन्त्र कर दिया जावे ।

इस आदेश की प्रतिलिपि आई० जी० पी० (जयपुर को वास्ते जांच व उचित कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

एस० डी/–सोहन राज कोठारी
सैशन न्यायाधीश,
जयपुर नगर।

भीलवाड़ा तहसील की रूपाहेली पंचायत के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

102. **श्री बन्सीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या पंचायत राज. राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या भीलवाड़ा तहसील की रूपाहेली पंचायत के सरपंच, श्री राम नारायण विजयवर्गीय के विरुद्ध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत नये कुएं व अन्य निर्माण कार्यों में बरती गई अनियमितता को लेकर जिलाधीश, भीलवाड़ा, सामुदायिक विकास विभाग में कई शिकायतें विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब इस मामले में निर्णय कब तक हो जावेगा ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

पुलिस स्टेशन हाऊसिंग ऑफिसर के विरुद्ध शिकायत भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां, जिलाधीश, भीलवाड़ा को श्री राम नारायण विजयवर्गीय, सरपंच ग्राम पंचायत रूपाहेली के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान शिकायत प्रमाणित नहीं पाई गई। अतः मामला जिला स्तर पर समाप्त किया गया।

परिशिष्ट-3

चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक के पास वर्ष 1981–82 एवं माह जुलाई, 82 तक पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रकारण मारपीट तथा रिपोर्ट दर्ज न करने की शिकायतों का

थानेवार ब्यौरा

क्र. सं. 1	नाम थाना 2	किस कर्मचारी के विरुद्ध 3	परिवादी का नाम 4
1.	सालमगढ़	श्री तेजसिंह, एस० एच० ओ०	श्री शम्भुडा पुत्र दीपा मीना नि० बारी
2.	अरनोद	श्री नारायणसिंह, ए० एस० आई०	श्री कचरू मेघवाल नि० पारसाली
3.	भदेसर	पुलिस भदेसर	समस्त जनता ग्राम गंगरार
4.	पारसाली	पुलिस पारसाली	श्रीमती मोहिनी पत्नी निमाजी नि० देवीपुरा
5.	चित्तौड़गढ़	श्री उदयलाल कानि० व मूलचन्द कानि०	श्री चुन्नीलाल नि० घासूण्डा
6.	राशमी	पुलिस ओ० पी० पूंना	कला नायक नि० साढास
7.	गंगरार	पुलिस थाना गंगरार	श्री घनश्याम खटीक सा० साढास
8.	भदेसर	ओ० पी० कानोज के एच० सी०	श्री बंशीलाल नि० पीलपास
9.	चित्तौड़गढ़	कानि० विजयसिंह ओ० पी० घासूण्डा	माली मारफत ग्राम वासियान हापावास
10.	छोटी सादड़ी	श्री इब्राहीम एस०एच० ओ० व मीठालाल ए० एस० आई०	श्री देवेन्द्रकुमार चन्देला
11.	कपासन	,, पृथ्वीराज उ० नि०	,, किशनलाल नि० रनियाडी
12.	गंगरार	,, ईश्वरसिंह, उ० नि०	,, मांगू नि० कालबलिया का खेड़ा।
		वर्ष 1982	
13,	धमोतर	एस० एच० ओ० धमोतर	,, मोहम्मद हनीफ नि० चित्तौड़गढ़

1	2	3	4
14.	निम्बाहेड़ा	थानाधिकारी	श्री नूर नि० बाहड़ा
15.	डूंगला	श्री गुमानसिंह एच० सी० चिकारडा।	,, शफी मोहम्मद नि० सादलखाड़ा
16.	भलरागढ़	कांनि० बाबूलाल व मांगीलाल ओ० मी० जावदा।	,, भीमराज नि० बाराब
17.	आकाला	थानेदार व एच० सी० बगरा	,, दयाराम नि० हीरा जी का खेड़ा
18.	चित्तौड़गढ़	एच० सी० पीरमा	मु० शरीफन नि० चित्तौड़गढ़
19.	गंगरार	अमरकण्ठ ए० एस० आई० गंगरार	श्री मांगू बन्जारा नि० सूरतसिंह का खेड़ा
20.	निम्बाहेड़ा	प० उ० अ० निम्बाहेड़ा व कानि० भंवरसिंह व प्रतापसिंह	मु० रुकमणी नि० चगडी
21.	गंगरार	उ० नि० ईश्वरसिंह व अमरकण्ड ए० एस० आई०	श्री गारु नि० जवासिया
22.	निकूम	एस० एच० ओ० निकूम	श्री माडा नि० अर्जुनसिंह का खेड़ा
23.	आकांला	एच० सी० ओ पी० भूपालसागर	श्री दलीया नि० कांकरवा
24.	राशमी	थानेदार व अन्य पुलिस कर्मचारी	भीमा नि० पहूंना
15.	डूंगला	एस०एच० ओ० व एच०सी डूंगला।	ग्रामवासी नीम का गांवडा
26.	सराडगढ़	श्री वीरेन्द्रपाल एस० एच० ओ०	सलमा कंजरी नि० घागडभ
27.	सुहागपुरा	कांनि० रामगोपाल घवेश्वर	श्रीमती जमना नि० पटलिया
28.	भदेसर	ओ० पी० कनीज कानि० लतीफ खां व गोवर्धनसिंह	श्री धामा नि० गणपत खेड़ा

परिशिष्ठ–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 की सूची

भीलवाड़ा में अभ्रक व खनिज पर आधारित बड़े उद्योग लगाने के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर केन्द्र सरकार को भेजी गई सिफारिश के विवरण की सूची..

क्र. सं.	इकाई का नाम	स्थान	उत्पाद का नाम	केन्द्र सरकार को भेजी गई सिफारिश का दिनांक
1.	श्री प्रेमचन्द कासलीवाल	भीलवाड़ा	एस्बेस्टोज सीमेंट प्रेशर पाईप्स	24-5-79
2.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि०	भीलवाड़ा	माइका पेपर एण्ड माईका पेपर प्रोडक्ट्स	24-7-79
3.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि० जयपुर	भीलवाड़ा	माईका पेपर प्रोडक्ट्स	10-9-79
4.	श्री सरलोचनसिंह	भीलवाड़ा	एस्बेस्टोज सीमेन्ट प्रेशर पाईप्स	29-3-80
5.	मैसर्स माईका ट्रेडिंग कारर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	भीलवाड़ा	माइका पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स	31-12-80
6	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि० जयपुर	भीलवाड़ा	सिरेमिक वाल एण्ड फ्लोर ग्लेज्ड टाईल्स	14-5-82

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के आंकड़े

ट्राइसम योजनान्तर्गत वर्ष 82 में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की पंचायत समितिवार सूचना :—

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	वर्ष 1982-83 में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी
1.	गिर्वा	184
2,	बड़गांव	116
3.	खमनोर	99
4.	राजसमन्द	82
5,	कुम्भलगढ़	5
6.	आमेट	40
7.	देवगढ़	43
8.	मावली	110
9.	भीम	13
10.	भीण्डर	54
11.	धरियावद	32
12.	सलुम्बर	52
13.	सराड़ा	60
14.	खैरवाड़ा	91
15.	झाड़ोल	79
16.	गोगुन्दा	58
17.	रेलमगरा	12
18.	कोटडा	74
	योग	1204

(217)

सूची जिन्हें वर्ष 1982-83 में सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गईं।

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षणार्थी जिन्हें सिलाई मशीन उपलब्ध कराई गई	ग्राम	पंचायत समिति
1.	पन्ना लाल/लादूराम भील	जसवन्तगढ़	गोगुन्दा
2.	श्रीमती भंवरी बाई/पत्नी नारायण राज.	घाटियाखेड़ा	,,
3.	शांतिलाल/प्रभूलाल गूरू	गोलिया	धरियावद
4.	अम्बालाल/गमाना गूरू	,,	,,
5.	श्रीमती शांतिबाई/प. रोडीदास	भावा	राजसमन्द
6.	मदन लाल/बालू राव	केलवा	,,
7.	विजयसिंह/मदनलाल राठौड़	,,	,,
8.	श्रीमती भंवरी बाई प. भवानीसिंह राव	पीपली	,,
9.	बाला/पारसा मीणा	गाटोल	सराड़ा
10.	जगदीश/कान जी ,,	निम्बोदा	,,
11.	निशारमोहम्मद/मोहम्मद खां	सराड़ा	,,
12.	श्रीमती बसंतीबाई/नारायण जी ब्राह्मण	सेरिया	सलुम्बर
13.	श्रीमती लिलाबाई/हेमराज जी सेवक	सलुम्बर	,,
14.	,, लक्ष्मी प. राम जी ब्राह्.	सेरिया	,,
15.	सुश्री पारा पुत्री प्रेम जी सेवक	,,	,,
16.	श्रीमती नर्बदा देवी/नाहरसिंह राज.	डबोक	मावली

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 78 की सूची

चिकित्सालय		चिकित्सालय संस्थाओं का स्थापना वर्ष
1.	जैसलमेर	
2.	रामगढ़	पूर्व स्थापित
3.	पोकरण	
4.	मनियाना	
5.	नाचना	
औषधालय		
1.	सुलयाना	79–80 (अभी रिफट नहीं हुआ है)
2.	लाठी	77–78
3.	देवीकोट	77–78
4.	सकिडा	77–78
स्वास्थ्य केन्द्र		
1.	खुड़ी	78–79
2.	मोहनगढ़	,,
3.	सडो	,,
4.	सम	,,
5.	सतयामा	,,
6.	पलसून	,,
7.	छोकर की	,,
8.	आर. डी 1235	,,
9.	दैवा	79–80
10.	डागरी	,,
11.	राजमथाई	,,
12.	नीख	79–80
13.	बडोडा गांव	80–81
14.	फिफि नियाली	81–82

समस्त पशु चिकित्सालय, औषधालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न 79 की सूची

क्र.सं.	जिला चिकित्सालय	राज्य द्वारा स्वीकृत रोगी शैय्याएं
1.	अजमेर मुख्यावास ब्यावर	300
2.	अलवर	332
3.	बांसवाड़ा	200
4.	बाड़मेर	100
5.	भरतपुर	300
6.	भीलवाड़ा	300
7.	बून्दी	150
8.	चित्तोड़गढ़ मुख्यालय प्रतापगढ़	120
9.	चूरू मुख्यालय रतनगढ़	100
10.	डूंगरपुर	150
11.	श्री गंगानगर	300
12.	जैसलमेर	50
13.	जालौर	100
14.	झालावड़ा	100
15.	झुन्झुनू	100
16.	कोटा	500
17.	नागौर	50
18.	पाली	300
19.	सवाई माधोपुर मुख्यालय करोली	150
20	सीकर	300
21,	सिरोही	100
22.	टोंक	100
23.	धोलपुर	150

(214)

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूची

क्र०सं०	नाम चिकित्सा संख्या	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है
1.	रैफरल अस्पताल चित्तौडगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	गत डेढ़ वर्ष से ।
2.	सामान्य चिकित्सालय, प्रतापगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	गत एक वर्ष से ।
3.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डफिया	सी.ए.एस.	3	गत एक वर्ष से ।
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सादड़ी	सी.ए.एस.	1	गत एक वर्ष से ।
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ी सादड़ी	सी.ए.एस.	1	गत एक वर्ष से ।

निम्न स्थानों, जहां की सी.ए.एस. के पद रिक्त थे पर नव-नियुक्त डाक्टरों के पदस्थापन आदेश दिनांक 28 अगस्त, 1982 को जारी कर दिये गये हैं।

1.	राजकीय चिकित्सालय	बम्बोरी
2.	,,	लाडपुरा
3.	,,	बोहेरा
4.	,,	विजयपुर
5,	,,	रामपुरिया
6.	,,	मंगलवाड
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	मण्डफिया
8.	राजकीय चिकित्सालय	घमाना
9.	,,	जासमा
10.	,,	केली
11.	,,	भडसोडा

12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	दलोत
13.	,,	सावा
14.	,,	बारावरदा
15.	मिनी हेल्थ सेन्टर	थडा
16.	,,	कुलथाना
17.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	पाहुना
18.	,,	काटून्दा
19.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	भेसरोडगढ़

(216)

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के
भाग 1 की सूची

क्र.सं.	प्रा. स्वा. केन्द्र का नाम	उप स्वा. केन्द्र का नाम	कार्यरत कर्मचारी का नाम एवं पद	
1.	प्रा. स्वा. केन्द्र असनावर	**चिकित्सापक्ष**		
		1. दुर्गापुरा	श्रीमती पोडीअम्मा	प्रसाविका
		2. बडोदीया	मिस वदुमती	प्रसाविका
		3. डोण्डा	श्रीमती संतोष तंवर	प्रसाविका
		4. झलावारोड	मिस पदमनी	प्रसाविका
		5. बावडीखेडा	श्रीमती सीता चौहान	प्रसाविका
		6. आवंली कंला	,, सुपदखा पी	प्रसाविका
		7. गगोरा	,, पदमा शर्मा	प्रसाविका
		प० क० पक्ष		
		1. भीलवाडी	श्रीमती सीरीनबाई	प्रसाविका
			श्री बी.एल.नारनोलिया	एफपीएचए
		2. बुराडियामाना	श्रीमती अनम्मा मंथू	प्रसाविका
			श्री नरपतसिंह	एफपीएचए
		3. मोगरा	श्रीमती राधा बी	प्रसाविका
			श्री बी.एल.त्रिवेदी	एफपीएचए
		4. कानवारा	श्रीमती लीलम्मा सेमूयल	प्रसाविका
2.	प्रा. स्वा. केन्द्र बकानी	**चिकित्सापक्ष**		
		1. घटोली	श्रीमती आनन्दवलीम्मा	प्रसाविका
		2. गुरारखेड़ा	श्रीमती गिरीराजदेवी	प्रसाविका
		3. उमरिया	रिक्त	
		4. बढई	शान्ताम्मा जी	प्रसाविका
		5. खेडागढ	रिक्त	

1		2	3
		प.क.पक्ष	नाम एवं पद
		1. हरीपुरा	श्रीमती प्रशन्ना कुमारी एमवी प्रसाविका
		2. देवली	श्रीमती सुमतीग्रम्माजी प्रसाविका
		3. गरवाडा	श्रीमती भंवरीबाई दाई
			श्री खिवाराम एपपीएचए
		4. उचावडा	जेसीन्तापीवाई प्रसाविका
3.	प्रा. स्वा. केन्द्र डग	चिकित्सापक्ष	
		1. लुहाड़िया	कु० सलीना पीएम प्रसाविका
		2. जमनिया	श्रीमती राजाम्बा पी प्रसाविका
		3. कुडंला	श्रीमती विजयम्मा पी प्रसाविका
		4. गुरूडीयामाना	कु० वलसम्मा प्रसाविका
		5. क्यासरा	कु०कुंजमोल सीसी प्रसाविका
		प. क. पक्ष	
		1. उनहेल	श्रीमती ऐलीम्मा प्रसाविका
		2. कारवां	श्रीमती लीली एमएस प्रसाविका
		3. दुधालिया	श्रीमती मेरी जोनपी प्रसाविका
		4. वेडला	श्री राजेन्द्रकुमार एफपीएचए
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र खानपुरा	चिकित्सापक्ष	
		1. खांडी	कु० श्यामला केपी प्रसाविका
		2. तर्जे	कुमारी ओमना एसं प्रसाविका
		3. सोजपुर	श्रीमती चचीग्रम्मा प्रसाविका
		4. अकावा खुर्द	रिक्त
		प. क. पक्ष	
		1. घानोदाकलां	श्रीमती ज्ञानवती प्रसाविका

(218)

1	2	3	
प्रा० स्वा० के० खानपुर	2. मरायता	श्रीमती चन्दरीया	प्रसाविका
		श्री किशनसिंह	एफपीएचए
,,	3. भवानपुरा	श्रीमती सारा इवी	प्रसाविका
,,	4. गडवदानुरजी	श्रीमती श्यामादेवी	प्रसाविका
		आर. के. श्री वास्तव	एफपीएचए
5. प्रा. स्वा. के. मनोहर थाना	चिकित्सापक्ष		
	1. लसुडियासाह	रिक्त	
	2. मैथून	श्रीमती भोलीबाई	प्रसाविका
	3. चन्डीपुर	कु०मेरी कुट्टी	प्रसाविका
	4. आलेहेडा	कु० सुशिलाअम्मापुरी	प्रसाविका
	5. खाटाखेडी	रिक्त	
	प. क. पक्ष 6. रूबासिया	मिस ओमना एल	प्रसाविका
	1. लास	श्रीमती सारम्मा सीई	प्रसाविका
	2. आमेठा	श्रीमती मेरीअम्मा केसी	प्रसाविका
	3. बनेठ	श्रीमती कल्याणी पीके	प्रसाविका
	4. बासखेडी	श्रीमती सुन्दरबाई	दाई
6. प्रा. स्वा. केन्द्र पिडावा	चिकित्सापक्ष		
	1. हरनावदागजा	श्रीमती अलीकुडी डी	प्रसाविका
	2. उन्हैल	मिस मेरी एमटी	प्रसाविका
	3. ओसव	कु० सारम्मा एमटी	प्रसाविका
	4. सादड़ी	श्रीमती प्रशन्ना कुमारी	प्रसाविका
	5. काडोडीया	श्रीमती अमीनी पीसी	प्रसाविका

219

1	2	3
	प.क. पक्ष	
	1. डीवलखेडा	कु० वलसम्मा जेकप प्रसाविका
		श्री पुरुषोतमलाल शर्माएपपीएचए
	2. सलोटीया	श्रीमती सरोजनी केआर प्रसाविका
	3. धरोनीया	श्रीमती चन्द्रकान्ता प्रसाविका
	4. खरपाकला	श्रीमती थनकामनी पी प्रसाविका

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 85 की सूची

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की सेवा में विभिन्न पदों पर स्क्रीनिंग/रिव्यू कमेटी के निर्णयानुसार अबजार्व किये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची :—

1. प्रोफेसर

1. प्रो. रामप्रकाश स्वामी	संस्थान में कार्यरत

2. एसोसिएट प्रोफेसर

1. श्री प्रमुदत्त शर्मा	संस्थान सेवा से सेवा निवृत्त
2. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	संस्थान में कार्यरत
3. श्री रमाकान्त शर्मा	,,
4. श्री मोहनलाल भारद्वाज	,,
5. श्री सेवकराम विरक्त	,,
6. श्री मदन गोपाल गौड़	,,
7. श्री रामपाल शास्त्री	,,
8. श्री बी० एन० शर्मा	,,
9. श्री शिवराम तिवारी	,,
10. श्री मदन गोपाल शर्मा	,,
11. श्री रामदयाल शर्मा	संस्थान में कार्यरत होने के बाद स्वर्गवास हो गया।
12. श्री वासुदेव शास्त्री	राज्य सेवा में रहने के कारण संस्थान में कार्यरत नहीं हुए।

3. सहायक प्रोफेसर

1. श्री नारायण लाल कांकर	संस्थान में कार्यरत
2. डा. श्रीकृष्ण शर्मा	,,
3. श्री वेद प्रकाश शर्मा	,,
4. श्री राधाकान्त शर्मा	,,

5. श्री प्रभुदयाल पारीक	संस्थान में कार्यरत
6. श्री बनवारीलाल मिश्रा	,,
7. श्री रंगनाथ शर्मा	राज्य सेवा में रहने के कारण संस्थान में कार्यरत नहीं हुए ।]

4. प्राध्यापक

1. श्री रामावतार शास्त्री	संस्थान में कार्यरत
2. श्री फूलचन्द शर्मा	,,
3. श्री मोहन शंकर दशोरा	,,
4. श्री श्याम सुन्दर शर्मा	,,
5. श्री यशवन्त कोठारी	,,
6. श्री द्रवेश्वर का	,,
7. श्री जितेन्द्र कुमार भार्गव	,,
8. श्री राम प्रसाद मिश्रा	,,
9. श्री राधेश्याम माथुर	,,
10. श्री सी० एम० सोनी	राज्य सेवा में रहने के कारण संस्थान में कार्यरत नहीं हुए ।
11. श्री राम भरोसे मिश्र	,,
12. श्री ओम प्रकाश शर्मा	,,
13. श्री राजेन्द्र प्रसाद भटनागर	,,

आर० एम० ओ० (आवासीय चिकित्सा अधिकारी)

1. श्री गोविन्द सहाय शर्मा	संस्थान में कार्यरत होने के बाद स्वर्गवास हो गया ।

6. विवेचक

1. श्री बनवारी लाल शर्मा	संस्थान में कार्यरत
2. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	,,
3. श्री राधेश्याम शर्मा	,,
4. श्री सत्यनारायण शर्मा	,,
5. श्री सन्तोष कुमार मिश्रा	,,

6. श्रीमती विजय लक्ष्मी	संस्थान में कार्यरत
7. श्रीमती सन्तोष देवी कौशल	,,
8. श्री के० पी० व्यास	संस्थान में कार्यरत हुए लेकिन राज्य सेवा से वापस चले गये ।
9. श्री राज्यवर्द्धन सिंह	राज्य सेवा में रहने के कारण संस्थान में कार्यरत नहीं हुए ।

7. पुस्तकाध्यक्ष

1. श्री गिरधारी लाल शर्मा	संस्थान में कार्यरत

8. चिकित्सक

1. श्री शान्तिकुमार बडजात्या	संस्थान में कार्यरत
2. श्रीमती गीतादेवी गौतम	,,

1. स्टेनोग्राफर

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	संस्थान में कार्यरत

2. वरिष्ठ लिपिक

1. श्री राजेन्द्र कुमार सोगानी	संस्थान में कार्यरत
2. ,, शम्भु प्रकाश शर्मा	,,
3. ,, बाल गोविन्द शर्मा	,,
4. ,, राधेश्याम पारीक	स्क्रीनिंग समिति द्वारा निर्धारित योग्यता की पूर्ति न करने के कारण राज्य सेवा में परावर्तन
5. ,, कृष्ण मुरारी शर्मा	राज्य सेवा में रहने के कारण संस्थान में कार्यरत नहीं हुए ।

3. कनिष्ठ लिपिक

1. श्री मोहन प्यारे शर्मा	संस्थान में कार्यरत
2. ,, सुवास चन्द्र झा	,,
3. ,, प्रकाश चन्द्र स्वामी	,,

4. श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	संस्थान में कार्यरत
5. ,, धीरजसिंह नेगी	,,
6. ,, सुन्दरलाल बुनकर	,,
7. ,, विजय कुमार	,,
8. ,, सत्येन्द्र मोहन तिवारी	,,

4. ड्राईवर

1. श्री बृजमोहन सिंह	संस्थान में कार्यरत
2. ,, गरापतराम मीणा	राज्य सेवा में रहने के कारण संस्थान में कार्यरत नहीं हुए।

5. लेबोरेटरी टेक्नीशियन

1. श्री सीताराम शर्मा	संस्थान में कार्यरत
2. ,, अन्तराम गुप्ता	,,
3. ,, सत्यनारायण शर्मा	,,

6. लेबोरेटरी सहायक

1. श्री वेनी प्रसाद	संस्थान में कार्यरत
2. ,, कृष्णा अवतार शर्मा	,,
3. श्रीमती इन्द्रा शर्मा	,,
4, श्री श्रवण कुमार शर्मा	,,
5. ,, भवानी सिंह	,,
6. ,, प्रकाश नारायण नाग	,,
7. ,, रामावतार शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द	,,
8. ,, गिरधर शर्मा	,,
9. ,, रामावतार शर्मा	,,

7. सीनियर डिस्पेन्सर

1. श्री श्रीनारायण शर्मा	संस्थान में कार्यरत होने के बाद स्वर्गवास हो गया।

224

8. डिस्पेन्सर

1. श्री शम्भूदयाल मुदगल	संस्थान में कार्यरत
2. ,, हनुमान सहाय शर्मा	,,
3. ,, श्यामलाल पटवा	,,
4. ,, विद्याधर शर्मा	,,
5. ,, रिछसूदन शर्मा	,,
6. ,, अवतार सिंह	,,
7. ,, भगवान दास	,,
8. ,, गोपाल लाल शर्मा	,,
9. ,, गोपाल शर्मा	,,
10. ,, कमलेश कुमार शर्मा	,,
11. ,, रामधन शर्मा	,,
12. ,, गुलाबचन्द शर्मा	,,
13. ,, बंशीधर शर्मा	,,
14. ,, बाबूलाल शर्मा	संस्थान में कार्यरत होने के बाद स्वर्गवास हो गया।

9. धात्री (नर्सेज)

1. श्रीमती कौशल्या देवी	संस्थान में कार्यरत
2. ,, सरला देवी	,,
3. ,, सरस्वती देवी	,,
4. ,, पुष्पा देवी	,,
5. ,, शान्ति देवी	,,
6. ,, सावित्री देवी	,,
7. ,, शिवदेवी चतुर्वेदी	,,
8. ,, कमला पुष्करण	,,
9. ,, प्रेमलता अग्रवाल	,,
10. ,, सुन्दर देवी	,,
11. ,, मुन्नी देवी	,,

12. श्रीमती शकुन्तला देवी	संस्थान में कार्यरत
13. ,, ललिता देवी	,,
14. ,, कमला शर्मा	,,
15. ,, हीरा देवी	,,

10. **मशीन मैन**

1. श्री महेश कुमार मल्होत्रा	,,

1. **लेबोरेटरी अटेण्डेण्ट**

1. श्री सीताराम बुनकर	संस्थान में कार्यरत
2. ,, रामजीलाल शर्मा	,,
3. ,, रामरतन टेलर	,,
4. ,, रामधन	,,
5. ,, रमेश चन्द्र शर्मा	,,
6. ,, सूवालाल	,,
7. ,, रघुवीर शरण पारीक	,,
8. ,, महादेव राम	,,

25. **किचिन सर्वेण्ट**

1 श्री निर्मल कुमार	संस्थान में कार्यरत
2. ,, राधेश्याम	,,
3. ,, गणपतराम	संस्थान में कार्यरत रहने के बाद सेवा निवृत्त।
4. ,, हरिनारायण शर्मा	राज्य सेवा में रहने के कारण संस्थान के कार्यरत नहीं हुए।

3. **धोबी**

श्री नाथूलाल	संस्थान में कार्यरत

अटेण्डेन्ट/पीयोन/फर्रास/चौकीदार

1. श्री हनुमान नाई	संस्थान में कार्यरत
2. ,, चांदमल सिन्धी	,,
3. ,, ब्रजमोहन	,,
4. श्रीमती लल्ली देवी	,,
5. श्री जुगल किशोर शर्मा	,,
6. ,, भगवान सहाय	,,
7. ,, छोटुराम	,,
8. ,, सीताराम	संस्थान में कार्यरत होने के वाद स्वर्गवास हो गया।
9. ,, लाखा सिंह	,,
10. ,, नन्दलाल जैन	संस्थान में कार्यरत
11. ,, भवरलाल	,,
12. ,, सुण्डाराम	,,
13. ,, गंगाराम	,,
14. ,, सत्यनारायण	,,
15. ,, प्रवास चतुर्वेदी	,,
16. श्रीमती राम जानकी	,,
17. श्री रेवडराम	,,
18 ,, नानू राम	,,
19. ,, सुन्दरलाल बैरवा	,,
20. ,, शिवराम मीना	,,
21. श्रीमती मनफूली	,,
22. श्री नाथूलाल	,,
23. ,, बुद्धाराम	संस्थान में कार्यरत होने के वाद स्वर्गवास हो गया।
24. ,, कालूराम	संस्थान में कार्यरत
26. ,, दुर्गालाल	,,
26. श्रीमती जाना देवी	संस्थान सेवा से सेवा निवृत

27. श्री राम कन्या	संस्थान में कार्यरत
28. ,, रामपाल	,,
29. ,, कन्हैयालाल मीणा	,,
30. ,, बंशीधर नाई	राज्य सेवा में रहने के कारण संस्थान में कार्यरत नहीं हुए ।
31. ,, रामनिवास शर्मा	,,
32. ,, नारायण दास स्वामी	,,
33. ,, घासीराम	,,
34. ,, कुंज विहारी	,,
35. ,, हनुमानसहाय सूत्रकार	,,
36. ,, धनराज प्रहरी	,,
37. श्रीमती कस्तूरी देवी	,,
38. ,, बदामी देवी	,,
39 श्री भवर लाल दरोगा	,,
40. ,, घनश्याम	,,
41. ,, रूपनारायण	,,
42. श्रीमती भगवती देवी	,,
43. श्री रमेश कुमार कौशिक	,,

5. **माली**

1. श्री गोविन्द राम मीना	संस्थान में कार्यरत
2. ,, रामनारायण गुजर	,,

6. **सफाई कर्मचारी**

1. श्री राम गोपाल	संस्थान में कार्यरत
2. ,, जमुना प्रसाद	,,
3. ,, कन्हैया लाल	,,
4. ,, कैलाश हरिजन	संस्थान सेवा से मुक्त
5. श्रीमती मुन्नी देवी	संस्थान में कार्यरत

228

6. श्रीमती जुम्मी देवी	संस्थान सेवा में कार्यरत होने के बाद स्वर्गवास
7. श्री बंशी हरिजन	,,

7. फार्मेसी श्रमिक

1. श्रीमती रामचन्द्री देवी	संस्थान में कार्यरत
2. ,, दुर्गा देवी	,,
3. ,, मंगली देवी	संस्थान में कार्यरत होने के बाद स्वर्गवास हो गयी
4. श्री रामचन्द्र	संस्थान में कार्यरत होने के बाद, सेवा निवृत्त।
5. ,, सज्जन सिंह	संस्थान में कार्यरत

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की सेवा में विभिन्न पदों पर स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णयानुसार क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आब्जर्व करने की सूची :–

1– सहायक प्रोफेसर

1. डॉ० श्री के० वी० बिल्लोरे	आर. आर. आई. का मर्जर नहीं होने के कारण संस्थान में कार्यरत नहीं हुए।

2– प्राध्यापक

1. श्रीमती एस० के० दवे	,,
2. श्री के० जी० दवे	,,
3. श्री प्रेम किशोर	,,

3– विवेचक

1. श्री आर० के० शर्मा	,,
2. श्री कैलाश चन्द्र औदिच्य	,,
3. श्री टी० जे० डेनिस	,,
4. श्री टी० जी० जोसफ	,,

4– चिकित्सक

1. श्रीमती इन्द्रा सक्सेना — आर. आर. आई. का मर्जर नहीं होने के कारण संस्थान में कार्यरत नहीं हुए।

5– वरिष्ठ लिपिक

1. श्री आर० एच० वासनानी ,,
2. श्री टी० सी० जोशी ,,

6– कनिष्ठ लिपिक

1. श्री प्रभु सिंह ,,
2. श्री ए० के० दास ,,

7– गेस्टेटनर आपरेटर

1, श्री वन्शी लाल ,,

8– ड्राइवर

1. श्री शिव दयाल ,,

लेबोरेटरी टेक्नीशियन

1. श्री के० पी० मिश्रा ,,
2. श्री राजेश शर्मा ,,

9– ड्रेसर

1. श्री नन्द किशोर तिवारी ,,

10– लेबोरेटरी अटेण्डेन्ट

1. श्री जय शंकर प्रसाद ,,
2. श्री महादेव लाल ,,

11– माउन्टर

1. श्री मदन सिंह — आर. आर. आई का मर्जर नहीं होने के कारण संस्थान में कार्यरत नहीं हुये।

12- किचिन सर्वेन्ट

1. श्रीमती भुरी देवी	आर. आर. आई. का मर्जर नहीं होने
2. श्रीमती शान्ति देवी	के कारण संस्थान में कार्यरत नहीं हुये।

13- कुक

1, श्री गोवर्धन परिहार	,,

14- अटेण्डेन्ट/पीयोन/फर्राश/चौकीदार

1. श्री गोपाल लाल	,,
2. श्री कैलाश चन्द्र	,,
3. श्री परशुराम	,,
4. श्री सीताराम	,,
5. श्री चौथमल	,,
6. श्री रामकिशोर	,,
7. श्री गिरधारी लाल	,,
8. श्री रघुनाथसिंह	,,
9. श्री वुद्धि प्रकाश	,,
10. श्रीमती गायत्री देवी	,,
11. श्रीमती सोनी देवी	,,

15- सफाई कर्मचारी

1. श्री बद्री प्रसाद	,,
2. बाबुलाल	,,
3. श्री गोपाल लाल	,,

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 87 की सूची

थूर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, थूर पंचायत समिति-बड़गांव जिला-उदयपुर के आदिवासी सदस्यों में बकाया ऋण राशि की सूची (अ)

क्र. सं.	नाम ऋणी सदस्य मय पिता		निवासी	मूल राशि	ब्याज	योग
1.	श्री दल्ला/नन्दा	गमेती	थूर	150	150	300
2.	,, आसुराम/ भेरा	,,	,,	108	108	216
3	,, रोडा/दल्ला	,,	,,	180	72	252
4.	,, मेगा/कन्ना	,,	कविता	290	151	441
5.	,, हिरा/भिमा	,,	,,	750	750	1500
6.	लक्ष्मा/डालू	,,	,,	450	214	664
7.	,, खेमा/भीमा	,,	,,	600	600	1200
8.	,, भोपा/खेमा	,,	,,	450	349	799
9.	,, गंगाराम/खेमा	,,	,,	500	398	898
10.	,, कूका/खूमा	,,	,,	50	50	100
11.	,, रूपा/खेमा	,,	,,	450	450	900
12.	,, लालू/डालू	,,	,,	450	450	900
13.	,, नोजा/खेमा	,,	,,	900	900	1800
14.	,, रोडा/भीमा	,,	,,	150	150	300
15.	,, देवा /लाडू	,,	,,	650	650	1300
16.	,, तुलसा/नन्दा	,,	,,	679	679	1358
17.	,, गवरिया/गल्ला	,,	,,	482	278	760
18.	,, उदा/अज्जा	,,	,,	758	758	1516
19.	,, खेमा/मोती	,,	,,	754	754	1508
20.	खुमा/मोती	,,	,,	1118	1118	2236
21.	,, कुका/खेमा	,,	,,	1050	1050	2100
22.	दीता/भगा	,,	,,	450	450	900

Page No 234

(23[illegible])

1	2	3	4	5	6	7
23.	श्री गोपा/खेमा	गमेती	कविता	450	450	900
24.	,, नाथु/वरदा	,,	,,	900	900	1800
25.	,, चम्पा/दल्ला	,,	,,	200	200	400
26.	,, पिथा/गल्ला	,,	,,	26	26	52
27.	,, नाना/वरदा	,,	,,	625	165	790
28.	,, चोखा/गल्ला	,,	,,	766	481	1247
29.	,, पुनीराम/राजा	,,	,,	3790	850	4640
30.	,, तलोक/रूपा	,,	,,	501	206	707
31.	,, डाल/भेरा		फरनियों का गुडा	322	222	544
32.	,, केवला/देवा	,,	,,	187	8	195
33.	,, चमना/भज्जा		राठौड़ों का गुडा	1600	1466	3066
34.	,, मोती/भज्जा	,,	,,	711	262	973
35.	,, गोदा/हेमा	,,	,,	795	795	1590
36.	,, चतरा/मोती	,,	,,	1800	1129	2929
37.	,, पेमा/मोती	,,	,,	392	336	728
38.	,, नन्दा/मसेती	,,	,,	300	323	523
39.	,, रोडा/चमना	,,	,,	400	400	800
40.	,, भरा/वरदा	,,	,,	339	16	355
41.	,, केशा/लाला	,,	इसवाल	382	333	715
42.	,, चम्पा/पेमा	,,	,,	145	145	290
43.	,, नाथा/मंगला	गमेती	इसवाल	280	280	560
44.	,, लिम्बा/भेरा	,,	,,	300	300	600
45.	,, कमला/अमरा	,,	,,	380	380	760
46.	,, देवा/खुमा	,,	,,	20	20	40
47.	,, डालू/जेता	,,	,,	390	390	780
48.	,, लालू/देवा	,,	,,	49	49	98

253

1	2	3	4	5	6	7
49.	श्री वरदा/भीमा	गमेती	इमत्ताल	444	258	702
50.	,, धरमा/भेरा	,,	,,	482	–	482
51.	,, वगता/खेमा	,,	,,	562	145	707
52.	,, हुरा/देवा	,,	,,	812	94	906
53.	,, लोगर/उदा	,,	,,	2024	125	2149
54.	,, वालु/भरा	,,	,,	1250	–	1250
55.	,, जुका/चमना	,,	,,	557	–	557
56.	,, कालु/किका	,,	सेलू	500	96	596
57.	,, पुरा/गोदा	,,	,,	111	37	148
58.	,, तुलसा/ किका	,,	,,	306	306	612
59.	,, उदा/किका	,,	,,	2024	84	2108
60.	,, वरदा/रूपा	,,	खुमानपुरा	402	207	609
61.	,, अम्बावा/गोपा	,,	,,	80	80	160
62.	,, भीमा/हेमा	,,	,,	100	100	200
63.	,, खेमा/भेराहीरा	,,	,,	175	175	350
64.	,, लालु/प्रताप	,,	,,	383	383	767
65.	,, कालु/देवा	,,	,,	152	114	266
66.	,, आसा/खेमा	,,	,,	94	94	188
67.	,, भाना/कमला	,,	,,	270	244	514
68.	,, दीपा/हेमा	,,	,,	323	284	607
69.	,, सवा क्षेता/खेमा	,,	,,	382	382	764
70.	,, रोडा/भाना	,,	,,	60	60	120
71.	,, चुनिया/गुर्णेश	,,	,,	300	300	600
72.	,, मंगला/खेमा	,,	,,	850	821	1671
73.	,, उदा/खेमा	,,	,,	431	406	837
74.	,, नारायण/उमा	,,	,,	320	320	640
75.	,, नाना/हेमा	,,	,,	447	447	894

1	2	3	4	5	6	7
76.	श्री दल्ला/काना	गमेती	खुमानपुर	726	613	1339
77.	,, धुला/मेगा	,,	धसीयार	1400	704	2104
78.	,, ताकुराम/रूपा	,,	,,	150	23	173
79.	,, झालू/भेरा	,,	,,	200	200	400
80.	,, शंकर/भेरा	,,	,,	58	58	116
81.	,, झालु/बदा	,,	,,	360	360	720
82.	,, नाथू/देवा	,,	,,	250	250	500
83.	,, धर्मा/खेमा	,,	,,	210	210	420
84.	,, मेगा/खेमा	,,	,,	60	60	120
85.	,, भेरा /देवा	,,	,,	100	100	200
86.	,, [illegible]/बदा	,,	,,	200	175	375
87.	,, उदा/खेमा	,,	,,	550	550	1100
88.	,, लोगर/देवा	,,	घसियारा बरोडिया	60	60	120
89.	,, केशा/फत्ता	,,	,,	500	500	1000
90.	,, पिथा/सवा	,,	,,	865	865	1730
91.	,, रामा/भेरा	,,	,,	100	100	200
92.	,, नन्दा/देवा	,,	,,	431	431	862
93.	,, उदा/जगन्नाथ	,,	,,	100	100	200
94.	,, गणेश/देवा	,,	,,	21	–	21
95.	,, भग्गा/मोती	,,	,,	80	80	160
96.	,, भीमा/देवा	,,	,,	180	180	360
97.	, गिरधारी/मोती	,,	,,	520	420	940
98.	,, डालू/मोती	,,	,,	100	100	200
	योग पृष्ठ 1 से तीन तक	–	–	48631	32572	81203

प्रसाय/3

ह०
ऋण पर्यवेक्षक
सहकारी समितियां, बडगांव
जिला–उदयपुर (राज०)

235

थूर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, थूर पंचायत समिति–बडगांव जिला-उदयपुर फर्जी ऋण वाले आदिवासी सदस्यों की सूची (व) जांच रिपोर्ट के अनुसार

क्र. सं.	नाम ऋणी सदस्य मय पिता		निवासी	राशि	दिनांक
1.	श्री रूपा/खेमा	गमेती	कविता	450-00	30–12–74
2.	,, रोडा/भीमा	,,	,,	180–00	17–7–76
3.	,, खेमा/मोती	,,	,,	700–00	31–12–74
4.	,, नोजा/खेमा	,,	,,	900–00	31–12–74
5.	,, हीरा/भीमा	,,	,,	750–00	31–12–74
6.	,, चौथा/गल्ला	,,	,,	200–00	24–6–76
7.	,, नाथू/वरदा	,,	,,	450–00	6-5–76
8.	,, कूका/खेमा	,,	,,	900 00	6–5–76
9.	,, पेमा/मोती	,,	राठौडों का गुडा	92–00	30–12–76
10.	,, डालू/भेरा	,,	धनियों का गुडा	133–00	20-6–76
11.	,, चमना/भज्जा	,,	राठौडों का गुडा	1000–00	31–12–74
	योग :—	—	—	5755–00	—

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न 90 के भाग (2) के आदेश की प्रति

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Appointment (A-II) Department

F. 1(9) Appts (A-II) 68/ Jaipur, Dated the 15th July, 1968.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 79, read with Section 26, of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959 (Rajasthan Act 37 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules laying down the procedure for selection of officers for appointment as Vikas Adhikaris on deputation to the panchayat samitis, namely:—

THE RAJASTHAN PANCHAYAT SAMITIS (SELECTION OF VIKAS ADHIKARIS) RULES, 1968

1. Short title and Commencement—(1) These rules may be called the Rajasthan Panchayat Samitis (Selection of Vikas Adhikaris) Rules, 1968. (2) They shall come into force at once.

2. Definitions In these Rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Commission" means the Rajasthan Public Service Commission,

(b) "Government" and "State" respectively mean the Government and the State of Rajasthan;

(c) "Rajasthan Animal Husbandry Service" includes the State service posts in the State Animal Husbandry Department; and

(d) "Rajasthan Agriculture subordinae Service in the Agriculture Department.

3. Interpretation-Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these rules, as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.

237

4, **Sources of Selection**—Selection for appointment of Vikas Adhikaris after the commencement of these rules, shall be made from amongst officers of the following categories:—

(i) Members of the Rajasthan Animal Husbandry Service holding posts in Group C-II, i.e., the ordinary time scale of that sevice who have put in a total service of at least 5 years out of which at least 2 year should be on the post of Animal Husbandry Extension Officer.

(ii) Members of the Rajasthan Agriculture Subordinate Sevice—

(a) Who have a total length of service of at least 5 years Their number shall not exceed 25% of the total number of officers to be selected from the State Agriculture Department.

(b) Who have a total length of service of at least 5 years out of which at least 3 years should be on the post of Agriculture Extension Officer.

(iii) Non-RAS Vikas Adhikaris who have worked as Vikas Adhikaris for at least three years after the 18th may, 1962 and prior to the 18th may, 1967-provided that—

(1) the officers of category (iii) shall be eligible for selection as Vikas Adhikaris only in the first selection to be held under these Rules, and the number of posts of Vikas Adhikaris, and

(2) Government may appoint officer of the Rajasthan Administrative Service to hold temporarily posts of Vikas Adhikaris, if considered necessary.

5 **Criteria for selection**--Selection of persons for appointment as Vikas Adhikaris shall be made fromamong the eligible candidates having regard to their :-

(a) personality and character,
(b) tect, intelligence and energy (including ablity to undertake extensive tours),

(c) integrity,

(d) technical qulifications and knowledge,

(e) previous record of service, and

(f) past experience of work specially in the Panchayat Samiti.

6. Procedure for selection of Vikas Adhikaris from the Rajasthan--Animal Husbandry Service (under rule 4(i). (1) As soon as it is decided that selection is to be made to fill a certain number of vacant posts of Vikas Adhikaris out of the members of the Rajasthan Animal Husbandry Service, the Development Department shall call upon the Director of Animal Husbandry to send by a prescribed date his recommendation in respect of the officers of the Rajasthan Animal Husbandry Service who are eligible for selection as Vikas Audhikaris under the provisions of these Rules.

(2) The Director of Animal Husbandry shall prepare a list of all the eligible officers in order to their seniority. The list shall contain the names of the candidates equal to at least twice the number of vacancies indicated by the Development Department. He shall then send the list alongwith the Annual Confidential Rolls of the officers whose names are included in that list of the Development Department which shall select and appoint a number of candidates equal to the number of vacancies likely to be filled out of the officers of Annual Husbandry Department.

7. Procedure for selection of officers from the Agriculture Department (under Rule 4 (ii) (1) As soon as it is decided that selection is to be made to fill a certain number of posts of Vikas Adhikaris out of the members of the Rajasthan Subordinate Agriculture Service, the Development Department shall call upon the Director of Agriculture to send by a prescribed date his recommendations in respect of the officers holding posts in the subordinate service of the Agriculture Department who are eligible for selection as Vikas Adhikaris under the provisions of their rules.

(2) The Director of Agriculture shall prepare a list of all the eligible officers in order to their seniority. The list shall contain the names of candidates equal to at least 5 times the number of vacancies He shall then send the list alongwith the Annual Confidential Rolls of the officers whose names are included in that list to the Development Department.

(3) A committee consisting of the Chairman of the Commission, or when he is unable to attend, any member theirof nominated by him as Chairman Development Commissioner, Special Secretary to Government in Agriculture Department, Special Secretary to Government in the Appointments Department or his representative not below the

rank of Deputy Secretary and the Director of Agriculture as members and Additional Development Commissioner as member-Secretary shall consider the cases of all the persons whose names are included in the list prepared by the Director of Agriculture under Sub-rule (2) above, interviewing such of them as it deems necessary and shall subject to their suitability select a number of candidates equal to the number of vacancies likely to be filled from the officers of the Agriculture Department. The Committee shall also select from the remaining candidates in a similar manner a number which shall be 50 /· of the total number of candidates selected in the first list to serve as a reserve list and shall arrange their names in a separate list in order of seniority. The reserve list shall remain valid for a period of one year only from the date of its preparation by the Committee.

(4) Government shall make the final selection out of the list received under the preceding sub rule and arrange the names of the selected persons in order of their seniority.

8. Procedure for selection of Non. RAS Vikas Adhikaris (under rule 4 (iii) –(1) As soon as these rules come into force the Additional Develoment Commissioner shall drow up a list of all those non-RAS Vikas Adhikaris who had worked as Vikas Adhikaris for at least three years after the 18th may, 1966 and prior to he 18th May, 1967.

(2) A committee consisting of the Chairman of the Commisstion or if he is unable to attend, any member thereof nominated by him as, Chairman, Development Commissioner, Special Secretary to the Government in the Appointments Department or his representative not below the rank of a Deputy Secretary as Members, and the Additional Development Commissioner as Member-Secretary shall consider the cases of all the persons included in the list prepared by the Additional Development Commissioner under sub-rule (1) above, and shall subject to the proviso (1) to rule 4 select such of them as are found suitable 'for appointment as Vikas Adhikaris.

9 Appointments :–(1) Appointment shall be made by Government out of the lists of the personsmentioned in sub-rules 6(2), 7(4) and 8(2) above.

(2) All appointment of Vikas Adhikaris made under these rules shall be treated as on deputation and the officers concerned shall

(240)

have lien on their respective parent cadres, and on reversion from such deputation they shall not have any right to protection of pay or pay scale or status held by them as Vikas Adhikaris.

10. Repeal and Savings :—All rules and orders in relation to matters covered by these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed.

Provided that any action taken under the rules and orders so repealed, shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.

11. Power to remove difficulties :—If any doubt arise relating to the application and scope of these rules, it shall be refereed to Government in the Appointments Department whose decision thereon shall be final.

by order of the Governor,
Special Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Community Development & Panchayats Deptt.

N. F. 4/LJ/PT/AR/3/78/35 Dated the 24-1-78

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 79 road with section 26 of the Rajasthan panchayat samitis and zila Parishads Act, 1959 (Rajasthan Act 37 of 1959), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan panchayat Samitis (Selection of Vikas Adhikari) Rules, 1969. namely ;--

1. **Short title and commancement :**—(1) These rules may be called the Rajasthan panchayat Samitis (Selection of Vikas Adhikari) (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the Rajasthan Gazette.

2. **Amendment of rule 4 :**—After the existing sub-rule (iii) of rule 4 of the Rajasthan panchayat samitis (Selection of Vikas Adhikari) Rules, 1969, hereinafter referred to as the said rules, the following new sub-rule (IV) shall be added, namely :—

"(iv) Co-operative Extension Officers, Education Extension officers and other Extension officers, including Lady Nutration Extension officers who have a total length of service of at least five years as such in panchayat samiti."

3. **Amendment of rules 7 & 3 :**—(1) The words "Development Commissioner" wherever occuring in rules 7 & 8 of the said rules shall be deleted.

(2) The words "Additional Development Commissioner" wherever occuring in rules 7 & 8 of the said rules shall be substituted by the words "Director, Community Development & panchayats".

4. **Addition of rule 8 A :**—After existing rule 8 of the said rules, the following new rule shall be inserted, namely :—

242

"**8-A-Procedure for selection of Vikas Adhikaris, from Education Extension Officers, Co-operative Extension Officers and other Extension Officers including Lady Nutrition Extension Officers under rule 4(iv)** :—(1) as soon as it is decided that selection is to be made to fill a certain number of posts of Vikas Adhikaris out of Education Extension Officers, Co-operative Extension officers and other Extension Officers including Lady Nutrition Extension Officers, the Director, Community Development & panchayats shall draw up a list of suitable officers out of the officers eligible under rule 4(iv).

(2) A committee consisting of the Chairman of the Commission of any other member nominated by him as Chairman, Special Secretary to the Government, Department of personnel & Administrative Reforms or his representative notb elow the rank of Deputy Secretary as members and the Director, Community Development & panchayats as Member Secretary shall consider the cases of all the persons included in the list so prepared under sub-rule (1) above and shall select such of them as are found suitable for appointment as Vikas Adhikaris."

5. Amendment of rule 9 :—The existing sub-rule (1) of rule 9 of the said rules shall be substituted by the following sub-rule, namely :—

"(1) Appointments shall be made by the Government out of the list of the persons mentioned in rules 6(2), 7(4), 8(2) and 8-A(2) above;

Provided that where the final lists under rules 6(2), 7(4) and 8-A(2) have not been prepared, it shall be competent for the State Government to make adhoc appointments from the lists prepared under rules 7(2), 8(1) and 8-A(1) till the final selection is made.

By order and in the name of the Governor,
Sd/-
(G. Ramchandra)
Special Secretary to the Government

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमांक एफ 2 (1) सीडीपी/प्रशा–2/81/7285 जयपुर, दिनांक 7-10-80

समस्त विकास अधिकारी

विषय––कार्य सम्पादन

प्रायः यह देखने में आया है कि विकास अधिकारियों की अनुपस्थिति में पंचायत समिति के कार्य में रुकावट आती है। अतः निर्देश दिया जाता है कि विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में (दौरे या अवकाश के समय) उनका कार्य सम्बन्धित पंचायत समिति के वरिष्ठतम प्रसार अधिकारी देखेंगे।

ह०
(आर. के. अग्रवाल)
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक,
सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: —

1. समस्त अतिरिक्त/उप जिला विकास अधिकारी।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।

ह०
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक
सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

(244)

Government of Rajasthan

Panchayat & Development Department

(Development Wing)

No.F.2(2)DD/62/16730 Dated the 30-6-1962
4.7.1962.

OFFICE ORDER

In supersession of all previous orders regarding officiating arrangements of Vikas Adhikaris when there is temporary vacancy due to Vikas Adhikaris either proceeding on leave, transfer or on training the Government have been pleased to order that the officiating arrangement is to be made on the following principles :—

(1) The Agriculture Extension Officers, Animal Husbandry Extension Officers, Education Extension Officers, S. D. Is, L. S. E. E. Os, Extension Officers (Ind), Cooperative Extension Officers, Sheep and Wool Extension Officers who are in the pay scale of Rs. 110-225 (1_0-250 Revised scale) or in a higher scale will be eligible to officers as Vikas Adhikaris.

Among Extension Officers if there is an officer in the pay scale 225-800 for example the Vety. Assistant Surgeon Class II) he will be given officiating chance irrespective of the fact that he may have put in a lesser number of years as Extension Officer than other Extension Officers in the Panchayat Samiti who are in the pay scale of Rs 110-225 (130-250) Resived scale.

(2) The factor in determining seniority will be the period for which the person has worked as Extension Officer. The person who has put in the longest period in service as Extension Officer in that or in any other block will be considered for the officiating chance.

(3) In case the senior most Extension Officer cannot be entrusted with the duties of the Vikas Adhikari the District Development Officer may, if he thinks necessary, appoint the S. D. O. or the Tehsildar to look after the work of the Vikas Adhikari. In such cases it should be ensured that the H. Qr. of the S. D. O. or Tehsildar is the same as that of the Block/Panchayat Samiti,

Officiating appointment as Vikas Adhikari in a particular block will be made by the Collector of the district upto a period of three months. Where theperiod extends beyond three months the case will be referred to the Development Department for issue of orders.

Sd/-Ram Singh
Deputy Secretary to Government,
Rajasthan, Jaipur.

(246)

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमांक एफ 3) (सीडी/प्रशा/74/112 जयपुर' दिनांक 4-1-84

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2 (2) डी डी /62/15730 दिनांक 4-7-62 के क्रम में पंचायत समितियों द्वारा यह स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि जब विकास अधिकारी अवकाश पर, स्थानान्तरण पर अथवा प्रशिक्षण में जावे तो किस वरिष्ठ प्रसार अधिकारी को कार्यभार संभलाया जावे। इस विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के उपरोक्त परिपत्र में यह अंकित किया गया है कि यदि प्रसार अधिकारी उच्च वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहा हैं तो वह वरिष्ठतम माना जावेगा। उक्त परिपत्र की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न की जाकर लेख है कि वरिष्ठतम प्रसार अधिकारी को कार्यभार सम्भलाया जाना चाहिये।

ह०
वरिष्ठ सचिव,
सामुदायिक विकास एवं पंचायत
राजस्थान, जयपुर

247

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 92 की सूची ब्यौरा

क्र. सं.	नाम पंचायत	प्रा. शालाओं की संख्या	छात्रों की संख्या	अध्यापकों की संख्या	एक अध्यापक द्वारा कक्षा 1 से 5 तक चलाई जाने वाली शालाओं की संख्या	छात्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	बोली	93	8364	140	54	3643
2.	करौली	121	7789	172	83	3988
3.	बामनवास	90	7121	121	70	3780
4.	हिण्डोन	112	10904	192	77	4681
5.	महुवा	85	9201	182	13	सूचना प्राप्त नहीं हुई
6.	गंगापुर	76	8319	146	31	1696
7.	खण्डार	73	6224	125	46	2381

1	2	3	4	5	6	7
8.	सपोटरा	129	10156	194	93	5330
9.	सवाई माधोपुर	94	9245	181	41	2084
10.	नादोती	सूचना प्राप्त नहीं हुई।				
11.	टोडाभीम	सूचना प्राप्त नहीं हुई।				
	योग :–	873	77323	1453	508	27583

परिशिष्ट–14

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम राजस्थान में जब से चालू हुआ तब से अब तक धनराशि एवं खाद्यान्न के वितरण का मानचित्र।

(रुपये लाखों में खाद्यान्न मै० टन में)

क्र. सं.	नाम जिला	1980–81		1981–82		योग	
		राशि	खाद्यान्न	राशि	खाद्यान्न	राशि	खाद्यान्न
1.	अजमेर	17.8250	250	98.20	150	116.3250	400
2.	अलवर	9.7375	–	400	–	13.7375	–
3.	बांसवाड़ा	6.9625	400	13.87	150	20.8325	550
4.	बाड़मेर	10.3750	150	40.00	150	50.3750	300
5.	भरतपुर	7.3750	250	3.18	–	10.5550	250
6.	भीलवाड़ा	16.8500	700	69.47	200	86.3200	900
7.	बीकानेर	16.3000	400	120.68	270	136.9800	670
8.	बूंदी	5.8375	125	2.57	–	8 4075	125
9.	चित्तौड़गढ़	7.2715	175	24.93	200	32.2015	375

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	चूरू	14.9225	175	100.09	150	115.0025	325
11.	डूंगरपुर	14.2410	–	31.50	200	45.7410	200
12.	गंगानगर	10.2375	225	6.50	100	16.7375	325
13.	जयपुर	15.0500	400	25.00	200	40.0500	600
14.	जैसलमेर	5.5500	100	45.00	100	50.5500	200
15.	जालौर	3.7550	150	32.37	100	35.9450	250
16.	झालावाड़	4.8250	550	36.46	175	41.2850	725
17.	झुन्झुनू	14.9625	175	46.23	200	61.1925	375
18.	जोधपुर	112.000	400	68.11	200	80.2100	600
19.	कोटा	8.1000	200	4.00	75	12.1000	275
20.	नागौर	12.6000	200	95.00	200	17.6000	400
21.	पाली	20.8000	–	23.20	130	44.0000	130
22.	स० माधोपुर	23.0500	200	10.00	–	33.0500	200
23.	सीकर	12.3000	200	16.50	–	28.8000	200
24.	सिरोही	11.0375	325	6.66	200	17.6975	525

[redacted]

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	टोंक	5.3250	150	78.28	200	83.6050	350
26.	उदयपुर	34.6050	1400	110.00	250	144.6050	1650
26.	धोलपुर	–	–	–	–	–	–
28.	वन विभाग	8.3950	700	53.90	400	62.2950	1100
29.	सा. नि. विभाग		–	468.00	–	468.00	-
	योग	330.20000	8000	1636.00	4000	1966.2000	12000